[2021] 2 एस. सी. आर. 321

उत्कृष्टता का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र

निजी सीमित

वी.

आय कर और ए. एन. आर. का आयुक्त।

(सिविल अपील सं। 8733-8734 2018 का)

02 मार्च, 2021

[आर. एफ. नरीमन, हेमंत गुप्ता और बी. आर. गवई, जे. जे.]

आय कर अधिनियम, 1961: s.195-भारत में निवासी द्वारा गैर-निवासी विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि-स्रोत पर कर की कटौती करने की देयता-आयोजितः डी. टी. ए. ए. एस. के अनुच्छेद 12 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा को देखते हुए, व्यक्तियों पर कोई दायित्व नहीं है।

निवासी भारतीय अंत-उपयोगकर्ताओं/वितरकों द्वारा गैर-निवासी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पुनर्विक्रय/उपयोग के लिए विचार

ई. यू. एल. ए./वितरण समझौते, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं है, और यह भारत में किसी भी कर योग्य आय को जन्म नहीं देता है, जिसके परिणामस्वरूप व्यक्तियों को एस में संदर्भित किया गया है। 195 आयकर अधिनियम एस के तहत किसी भी टीडीएस की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। 195 आयकर अधिनियम।

आय कर अधिनियम, 1961: s.194E और s. 195 - - आयोजित के बीच अंतरः आयकर अधिनियम का s.194E विभिन्न समूहों से संबंधित है।

संबंधित द्वारा आयकर अधिनियम के तहत कर की प्रभार्यता के किसी भी संदर्भ के बिना टी. डी. एस. से संबंधित प्रावधान

गैर-निवासी निर्धारिती-यह धारा एस के समान है। 193 और एस। 194 आय कर अधिनियम जिसके द्वारा कटौती आयकर अधिनियम के तहत एक अनिवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि की प्रभार्यता के किसी भी संदर्भ के बिना की जानी है-दूसरी ओर, एस के दिल। 195 आयकर अधिनियम का तथ्य यह है कि कटौती केवल तभी की जा सकती है जब अनिवासी निर्धारिती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो।

आय कर अधिनियम, 1961: आयकर अधिनियम, 1961 की प्रयोज्यता जब डी. टी. ए. ए. लागू होता है-आयोजितः एक बार डी. टी. ए. ए. लागू होने के बाद, के प्रावधान

आयकर अधिनियम केवल इस हद तक लागू हो सकता है कि वे निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद हों और अन्यथा नहीं-इसके अलावा, स्पष्टीकरण 4 से एस। 90 आयकर अधिनियम के अनुसार, यह स्पष्ट किया गया है कि

संसद ने कहा कि जहां किसी भी शब्द को डी. टी. ए. ए. में परिभाषित किया गया है, परिभाषा डी. टी. ए. ए. में निहित परिभाषा पर ध्यान दिया जाना चाहिए-यह केवल वहीं है जहां ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि आयकर अधिनियम में परिभाषा को तब लागू किया जा सकता है।

आय कर अधिनियम, 1961: एस. 90-रॉयल्टी-का अर्थ-आयोजितः जैसा कि अब 4 से एस के स्पष्टीकरण से परिलक्षित होता है। 90 आयकर अधिनियम

और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 3 (2) के तहत, "रॉयल्टी" शब्द की परिभाषा का वही अर्थ होगा जो डी. टी. ए. ए. द्वारा उसे सौंपा गया है।

इसका अर्थ है कि अभिव्यक्ति "रॉयल्टी", जब में होती है

एस. 9 डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में आयकर अधिनियम का अर्थ लगाया जाना चाहिए-इस स्थिति को सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 333 दिनांक 02.04.1982 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है-इस प्रकार, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 (3) के आधार पर, रॉयल्टी किसी भी प्रकार का भुगतान होता है जो इस प्रकार प्राप्त होता है -

एक साहित्यिक कृति, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर शामिल है, के "किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार" के लिए विचार।

आय कर अधिनियम, 1961: धारा 9 (1) (vi) स्पष्टीकरण 4; s.195-सवाल यह है कि क्या एस. के तहत टी. डी. एस. काटने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति हैं। 195 हो सकता है

ऐसे समय में ऐसी राशियों की कटौती करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया जब स्पष्टीकरण 4 तथ्यात्मक रूप से कानून पुस्तिका में नहीं था, सभी कटौती की जानी चाहिए और प्रश्नगत मूल्यांकन वर्ष वर्ष 2012 से पहले के हैं -

इस प्रश्न का उत्तर दो लैटिन मैक्सिम, लेक्स नॉन कोजिट एड द्वारा दिया गया है।

असंभवता, अर्थात, कानून असंभव और नपुंसकता छूट कानून की मांग नहीं करता है, अर्थात, जब कोई अक्षमता होती है जो कानून का पालन करना असंभव बनाती है, तो कानून की कथित अवज्ञा होती है

क्षमा-एस में उल्लिखित "व्यक्ति"। 195 असंभव को पूरा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है, अर्थात्, स्पष्टीकरण 4 से एस द्वारा अंत:स्थापित "रॉयल्टी" की विस्तारित परिभाषा को लागू करने के लिए। 9 (1) ((vi) आयकर अधिनियम की धारा, विचाराधीन निर्धारण वर्षों के लिए, ऐसे समय में जब

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957: प्रतिलिप्याधिकार-का अर्थ-हालाँकि अभिव्यक्ति "प्रतिलिप्याधिकार" को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है " कॉपीराइट अधिनियम की परिभाषाओं की धारा, अभी तक, एस. 14 यह स्पष्ट करता है कि "कॉपीराइट" का अर्थ "अनन्य अधिकार" है, जो उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र के अधीन है।

आय कर का आयुक्त

अधिनियम के प्रावधान, कुछ कार्यों को करने या करने के लिए अधिकृत करने के लिए

" एक कृति के संबंध में "-जब एक" साहित्यिक "के संबंध में एक" लेखक "

"कार्य" जिसमें एक "कंप्यूटर प्रोग्राम" शामिल है, ऐसा कार्य बनाता है, ऐसे लेखक को अनन्य अधिकार है, जो इसके प्रावधानों के अधीन है

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, संबंध में कई कार्य करने या करने के लिए अधिकृत करने के लिए ऐसे कार्य का या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग का।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957: एस. 14 (बी)-कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार

जब, एक गैर-अनन्य लाइसेंस के तहत, एक अंतिम उपयोगकर्ता को अधिकार मिलता है

एक सीडी के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए, केवल अंतिम उपयोगकर्ता

सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त करता है और कुछ नहीं-अंत

ई. यू. एल. ए. के तहत उपयोग के लिए लाइसेंस प्राप्त, जो भी लाइसेंस प्राप्त है वह अधिकार है उसमें अंतर्निहित कॉपीराइट का उपयोग करें, यह पूरी तरह से गलत है-लाइसेंस

ई. यू. एल. ए. के तहत किसी उत्पाद के उपयोग के लिए एस. में बताए गए लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है। 30 प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, जैसे कि केवल ईयूएलए

अंतिम उपयोगकर्ता पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाता है और अलग नहीं होता है

एस. एस. में उल्लिखित किसी भी अधिकार से संबंधित किसी भी ब्याज के साथ। 14 ((क) और

14 ((ख) प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957: एसएस। 14 , 16 , 30 , 52 (1) (एए), 52 (1) (बी), 52 (1) (एड)-कॉपीराइट का उल्लंघन-आयोजित: कोई कॉपीराइट मौजूद नहीं है।

भारत में कॉपीराइट अधिनियम या किसी अन्य प्रावधान के बाहर

उस समय लागू विशेष कानून, एस। 16 कॉपीराइट अधिनियम-जब किसी साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का स्वामी पूरी तरह से या आंशिक रूप से, एस में निहित सभी या किसी भी अधिकार को सौंपता है। 14 ((ए) और (बी)

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, उक्त कार्य में विचार के लिए, इस तरह के अधिकार का समनुदेशक इस में शामिल सभी ऐसे अधिकारों का हकदार हो जाता है -

प्रतिलिपि अधिकार जो सौंपा गया है, और जिसे इसके मालिक के रूप में माना जाएगा

उसे जो सौंपा गया है उसका कॉपीराइट-इसके अलावा, एस के तहत। 30 में से

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, किसी भी साहित्यिक कार्य में प्रतिलिपि अधिकार का स्वामी

एस में उल्लिखित किसी भी अधिकार में कोई ब्याज प्रदान करें। 14 (क) प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम के तहत उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को लिखित में अनुज्ञप्ति द्वारा, जिसके तहत ऐसे ब्याज के साथ भाग लेने के लिए रॉयल्टी देय हो सकती है-जब ऐसा अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है, तो किसी भी उपयोग के लिए प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन किया जाता है।

उक्त ब्याज/अधिकार जो लाइसेंस प्राप्त है, शर्तों के विपरीत है।

इस प्रकार दिए गए लाइसेंस का-कॉपीराइट का उल्लंघन होता है

जब कोई व्यक्ति "बिक्री करता है या किराए पर लेता है या बेचता है या किराए पर देता है" या [2021] 2 एस. सी. आर.

" बिक्री या किराए पर लेने का प्रस्ताव या "वितरित करता है। ताकि प्रतिकूल प्रभाव पड़े

कॉपीराइट के मालिक ", वीडियो एस। 51 (बी) कॉपीराइट अधिनियम की-महत्वपूर्ण रूप से, किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना या उसका अनुकूलन करना ताकि उक्त कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सके जिसके लिए उसे आपूर्ति की गई थी, या नुकसान, विनाश या क्षति से अस्थायी सुरक्षा के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाई जा सकें ताकि इस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग किया जा सके।

जिसकी आपूर्ति की गई थी, वह एस के तहत कॉपीराइट के उल्लंघन का कार्य नहीं है। 52 (1) (क) कॉपीराइट अधिनियम का-संक्षेप में, एस में क्या संदर्भित किया गया है। 52 (1) (ए. ए.) कॉपीराइट अधिनियम का पुनरुत्पादन कॉपीराइट के उल्लंघन के बराबर नहीं होगा

-

एस. 52 (1) (ad) s से स्वतंत्र है। 52 (1) (ए. ए.) कॉपीराइट अधिनियम की, और यह बताता है कि एक से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियों का निर्माण

गैर-वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त प्रतिलिपि कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगी - कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एड) को एस के प्रभाव को नकारने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है। 52 (1) (एए), क्योंकि यह एक ऐसे विषय से संबंधित है जो अलग और अलग है

जो एस में निहित है। 52 (1) ((क) प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957: प्रतिलिपि अधिकार स्वामी का वितरण अधिकार और

खरीदार का आगे पुनर्विक्रय करने का अधिकार-पहली बिक्री का सिद्धांत/समाप्ति का सिद्धांत-लागू होना-आयोजित: कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में दो बार संशोधन किया गया था, पहले 1994 में और फिर 1994 में।

1999 , 15.01.2000 से प्रभावी-1999 के संशोधन के बाद,

इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह वाक्यांश है "चाहे ऐसी प्रति पहले बेची गई हो या किराए पर दी गई हो।

अवसर "-यह पहली बिक्री/थकावट के सिद्धांत की वैधानिक मान्यता है।

शब्द और वाक्यांश: अभिव्यक्ति 'के संबंध में'-का अर्थ

स्पष्टीकरण 2 (v) से s के संदर्भ में भी। 9 (1) (vi) आयकर का

अधिनियम-आयोजित: "के संबंध में" अभिव्यक्ति, जब एक कराधान क़ानून में उपयोग की जाती है, तो केवल "ऑन" या "एट्रिब्यूटेबल" शब्दों का पर्याय है।

"से"-ऐसा अर्थ स्पष्टीकरण 2 (वी) से एस में निहित "के संबंध में" अभिव्यक्ति को दिए जाने वाले अर्थ के साथ मेल खाता है। 9 (1) ((vi) आयकर अधिनियम, और किसी भी तरह से नहीं करेगा

अभिव्यक्ति ओटियोस।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने पकड़ना: 1. आयकर अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत,

एक गैर-निवासी व्यक्ति की कुल आय में सभी आय EXCELENCE PVT LTD v.

आय कर का आयुक्त

जो किसी भी स्रोत से प्राप्त होता है, जो उस वर्ष के दौरान भारत में ऐसे व्यक्ति को प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है या प्राप्त होता है या उत्पन्न होता है। हालाँकि, यह आय के प्रावधानों के अधीन है।

कर अधिनियम। आयकर अधिनियम की धारा 9 के तहत भारत में कुछ आय उत्पन्न या उपार्जित मानी जाती है, इस तथ्य के बावजूद कि ऐसी आय भारत के बाहर किसी अनिवासी को उपार्जित या उत्पन्न हो सकती है। ऐसी एक आय रॉयल्टी के रूप में आय है, जिसका अर्थ है, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के तहत, किसी साहित्यिक कृति में किसी भी कॉपीराइट के संबंध में लाइसेंस देने सहित सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण। कि ऐसा लेन-देन हो सकता है

2. आयकर अधिनियम की धारा 195 में निहित मशीनरी का प्रावधान शुल्क प्रावधान से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है आयकर अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 9 में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप, भारत में रहने वाला एक व्यक्ति, जो एक गैर-निवासी को "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" धन राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, किसी भी तरीके से प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, स्रोत पर उस दर से कर की कटौती करेगा जो आयकर अधिनियम की धारा 2 (37 ए) (iii) के तहत, डीटीएए द्वारा निर्धारित दर है। इस तरह

कटौती केवल तभी की जानी है जब अनिवासी धारा 9 में निहित शुल्क प्रावधान के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है जिसे [2021] 2 एस. सी. आर. के साथ पढ़ा जाता है।

आयकर अधिनियम की धारा 4, जिसे डी. टी. ए. ए. के साथ पढ़ा जाता है। इस प्रकार, यह केवल तभी होता है जब अनिवासी भारत में उत्पन्न होने वाली आय पर भारत में आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है और आयकर अधिनियम की धारा 195 (1) के तहत टीडीएस की कोई कटौती नहीं की जाती है, या ऐसे व्यक्ति के पास है - आयकर अधिनियम की धारा 195 (2) को लागू करने के बाद, कर के ऐसे अनुपात की कटौती नहीं की गई जो आवश्यक है, कि कटौती और भुगतान करने में विफलता के परिणाम, आयकर अधिनियम की धारा 201 में परिलक्षित होते हैं, जिसके आधार पर निवासी-प्राप्तकर्ता को "चूक में निर्धारिती" माना जाता है, और इस प्रकार, कर, ब्याज और उस पर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। [पैरा 27] [362-ई-एच; 363-ए-बी]

जी. ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर (पी) लिमिटेड बनाम सीआईटी (2010) 10

एससीसी 29: [2010] 10 एससीआर 1142-पर भरोसा किया गया।

3. यह देखा जाएगा कि आयकर अधिनियम की धारा 194 ई विभिन्न प्रावधानों के एक समूह से संबंधित है जो टीडीएस से संबंधित है।

संबंधित अनिवासी निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम के तहत कर की प्रभार्यता के किसी भी संदर्भ के बिना। यह धारा आयकर अधिनियम की धारा 193 और 194 के समान है जिसके द्वारा कटौती बिना किसी संदर्भ के की जानी है -

आय कर अधिनियम के तहत एक अनिवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि की प्रभार्यता। दूसरी ओर, आयकर अधिनियम की धारा 195 के केंद्र में यह तथ्य है कि कटौती केवल तभी की जा सकती है जब अनिवासी निर्धारिती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। [पैरा 31] [364 ई-एफ]

पीएलसीओएम वी. सी. आई. टी., पश्चिम बंगाल VII, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 426-लागू नहीं है।

" कॉपीराइट अधिनियम की "परिभाषाओं" की धारा में कॉपीराइट "को अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी, धारा 14 यह स्पष्ट करती है कि" कॉपीराइट "का अर्थ" अनन्य अधिकार "है, जो कॉपीराइट अधिनियम के अधीन है। "किसी कार्य के संबंध में" कुछ कार्य करने या करने के लिए अधिनियम के प्रावधान।

जब कोई "लेखक" "साहित्यिक इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के संबंध में हो। आय कर का आयुक्त

"कार्य" जिसमें एक "कंप्यूटर प्रोग्राम" शामिल है, ऐसा बनाता है

ऐसे लेखक को कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऐसे काम या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से के संबंध में कई कार्य करने या करने के लिए अधिकृत करने का अनन्य अधिकार है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में, धारा 14 (बी) विशेष रूप से अधिनियमों के दो समूहों के बारे में बात करती है-उपखंड (ए) में गिने गए सात अधिनियम और वाणिज्यिक किराये पर या बिक्री के लिए या वाणिज्यिक किराए पर देने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की कोई भी प्रति बेचने या देने का आठवां अधिनियम। जहाँ तक सात अधिनियमों का संबंध है जो निर्धारित किए गए हैं उपखंड (ए) के संबंध में, वे सभी इस बात का वर्णन करते हैं कि कॉपीराइट के मालिक के पास विशेष अधिकार कैसे हो सकता है।

के साथ भाग लिया, अर्थात। , यदि किसी भी भौतिक रूप में काम को पुनः पेश करने के अधिकार के साथ कोई विभाजन है; जनता को काम की प्रतियां जारी करने का अधिकार, जो पहले से ही प्रचलन में प्रतियां नहीं हैं;

सार्वजनिक रूप से काम करने या जनता को सूचित करने का अधिकार; किसी भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार। कार्य का सम्मान; कार्य का कोई भी अनुवाद करने का अधिकार; कार्य का कोई भी अनुकूलन करने का अधिकार; या अनुवाद या अनुवाद के संबंध में निर्दिष्ट कार्यों में से कोई भी करने का अधिकार।

अनुकूलन। [पारस 34 और 35] [370-एफ-एच; 371-ए-डी]

4.2 संक्षेप में, इस तरह के अधिकार को कॉपीराइट के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसमें किसी भी भौतिक रूप में काम को पुनः पेश करने का अधिकार शामिल है।

जनता के लिए काम की प्रतियां जारी करें, सार्वजनिक रूप से काम करें, या काम का अनुवाद या अनुकूलन करें। यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (एम) में निहित "उल्लंघनकारी प्रतिलिपि" की परिभाषा से और भी स्पष्ट हो जाता है, जिसका अर्थ एक कंप्यूटर प्रोग्राम, यानी एक साहित्यिक कृति के संबंध में उक्त कृति का पुनरुत्पादन है। इस प्रकार, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को पुनः पेश करने और बिक्री, हस्तांतरण, लाइसेंस आदि के माध्यम से पुनरुत्पादन का दोहन करने का अधिकार उक्त अनन्य अधिकार के केंद्र में है। [पैरा 36] [371-डी-एफ]

5. महत्वपूर्ण रूप से, भारत के बाहर कोई कॉपीराइट मौजूद नहीं है।

कॉपीराइट अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विशेष कानून के प्रावधान, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 16 के अनुसार। जब किसी साहित्यिक कृति में प्रतिलिप्याधिकार का स्वामी पूरी तरह से या भागतः, प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 14 (ए) और (बी) में निहित सभी या किसी भी अधिकार पर विचार के लिए उक्त कार्य में,

इस तरह के अधिकार का समनुदेशक ऐसे सभी अधिकारों का हकदार हो जाता है [2021] 2 एस. सी. आर.

प्रतिलिपि अधिकार में शामिल है जो सौंपा गया है, और माना जाएगा उसे जो सौंपा गया है उसके कॉपीराइट के मालिक के रूप में। इसके अलावा, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के तहत, किसी भी साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का मालिक कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) में उल्लिखित किसी भी अधिकार में कोई भी ब्याज अपने द्वारा लाइसेंसधारक को लिखित रूप में दे सकता है, जिसके तहत, इस तरह के ब्याज के साथ भाग लेने के लिए, रॉयल्टी देय हो सकती है। जब ऐसा लाइसेंस दिया जाता है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब उक्त हित/अधिकार से संबंधित कोई भी उपयोग, जो लाइसेंस प्राप्त है, इस प्रकार दिए गए लाइसेंस की शर्तों के विपरीत होता है। प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन तब होता है जब कोई व्यक्ति "बिक्री के लिए करता है या किराए पर लेता है या बेचता है या किराए पर देता है" या "बिक्री या किराए के लिए प्रस्ताव देता है" या "वितरित करता है। ताकि प्रतिलिप्याधिकार के मालिक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सके।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (बी) के अनुसार। महत्वपूर्ण रूप से, जिस उद्देश्य के लिए उक्त कंप्यूटर प्रोग्राम की आपूर्ति की गई थी, उसका उपयोग करने के लिए या नुकसान, विनाश या क्षति से अस्थायी सुरक्षा के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना या उसका अनुकूलन करना, ताकि उस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने में सक्षम हो, जिसके लिए इसे आपूर्ति की गई थी, उल्लंघन का कार्य नहीं है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) के तहत प्रतिलिपि अधिकार। संक्षेप में, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) में जिसका उल्लेख किया गया है, वह पुनरुत्पादन के बराबर नहीं होगा ताकि कॉपीराइट का उल्लंघन हो। [पैरा 38] [372-ए-एफ] 6. धारा 52 (1) (एड) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) से स्वतंत्र है, और बताती है कि एक की प्रतियां बनाना

गैर-वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त प्रति से कंप्यूटर प्रोग्राम एक के बराबर नहीं होगा

कॉपीराइट का उल्लंघन। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एड) को धारा 52 (1) (एए) के प्रभाव को नकारने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे विषय से संबंधित है जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) में निहित विषय से अलग और अलग है। [पैरा 39]

[372 - एफ-एच]

7. जैसा कि अब आयकर अधिनियम की धारा 90 के स्पष्टीकरण 4 से और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 3 (2) के तहत परिलक्षित होता है, "रॉयल्टी" शब्द की परिभाषा का अर्थ डी. टी. ए. ए. द्वारा दिया गया होगा, जिसका अर्थ है कि "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति, जब आयकर अधिनियम की धारा 9 में आती है, तो इसका अर्थ डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए।

यह पद उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र भी है। आय कर का आयुक्त

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 333 दिनांक 02.04.1982 द्वारा स्पष्ट किया गया। इस प्रकार, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 (3) के आधार पर रॉयल्टी का भुगतान किया जाता है -

किसी साहित्यिक कृति के "किसी भी प्रतिलिप्याधिकार के उपयोग या उपयोग के अधिकार" के लिए विचार के रूप में प्राप्त कोई भी प्रकार, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर शामिल है। [पारस 42,43] [376-ए-सी, जी-एच]

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पुनर्विक्रय करने के लिए हस्तांतरणीय लाइसेंस, यह स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जा रहा है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई कॉपीराइट नहीं है या तो वितरक या अंतिम अंतिम उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है। इसे यह कहते हुए और बढ़ाया जाता है कि अंतिम-उपयोगकर्ता द्वारा स्वयं कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने के अधिकार के अलावा, उप-लाइसेंस या हस्तांतरण का कोई और अधिकार नहीं है, और न ही अंतिम-उपयोगकर्ता को लाइसेंस द्वारा अनुमति दिए जाने के अलावा किसी भी तरह से रिवर्स-इंजीनियर, संशोधन, पुनरुत्पादन का कोई अधिकार है। इसलिए, भारत में वितरक द्वारा विचार के रूप में क्या भुगतान किया जाता है

विदेशी, अनिवासी निर्माता या आपूर्तिकर्ता, सामान के रूप में कंप्यूटर कार्यक्रम की कीमत है, या तो एक माध्यम में जो

सॉफ्टवेयर को या उस माध्यम में संग्रहीत करता है जिसके द्वारा सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर में एम्बेड किया जाता है, जिसे वितरक द्वारा भारत में अंतिम उपयोगकर्ता को फिर से बेचा जा सकता है, वितरक इस तरह के पुनर्विक्रय पर लाभ कमाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वितरक को उत्पाद का उपयोग करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलता है। जब एक अंतिम उपयोगकर्ता की बात आती है जिसे सीधे कंप्यूटर प्रोग्राम बेचा जाता है, तो ऐसा अंतिम उपयोगकर्ता केवल अंतिम उपयोगकर्ता के स्वामित्व वाले कंप्यूटर हार्डवेयर में इसे स्थापित करके इसका उपयोग कर सकता है और किसी भी तरह से बिक्री या हस्तांतरण के लिए इसे पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता है, जो ईयूएलए द्वारा लगाए गए नियमों के विपरीत है। इन सभी मामलों में, ई. यू. एल. ए. द्वारा दिया गया "लाइसेंस", कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में लाइसेंस नहीं है, जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में निहित सभी या किसी भी अधिकार में ब्याज हस्तांतरित करता है, लेकिन एक "लाइसेंस" है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रतिबंध या शर्तें लगाता है। इस प्रकार, यह नहीं कहा जा सकता है कि इन मामलों में से कोई भी ईयूएलए है

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के लिए संदर्भित, क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित किसी भी अधिकार में ब्याज देने की बात करती है। ई. यू. एल. ए. सभी अपीलों में ऐसा कोई अधिकार या [2021] 2 एस. सी. आर. प्रदान नहीं करता है।

ब्याज, कम से कम, कंप्यूटर को पुनः पेश करने का अधिकार या ब्याज

सॉफ्टवेयर। इस तरह के पुनरुत्पादन को स्पष्ट रूप से बाधित किया गया है, और यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कॉपीराइट का कोई निशान नहीं है।

या तो वितरक को या अंतिम उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है। इस प्रकार, जो विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरक को "लाइसेंस प्राप्त" है और निवासी अंत-उपयोगकर्ता को फिर से बेचा जाता है, या सीधे आपूर्ति की जाती है।

निवासी अंत तक-इन मामलों में उपयोगकर्ता वास्तव में एक भौतिक वस्तु की बिक्री है जिसमें एक एम्बेडेड कंप्यूटर होता है कार्यक्रम। [पारस 45,46,47 और 52] [386-सी-एच; 387-ए-बी; 392-जी-एच]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, (2000) 1

एससीसी 727: [2000] 1 एस. सी. आर. 137-पर निर्भर।

सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। केरल राज्य, [1966] 2 एससीआर

828 संदर्भित किया गया है

9. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा 9 उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो गैर-निवासी हैं और अपनी आय पर कर लगाते हैं आय के रूप में जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न मानी जाती है, इस प्रकार, ऐसे व्यक्तियों को आयकर अधिनियम के तहत निर्धारिती बनाता है, जो

कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि आयकर की धारा 195 में "भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" की बात की गई है।

अधिनियम एक अनिवासी निर्धारिती नहीं है, बल्कि भारत में रहने वाला एक व्यक्ति है, जो भुगतान करते समय धारा 195 के तहत कटौती करने के लिए उत्तरदायी है।

इसके द्वारा गैर-निवासी निर्धारिती को दिए जाते हैं। [पैरा 54] [393-ई-एफ]

वोडाफोन इंटरनेशनल होल्डिंग्स बीवी वी। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 613: [2012] 1 एससीआर 573-पर निर्भर।

10. डी. टी. ए. ए. एस. बनाम में रॉयल्टी की परिभाषा

आय कर अधिनियम के अनुसार

10.1 जब भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. का अनुच्छेद 12 इसके उप-अनुच्छेद (3) में "रॉयल्टी" शब्द को परिभाषित करता है, तो यह कहते हुए कि ऐसी परिभाषा संपूर्ण है-यह अभिव्यक्ति का उपयोग करता है।

" इसका अर्थ है "। दूसरा, "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ है -

कोई भी प्रकार जो किसी साहित्यिक कार्य में किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए विचार के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके विपरीत, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 में निहित परिभाषा कम से कम तीन मामलों में व्यापक है: यह "विचार" की बात करता है, लेकिन इसमें एकमुश्त विचार भी शामिल है-उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र।

आय कर का आयुक्त

जो प्राप्तकर्ता की देय आय के बराबर नहीं होगी।

"पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत; जब यह "सभी या किसी भी अधिकार" के हस्तांतरण की बात करता है, तो इसमें स्पष्ट रूप से उसके संबंध में लाइसेंस देना शामिल है; और इसमें कहा गया है कि ऐसा हस्तांतरण किसी भी साहित्यिक कृति के किसी भी कॉपीराइट के संबंध में होना चाहिए। हालांकि, जहां इस तरह का हस्तांतरण कॉपीराइट के संबंध में है, वहां भी कॉपीराइट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण अनिवार्य है।

आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण। संक्षेप में, लाइसेंस के माध्यम से या अन्यथा, सभी का हस्तांतरण होना चाहिए या

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) के साथ पठित धारा 14 (बी) में उल्लिखित अधिकारों में से कोई भी। [पारस 63 और 64] [404-एच; 405-ए-ई]

मद्रास राज्य बनाम। स्वास्तिक तंबाकू कारखाना, [1966] 3 एस. सी. आर. 79 संदर्भित

10.2 आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) में उप-धाराओं (v), (vi) और (vii) को आयकर अधिनियम के माध्यम से संशोधन के माध्यम से सम्मिलित करना।

वित्त अधिनियम 1976 का उद्देश्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी और शुल्क के माध्यम से एक गैर-निवासी के हाथों में आय के लिए स्रोत आधारित कराधान शुरू करना था। नतीजतन, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) लागू की गई। की परिभाषा

आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) में निहित रॉयल्टी में सभी या किसी भी अधिकार (सहित) का हस्तांतरण शामिल है। लाइसेंस प्रदान करना) "किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के संबंध में"। "कॉपीराइट" शब्द के बाद अल्पविराम फिट नहीं होता है क्योंकि कॉपीराइट को स्पष्ट रूप से एक साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य में मौजूद माना जाता है। वास्तव में, इस मसौदा त्रुटि को कर संहिता 2010 के मसौदे में, उसके भाग एच में अध्याय XIX के तहत ठीक किया गया था। [पारस 67,69,70] [407-ए-बी; 408-सी-ई]

कार्बोरैंडम एंड कंपनी v. सी. आई. टी. (1977) 2 एस. सी. सी. 862: [1977]

3 एस. सी. आर. 475-संदर्भित।

10.3 सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (अनुदान सहित)

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, किसी भी कॉपीराइट के संबंध में लाइसेंस) की धारा 14 (ए), 14 (बी) और 30 के लिए संदर्भित है। कॉपीराइट अधिनियम। जैसा कि माना गया है, अभिव्यक्ति "के संबंध में" "में" या "के लिए जिम्मेदार" के बराबर है। इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1)

(vi) का स्पष्टीकरण 2 (v), जब यह "कॉपीराइट के संबंध में सभी अधिकारों" की बात करता है, तो निश्चित रूप से अधिक [2021] 2 एस. सी. आर. है।

डी. टी. ए. ए. प्रावधान की तुलना में व्यापक, जो "उपयोग" की बात करता है।

किसी भी कॉपीराइट का, या उपयोग करने का अधिकार। हालाँकि, जब "उपयोग, या उपयोग करने का अधिकार" अभिव्यक्ति की बात आती है, तो वही स्थिति आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) के तहत प्राप्त होगी, क्योंकि लाइसेंस के तहत होना चाहिए।

प्रदत्त या की गई बिक्री, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) या 14 (बी) में निहित किसी भी अधिकार का हस्तांतरण होगा, ताकि स्पष्टीकरण 2 (वी) लागू हो सके। इस हद तक, डी. टी. ए. ए. में "रॉयल्टी" की परिभाषा और आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) में "रॉयल्टी" की परिभाषा के बीच स्थिति में कोई अंतर नहीं होगा। [पारस 71,72] [409-ए-बी; जी-एच; 410-ए-बी]

सी. आई. टी वी. डीसीएम लिमिटेड, आई. टी. ए. सं. 87-89 / 1992 संदर्भित

को।

11. सवाल यह है कि क्या व्यक्ति टी. डी. एस. काटने के लिए उत्तरदायी हैं

आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत ऐसे समय में ऐसी राशियों की कटौती करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब स्पष्टीकरण 4 तथ्यात्मक रूप से कानून पुस्तिका में नहीं था, सभी कटौती की जानी चाहिए और मूल्यांकन वर्ष वर्ष 2012 से पहले के हैं। इस प्रश्न का उत्तर दो लैटिन सिद्धांत, लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया, यानी कानून असंभव की मांग नहीं करता है और नपुंसकता बहाना कानून, यानी, जब कोई विकलांगता होती है जो कानून का पालन करना असंभव बनाती है, तो कानून की कथित अवज्ञा

क्षमा की जाती है। आयकर अधिनियम की धारा 195 में उल्लिखित "व्यक्ति" से यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि वह असंभव कार्य करेगा, अर्थात्, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 4 द्वारा जोड़ी गई "रॉयल्टी" की विस्तारित परिभाषा को ऐसे निर्धारण वर्षों के लिए लागू करेगा, जब ऐसा स्पष्टीकरण वास्तव में नहीं था और

वास्तव में क़ानून में। [पारस 80,81 और 85] [413-डी-एफ; 420-एच; 421-ए-बी]

अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम। कैलाश कुषाणराव

गोरंटचाल, (2020) 7 एस. सी. सी. 1; सिट्रिक्स सिस्टम्स एशिया पैसिफिक पी. टी. आई. एल. लिमिटेड, इन रे।, (2012) 343 आईटीआर 1 (एएआर)-संदर्भित

को। डसॉल्ट सिस्टम्स , के. के., इन रे. , (2010) 322 आई. टी. आर. 125 (ए. ए. आर.); जियोक्वेस्ट सिस्टम्स बी. वी.

गेवर्स डेनूटवेग, रे. , (2010) 327 आई. टी. आर. 1 (ए. ए. आर.); आयकर निदेशक बनाम. ए. पी. मोलर मार्स्क ए. एस., (2017) 5 एस. सी. सी. 651

मंजूरी दे दी गई।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर का आयुक्त

12. जब, एक गैर-अनन्य लाइसेंस के तहत, एक अंतिम उपयोगकर्ता को सीडी के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, तो अंत में

उपयोगकर्ता को केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार प्राप्त होता है और इससे अधिक कुछ नहीं। अंतिम उपयोगकर्ता को कोई भी अधिकार नहीं मिलता है जिसे मालिक कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) के तहत बनाए रखना जारी रखता है उसकी उप-धारा (ए) (आई)-(vii) के साथ। इस प्रकार, यह निष्कर्ष कि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को ईयूएलए के तहत उपयोग के लिए लाइसेंस दिया जाता है, तो क्या है

लाइसेंस भी उसमें अंतर्निहित कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार है, जो पूरी तरह से गलत है। ई. यू. एल. ए. के तहत किसी उत्पाद के उपयोग के लिए लाइसेंस को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 में बताए गए लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह के ई. यू. एल. ए. केवल अंतिम उपयोगकर्ता पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाता है और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित किसी भी अधिकार से संबंधित किसी भी हित में भाग नहीं लेता है। [पैरा 97] [431-ई-जी]

सी. आई. टी वी. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड (2012) 345 आईटीआर

494 - सही कानून नहीं।

13. "के संबंध में" अभिव्यक्ति, जब एक कराधान क़ानून में उपयोग की जाती है, तो केवल "ऑन" या "एट्रिब्यूटेबल" शब्दों का पर्याय है। से "। इस तरह का अर्थ दिए जाने वाले अर्थ के साथ मेल खाता है

आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) में निहित "के संबंध में" अभिव्यक्ति, और किसी भी तरह से अभिव्यक्ति को अनुचित नहीं बनाएगी। दूसरा, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 16,

जिसमें कहा गया है कि "कोई भी व्यक्ति इसका हकदार नहीं होगा प्रतिलिपि अधिकार. इसके तहत और उसके अनुसार के अलावा

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 और अन्यथा नहीं। तीसरा, कंप्यूटर प्रोग्राम के भंडारण का गठन नहीं होगा। कॉपीराइट का उल्लंघन। यह, फिर से, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) की शर्तों के सीधे विपरीत होगा। [पारस 105,106 और 107] [439-बी-ई]

मद्रास राज्य बनाम। स्वास्तिक तम्बाकू कारखाना [1966] 3

एस. सी. आर. 79-निर्भर

आयकर निदेशक v. एरिक्सन ए. बी. (2012) 343

आई. टी. आर. 470; आयकर निदेशक बनाम.

ओ. वाई. (2013) 358 आई. टी. आर. 259; आयकर निदेशक बनाम। इन्फ्रासॉफ्ट लिमिटेड, (2014) 264 सीटीआर 329; सीआईटी बनाम। जेडटीई

निगम, (2017) 392 आई. टी. आर. 80-अनुमोदित।

14. प्रतिलिपि अधिकार एक अनन्य अधिकार है, जो नकारात्मक प्रकृति का है, जो दूसरों को कुछ कार्य करने से रोकने का अधिकार है। प्रतिलिप्याधिकार एक विशेषाधिकार की प्रकृति में एक अमूर्त, अमूर्त अधिकार है, जो किसी भी भौतिक पदार्थ से काफी स्वतंत्र है। किसी काम में कॉपीराइट का स्वामित्व उस भौतिक सामग्री के स्वामित्व से अलग होता है जिसमें कॉपीराइट किया गया काम हो सकता है।

मूर्त होने के लिए। एक स्पष्ट उदाहरण पुस्तक का खरीदार है।

या एक सीडी/डीवीडी, जो भौतिक लेख का मालिक बन जाता है, लेकिन काम में निहित कॉपीराइट का मालिक नहीं बन जाता है, ऐसा कॉपीराइट विशेष रूप से मालिक के पास रहता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित किसी भी कार्य को करने के अधिकार के साथ अलग होना शामिल है। भौतिक पदार्थ का हस्तांतरण, अपने आप में, उसमें कॉपीराइट को स्थानांतरित करने का काम नहीं करता है। भौतिक पदार्थ के स्वामित्व का हस्तांतरण, जिसमें कॉपीराइट रहता है, खरीदार को इसके साथ जो कुछ भी वह चाहता है, करने का अधिकार देता है, सिवाय इसके कि

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के तहत, जो एक लाइसेंस है जो लाइसेंसधारी को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित अधिकारों में रुचि प्रदान करता है। जहां एक लेन-देन का मूल अंतिम उपयोगकर्ता को "लाइसेंस प्राप्त" कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पाद तक पहुंच और उपयोग करने के लिए अधिकृत करना है, जिस पर लाइसेंसधारी का कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट विभाजित नहीं किया जाता है और परिणामस्वरूप, कोई उल्लंघन नहीं होता है, जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) द्वारा मान्यता प्राप्त है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं। इसके विनिर्देशों या अन्यथा के अनुसार अनुकूलित किया जाता है। एक गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस, जो केवल एक कॉपीराइट उत्पाद के उपयोग को सक्षम बनाता है, प्रतिबंधात्मक शर्तों की प्रकृति में है जो हैं:

इस तरह के उपयोग के लिए सहायक, और इसे उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र के लिए लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है।

आय कर का आयुक्त

धारा 14 में उल्लिखित सभी या किसी भी अधिकार का लाभ उठाएँ।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, या ऐसे किसी भी अधिकार में कोई रुचि पैदा करना ताकि प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 30 को आकर्षित किया जा सके। का अधिकार

पुनरुत्पादन और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार अलग और अलग अधिकार हैं। पूर्व के साथ विदा करने के लिए राशि

प्रतिलिप्याधिकार और बाद वाला, गैर-अनन्य ईयूएलएएस के संदर्भ में, ऐसा नहीं है। [पैरा 117] [452-सी-एच; 453-ए-डी]

भारतीय स्टेट बैंक बनाम सीमा शुल्क कलेक्टर, (2000) 1

एससीसी 727: [2000] 1 एस. सी. आर. 1-निर्भर

15.1 कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में दो बार संशोधन किया गया था, पहले 1994 में और फिर 1999 में।

15.01.2000 . 1999 के संशोधन के बाद, क्या स्पष्ट है

इसकी अनुपस्थिति वाक्यांश है "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसरों पर बेची गई है या किराए पर दी गई है"। यह पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत की वैधानिक मान्यता है। [पैरा 120] [454-ए-सी]

प्रतिलिपि अधिकार पर कॉपिंगर और स्कोन जेम्स (14 वां)

संस्करण) (1999); वार्नर ब्रदर्स। एंटरटेनमेंट इंक. वी. संतोष वी. जी., सी. एस. (ओ. एस.) सं. 1682/2006 [वार्नर ब्रदर्स।] 2009 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 835; जॉन विली एंड संस इंक. बनाम।

प्रभात चंदर कुमार जैन, आई. ए. नं. 11331/2008 in

सीएस (ओएस) सं. 1960/2008 2010 एससीसी ऑनलाइन डेल 2000; यूज़सॉफ्ट जीएमबीएच वी। ओरेकल इंटरनेशनल कॉर्प। (केस सी 128/11) - संदर्भित किया गया।

15.2 पहली बिक्री/थकावट के सिद्धांत का सिद्धांत, सबसे पहले, उन कानूनों पर निर्भर करता है जो या तो

सिद्धांत को मान्यता देता है या मान्यता देने से इनकार करता है (इस प्रकार कॉपीराइट मालिक को वितरण अधिकार देना जारी रखता है, यहां तक कि कॉपीराइट किए गए काम की पहली बिक्री से परे भी)। इस प्रकार, उदाहरण के लिए, 2012 में धारा 14 (डी) (ii) के संशोधन से पहले, एक सिनेमेटोग्राफ

फिल्म से संबंधित, फिल्म की कोई भी प्रति, बेचने या किराए पर देने या बिक्री या किराए पर देने का वितरण अधिकार, कॉपीराइट स्वामी में निहित रहेगा, "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसर पर बेची गई थी या किराए पर दी गई थी", जो फिल्म के आवेदन के खिलाफ विधायी इरादे को प्रकट करता है।

पहली बिक्री का सिद्धांत/थकावट का सिद्धांत। 2012 के बाद, हालांकि, [2021] 2 एस. सी. आर.

प्रतिलिप्याधिकार स्वामी के वितरण अधिकार और खरीदार के आगे पुनर्विक्रय के अधिकार के बीच संतुलन, बाद वाले के पक्ष में झुका हुआ था, संशोधन द्वारा "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसर पर बेची गई है या किराए पर दी गई है" शब्दों को हटा दिया गया था। इसी तरह, जब कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) (ii) की बात आती है, तो वितरण अधिकार के मालिक के पास रहता है।

काम की प्रतियों को जनता को जारी करने के लिए कॉपीराइट, इस हद तक कि ऐसी प्रतियां पहले से ही प्रचलन में नहीं हैं, जिससे

प्रथम बिक्री के सिद्धांत को लागू करने के लिए एक विधायी इरादे को प्रकट करना /

थकावट का सिद्धांत। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (डी) (ii) की तरह, धारा 14 (बी) (ii) ने भी 1999 के संशोधन के बाद, 15.01.2000 से प्रभावी शब्दों को हटा दिया है।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (डी) (ii) के तहत 2012 में खरीदार के पक्ष में किया गया संशोधन भी 1999 के बाद पाया गया है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में संशोधन। [पारस 140,141] [470-ई-एच; 471-ए-सी]

15.3 कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि इसे बेचना या बेचना मालिक का अनन्य अधिकार है।

वाणिज्यिक किराये या बिक्री के लिए प्रस्ताव या वाणिज्यिक किराए पर "कंप्यूटर कार्यक्रम की कोई प्रति" देना। इस प्रकार, एक वितरक जो सामग्री के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदता है और इसे अंतिम उपयोगकर्ता को फिर से बेचता है, उसे उपरोक्त प्रावधान के दायरे में नहीं कहा जा सकता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में बताई गई बिक्री या वाणिज्यिक किराया "कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी भी प्रति" का है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारा केवल इन पर लागू होगी - कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना और फिर उन्हें बेचना, यानी बिक्री या वाणिज्यिक किराये के लिए उसी का पुनरुत्पादन।

[पैरा 142] [471-सी-ई, एच]

15.4 कंप्यूटर प्रोग्राम के संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) का उद्देश्य पुनरुत्पादन को रोकना है।

उक्त कंप्यूटर प्रोग्राम और इसके परिणामस्वरूप पुनः प्रस्तुत किए गए कंप्यूटर प्रोग्राम का बाद के अधिग्रहणकर्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरण। इसके विपरीत, एक बार जब कोई पुस्तक बेची जाती है, तो उसी पुस्तक के आगे पुनर्विक्रय पर, खरीदार सामग्री पुस्तक खो देता है।

कुल मिलाकर, इस तरह के खरीदार ने, विचार के लिए, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पी. वी. टी. लिमिटेड से अलग हो गया है।

आय कर का आयुक्त

एक बार और सभी के लिए किताब। कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है। एक बार जब यह समझ में आ जाता है कि

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) किसी वितरक द्वारा बेचे जाने वाले "लाइसेंस प्राप्त" कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बिक्री को रोकने के लिए नहीं है, बल्कि यह है कि एक बार बेचे जाने के बाद कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की प्रतियों को पुनः उत्पन्न करने और फिर बिक्री या हस्तांतरण के माध्यम से स्थानांतरित करने से रोकने के लिए है। अन्यथा, यह स्पष्ट हो जाता है कि किसी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लेखक द्वारा किसी वितरक को आगे की बिक्री के लिए कोई भी बिक्री

उपयोगकर्ता, संभवतः उक्त प्रावधान से प्रभावित नहीं हो सकता है। इसके अलावा, वितरक कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का बिल्कुल भी उपयोग नहीं कर सकता है और उसे उक्त सॉफ़्टवेयर को मालिक द्वारा सिकुड़ते हुए, अंतिम उपयोगकर्ता को एक विचार के लिए देना पड़ता है, वितरक का लाभ मार्जिन एक मध्यस्थ का होता है जो केवल उसी उत्पाद को अंतिम उपयोगकर्ता को फिर से बेचता है। प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वितरण, वर्तमान अपीलों के तथ्यों पर कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) के तहत कॉपीराइट में ब्याज का अनुदान नहीं होगा, जो धारा के तहत स्रोत पर कर की कटौती को आवश्यक बनाता है।

195 आयकर अधिनियम। [पारस 143,144] [471-जी-एच; 472-ए-डी]

16.1 भारत द्वारा अन्य संविदाकारी राज्यों के साथ किए गए डी. टी. ए. ए. की उदारता से व्याख्या की जानी चाहिए -

पक्षों के सच्चे इरादे को लागू करने का दृष्टिकोण। जब इन अपीलों में सभी डी. टी. ए. ए. में "रॉयल्टी" की परिभाषा देखी जाती है, तो यह पाया जाता है कि "रॉयल्टी" को ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 में निहित परिभाषा के समान या समान तरीके से परिभाषित किया गया है। यह मामला होने के कारण, OECD मॉडल कर के प्रावधानों पर OECD टिप्पणी

सम्मेलन तब प्रासंगिक हो जाता है। [पारस 145,150] [472-ई;

476 - सी-डी]

भारत संघ बनाम। आजादी बचाओ आंदोलन, (2004) 10

एससीसी 1: [2003] 4 पूरक। एस. सी. आर. 222; फॉर्मूला वन विश्व चैम्पियनशिप लिमिटेड बनाम। सी. आई. टी. (2017) 15 एस. सी. सी. 602: [2017] 2 एस. सी. आर. 152; सी. आई. टी. v. ई-फंड्स आईटी सॉल्यूशन इंक., (2018) 13

एस. सी. सी. 295: [2017] 10 एस. सी. आर. 157-संदर्भित

थिएल वी. संघीय कराधान आयुक्त, उच्च न्यायालय

ऑस्ट्रेलिया के, [1990] 94 ए. एल. आर. 647; राम जेठमलानी बनाम। भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 1: [2011] 8 एस. सी. आर. 725; आयकर निदेशक बनाम. न्यू स्काईज़ सैटेलाइट बीवी, (2016)

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

382 आई. टी. आर. 114; ओस्टाइम (कर निरीक्षक) v. ऑस्ट्रेलियन म्यूचुअल प्रोविडेंट सोसाइटी [1959] एसी 259-संदर्भित

16.2 भारत द्वारा ऐसी स्थिति लेने के बाद ओ. ई. सी. डी.

इसके अलावा, भारत और अन्य संविदाकारी राज्यों द्वारा अपनी स्थिति के अनुसार इन अपीलों में से किसी भी डी. टी. ए. ए. में निहित रॉयल्टी की परिभाषा को बदलने के लिए कोई द्विपक्षीय संशोधन नहीं किया गया था। वास्तव में, डी. टी. ए. ए. जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था, जैसे कि दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और मोरक्को साम्राज्य के बीच समझौता

आय पर कर, ["भारत-मोरक्को डी. टी. ए. ए".], जिसे 22.10.2019 पर संशोधित किया गया था, ने रॉयल्टी की परिभाषा को शामिल किया, बहुत अधिक नहीं।

ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन में निहित परिभाषा से अलग। [पैरा 156] [485-जी-एच; 486-ए-बी]

16.3 इसी तरह, हालांकि भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. 08.08.1994 पर लागू हुआ, लेकिन इसमें कई बार संशोधन किया गया है, जिनमें शामिल हैं -

01.09.2011, और 23.03.2017 पर। हालांकि, "रॉयल्टी" की परिभाषा को बिना किसी बदलाव के बरकरार रखा गया है। इसी तरह, भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच दोहरे कराधान से बचने और आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम और पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए समझौता, ["भारत-मॉरीशस डी. टी. ए. ए".] को आई. डी. 1 पर किया गया था और बाद में इसमें संशोधन किया गया था।

10.08.2016 , "रॉयल्टी" की परिभाषा में कोई बदलाव किए बिना। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि इन मामलों में डी. टी. ए. ए. एस. में शामिल ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर समझौते के अनुच्छेद 12 पर ओ. ई. सी. डी. की टिप्पणी का उसमें निहित "रॉयल्टी" शब्द की व्याख्या के लिए प्रेरक मूल्य बना रहेगा। [पैरा 157,158] [486-डी-जी]

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम। जी. एम. निर्यात, (2016) 1 एस. सी. सी. 91 [2015] 14 एस. सी. आर. 848-निर्दिष्ट

17. डी. टी. ए. ए. एस. के अनुच्छेद 12 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा को देखते हुए इसमें उल्लिखित व्यक्तियों पर कोई दायित्व नहीं है। स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए आयकर

अधिनियम की धारा 195, क्योंकि इन मामलों के तथ्यों में वितरण समझौते/ई. यू. एल. ए. इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v.

ऐसे वितरकों/अंतिम उपयोगकर्ताओं में कोई रुचि या अधिकार पैदा नहीं करना, जो किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के बराबर होगा। आयकर अधिनियम (धारा 9 (1) (vi), उसके स्पष्टीकरण 2 और 4 के साथ) में निहित प्रावधान, जो रॉयल्टी से संबंधित हैं, निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद नहीं हैं, इन मामलों के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है। निवासी भारतीय उपयोगकर्ताओं/वितरकों द्वारा गैर-निवासी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को ई. यू. एल. ए./वितरण समझौतों के माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पुनर्विक्रय/उपयोग के लिए विचार के रूप में भुगतान की गई राशि, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं है, और यह कि यह भारत में किसी भी कर योग्य आय को जन्म नहीं देता है, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 195 में संदर्भित व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत किसी भी टी. डी. एस. में कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। [पैरा 168 और 169] [491-जी-एच; 492-ए-डी]

पारेषण निगम। ए. पी. लिमिटेड बनाम सी. आई. टी. (1999) 7 एस. सी. सी. 266 : [1999] 1 पूरक। एससीआर 504; टाटा कंसल्टेंसी

सेवाएँ v. उत्तर प्रदेश राज्य, 2005 (1) एस. सी. सी. 308 [2004] 5

पूरक। एस. सी. आर. 1040-संदर्भित

मामला कानून संदर्भ

[1999] 1 पूरक। एससीआर 504

संदर्भित किया गया है

पैरा 8

[2010] 10 एससीआर 1142

उस पर भरोसा करें

पैरा 9
पैरा 13,150

[2003] 4 पूरक। एससीआर 222

संदर्भित किया गया है

(2017) 5 एस. सी. सी. 651

पैरा

20

संदर्भित किया गया है

[2000] 1 एससीआर 137

उस पर भरोसा करें

पैरा

48,117

[1966] 2 एससीआर 828

उस पर भरोसा करें

पैरा

51

[2004] 5 पूरक। एस. सी. आर. 1040 संदर्भित

पैरा

52

[2012] 1 एससीआर 573

उस पर भरोसा करें

पैरा

56

[1966] 3 एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

पैरा

65

[1977] 3 एससीआर 475

पैरा

67

संदर्भित किया गया है

(2020) 7 एससीसी 1

उस पर भरोसा करें

[1966] 3 एससीआर 79

संदर्भित किया गया है

[2017] 2 एससीआर 152

संदर्भित किया गया है

पैरा
150

[2017] 10 एससीआर 157

पैरा
150

संदर्भित किया गया है

[2011] 8 एससीआर 725

पैरा
151

संदर्भित किया गया है

[2015] 14 एससीआर 848

पैरा
164

संदर्भित किया गया है

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं। 8733
8734 2018 का

उच्च न्यायालय के 15.10.2011 दिनांकित निर्णय और आदेश से
आयकर अपील सं. में कर्नाटक का। 1258 और 2006 का 1270।

के साथ

सिविल अपील सं। 8735-8736 2018 का, 2018 का 8737-8941,8942

8947 2018 का 2018 का 8950-8953,2018 का 8950-8953,2012 का 4419,2012 का 4420,2013 का 10114,2013 का 10097,2013 का 10106,2018 का <ID3,2013 का 8956,2018 का 8957,2018 का 8990,2013 का 10103,2013 का 10104,2018 का 8960,2018 का 8966,2018 का 8958,2018 का 8959,2018 का 8962,2018 का 8961,2018 का 8963,2018 का 8964,2018 का 8965,2018 का 8969,2018 का 8967,2018 का 8968,2018 का 8968

तुषार मेहता, एस. जी., सुखबीर सिंह, ए. एस. जी., अरविंद दातार, एस. गणेश,

पर्सी पारदीवाला, के. राधाकृष्णन, अजय वोहरा, प्रीतेश कपूर, ए. शंकर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, मुकेश बुटानी, श्रेयश शाह, शैंकी अग्रवाल, तरुण जैन, एच. राघवेंद्र राव, रुपेश कुमार, रजत नायर, जोहेब हुसैन, डी. एल. चिदानंद, श्रीमती अनिल कटियार, सुश्री अनुराधा दत्त, सचित जॉली, तुषार जारवाल, रोहित गर्ग, सुश्री दिशा झम, वासुदेवन जी., सुश्री बी. विजयलक्ष्मी मेनन, सुश्री कविता झा, अनंत मान, उदित नरेश, टी. सूर्यनारायण, सुश्री तन्मयी राजकुमार, सुश्री युगांधरा पवार झा, इंजीनियरिंग एनालाइसिस सेंटर ऑफ एक्ससेलेंस पी. वी. टी. लिमिटेड

आय कर का आयुक्त

सुश्री मनसा अनंतन, कुणाल वर्मा, सेंथिल जगदीशन, सुश्री मृणाल कंवर, सुश्री सोनाक्षी मल्हन, सुश्री सुरीती चौधरी, एस. अन्नामलाई, सलिल कपूर, सुश्री अनन्या कपूर, सुमित लालचंदानी, सनत कपूर, सुश्री सौम्या सिंह, कमल मोहन गुप्ता, वी. बालचंद्रन, के. आर. वासुदेवन, सिद्धार्थ नायडू, किशोर कुणाल, मनीष रस्तोगी, सुश्री तनुश्री जैन, पार्थ जयप्रकाश, जगजीत सिंह छाबड़ा, सुश्री वनिता भार्गव, अजय भार्गव, सुश्री त्रिशला त्रिवेदी, सुश्री मैथिली मूंदरा एम/एस के लिए। खेतान एंड कंपनी, जी श्रीधर, सुश्री गायत्री गुलाटी, सिद्धार्थ वासुदेव, राहुल उन्नीकृष्णन, संदीप बागमार, टी. वी. एस. राघवेंद्र श्रेयस,

मेसर्स के लिए अंभोज कुमार सिन्हा, विशाल कालरा, एस. एस. तोमर, अनिल कुमार गौतम, देबमाल्या बनर्जी, कार्तिक भटनागर, सुश्री आस्था प्रसाद, रोहन शर्मा, उज्जवल सिंह, वर्धन वांचू। करंजावाला एंड कंपनी, रॉनी ओमन जॉन, पीयूष स्वामी, अर्शदीप सिंह, जीसी। श्रीवास्तव, सुविनय कुमार दास, पीयूष सचदेव, सुश्री रुनामोनी भुइयां, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

आर. एफ. नरीमन, जे.

1. छुट्टी दे दी गई।

2. इन मामलों में अपील दोनों निर्धारिती द्वारा भी की जाती है।

राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय ["राजस्व"] के रूप में। जहां निर्धारिती उस प्रश्न में सफल हुए हैं जो दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, 1 राजस्व सफल रहा है क्योंकि वही प्रश्न कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रखा गया था, 2 और अग्रिम निर्णय प्राधिकरण ["एएआर"] के निर्णय में, सी. ए. सं. 8990/2018 में आक्षेप किया गया था।

1 इसमें सी. ए. सं. 8990/2018, सी. ए. सं. में आक्षेपित निर्णय शामिल हैं। 6386-6387 / 2016 , एस. एल. पी. (सी) संख्या. 37580/2016, एस. एल. पी. (सी) संख्या. 28867/2016, एस. एल. पी. (सी) संख्या. 28868/2016, सी. ए. संख्या. 10673/2016, एस. एल. पी. (सी) संख्या. 29571/2016, सी. ए. संख्या. 10674/2016, एस. एल. पी. (सी) संख्या. 36782/2016, सी. ए. संख्या. 10758/2017, सी. ए. संख्या. 8711/2018, सी. ए. संख्या. 8722/2018, सी. ए. संख्या. 8724/2018, सी. ए. संख्या. 8725/2018, सी. ए. संख्या. 9551/2018 450 / 2019 , एसएलपी (सी) सं. 6736/2020। 2 इसमें सी. ए. सं. में आक्षेपित निर्णय शामिल हैं। 8735-8736 / 2018 , सी. ए. सं. 8737 8941/2018 , सी. ए. सं. 8942-8947 / 2018 , सी. ए. सं. 8950-8953 / 2018 , सी. ए. सं. 8948 8949/2018 , सी. ए. सं. 4419/2012, सी. ए. सं. 4420/2012, सी. ए. सं. 10114/2013, सी. ए.

No.10097/2013, सी. ए. संख्या। 10112-10113 / 2013 , सी. ए. सं. 10106/2013, सी. ए. सं. 8954 8955/2018 , सी. ए. सं. 10115-10117 / 2013 , सी. ए. सं.

8956/2018, सी. ए. सं. 8957/2018, सी. ए. सं. 10103/2013, सी. ए. सं. 10104/2013, सी. ए. सं. 8960/2018, सी. ए. सं. 8966/2018, सी. ए. सं. 8958/2018, सी. ए. सं. 8962/2018, सी. ए. सं. 8961/2018, सी. ए. सं. 8963/2018, सी. ए. सं. 8964/2018, सी. ए. सं. 8965/2018, सी. ए. सं. 8969/2018, सी. ए. No.8967/2018, सी. ए.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3. अपीलों का एक समूह एक सामान्य निर्णय से उत्पन्न होता है

कर्नाटक उच्च न्यायालय दिनांक 15.10.2011 ने सी. आई. टी. बनाम के रूप में रिपोर्ट किया। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, (2012) 345 आई. टी. आर. 494, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि भारत में रहने वाले संबंधित व्यक्तियों द्वारा गैर-निवासी, विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि रॉयल्टी के बराबर है और जैसा कि ऐसा था, वही कर योग्य आय है जो धारा के तहत भारत में उपार्जित मानी जाती है।

9 (1) ((vi) आयकर अधिनियम, 1961 ["आयकर अधिनियम"], जिससे ऐसे सभी व्यक्तियों पर स्रोत पर कर की कटौती करना और आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कटौती योग्य कर ["टी. डी. एस".] का भुगतान करना अनिवार्य हो जाता है। कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा राजस्व के पक्ष में उसी प्रश्न का निर्णय लेने के लिए पारित किए गए बाद के विवादित निर्णयों द्वारा दिनांकित इस निर्णय पर भरोसा किया गया है।

4. हमारे समक्ष अपीलों को चार श्रेणियों में बांटा जा सकता है:

पहली श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जिनमें कंप्यूटर

(i)

सॉफ्टवेयर को भारत में रहने वाले अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा सीधे किसी विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता या निर्माता से खरीदा जाता है। 3. मामलों की दूसरी श्रेणी निवासी भारतीय से संबंधित है।

(ख)

वे कंपनियाँ जो वितरकों या पुनर्विक्रेताओं के रूप में कार्य करती हैं, विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ताओं या निर्माताओं से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदकर और फिर उसे निवासी भारतीय को फिर से बेचकर

अंत-उपयोगकर्ता। 4

2013 , सी. ए. सं. 10098-10102 / 2013 , सी. ए. सं. 2307-2308 / 2013 , सी. ए. सं. 4666-4667 / 2013 , सी. ए. No.6764/2013, सी. ए. नंबर. 4634/2014, सी. ए. नंबर. 8976/2018, सी. ए. नंबर। 8977 8988/2018 , सी. ए. सं. 3402/2017, सी. ए. सं. 2006/2019। 3 इस श्रेणी में सी. ए. संख्या शामिल है। 8733-8734 / 2018 , सी. ए. नंबर 10114/2013, सी. ए. नंबर। 10112-10113 / 2013 , सी. ए. सं.

10106/2013, सी. ए. सं. 10103/2013, सी. ए. No.10104/2013, सी. ए. सं. 10098-10102 / 2013 , सी. ए. सं. 8735-8736 / 2018 , सी. ए. Nos.8948 8949/2018, सी. ए. नंबर. 8956/2018, सी. ए. नंबर. 8957/2018, सी. ए. नंबर. 7852/2012, सी. ए. नंबर। 8974-8975 / 2018 , सी. ए. सं. 2304/2013, सी. ए. सं. 2305/2013, सी. ए. सं. 2306/2013, सी. ए. नं. 2307-2308 / 2013 , सी. ए. नं. 10097/2013, सी. ए. नं. 8976/2018, सी. ए. नं. 3402/2017, एस. एल. पी. (सी) नं. 450/2019, सी. ए. नं. 2006/2019।

4 इस श्रेणी में सी. ए. संख्या शामिल है। 8737-8941 / 2018 , सी. ए. सं. 8942-8947/2018, सी. ए. सं. 4420/2012, सी. ए. सं. 8959/2018, सी. ए. सं. 8963/2018, सी. ए. सं. 8962/2018, सी. ए. इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

तीसरी श्रेणी उन मामलों से संबंधित है जिनमें वितरक

iii)

ऐसा होता है कि वह एक विदेशी, अनिवासी विक्रेता है, जो एक विदेशी, अनिवासी विक्रेता से सॉफ्टवेयर खरीदने के बाद पुनर्विक्रय करता है।

निवासी भारतीय वितरकों या अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए भी ऐसा ही है। 5

(iv)

चौथी श्रेणी में ऐसे मामले शामिल हैं जिनमें कंप्यूटर

सॉफ्टवेयर हार्डवेयर पर चिपकाया जाता है और विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा निवासी को एक एकीकृत इकाई/उपकरण के रूप में बेचा जाता है।

भारतीय वितरक या अंतिम उपयोगकर्ता। 6

5. इन मामलों का एक उतार-चढ़ाव वाला इतिहास है। सी. ए. सं. के तथ्य।

निवासी भारतीय-सिकुड़ते हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्ता, सीधे संयुक्त राज्य अमेरिका ["संयुक्त राज्य अमेरिका"] से आयातित। हम जिन मूल्यांकन वर्षों से संबंधित हैं वे हैं 2001-2002 और 2002-2003।

6. निर्धारण अधिकारी दिनांक 15.05.2002 के आदेश द्वारा, इसके बाद

[" डी. टी. ए. ए.], भारत और यू. एस. ए. के बीच, और आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) को लागू करने पर, पाया गया कि वास्तव में क्या अंतरित किया गया था पक्षों के बीच लेन-देन कॉपीराइट था जो रॉयल्टी के भुगतान को आकर्षित करता था और इस प्रकार, यह आवश्यक था कि कर में कटौती की जाए

भारतीय आयातक और अंतिम उपयोगकर्ता, ईएसी द्वारा स्रोत। चूंकि यह दोनों मूल्यांकन वर्षों के लिए नहीं किया गया था, इसलिए ई. ए. सी. को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी ठहराया गया था

No.8958/2018, C. A. सं. 8961/2018, C. A. सं. 8960/2018, C. A. सं. 8950-8953 / 2018 , सी. ए. नंबर. 8966/2018, सी. ए. नंबर. 8973/2018, सी. ए. नंबर. 8965/2018, सी. ए. नंबर. 8972/2018, सी. ए. नंबर. 8969/2018, सी. ए. नंबर. 8970/2018, सी. ए. नंबर. 8964/2018, सी. ए. No.8967/2018, सी. ए. नंबर. 8968/2018, सी. ए. नंबर. 1403/2013, सी. ए. नंबर. 1414/2013, सी. ए. नंबर. 1412/2013, सी. ए. नंबर. 1413/2013, सी. ए. नंबर. 1416-1418 / 2013 , सी. ए. नंबर. 1405/2013, सी. ए. नंबर. 1410/2013, सी. ए. नंबर. 1421/2013, सी. ए. नंबर.

1415/2013, सी. ए. नंबर. 1419/2013, सी. ए. नंबर. 1411/2013, सी. ए. नंबर. 1420/2013, सी. ए. नंबर. 1404/2013, सी. ए. नंबर. 1406/2013, सी. ए. नंबर. 1408/2013, सी. ए. नंबर. 1407/2013, सी. ए. नंबर. 4666-4667 / 2013 , सी. ए. सं. 6764/2013, सी. ए. सं. 4419/2012, सी. ए. सं. 8977-8988 / 2018 , सी. ए. सं. 4629/2014, सी. ए. सं. 4631/2014, सी. ए. सं. 4630/2014, सी. ए. सं. 10105/2013।

5 इस श्रेणी में सी. ए. संख्या 10758/2017, सी. ए. संख्या 8990/2018, सी. ए. संख्या 9486/2017, सी. ए. संख्या 8711/2018, सी. ए. संख्या 8724/2018, सी. ए. संख्या 8725/2018, सी. ए. संख्या 9551/2018, एस. एल. पी. (सी) संख्या 6736/2020, सी. ए. संख्या 4634/2014 शामिल हैं।

6 इस श्रेणी में सी. ए. संख्या शामिल है। 10115-10117 / 2013 , सी. ए. सं. 6386-6387 / 2016 , सी. ए. सं. 8954-8955 / 2018 , एसएलपी (सी) सं. 37580/2016, एसएलपी (सी) सं. 28867/2016, एसएलपी (सी) सं. 28868/2016, सी. ए. सं. 10673/2016, एसएलपी (सी) सं. 29571/2016, सी. ए. सं. 10674 / 2016 , एसएलपी (सी) सं. 36782/2016।

रुपये की राशि। 1,03,54,784 कि इसने आयकर अधिनियम की धारा 201 (1ए) के तहत ब्याज के साथ टीडीएस के रूप में कटौती नहीं की थी। 15,76,567 . आयकर आयुक्त ["सी. आई. टी".] के समक्ष अपील को 23.01.2004 के एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया था। हालाँकि, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण ["आई. टी. ए. टी".] के समक्ष अपील दिनांक 25.11.2005 के एक आदेश के माध्यम से सफल हुई, जिसमें आई. टी. ए. टी. ने सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड v. में पारित अपने पिछले आदेश दिनांक 18.02.2005 का पालन किया। आय कर

अधिकारी, आई. टी. ए. सं. 264-266 / बैंग/2002।

7. आई. टी. ए. टी. के आदेश के खिलाफ राजस्व द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपील की गई थी। उच्च की डिवीजन बेंच कर्नाटक के न्यायालय ने अपीलों के एक समूह की सुनवाई की और नौ प्रश्न तैयार किए, जिनमें से प्रश्न संख्या। 8 और 9 महत्वपूर्ण हैं और निम्नानुसार निर्धारित किए गए हैं:

" 8. क्या न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि चूंकि निर्धारिती ने केवल कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार खरीदा था, यानी सॉफ्टवेयर और न कि पूरे कॉपीराइट का, इसलिए भुगतान को दोहरे कराधान से बचने के समझौते और संधियों के अनुसार रॉयल्टी के रूप में नहीं माना जा सकता है, जो निर्धारिती के लिए फायदेमंद हैं और इसके परिणामस्वरूप अधिनियम की धारा 9 को लागू नहीं किया जाना चाहिए।

विचार करें। 9. क्या न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में सही था कि भुगतान

वस्तुओं की खरीद और बिक्री के चरित्र में भाग लेता है और इसलिए इसे आयकर के लिए उत्तरदायी रॉयल्टी भुगतान के रूप में नहीं माना जा सकता है।

8. इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए, कर्नाटक उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने दिनांक 1 के एक निर्णय के माध्यम से, पारेषण निगम में इस न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा किया। में से ए. पी. लिमिटेड बनाम सी. आई. टी., (1999) 7 एस. सी. सी. 266 ["ए. पी. ट्रांस्को"] और अभिनिर्धारित किया कि चूंकि आयकर अधिनियम की धारा 195 (2) के तहत कोई आवेदन नहीं किया गया था, इसलिए निवासी भारतीय आयातक आयकर अधिनियम की धारा 195 (1) के तहत बिना अधिक के स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी हो गए।

9. उच्च न्यायालय के इस दृष्टिकोण को इस न्यायालय द्वारा जी. ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर (पी) लिमिटेड बनाम में खारिज कर दिया गया था। सीआईटी, (2010) 10 एससीसी 29 ["जीई

प्रौद्योगिकी "], जिसने अंततः पाया कि उच्च न्यायालय के दिनांकित 24.09.2009 के फैसले ने एपी ट्रांसको (उपरोक्त) को गलत तरीके से पढ़ा था। नतीजतन, इस न्यायालय ने गुण-दोष के आधार पर निम्नलिखित रूप में बनाए गए कानून के प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए मामले को कर्नाटक उच्च न्यायालय को भेज दिया:

" 24. हमारे विचार में, धारा 195 (2) "आनुपातिकता के सिद्धांत" पर आधारित है। उक्त उप-खंड केवल आई. एन. ई. आर. आई. एन. ई. आर. आई. एन. एल. एस. सी. सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v के मामलों में आकर्षित होता है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जहाँ भुगतान एक समग्र भुगतान है जिसमें भुगतान के एक निश्चित अनुपात में "आय" का एक तत्व होता है।

भारत में कर से प्रभार्य। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहाः (पारेषण निगम। मामला [(1999) 7 एस. सी. सी. 266: (1999) 239 आईटीआर 587], एससीसी पी। 274 , पैरा 10)

उस पर कर की कटौती करने के लिए ऐसी 'राशि' का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी भुगतान करना। उसे (टी. डी. एस.) दायित्व का निर्वहन करना होगा।

(जोर दिया गया)

यदि कोई उच्चतम न्यायालय के अवलोकन को पढ़ता है, तो "ऐसी राशि" शब्द स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि अवलोकन समग्र भुगतान के एक मामले को संदर्भित करता है जहां दाता को ऐसे भुगतान में एक राशि को शामिल करने के बारे में संदेह है जो भारत में कर के लिए अपेक्षित है। हमारे विचार में, इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियाँ

पारेषण निगम। मामला [(1999) 7 एस. सी. सी. 266: (1999) 239 आई. टी. आर. 587] जिसे इटैलिक में रखा गया है, पूरी तरह से, सम्मान के साथ,

कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गलत अर्थ निकाले जाने का अर्थ यह है कि भुगतानकर्ता के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि यदि उसके द्वारा अनिवासी को भुगतान की गई राशि "भारत में कर के लिए प्रभार्य" नहीं है, तो ऐसे भुगतान से किसी भी टी. ए. एस. की कटौती की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय की यह व्याख्या पूरी तरह से धारा 195 (1) के सादे शब्दों की दृष्टि खो देती है जो स्पष्ट रूप से उस कर को स्रोत पर निर्धारित करती है।

केवल आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों यानी आई. टी. अधिनियम की धारा 4,5 और 9 के तहत प्रभार्य "प्रभार्य राशियों" से कटौती योग्य है।

25. निष्कर्ष निकालने से पहले हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में तथ्यों पर आई. टी. ओ. (टी. डी. एस.) ने यह विचार रखा था कि चूंकि संबंधित सॉफ्टवेयर की बिक्री में उसी का उपयोग करने का लाइसेंस शामिल था, इसलिए अपीलकर्ता द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को किए गए भुगतान का गठन किया गया था।

" रॉयल्टी "जिसे भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता था और इसलिए, टी. ए. एस. अधिनियम की धारा 195 (1) के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी था। आईटीओ (टीडीएस) के उक्त निष्कर्ष को सीआईटी (ए) ने बरकरार रखा। हालांकि, दूसरी अपील में, आई. टी. ए. टी. ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को दी गई ऐसी राशि "रॉयल्टी" नहीं है और इससे किसी भी "आय" पर कर नहीं लगता है।

भारत और इसलिए, अपीलार्थी टी. ए. एस. में कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने मामले [2021] 2 एस. सी. आर. के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया।

और यह सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस क्षण प्रेषण होता है

टी. ए. एस. की कटौती करने की बाध्यता उत्पन्न होती है, जो दृष्टिकोण एतद्द्वारा खड़ा है

खारिज कर दिया। 26. चूँकि उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर ध्यान नहीं दिया

रॉयल्टी के भुगतान का सवाल, हम एतद्द्वारा अलग रखते हैं

उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय और इन मामलों को प्रेषित करना

गुण-दोष पर मामलों पर नए सिरे से विचार करने के लिए उच्च न्यायालय।

जिस सवाल का जवाब उच्च न्यायालय देगा वह है: या नहीं

भारत में कर योग्य कोई भी "आय" और इसलिए, अपीलार्थी था स्रोत पर किसी भी कर की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है?

10. कर्नाटक उच्च न्यायालय का विवादित फैसला, दिनांकित

15.10.2011 , सी. आई. टी. वी. के रूप में सूचित। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, (2012) 345 आई. टी. आर. 494 ने अपीलों के एक पूरे समूह को निपटाया, और इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा निम्नलिखित प्रश्न का सामना करना पड़ा:

" जिस सवाल का जवाब उच्च न्यायालय देगा वह है - " क्या, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर, आय

कर अपीलीय न्यायाधिकरण ने यह अभिनिर्धारित करते हुए न्यायसंगत ठहराया कि राशि (राशि)

अपीलार्थी द्वारा विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया था

" रॉयल्टी "और यह कि इसने किसी भी" आय "को जन्म नहीं दिया

भारत में कर योग्य और इसलिए, अपीलार्थी (ओं) के लिए उत्तरदायी नहीं था

स्रोत पर कोई कर काटें? " " " "

11. मान ली गई अपीलों में से एक में तथ्यों को निर्धारित करने के बाद

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी से संबंधित आई. टी. ए. सं. 2808/2005। लिमिटेड, और आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान, क्रमशः संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और स्वीडन के साथ भारत के डी. टी. ए. ए., कर्नाटक उच्च न्यायालय ने लेनदेन में शामिल एंड-यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट ["ई. यू. एल. ए".] की जांच पर पाया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो बेचा गया था, उसमें कॉपीराइट में अधिकार या ब्याज शामिल था, जिसने इस प्रकार रॉयल्टी के भुगतान को जन्म दिया और यह आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के तहत भारत में उपार्जित होने वाली आय होगी, जिसके लिए स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता होगी।

12. अपीलों में अपीलार्थियों की ओर से आरोप का नेतृत्व करना

कर्नाटक उच्च न्यायालय के इस विवादित फैसले के खिलाफ, श्री इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस पी. वी. टी. लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अरविंद दातार, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता, आई. बी. एम. इंडिया लिमिटेड ["आई. बी. एम. इंडिया"] की ओर से सी. ए. नं. 4419/2012 में पेश हुए, जो आई. बी. एम. सिंगापुर पी. टी. ई. लिमिटेड ["आई. बी. एम. सिंगापुर"] से खरीदे गए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादों का एक निवासी भारतीय वितरक है, ने प्रस्तुत किया कि उनका मुवक्किल एक गैर-विशिष्ट वितरक है, जो सिंगापुर की एक विदेशी कंपनी से सिकुड़े हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की शेल्फ प्रतियां खरीदता है। भारतीय अंत-उपयोगकर्ताओं को एक रीमार्केटर समझौते के तहत आगे की बिक्री। उन्होंने जोर देकर कहा कि वितरक आई. बी. एम. इंडिया, आई. बी. एम. सिंगापुर और भारत में अंतिम अंत-उपयोगकर्ताओं/ग्राहकों के बीच ई. यू. एल. ए. का पक्ष नहीं है। भारतीय अंतिम उपयोगकर्ता आईबीएम इंडिया को भुगतान करता है, और बदले में, आईबीएम इंडिया लाभ का एक हिस्सा काटने के बाद आईबीएम सिंगापुर को इस राशि का भुगतान करता है। महत्वपूर्ण रूप से, रीमार्केटर समझौते के तहत, आईबीएम इंडिया के पास आईबीएम सिंगापुर के स्वामित्व वाले कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा में कोई अधिकार, शीर्षक या हित नहीं है, और केवल भारत में आईबीएम सिंगापुर के सॉफ्टवेयर उत्पादों का विपणन करता है।

13. श्री दातार ने आगे तर्क दिया कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है

सिंगापुर से आगे की बिक्री के लिए आयातित "माल" का गठन करता है और इस प्रकार टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम में इस न्यायालय के फैसले द्वारा सीधे कवर किया गया था। ए. पी. राज्य, 2005 (1) एस. सी. सी. 308 उन्होंने दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच समझौते के अनुच्छेद 12, ["भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए".] और उसमें निहित "रॉयल्टी" की परिभाषा का उल्लेख करके कर्नाटक उच्च न्यायालय के विवादित फैसले की आलोचना की। उन्होंने तर्क दिया कि "रॉयल्टी" की परिभाषा कॉपीराइट के व्युत्पन्न उत्पादों तक नहीं फैली है, उदाहरण के लिए, एक पुस्तक या एक

संगीत सीडी या सॉफ्टवेयर उत्पाद। उन्होंने संघ के फैसले पर भरोसा किया

भारत का वी। आजादी बचाओ आंदोलन, (2004) 10 एस. सी. सी. 1 ["आजादी बचाओ आंदोलन"] यह तर्क देने के लिए कि आयकर की धारा 90 (2) के आधार पर

अधिनियम, डी. टी. ए. ए. घरेलू कानून पर इस हद तक प्रबल होगा कि यह आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत कर की कटौती करने वाले के लिए अधिक फायदेमंद है। उनके अनुसार, यह मानते हुए भी कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के तहत आई. बी. एम. इंडिया के लेन-देन में अलग होना शामिल होगा।

भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. के अधिक लाभकारी प्रावधानों को लागू करने पर कॉपीराइट और रॉयल्टी आकर्षित करने के लिए यह स्पष्ट किया जाएगा कि राशि 7 अधिसूचना सं। जी. एस. आर. 610 (ई), दिनांक 8-8-1994 अधिसूचना सं. SO 1022 (E), दिनांकित 18-7-2005; नहीं। एस. ओ. 2031 (ई), दिनांक 1-9-2011 और सं. एस. ओ. 935 (ई), दिनांक 23-3-2017।

देय रॉयल्टी की प्रकृति में नहीं थे, और उनके हाथों में कोई आय नहीं थी

विदेशी आपूर्तिकर्ता को भारत में उपार्जित माना जाएगा। इस प्रकार, भारतीय आयातक द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 195 (1) के तहत कोई कर नहीं काटा जाना था। समान रूप से, उन्होंने प्रस्तुत किया कि वित्त अधिनियम 2012 द्वारा लाए गए आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में पूर्वव्यापी संशोधन, जिसने प्रावधान में स्पष्टीकरण 4 जोड़ा और इसके प्रावधान का विस्तार किया।

01.06.1976 के प्रभाव के साथ, विचाराधीन डी. टी. ए. ए. पर भी लागू नहीं किया जा सका।

14. कॉपीराइट अधिनियम, 1957 ["कॉपीराइट अधिनियम"] के प्रावधानों की ओर इशारा करते हुए, श्री दातार ने तर्क दिया कि एक मूल कार्य और एक कॉपीराइट लेख में कॉपीराइट के बीच अंतर था, और इसे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) में मान्यता दी गई थी, जो दो अलग-अलग विषय मामलों के रूप में एक "कंप्यूटर प्रोग्राम" और एक "कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति" को संदर्भित करता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रीमार्केटर समझौते के तहत, आई. बी. एम. सिंगापुर द्वारा कोई कॉपीराइट नहीं दिया गया था और भारत में अंतिम उपयोगकर्ता को भी उत्पाद का उपयोग करने के लिए केवल एक सीमित लाइसेंस प्राप्त हुआ था, जिसमें उप-लाइसेंस, पट्टे, प्रतियां बनाने आदि का कोई अधिकार नहीं था। इस तरह के सिकुड़े हुए कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस उत्पाद के उपयोग को प्रभावी बनाने के लिए आकस्मिक और आवश्यक था। वह दृढ़ता से

आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओ. ई. सी. डी.) द्वारा आय और पूंजी पर आदर्श कर समझौते ("ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी") के लेखों पर टिप्पणियों पर भरोसा किया गया जो एक कॉपीराइट वाली वस्तु की बिक्री और उसके बीच अंतर करता है।

15. श्री पर्सी पारदीवाला, सी. ए. संख्या 8962 में रेशनल सॉफ्टवेयर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड की ओर से पेश होने वाले विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता। 2018 , श्री दातार की प्रस्तुतियों के पूरक के रूप में, और भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए., आयकर अधिनियम और उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के प्रासंगिक इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र के प्रावधानों को स्वीकार किया।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

जिसने आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 4 जोड़ा, उन्होंने तर्क दिया कि "कोई भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी का उपयोग या उपयोग की जाने वाली सेवाएं "जो धारा 9 (1) (vi) (b) में आती हैं, यह स्पष्ट करती हैं कि स्पष्टीकरण 4, पाठ और प्रासंगिक दोनों रूप से पढ़ने पर ही लागू होगी

धारा 9 (1) (vi) (b), और स्पष्टीकरण 2 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा का दायरा धारा 9 (1) (vi) तक नहीं बढ़ाया गया है। इसके अलावा, उन्होंने केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड द्वारा परिपत्र संख्या 10/2002 दिनांक 09.10.2002 का उल्लेख किया।

कर ["सीबीडीटी"] जिसमें "रॉयल्टी के लिए प्रेषण" और "वस्तुओं या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए प्रेषण" को संबोधित किया गया था अलग और विशिष्ट भुगतान, पहला डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के तहत "रॉयल्टी" प्रावधान को आकर्षित करता है, और दूसरा डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 7 के तहत व्यावसायिक लाभ के रूप में कर योग्य है, बशर्ते कि विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता या निर्माता का भारत में एक स्थायी प्रतिष्ठान ["पी. ई".] हो।

16. श्री एस. गणेश, सी. ए. नं. में सोनाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिमिटेड की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता। 8737-8941 / 2018 ,

प्रस्तुत किया कि लाइसेंस की प्रकृति को समझने के लिए, भारतीय सहजता अधिनियम 1882 की धारा 52 का उल्लेख करना होगा। उन्होंने इस तथ्य पर जोर दिया कि डसॉल्ट सिस्टम्स, के. के. के मामले में ए. ए. आर. द्वारा दिया गया फैसला। , (2010) 322 आई. टी. आर. 125 (ए. ए. आर.), जैसा कि जियोक्वेस्ट सिस्टम्स बी. वी. गेवर्स डेनूटवेग में अनुसरण किया गया है। , (2010) 327 आईटीआर 1

(ए. ए. आर.), के खिलाफ राजस्व द्वारा अपील नहीं की गई थी, और उसमें निहित कानून का विस्तृत विवरण कुछ ऐसा है जिस पर उन्होंने भरोसा किया था। उनके अनुसार, यदि राजस्व की स्थिति सही थी, तो मनमाने परिणाम सामने आएंगे, क्योंकि उनके मुवक्किल को 2 प्रतिशत कमीशन प्राप्त होगा, हालांकि, धारा के तहत कटौती की अनुमति नहीं देने के बाद।

इस प्रकार, यदि आयकर अधिनियम की धारा 195 को इस तरह से समझा जा सकता है ताकि इस तरह के परिणाम से बचा जा सके, तो ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा, उन्होंने ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी पर बहुत अधिक भरोसा किया और तर्क दिया कि केवल नामकरण, जैसे कि "लाइसेंस" शब्द का उपयोग, लेन-देन की प्रकृति के बारे में निर्णायक नहीं था। उन्होंने अनुभाग पर भी भरोसा किया

52 (1) (एए) कॉपीराइट अधिनियम का यह तर्क देने के लिए कि इसमें क्या उल्लेख किया गया है

प्रावधान ठीक वही है जो इन अपीलों में लेन-देन से संबंधित है, और इसलिए, केवल उपयोग करने के लिए प्रतियां बनाना ई. यू. एल. ए. द्वारा अनुमत सीमा तक उत्पाद, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा, जैसा कि इस प्रावधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है।

मामला कॉपीराइट नहीं था, बल्कि केवल एक कॉपीराइट लेख था, जो अंतिम उपयोगकर्ता के हाथों में माल का गठन करता था, जिसे स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था। उन्होंने अपनी दलीलों को पुष्ट करने के लिए कई निर्णयों का भी हवाला दिया। 17. श्री अजय वोहरा, सी. ए. नं. में सास्केन कम्युनिकेशंस टेक लिमिटेड की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। 10114/2013 और 8957/2018, ने दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार और भारत गणराज्य की सरकार के बीच समझौते पर भरोसा किया

आय पर करों के संबंध में, 3 ["भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए"] और अपने पूर्ववर्तियों की प्रस्तुतियों को प्रतिध्वनित किया। इसके अलावा, उन्होंने तर्क दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 4 जोड़कर पूर्वव्यापी संशोधन को मूल्यांकन वर्षों के रूप में लागू नहीं किया जा सकता है। इन सभी मामलों में संबंधित हैं जो 2012 से पहले के हैं, और यह कि कानून किसी को असंभव काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता है, अर्थात्, रॉयल्टी की विस्तारित परिभाषा पर स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए जो आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत किए जाने वाले भुगतान/कटौती के समय मौजूद नहीं था। उन्होंने विभिन्न निर्णयों का हवाला दिया और इस प्रस्ताव पर भरोसा किया कि

15.01.2000 , और पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत का हवाला देते हुए तर्क दिया कि संशोधन, "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसरों पर बेची गई है या किराए पर दी गई है" शब्दों को हटाने के बाद, पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत का एक वैधानिक अनुप्रयोग था। थकान। उन्होंने तर्क दिया कि इससे यह स्पष्ट हो गया है कि चूंकि मूल मालिक द्वारा कोई भी वितरण अधिकार कॉपीराइट माल की पहली बिक्री से आगे नहीं बढ़ाया गया है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि केवल माल, न कि माल में कॉपीराइट, आयातक को दिया गया था।

19. श्री सच्चित जॉली, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्राइवेट की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता। सी. ए. सं. में लिमिटेड। 8733 8 अधिसूचना सं। जीएसआर 992 (ई), दिनांक 20-12-1990।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

8734/2018 , और जी. ई. इंडिया टेक्नोलॉजी सेंटर प्रा. सी. ए. सं. में लिमिटेड। 8735-8736 / 2018 , इन प्रस्तुतियों को भी प्रतिध्वनित किया और विशेष रूप से, उन निर्णयों पर भरोसा किया जिन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि एक क़ानून में पूर्वव्यापी संशोधन एक मूल्यांकन वर्ष पर लागू नहीं किया जा सकता है, जिसमें वास्तव में, रॉयल्टी की विस्तारित परिभाषा मौजूद नहीं थी।

20. श्री कुणाल वर्मा, की ओर से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता

इन्फिनियन टेक्नोलॉजीज इंडिया प्रा. लि. सी. ए. नं. 2006/2019 में लिमिटेड ने तर्क दिया कि किसी भी मामले में, उसके मामले के तथ्यों में, निर्धारिती द्वारा किए गए भुगतान सॉफ्टवेयर के एक जर्मन आपूर्तिकर्ता के साथ लागत साझाकरण समझौते के तहत लागत की प्रतिपूर्ति की प्रकृति में थे, और इस प्रकार नहीं

" आयकर अधिनियम की धारा 195 को आकर्षित करते हुए अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य राशि का भुगतान किया गया था। अपने निवेदन को पुष्ट करने के लिए, उन्होंने विशेष रूप से आयकर निदेशक बनाम के फैसले पर भरोसा किया। ए. पी. मोलर मार्स्क ए. एस., (2017) 5 एस. सी. सी. 651।

21. इसके विपरीत, राजस्व की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल श्री बलबीर सिंह ने हमें

आयकर अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम, भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. और पक्षों के बीच कुछ ई. यू. एल. ए. के प्रावधान। उन्होंने तर्क दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण 2 (v) किसी गैर-निवासी को किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए रॉयल्टी के माध्यम से भुगतान पर लागू होता है। इसके लिए, उन्होंने स्पष्टीकरण 2 (v) की भाषा पर भरोसा किया और इस बात पर जोर दिया कि "के संबंध में" शब्दों को व्यापक अर्थ दिया जाना चाहिए। इसके बाद उन्होंने सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 152 दिनांक आई. डी. 1,9 के साथ-साथ वित्त मंत्री द्वारा लोकसभा के समक्ष आई. डी. 2,10 और सी. बी. डी. टी. अधिसूचना संख्या आई. डी. 5 दिनांक आई. डी. 3,1 1 पर दिए गए बयान पर भरोसा किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण 4 आई. डी. 4 से ही कानून में स्थिति का स्पष्टीकरण है जब आई. डी. 4 की धारा 9 (1) (vi) को पहली बार लागू किया गया था। उन्होंने तब तर्क दिया कि टी. डी. एस. के प्रावधान अलग हैं और मौजूद हैं।

आयकर अधिनियम के तहत मूल्यांकन के प्रावधानों के अलावा। ऐसा होने पर, यह स्पष्ट है कि भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. और ऐसे अन्य डी. टी. ए. ए. एस. आयकर अधिनियम की धारा 195 में उल्लिखित व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे, जो निर्धारिती नहीं हैं, क्योंकि डी. टी. ए. ए. के प्रावधान, जब आयकर अधिनियम की धारा 90 के साथ पढ़े जाते हैं, तो केवल व्यक्तियों पर लागू होते हैं।

जिन्हें निर्धारिती के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने अनुच्छेद 30 पर भी भरोसा किया। 9 9 परिपत्र सं. 152 [एफ. सं. 484/31/74-एफ. टी. डी.-II], दिनांक 27.11.1974। 10 जैसा कि सीबीडीटी परिपत्र संख्या 588 दिनांक 02.01.1991 में दर्ज किया गया है।

11 अधिसूचना सं. 21/2012 [एफ. नं. 142/10/2012-एस. ओ. (टी. पी. एल.)] एस. ओ. 1323 (ई), दिनांक 13.06.2012।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए., जो यू. एस. ए. के लिए, भारत के लिए लागू प्रावधान के विपरीत, करों और अन्य करों को रोकने से संबंधित प्रावधानों के लागू होने के लिए अलग-अलग तिथियां तय करता है, जो ऐसा कोई अंतर नहीं करता है। उन्होंने तर्क दिया कि इससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जिन व्यक्तियों को आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत कटौती करनी है, वे भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. और ऐसे अन्य डी. टी. ए. ए. एस. के विषय में नहीं आते हैं। इसके बाद उन्होंने ए. पी. ट्रांसको (ऊपर) पर बहुत अधिक भरोसा किया और

अन्य निर्णय जो यह स्पष्ट करते हैं कि धारा 195 के तहत एक "दाता" और आयकर अधिनियम की धारा 2 (7) के तहत एक "निर्धारिती" अलग हैं। उन्होंने पी. आई. एल. सी. ओ. एम. में इस अदालत के हाल के फैसले पर भी बहुत भरोसा किया।

वी. सी. आई. टी., पश्चिम बंगाल-VII, 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 426 ["पी. आई. एल. सी. ओ. एम".], जो आयकर अधिनियम की धारा 194 ई से संबंधित है, इस प्रस्ताव के लिए कि कर को स्रोत पर काटा जाना चाहिए, भले ही कर अन्यथा अनिवासी निर्धारिती द्वारा देय हो। तब उन्होंने भरोसा किया

सीबीडीटी परिपत्र संख्या 588 दिनांक 02.01.1991,1 2 जिसमें स्पष्ट किया गया है कि कंप्यूटर हार्डवेयर से अलग या स्वतंत्र रूप से आयातित सॉफ्टवेयर के संबंध में भुगतान के संबंध में कर रियायतें उपलब्ध नहीं थीं।

22. कॉपीराइट अधिनियम पर आते हुए, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर

जनरल ने कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (ए) (वी), 19 (3), 30 ए, 52 (1) (एड), 58 और 65 ए पर भरोसा किया ताकि यह कहा जा सके कि कुछ मामलों में

हमारे सामने, चूंकि सॉफ्टवेयर का अनुकूलन किया जा सकता है, हालांकि किसी विशेष कंप्यूटर पर स्थापना और उपयोग के लिए, कॉपीराइट मूल मालिक द्वारा विभाजित किया जाता है। उन्होंने कहा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (बी) यह स्पष्ट करती है कि जब कोई व्यक्ति व्यापार के उद्देश्य से या कॉपीराइट के मालिक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए या भारत में आयात करने के लिए बिक्री या किराया देता है, या बेचता है या किराए पर देता है, या वितरित करता है, तो काम की कोई भी उल्लंघनकारी प्रतियां, बिना लाइसेंस के भारत में ऐसा आयात कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। इसके अलावा, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 58 किसी भी काम की उल्लंघनकारी प्रतियों को कॉपीराइट के मालिक की संपत्ति के रूप में मानती है, जो तदनुसार उसके कब्जे की वसूली या उसके रूपांतरण के संबंध में कार्यवाही कर सकता है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एड) से, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क देना चाहा कि केवल निर्माण

गैर-वाणिज्यिक, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कानूनी रूप से प्राप्त प्रति से प्रतियों का या कंप्यूटर प्रोग्राम का अनुकूलन उल्लंघन नहीं होगा, और इसलिए हमारे समक्ष अपीलों में, जहां ऐसी प्रतियां वाणिज्यिक उपयोग के लिए बनाई गई थीं, विपरीत सच होगा। उन्होंने सिट्रिक्स सिस्टम्स एशिया पैसिफिक पी. टी. आई. एल. में ए. ए. आर. के फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया।

12 187 आईटीआर (सेंट) 0063।

लिमिटेड, इन रे। , (2012) 343 आई. टी. आर. 1 (ए. ए. आर.), यह तर्क देते हुए कि उसने विषय को सही ढंग से संपर्क किया और उसमें किए गए निष्कर्ष अलग हैं और

डसॉल्ट सिस्टम्स, के. के., इन रे. में ए. ए. आर. द्वारा किए गए निष्कर्षों से बेहतर। , (2010) 322 आई. टी. आर. 125 (ए. ए. आर.) और जियोक्वेस्ट सिस्टम्स बी. वी. गेवर्स डेनूटवेग, रे. , (2010) 327 आई. टी. आर. 1 (ए. ए. आर.) और दिल्ली उच्च न्यायालय के अन्य निर्णय। 23. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने आगे बताया कि भारत सरकार ने ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी पर अपनी आपत्ति व्यक्त की थी, विशेष रूप से ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी के कुछ हिस्सों पर जो कॉपीराइट और रॉयल्टी के विभाजन से संबंधित है। उन्होंने सीबीडीटी द्वारा गठित 'इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य और कराधान' पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति की रिपोर्ट, 1,3 ["एचपीसी रिपोर्ट 2003"] और ई-वाणिज्य के कराधान पर समिति की रिपोर्ट पर भी भरोसा किया।

वाणिज्य रिपोर्ट 2016 "], जिसमें निर्दिष्ट लेन-देन पर समानीकरण शुल्क का प्रस्ताव किया गया था। इसके बाद उन्होंने कुछ निर्णयों पर भरोसा करते हुए कहा कि भले ही ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी पर भरोसा किया जा सकता है, यह घरेलू कानून के विपरीत अंतर्राष्ट्रीय कानून का नियम है, इस हद तक कि यह आयकर की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 और 4 के विपरीत है।

अधिनियम, इसे घरेलू कानून को रास्ता देना चाहिए। प्रथम बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत का उल्लेख करते हुए, उन्होंने यह दिखाने के लिए कई निर्णयों का हवाला दिया कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) के तहत, इस सिद्धांत को वितरकों के संबंध में लागू नहीं कहा जा सकता है। अंत में उन्होंने अपनी दलीलों को यह कहते हुए समाप्त किया कि बिक्री कर कानून और उत्पाद शुल्क कानून के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित निर्णयों की आयकर कानून के साथ कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि अप्रत्यक्ष करों से संबंधित कानून मौलिक रूप से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों से अलग हैं, क्योंकि उन्हें आयकर अधिनियम के तहत प्रभारिता की कवायद का पालन करना चाहिए, जो बिक्री कर कानून या उत्पाद शुल्क कानून के तहत प्रभारिता से अलग है।

आय कर अधिनियम, 1961

24. विभिन्न पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकीलों को सुनने के बाद, हम सबसे पहले आयकर अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों को निर्धारित करते हैं जिनसे हम सीधे संबंधित हैं:

" 2. परिभाषाएँ।

इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,-XXX XXX (7) “ निर्धारिती से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके द्वारा कोई कर या कोई अन्य

इस अधिनियम के तहत राशि देय है और इसमें शामिल हैं -

13 एफ. सं. 500/122/99 दिनांक 16 दिसंबर, 1999।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(क) प्रत्येक व्यक्ति जिसके संबंध में कोई कार्यवाही यह अधिनियम उसकी आय के निर्धारण के लिए लिया गया है या

सीमांत लाभों या किसी अन्य की आय का आकलन

व्यक्ति जिसके संबंध में वह आकलन योग्य है, या हानि का

उसके द्वारा या ऐसे अन्य व्यक्ति द्वारा, या राशि की

उसे या ऐसे अन्य व्यक्ति को देय धनवापसी; (ख) प्रत्येक व्यक्ति जिसे किसी भी अधिनियम के तहत निर्धारिती माना जाता है।

इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत; XXX XXX XXX

1 4 (37 ए) "दर या लागू दरें" या "लागू दरें", के संबंध में

किसी निर्धारण वर्ष या वित्तीय वर्ष का अर्थ है

XXX XXX XXX

((ग) धारा 194 एल. बी. ए. के अधीन कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए।

या धारा 194 एल. बी. सी. या धारा 194 एल. बी. सी. या धारा 195, दर या आय की दरें-वित्त में इस संबंध में निर्दिष्ट कर

संबंधित वर्ष का अधिनियम या आय की दर या दर-कर

केंद्र द्वारा किए गए समझौते में निर्दिष्ट

धारा 90 के तहत सरकार, या द्वारा अधिसूचित एक समझौता

धारा 90 या धारा के प्रावधानों के आधार पर लागू 90 ए, जैसा भी मामला हो; "

" 4. आय-कर का प्रभार।

इस अधिनियम के कुल आय के संबंध में अतिरिक्त आय-कर) का उद्ग्रहण प्रत्येक व्यक्ति की पिछले वर्ष की आय:

बशर्ते कि जहां इस अधिनियम के किसी प्रावधान के आधार पर आय

किसी अन्य अवधि की आय के संबंध में कर लगाया जाना है।

पिछले वर्ष की तुलना में, आय-कर तदनुसार लगाया जाएगा।

(2) उप-धारा (1) के तहत प्रभार्य आय के संबंध में, आयकर स्रोत पर काटा जाएगा या अग्रिम रूप से भुगतान किया जाएगा, जहां वह है। इस अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कटौती योग्य या देय।

वित्त अधिनियम, 1992 (1992 का 18) द्वारा अनु. 3 (ग) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-1992)।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में सभी आय शामिल हैं। जो भी स्रोत से प्राप्त होता है

(क) ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से ऐसे वर्ष में भारत में प्राप्त किया जाता है या प्राप्त किया जाता है; या

(ख) उस वर्ष के दौरान भारत में उसे उपार्जित या उत्पन्न होता है या उपार्जित या उत्पन्न माना जाता है; या (ग) उस वर्ष के दौरान भारत के बाहर उसे उपार्जित या उत्पन्न होता है:

बशर्ते कि, किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो सामान्य रूप से निवासी नहीं है

(2) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, एक गैर-निवासी व्यक्ति की किसी भी पिछले वर्ष की कुल आय में सभी आय शामिल हैं। जो भी स्रोत से प्राप्त होता है

((क) भारत में प्राप्त किया जाता है या माना जाता है कि

ऐसे व्यक्ति द्वारा या उसकी ओर से वर्ष; या

(ख) उपार्जित या उत्पन्न होता है या उपार्जित या उत्पन्न माना जाता है

ऐसे वर्ष के दौरान भारत।

स्पष्टीकरण 1. - भारत के बाहर उपार्जित या उत्पन्न होने वाली आय को इस धारा के अर्थ के भीतर भारत में केवल इस तथ्य के कारण प्राप्त नहीं माना जाएगा कि इसे भारत में तैयार की गई तुलनपत्र में ध्यान में रखा गया है।

(1) निम्नलिखित आयों को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा:

15 (vi) रॉयल्टी के रूप में आय-XXX XXX द्वारा देय

(ख) एक व्यक्ति जो एक निवासी है, सिवाय इसके कि जहां रॉयल्टी है।

उपयोग किए गए किसी भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी के संबंध में देय या

व्यवसाय या पेशे के उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं

ऐसे व्यक्ति द्वारा भारत के बाहर या इसके प्रयोजनों के लिए किया गया भारत के बाहर किसी भी स्रोत से कोई आय करना या अर्जित करना;

XXX XXX XXX

स्पष्टीकरण 2. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "रॉयल्टी" का अर्थ है

कोई भी प्रतिफल जो प्राप्तकर्ता की आय होगी "पूँजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य)-के लिए

((i) सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (जिसमें अधिकार प्रदान करना भी शामिल है)

लाइसेंस) एक पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त के संबंध में

किसी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति का या उसका उपयोग;
((iii) किसी भी पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त का उपयोग।

सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति;
((iv) तकनीकी से संबंधित कोई भी जानकारी प्रदान करना,

औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या

कौशल;
(आई. वी. ए.) किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या उपयोग करने का उपयोग या अधिकार।

वैज्ञानिक उपकरण लेकिन निर्दिष्ट राशि को शामिल नहीं करते हुए

धारा 44 खख में;

के संबंध में उपयोग के लिए फिल्म या वीडियो टेप सहित कार्य रेडियो प्रसारण के संबंध में उपयोग के लिए टेलीविजन या टेप;

(vi) या

गतिविधियों के संबंध में किसी भी सेवा का प्रदान करना।

1 [उपखंड (i) से (iv), (iva) और (v)] में संदर्भित।

वित्त अधिनियम 1976 (1976 का 66), धारा 4 (बी) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-1976) द्वारा अंत:स्थापित। 5 वित्त अधिनियम 2001 (2001 का 14) द्वारा अंत:स्थापित, सेक। 4 (i) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2002)।

7 वित्त अधिनियम 2001 (2001 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित, एस। 4 (ii), "उपखंड (i) से v)" (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2002) के लिए।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

18 स्पष्टीकरण 3. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर "सॉफ्टवेयर" से किसी डिस्क पर दर्ज कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम अभिप्रेत है,

टेप, छिद्रित मीडिया या अन्य सूचना भंडारण उपकरण और

इसमें ऐसा कोई भी कार्यक्रम या कोई अनुकूलित इलेक्ट्रॉनिक डेटा शामिल है।

19 स्पष्टीकरण 4. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी भी अधिकार, संपत्ति के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण

या जानकारी में शामिल है और हमेशा सभी का हस्तांतरण शामिल है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए कोई अधिकार या अधिकार (जिसमें शामिल हैं)

अनुज्ञप्ति प्रदान करना) चाहे वह किसी भी माध्यम से हो जिसके माध्यम से

ऐसा अधिकार हस्तांतरित किया जाता है।

20 स्पष्टीकरण 5. — शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

जिसे रॉयल्टी में शामिल किया गया है और इसमें हमेशा विचार शामिल किया गया है

कोई अधिकार, संपत्ति या जानकारी, चाहे

का सम्मान

((क) ऐसे अधिकार, संपत्ति का अधिकार या नियंत्रण या

जानकारी दाता के पास है;

(ख) ऐसे अधिकार, संपत्ति या जानकारी का उपयोग सीधे

भुगतान करने वाला;

(ग) इस तरह के अधिकार, संपत्ति या जानकारी का स्थान भारत में है।

क्षेत्र। (1) केंद्र सरकार के साथ समझौता हो सकता है

भारत या निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी भी देश की सरकार

भारत के बाहर,

(क) के संबंध में राहत देने के लिए

((i) वह आय जिस पर इस अधिनियम के तहत आय-कर और उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में आय-कर दोनों का भुगतान किया गया है,

जैसा भी मामला हो, या

(आय-इस अधिनियम के तहत और उस देश में लागू या निर्दिष्ट संबंधित कानून के तहत प्रभार्य कर।

वित्त अधिनियम 2000 (2000 का 10) द्वारा अनु. 4 , स्पष्टीकरण 3 (डब्ल्यू. ई. एफ. 001) के लिए। प्रतिस्थापन से पहले स्पष्टीकरण 3 निम्नानुसार था:राष्ट्र 3. - इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" अभिव्यक्ति का अर्थ खंड में दिया गया है।

धारा 80एच. एच. ई. का स्पष्टीकरण।

वित्त अधिनियम 2012 (2012 का 23), धारा 4 (बी) (w.r.e.f 1-6-1976) द्वारा संशोधित।
वित्त अधिनियम 2012 (2012 का 23), धारा 4 (बी) (w.r.e.f 1-6-1976) द्वारा संशोधित।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

क्षेत्र, जैसा भी हो, आपसी आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए

संबंध, व्यापार और निवेश, या

देश या क्षेत्र), या (ग) इस अधिनियम के तहत या उस देश में लागू या निर्दिष्ट संबंधित कानून के तहत प्रभार्य आय-कर की चोरी या परिहार की रोकथाम के लिए सूचना के आदान-प्रदान के लिए।

यथास्थिति, उस देश या निर्दिष्ट क्षेत्र में प्रवृत्त संगत विधि, और राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे प्रावधान कर सकती है जो इसके लिए आवश्यक हों। समझौते को लागू करना।

(2) जहाँ केंद्र सरकार ने एक समझौता किया है

भारत के बाहर या निर्दिष्ट किसी भी देश की सरकार के साथ कर में राहत देने के लिए, या दोहरे कराधान से बचने के लिए, जैसा भी मामला हो, उप-धारा (1) के तहत, भारत के बाहर का क्षेत्र, तो, उस निर्धारिती के संबंध में जिसे ऐसा समझौता लागू होता है, इस अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे -

जिस हद तक वे उस निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद हैं।

XXX XXX XXX

21 21 स्पष्टीकरण 4. - शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है

कि जहाँ किसी समझौते में उपयोग किया गया कोई भी शब्द निम्नानुसार किया गया हो

उप-धारा (1) को उक्त समझौते के तहत परिभाषित किया गया है, उक्त शब्द का वही अर्थ होगा जो समझौते में उसे सौंपा गया है और जहां शब्द को उक्त समझौते में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन अधिनियम में परिभाषित किया गया है, तो इसका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उसे सौंपा गया है और केंद्र सरकार द्वारा उसे दिया गया स्पष्टीकरण, यदि कोई हो।

वित्त अधिनियम 2017 द्वारा अनु. 39 (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2018)।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 195. अन्य राशियाँ। (1) गैर-निवासी को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार कोई भी व्यक्ति, जो नहीं है

एक कंपनी, या एक विदेशी कंपनी के लिए, कोई ब्याज (ब्याज नहीं होने के नाते)

धारा 194 एल. बी. या धारा 194 एल. सी.) या धारा 194 एल. डी. में निर्दिष्ट

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य अन्य राशि (नहीं

ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करने का समय या नकद में या चेक जारी करके भुगतान का समय या

ड्राफ्ट या किसी अन्य तरीके से, जो भी पहले हो, आय में कटौती करें।

उस पर लागू दरों पर कर:

बशर्ते कि सरकार द्वारा देय ब्याज के मामले में

या खंड (23 डी) के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक

धारा 10 या के अर्थ के भीतर एक सार्वजनिक वित्तीय संस्थान

कि खंड, कर की कटौती केवल उस समय की जाएगी जब

इसका भुगतान नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या

किसी भी अन्य तरीके से।

उपरोक्त ब्याज या अन्य राशि किसी भी खाते में जमा की जाती है, चाहे उसे "ब्याज देय खाता" कहा जाए या "सस्पेंस खाता"।

या किसी अन्य नाम से, उत्तरदायी व्यक्ति की लेखा पुस्तकों में

ऐसी आय का भुगतान करने के लिए, इस तरह के क्रेडिट को क्रेडिट माना जाएगा

प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी आय और इसके प्रावधान

धारा तदनुसार लागू होगी।

22 स्पष्टीकरण 2. शंकाओं को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है

कि उप-धारा (1) का पालन करने का दायित्व और

इसके तहत कटौती लागू होती है और यह हमेशा माना जाएगा कि

लागू किया गया और विस्तारित किया गया और हमेशा विस्तारित माना जाएगा

सभी व्यक्तियों के लिए, निवासी या गैर-निवासी, चाहे गैर-निवासी हों या नहीं निवासी व्यक्ति ने

(i) एक निवास या व्यवसाय या व्यावसायिक संबंध का स्थान भारत; या

((ii) भारत में किसी भी तरह से कोई अन्य उपस्थिति।

(2) जहाँ ऐसी किसी राशि का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति

इस अधिनियम 23 (वेतन के अलावा) के तहत किसी अनिवासी से प्रभार्य यह मानते हुए कि ऐसी पूरी राशि आय नहीं होगी

वित्त अधिनियम 2012 (2012 का 23) द्वारा अनु. 77 (a) (ii) (w.r.e.f। 1-4-1962)। वित्त अधिनियम 2003 (2003 का 32) द्वारा अनु. 80 (ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-2003)।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 201. कटौती या भुगतान करने में विफलता के परिणाम। (1) जेराव बबेबा सुबुंनि गाहाय मावख 'गिरिजों लोगोसे

कंपनी,

((क) जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी राशि की कटौती करने की आवश्यकता है; या

(ख) धारा 192 की उप-धारा (1क) में निर्दिष्ट, एक नियोक्ता होने के नाते,

कटौती नहीं करता है, या भुगतान नहीं करता है, या इस तरह कटौती करने में विफल रहने के बाद, इस अधिनियम द्वारा या उसके तहत आवश्यक कर का पूरा या कोई हिस्सा भुगतान करने में विफल रहता है, तो ऐसा व्यक्ति, किसी अन्य व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, करेगा।

जिसके परिणाम उसे भुगतने पड़ सकते हैं, उन्हें निर्धारिती माना जाएगा।

बशर्ते कि किसी के प्रधान अधिकारी सहित कोई भी व्यक्ति कंपनी, जो इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार किसी प्राप्तकर्ता को भुगतान की गई राशि पर या किसी प्राप्तकर्ता के खाते में जमा की गई राशि पर कर के पूरे या किसी हिस्से की कटौती करने में विफल रहती है, उसे ऐसे कर के संबंध में चूक में निर्धारिती नहीं माना जाएगा यदि ऐसा प्राप्तकर्ता

(i) धारा 139 के तहत अपनी आय की विवरणी प्रस्तुत की है;

((ख) आय की ऐसी वापसी में आय की गणना करने के लिए ऐसी राशि को ध्यान में रखा है; और

((ग) आय की ऐसी वापसी में उसके द्वारा घोषित आय पर देय कर का भुगतान किया है,

और व्यक्ति एक लेखाकार से इस आशय का प्रमाण पत्र ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत करता है जो निर्धारित किया जाए:

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति से धारा 221 के तहत कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा, जब तक कि निर्धारण अधिकारी का यह समाधान न हो कि ऐसा व्यक्ति, बिना अच्छे और पर्याप्त कारणों के, ऐसे कर की कटौती करने और भुगतान करने में विफल रहा है। उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v.

25. आयकर अधिनियम की योजना, जहाँ तक सवाल का सवाल है

हमारे समक्ष उठाया गया मुद्दा यह है कि आयकर अधिनियम के तहत कर लगाए जाने वाली आय के लिए, धारा 6 द्वारा परिभाषित भारत में निवास, ज्यादातर मामलों में आवश्यक है। धारा 4 (1) द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 2 (37ए) द्वारा परिभाषित किसी भी दर या दरों पर किसी भी निर्धारण वर्ष के लिए पिछले वर्ष की कुल आय के संबंध में आयकर लगाया जाएगा।

26. यह कि ऐसा लेन-देन डी. टी. ए. ए. द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, तब आयकर अधिनियम की धारा 90 के साथ पठित धारा 5 (2) द्वारा मान्यता दी जाती है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केंद्र सरकार किसी अन्य देश की सरकार के साथ ऐसा कोई समझौता कर सकती है ताकि आयकर अधिनियम के तहत या उस विदेश में लागू किसी संबंधित कानून के तहत प्रभार्य आयकर के संबंध में राहत दी जा सके या इससे बचने के लिए किया जा सके। आय कर अधिनियम के तहत और उस देश में लागू संबंधित कानून के तहत आय के दोहरे कराधान का। महत्वपूर्ण बात यह है कि एक बार डी. टी. ए. ए. लागू होने के बाद, आयकर अधिनियम के प्रावधान केवल इस हद तक लागू हो सकते हैं कि वे निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद हों, अन्यथा नहीं। इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 90 के 4 के स्पष्टीकरण द्वारा, संसद द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि जहां किसी भी शब्द को डी. टी. ए. ए. में परिभाषित किया गया है, वहां डी. टी. ए. ए. में निहित परिभाषा को देखा जाना चाहिए। यह केवल तभी है जब ऐसी कोई परिभाषा नहीं है कि आयकर अधिनियम में परिभाषा लागू की जा सकती है। इस स्थिति को इस न्यायालय द्वारा आजादी बचाओ आंदोलन (ऊपर) में मान्यता दी गई है, जिसमें कहा गया है:

" 21. अधिनियम की धारा 4 और 5 के प्रावधान स्पष्ट रूप से हैं -

"इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" बनाया गया, जिसमें अधिनियम की धारा 90 शामिल होगी। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों की स्थिति में क्या होगा

आयकर अधिनियम के प्रावधान और एक के बीच संघर्ष

धारा 90 के तहत जारी अधिसूचना अब एकीकृत नहीं है। " 28. उपरोक्त मामलों के एक सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि न्यायिक

भारत में आम सहमति रही है कि धारा 90 विशेष रूप से अभिप्रेत है।

केंद्र सरकार को जारी करने में सक्षम और सशक्त बनाना

दोहरे कराधान की शर्तों के कार्यान्वयन के लिए अधिसूचना बचाव समझौता। जब ऐसा होता है, तो ऐसे प्रावधान

एक समझौता, उन मामलों के संबंध में जिन पर वे लागू होते हैं, आय के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर भी कार्य करना

कर अधिनियम। हम निर्णयों में तर्क को स्वीकार करते हैं जो हम

ध्यान दिया है। यदि यह विधायिका का इरादा नहीं था

प्रभार्यता के सामान्य सिद्धांत से कर के लिए एक विचलन धारा 4 और कुल आय के निर्धारण का सामान्य सिद्धांत

अधिनियम की धारा 5 के तहत, तब बनाने का कोई उद्देश्य नहीं था

वे धाराएँ "अधिनियम के प्रावधानों के अधीन" हैं। बहुत ही।

उक्त खंड के साथ उक्त दो धाराओं को जोड़ने का उद्देश्य है -

केंद्र सरकार को धारा के तहत अधिसूचना जारी करने में सक्षम बनाएँ 90 डी. टी. ए. सी. की शर्तों के कार्यान्वयन की दिशा में जो

आयकर अधिनियम के प्रावधानों को स्वचालित रूप से ओवरराइड करें

आय कर की प्रभार्यता का निर्धारण करने का मामला और

कुल आय का निर्धारण, विसंगति की सीमा तक

डी. टी. ए. सी. की शर्तें।

(जोर दिया गया)

27. धारा 195 में निहित मशीनरी का प्रावधान

आयकर अधिनियम शुल्क प्रावधान से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है

आयकर अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 9 में निहित है, जिसके परिणामस्वरूप, भारत में रहने वाला एक व्यक्ति, जो एक अनिवासी को "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य धन राशि" का भुगतान करने के लिए जिम्मेदार है, किसी भी तरीके से प्राप्तकर्ता के खाते में ऐसी राशि जमा करते समय, स्रोत पर उस दर से कर की कटौती करेगा जो, आयकर अधिनियम की धारा 2 (37 ए) (iii) के तहत, डीटीएए द्वारा निर्धारित दर लागू है। महत्वपूर्ण रूप से, ऐसी कटौती केवल तभी की जानी है जब गैर-निवासी आयकर अधिनियम की धारा 4 के साथ पठित धारा 9 में निहित शुल्क प्रावधान के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, जिसे डी. टी. ए. ए. के साथ पठित किया जाता है। इस प्रकार, यह केवल तभी होता है जब अनिवासी भारत में उत्पन्न होने वाली आय पर भारत में आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होता है और आयकर अधिनियम की धारा 195 (1) के तहत टीडीएस की कोई कटौती नहीं की जाती है, या ऐसा व्यक्ति, आयकर अधिनियम की धारा 195 (2) को लागू करने के बाद, उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र लिमिटेड v.

कर के ऐसे अनुपात की कटौती की जो आवश्यक है, कि इसके परिणाम

कटौती और भुगतान करने में विफलता, जो आयकर अधिनियम की धारा 201 में परिलक्षित होती है, जिसके आधार पर निवासी-प्राप्तकर्ता को "चूक में निर्धारिती" माना जाता है, और इस प्रकार, कर, ब्याज और जुर्माना का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी बनाया जाता है। कर्नाटक के उच्च न्यायालय से संबंधित अपीलों में रेफरल आदेश, अर्थात् जी. ई. प्रौद्योगिकी (ऊपर) में इस न्यायालय के फैसले से भी यह स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

28. हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने पी. आई. एल. सी. ओ. एम. (ऊपर) में इस न्यायालय के हालिया फैसले पर दृढ़ता से भरोसा किया। यह

गैर-निवासी खिलाड़ियों या खेल संघों को किए गए भुगतान से संबंधित निर्णय, आयकर अधिनियम की धारा 194 ई के तहत प्रासंगिक प्रावधान निम्नानुसार है:

" 194 - ई. गैर-निवासी खिलाड़ियों या खेलों को भुगतान

संघों। - जहां धारा 115 बी. बी. ए. में निर्दिष्ट कोई भी आय एक अनिवासी खिलाड़ी (एक खिलाड़ी सहित) को देय है।

जो भारत का नागरिक या अनिवासी खेल संघ या संस्था नहीं है, भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति, ऐसी आय को प्राप्तकर्ता के खाते में जमा करते समय या नकद में या चेक या ड्राफ्ट जारी करके या किसी अन्य तरीके से भुगतान करते समय, जो भी पहले हो, आय में कटौती करेगा।

उस पर दस प्रतिशत की दर से कर

29. यह इस संदर्भ में है कि इस न्यायालय ने जी. ई. प्रौद्योगिकी (ऊपर) में निर्णय का उल्लेख किया (पैराग्राफ 16 देखें) और इसे अलग करते हुए कहा:

" 16.1 यह निवेदन कि जब तक अधिनियम की धारा 195 (2) के तहत अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी, तब तक स्रोत पर कर की कटौती का दायित्व पूरे भुगतान के संबंध में होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया गया था। अधिनियम की धारा 195 (1) में आने वाली "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" अभिव्यक्ति पर भरोसा करते हुए, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि "टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व, हालांकि, गैर-निवासी को देय सकल राशि के हिस्से के रूप में अधिनियम के तहत प्रभार्य आय के उचित अनुपात तक सीमित है"। 16.2 इस निर्णय का, हमारे विचार में, क्रमिक संख्या पर भुगतान के रूप में कोई अनुप्रयोग नहीं है। (vi) और (vii) संबंधित हैं। जिस हद तक भुगतान उन राशियों का प्रतिनिधित्व करता था जो विषय नहीं हो सकती थीं।

अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप का मामला, उपयुक्त

अपीलार्थी को लाभ पहले ही दिया जा चुका है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

30. यह आयकर अधिनियम की धारा 194 ई के संदर्भ में था कि न्यायालय ने आगे कहा:

" 18. अब हम डी. टी. ए. ए. की प्रयोज्यता के मुद्दे पर आते हैं। जैसा कि उच्च न्यायालय ने कहा, इस मामले पर उसके समक्ष उस ओर से बहस नहीं की गई थी, फिर भी इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय द्वारा विचार किया गया था। हमारे विचार में, उच्च न्यायालय के साथ जो तर्क दिया गया है वह काफी सही है। अधिनियम की धारा 194 ई के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने की बाध्यता डी. टी. ए. ए. से प्रभावित नहीं होती है और यदि कर की अनिवार्यता उस निर्धारिती द्वारा विवादित है जिसके खाते में कटौती की जाती है, तो डी. टी. ए. ए. के लाभ का अनुरोध किया जा सकता है और यदि मामला बनता है, तो विचाराधीन राशि को हमेशा ब्याज के साथ वापस कर दिया जाएगा। लेकिन, वह अपने आप में, इसके तहत दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता है।

अधिनियम की धारा 194 ई।

19. परिसर में, यह माना जाना चाहिए कि वर्तमान मामले में अनिवासी खेल संघों को किए गए भुगतान का प्रतिनिधित्व किया गया है।

उनकी आय जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न हुई थी या उपार्जित या उत्पन्न हुई थी। नतीजतन, अपीलार्थी अधिनियम की धारा 194 ई के संदर्भ में स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदायी था।

31. यह देखा जाएगा कि आयकर अधिनियम की धारा 194 ई विभिन्न प्रावधानों के एक समूह से संबंधित है जो बिना किसी संदर्भ के टीडीएस से संबंधित है।

संबंधित अनिवासी निर्धारिती द्वारा आयकर अधिनियम के तहत कर की प्रभार्यता। यह धारा आयकर अधिनियम की धारा 193 और 194 के समान है जिसके द्वारा आयकर अधिनियम के तहत एक अनिवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि की प्रभार्यता के किसी भी संदर्भ के बिना कटौती की जानी है। दूसरी ओर, जैसा कि जी. ई. प्रौद्योगिकी (उपर्युक्त) में उल्लेख किया गया है, आयकर अधिनियम की धारा 195 के केंद्र में यह तथ्य है कि कटौती केवल तभी की जा सकती है जब अनिवासी निर्धारिती आयकर अधिनियम के प्रावधानों के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो। 32. इस प्रकार, पी. आई. एल. सी. ओ. एम. (ऊपर) में इस न्यायालय का निर्णय, जो पूरी तरह से अलग व्यवस्था में एक पूरी तरह से अलग प्रावधान से संबंधित है,

इसका इस मामले के तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, 1957

33. कॉपीराइट अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान इस प्रकार हैं:

" 2. व्याख्या। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो

आवश्यक है, उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

(क) "अनुकूलन" का अर्थ है,

XXX XXX XXX

(v) किसी भी कार्य के संबंध में, ऐसे कार्य का कोई भी उपयोग जिसमें

इसकी पुनर्व्यवस्था या परिवर्तन;

XXX XXX XXX

((घ) "लेखक" का अर्थ है -

24 (vi) किसी भी साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य के संबंध में जो कंप्यूटर से उत्पन्न होता है, वह व्यक्ति जो कारण बनता है। बनाए जाने वाले कार्य;

XXX XXX XXX

25 (एफ. ए.) "वाणिज्यिक किराये" में कंप्यूटर प्रोग्राम, ध्वनि रिकॉर्डिंग, दृश्य रिकॉर्डिंग या सिनेमाटोग्राफिक फिल्म की कानूनी रूप से अधिग्रहित प्रति का किराया, पट्टा या ऋण शामिल नहीं है।

गैर-लाभकारी पुस्तकालय या गैर-लाभकारी उद्देश्यों के लिए

शैक्षणिक संस्थान;

XXX XXX XXX

शब्दों, संहिताओं, योजनाओं या किसी अन्य रूप में व्यक्त किया गया, एक मशीन पठनीय माध्यम सहित, एक कारण बनाने में सक्षम

किसी विशेष कार्य को करने या किसी विशेष कार्य को पूरा करने के लिए कंप्यूटर

परिणाम;

XXX XXX XXX

(एम) "उल्लंघनकारी प्रतिलिपि" का अर्थ है

((i) किसी साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य के संबंध में,

एक के रूप में इसके अलावा अन्यथा एक प्रजनन

सिनेमेटोग्राफ फिल्म;

((ii) सिनेमाटोग्राफिक फिल्म के संबंध में, फिल्म की एक प्रति।

किसी भी माध्यम से बनाया गया;

((ग) ध्वनि अभिलेखन के संबंध में, कोई अन्य अभिलेखन जिसमें एक ही ध्वनि अभिलेखन शामिल हो, किसी भी माध्यम से बनाया गया हो;

1994 के अधिनियम 38 द्वारा अनु. 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 10-5-1995)।

2012 के अधिनियम 27 द्वारा, एस। 2 (ii) (डब्ल्यू. ई. एफ. 21-6-2012)।

((iv) एक कार्यक्रम या प्रदर्शन के संबंध में जिसमें इस तरह के प्रसारण प्रजनन अधिकार या एक कलाकार का अधिकार है।

इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत ध्वनि रिकॉर्डिंग मौजूद है

या ऐसे कार्यक्रम की एक सिनेमाटोग्राफिक फिल्म या

प्रदर्शन,

यदि ऐसी पुनरुत्पादन, प्रतिलिपि या ध्वनि रिकॉर्डिंग की जाती है या

इस अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन में आयातित;

XXX XXX XXX

26 (0) " साहित्यिक कार्य में कंप्यूटर प्रोग्राम, टेबल शामिल हैं।

और कंप्यूटर डेटाबेस सहित संकलन;

" 14. प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए,

प्रतिलिप्याधिकार का अर्थ है प्रावधानों के अधीन अनन्य अधिकार

यह अधिनियम निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अधिकृत करता है।

किसी कार्य या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग की बाबत, अर्थात्

(क) साहित्यिक, नाटकीय या संगीत रचना के मामले में, नहीं एक कंप्यूटर प्रोग्राम होने के नाते,

((i) इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किसी भी माध्यम में संग्रहित करने सहित किसी भी सामग्री के रूप में काम को पुनः प्रस्तुत करना;

((ii) काम की प्रतियां जनता को बिना प्रतियों के जारी करना।

पहले से ही प्रचलन में है;

((ग) सार्वजनिक रूप से कार्य का निष्पादन करना या उसे जनता को सूचित करना।

सार्वजनिक;

((iv) किसी भी सिनेमाटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग को बनाने के लिए

कार्य का सम्मान;

(vi) कार्य का कोई भी अनुकूलन करना;
((vii) कार्य के अनुवाद या अनुकूलन के संबंध में, कार्य के संबंध में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करना।

उपखंड (i) से (vi) तक;

((b) कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में

(i) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करने के लिए; 27 (ii) बेचने के लिए

या वाणिज्यिक किराये पर या बिक्री के लिए या के लिए प्रस्ताव दें वाणिज्यिक किराये पर कंप्यूटर कार्यक्रम की कोई भी प्रतिः

1994 के अधिनियम 38 द्वारा शीर्षक दिया गया, सेक। 2 (डब्ल्यू. ई. एफ. 10-5-1995)।

1999 के अधिनियम 49 द्वारा अनु. 3 (डब्ल्यू. ई. एफ. 15-1-2000)।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

बशर्ते कि ऐसा वाणिज्यिक किराया इस संबंध में लागू नहीं होता है

कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ प्रोग्राम स्वयं नहीं है

किराये का आवश्यक उद्देश्य।"

" 16. इस अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अलावा कोई कॉपीराइट नहीं-कोई भी व्यक्ति किसी भी काम में कॉपीराइट या किसी भी समान अधिकार का हकदार नहीं होगा, चाहे वह प्रकाशित हो या अप्रकाशित, इस अधिनियम या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार, लेकिन इस धारा में कुछ भी विश्वासघात को रोकने के लिए किसी भी अधिकार या अधिकार क्षेत्र को निरस्त करने के रूप में नहीं माना जाएगा।

प्रतिलिप्याधिकार की पूरी अवधि या उसके किसी भी भाग के लिए: बशर्ते कि किसी में कॉपीराइट के असाइनमेंट के मामले में

भावी कार्य, कार्य तभी प्रभावी होगा जब कार्य

अस्तित्व में आता है।

28 बशर्ते कि ऐसा कोई असाइनमेंट उस काम के किसी भी माध्यम या उपयोग के तरीके पर लागू नहीं किया जाएगा जो असाइनमेंट किए जाने के समय बाहर नहीं निकला था या वाणिज्यिक उपयोग में नहीं था, जब तक कि असाइनमेंट विशेष रूप से ऐसे माध्यम के लिए निर्दिष्ट न हो।

या काम के दोहन का ढंग: बशर्ते कि किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्म में शामिल साहित्यिक या संगीतमय कार्य का लेखक रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार निर्दिष्ट नहीं करेगा या उसे माफ नहीं करेगा, जिसे निर्दिष्ट व्यक्ति के साथ समान आधार पर साझा किया जाएगा।

लेखकों के कानूनी उत्तराधिकारियों या संग्रह और वितरण के लिए कॉपीराइट सोसायटी को छोड़कर, सिनेमा हॉल में सिनेमेटोग्राफ फिल्म के साथ काम की जनता को संचार के अलावा किसी भी रूप में इस तरह के काम के उपयोग के लिए कॉपीराइट।

और इसके विपरीत कोई भी समझौता अमान्य होगा:

बशर्ते कि ध्वनि रिकॉर्डिंग में शामिल साहित्यिक या संगीतमय कार्य का लेखक, लेकिन जो किसी सिनेमेटोग्राफ फिल्म का हिस्सा नहीं है, किसी के लिए कॉपीराइट के समनुदेशक के साथ समान आधार पर साझा की जाने वाली रॉयल्टी प्राप्त करने का अधिकार नहीं देगा या माफ नहीं करेगा।

2012 के अधिनियम 27 द्वारा अनु. 8 (डब्ल्यू. ई. एफ. 21-6-2012)।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

लेखकों के कानूनी उत्तराधिकारियों को छोड़कर ऐसे काम का उपयोग या संग्रह और वितरण के लिए एक संग्रह समिति और किसी भी

इसके विपरीत कार्य शून्य होगा।

(2) जहाँ कॉपीराइट का समनुदेशक किसी भी अधिकार का हकदार हो जाता है। प्रतिलिप्याधिकार में शामिल अधिकार, अधिकारों के संबंध में समनुदेशिती

इस प्रकार सौंपा गया, और असाइनर उन अधिकारों के संबंध में जो असाइन नहीं किए गए हैं,

इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए स्वामी के रूप में माना जाएगा

प्रतिलिपि अधिकार और इस अधिनियम के प्रावधान प्रभावी होंगे। तदनुसार।

(3) इस खंड में, पद के संबंध में "नियुक्तकर्ता" अभिव्यक्ति

भविष्य के किसी भी काम में कॉपीराइट के असाइनमेंट में कानूनी शामिल हैं

समनुदेशिती के प्रतिनिधि, यदि समनुदेशिती से पहले ही मर जाता है

काम अस्तित्व में आता है।

" 19. असाइनमेंट का तरीका।

XXX XXX XXX

(3) किसी भी कार्य में कॉपीराइट का असाइनमेंट भी निर्दिष्ट करेगा

कार्य की मुद्रा के दौरान लेखक या उसके कानूनी उत्तराधिकारी और असाइनमेंट संशोधन, विस्तार या

पक्षों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समाप्ति।

99

" 30. प्रतिलिप्याधिकार के मालिकों द्वारा लाइसेंस -

के संभावित मालिक के किसी भी मौजूदा काम में कॉपीराइट

भविष्य के किसी भी काम में कॉपीराइट अधिकार में कोई भी ब्याज प्रदान कर सकता है उसके द्वारा या उसके विधिवत अधिकृत एजेंट द्वारा लिखित रूप में अनुज्ञप्ति:

बशर्ते कि किसी में कॉपीराइट से संबंधित लाइसेंस के मामले में

भविष्य में काम, लाइसेंस केवल तभी प्रभावी होगा जब काम

अस्तित्व में आता है। स्पष्टीकरण। जहाँ कोई व्यक्ति जिससे संबंधित लाइसेंस हो।

इस धारा के तहत किसी भी भविष्य के काम में कॉपीराइट दिया जाता है।

कार्य के अस्तित्व में आने से पहले, उसके कानूनी प्रतिनिधि अनुज्ञप्ति में इसके विपरीत किसी प्रावधान के अभाव में,

लाइसेंस के लाभ के हकदार हों।

2930 ए. धारा 19 का अनुप्रयोग। - धारा के प्रावधान

19 किसी भी आवश्यक अनुकूलन और संशोधनों के साथ, लागू होगा

धारा 30 के तहत लाइसेंस के संबंध में जैसा कि वे इस संबंध में लागू होते हैं - एक काम में कॉपीराइट का असाइनमेंट।

1994 के अधिनियम 38, एस। 10 (डब्ल्यू. ई. एफ. 10-5-1995)।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 51. जब कॉपीराइट का उल्लंघन किया जाता है। किसी कार्य में प्रतिलिपि अधिकार होगा

उल्लंघन माना जाता है

(क) जब कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के तहत या कॉपीराइट के मालिक या कॉपीराइट के पंजीयक द्वारा दिए गए लाइसेंस के बिना

इस अधिनियम के तहत इस तरह से दिए गए लाइसेंस की शर्तों या किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा लगाई गई किसी शर्त का उल्लंघन -

(i) कुछ भी करता है, ऐसा करने का अनन्य अधिकार जो इस अधिनियम द्वारा है।

प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी को प्रदान किया गया, या

((ii) संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थान को लाभ के लिए अनुमति देता है। जनता के लिए काम का जहां इस तरह का संचार काम में कॉपीराइट का उल्लंघन है, जब तक कि वह जागरूक नहीं था और यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि जनता के लिए ऐसा संचार कॉपीराइट का उल्लंघन होगा; या

((ख) जब कोई व्यक्ति

बिक्री या किराया के लिए व्यापार प्रदर्शन या प्रस्ताव, या
((ii) या तो व्यापार के उद्देश्य से या ऐसे किसी उद्देश्य के लिए वितरित करता है।

प्रतिलिप्याधिकार के स्वामी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने के लिए, या

((ग) सार्वजनिक रूप से व्यापार प्रदर्शनियों के माध्यम से, या
((iv) भारत में आयात, काम की कोई भी उल्लंघनकारी प्रतियां:

बशर्ते कि उपखंड (iv) में कुछ भी निजी और घरेलू उपयोग के लिए किसी भी काम की एक प्रति के आयात पर लागू नहीं होगा। आयातक।]

स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, पुनरुत्पादन सिनेमाटोग्राफ फिल्म के रूप में साहित्यिक, नाटकीय, संगीत या कलात्मक कार्य की "उल्लंघनकारी प्रतिलिपि" मानी जाएगी।

" 52. कुछ कार्य जो कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं हैं।

(1) निम्नलिखित कृत्यों का उल्लंघन नहीं होगा

प्रतिलिपि अधिकार, अर्थात् -

XXX XXX XXX

30 (एए) ऐसे कंप्यूटर की एक प्रति के वैध धारक द्वारा एक कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियों का निर्माण या अनुकूलन।

कार्यक्रम, ऐसी प्रतिलिपि से -

1994 के अधिनियम 38 द्वारा अनु. 17 (डब्ल्यू. ई. एफ. 10-5-1995)।

((i) उस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए जिसके लिए इसकी आपूर्ति की गई थी; या

((ii) विशुद्ध रूप से एक अस्थायी सुरक्षा के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाना

हानि, विनाश या क्षति के विरुद्ध केवल उस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए जिसके लिए इसे आपूर्ति की गई थी;

XXX XXX XXX

(एड) व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियों का निर्माण या अनुकूलन

" 58. स्वामित्व या लेन-देन करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ मालिक के अधिकार उल्लंघनकारी प्रतियों के साथ। किसी भी कार्य की सभी उल्लंघनकारी प्रतियाँ

जो कॉपीराइट मौजूद है, और ऐसी उल्लंघनकारी प्रतियों के उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली या उपयोग करने का इरादा रखने वाली सभी प्लेटों को कॉपीराइट के मालिक की संपत्ति माना जाएगा, जो तदनुसार उसके कब्जे की वसूली के लिए या उसके रूपांतरण के संबंध में कार्यवाही कर सकता है:

बशर्ते कि कॉपीराइट का मालिक किसी भी उल्लंघनकारी प्रतियों के रूपांतरण के संबंध में किसी भी उपाय का हकदार नहीं होगा, यदि प्रतिद्वंद्वी साबित करता है

(क) कि वह इस बात से अवगत नहीं था और उसके पास यह विश्वास करने के लिए कोई उचित आधार नहीं था कि जिसके काम में कॉपीराइट मौजूद था

प्रतियों पर उल्लंघन करने का आरोप लगाया जाता है; या

(ख) कि उसके पास यह विश्वास करने के लिए उचित आधार थे कि ऐसी प्रतियों या प्लेटों में किसी भी मामले में कॉपीराइट का उल्लंघन शामिल नहीं है।

काम करते हैं। "

34. उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत, एक साहित्यिक कार्य में एक कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल है और एक कंप्यूटर प्रोग्राम को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (एफएफसी) के तहत परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है शब्दों,

कोड, योजनाओं या किसी अन्य रूप में व्यक्त किए गए निर्देशों का एक समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य को करने या किसी विशेष परिणाम को प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। 35. हालांकि "कॉपीराइट" अभिव्यक्ति को कॉपीराइट अधिनियम की "परिभाषाओं" की धारा में अलग से परिभाषित नहीं किया गया है, फिर भी, धारा 14 यह स्पष्ट करती है कि "कॉपीराइट" का अर्थ है "अनन्य अधिकार", विषय इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

"किसी कार्य के संबंध में" कुछ कार्य करने या करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को अधिकृत करना। जब कोई "लेखक" किसी "साहित्यिक कृति" के संबंध में, जिसमें एक "कंप्यूटर प्रोग्राम" शामिल है, ऐसी कृति बनाता है, तो ऐसे लेखक को कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, ऐसे कार्य या उसके किसी महत्वपूर्ण हिस्से के संबंध में कई कार्य करने या करने के लिए अधिकृत करने का विशेष अधिकार है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में, धारा 14 (बी) विशेष रूप से अधिनियमों के दो समूहों की बात करती है- उपखंड (ए) में गिने गए सात अधिनियम और वाणिज्यिक किराये पर बेचने या देने का आठवां अधिनियम या बिक्री के लिए या वाणिज्यिक किराए के लिए किसी भी प्रति की पेशकश।

कंप्यूटर प्रोग्राम। जहाँ तक सात अधिनियमों का संबंध है जो उप में दिए गए हैं।

खंड (ए) का संबंध है, वे सभी इस बात का वर्णन करते हैं कि कॉपीराइट के मालिक के पास जो अनन्य अधिकार है, उसे कैसे विभाजित किया जा सकता है, अर्थात। यदि किसी भी भौतिक रूप में काम को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार के साथ कोई विभाजन है; जनता को काम की प्रतियां जारी करने का अधिकार, जो पहले से ही प्रचलन में प्रतियां नहीं हैं; सार्वजनिक रूप से काम करने या जनता को सूचित करने का अधिकार; काम के संबंध में कोई भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाने का अधिकार; काम का कोई भी अनुवाद करने का अधिकार; काम का कोई भी अनुकूलन करने का अधिकार; या अनुवाद या अनुकूलन के संबंध में निर्दिष्ट कार्यों में से कोई भी करने का अधिकार। 36. संक्षेप में, इस तरह के अधिकार को कॉपीराइट के रूप में संदर्भित किया जाता है, और इसमें किसी भी भौतिक रूप में काम को पुनः पेश करने का अधिकार शामिल है,

जनता के लिए काम करें, सार्वजनिक रूप से काम करें, या काम का अनुवाद या अनुकूलन करें। यह परिभाषा से और भी स्पष्ट हो जाता है

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एम) में निहित एक "उल्लंघनकारी प्रतिलिपि", जिसका अर्थ है एक कंप्यूटर कार्यक्रम, यानी एक साहित्यिक कृति के संबंध में उक्त कृति का पुनरुत्पादन। इस प्रकार, एक कंप्यूटर प्रोग्राम को पुनः पेश करने और बिक्री, हस्तांतरण, लाइसेंस के माध्यम से पुनरुत्पादन का उपयोग करने का अधिकार।

37. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) को दो बार संशोधित किया गया था, पहले 1994 में और फिर 1999 में, 15.01.2000 से प्रभावी। इससे पहले 1999 के संशोधन के लिए, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) निम्नानुसार है:

" ((ii) कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी भी प्रति को बेचना या किराए पर देना, या बिक्री के लिए प्रस्ताव देना या किराए पर लेना, इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति की गई है या नहीं। पहले के अवसरों पर बेचा या किराए पर दिया गया; '

इसकी अनुपस्थिति से जो स्पष्ट है वह वाक्यांश है "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसरों पर बेची गई है या किराए पर दी गई है"।

38. महत्वपूर्ण रूप से, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 16 के अनुसार, कॉपीराइट अधिनियम या उस समय लागू किसी अन्य विशेष कानून के प्रावधानों के बाहर भारत में कोई कॉपीराइट मौजूद नहीं है। जब किसी साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का स्वामी उक्त कृति में कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और (बी) में निहित सभी या किसी भी अधिकार को पूरी तरह से या आंशिक रूप से एक विचार के लिए सौंपता है, तो ऐसे अधिकार का समनुदेशक सौंपे गए कॉपीराइट में शामिल ऐसे सभी अधिकारों का हकदार हो जाता है, और उसे जो सौंपा गया है उसके कॉपीराइट के मालिक के रूप में माना जाएगा (कॉपीराइट अधिनियम की धारा 19 (3) के साथ पठित धारा 18 (2) देखें)। इसके अलावा, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के तहत, किसी भी साहित्यिक कृति में कॉपीराइट का मालिक कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) में उल्लिखित किसी भी अधिकार में कोई भी ब्याज अपने द्वारा लाइसेंसधारक को लिखित रूप में दे सकता है, जिसके तहत, इस तरह के ब्याज के साथ भाग लेने के लिए, रॉयल्टी देय हो सकती है (कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30ए देखें)। जब ऐसा लाइसेंस दिया जाता है, तो कॉपीराइट का उल्लंघन तब होता है जब उक्त हित/अधिकार से संबंधित कोई भी उपयोग, जो लाइसेंस प्राप्त है, इस प्रकार दिए गए लाइसेंस की शर्तों के विपरीत होता है। कॉपीराइट का उल्लंघन यह तब होता है जब कोई व्यक्ति कॉपीराइट अधिनियम की धारा 51 (बी) के अनुसार "बिक्री के लिए करता है या किराए पर लेता है या बेचता है या किराए पर देता है" या "बिक्री या किराए पर लेने की पेशकश करता है" या "वितरित करता है. ताकि कॉपीराइट के मालिक को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया जा सके"। महत्वपूर्ण रूप से, जिस उद्देश्य के लिए उक्त कंप्यूटर प्रोग्राम की आपूर्ति की गई थी, उसका उपयोग करने के लिए या नुकसान, विनाश या क्षति से अस्थायी सुरक्षा के रूप में बैक-अप प्रतियां बनाने के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाना या उसका अनुकूलन करना, ताकि जिस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम की आपूर्ति की गई थी, उसका उपयोग करने में सक्षम हो सकें, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) के तहत कॉपीराइट के उल्लंघन का कार्य नहीं है। संक्षेप में, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) में जिसका उल्लेख किया गया है, वह इस प्रकार नहीं होगा -

पुनरुत्पादन ताकि प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन हो।

39. धारा 52 (1) (विज्ञापन) कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) से स्वतंत्र है, और यह बताती है कि कंप्यूटर की प्रतियां बनाना

गैर-वाणिज्यिक व्यक्तिगत उपयोग के लिए व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त प्रति से कार्यक्रम कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। हालाँकि, इससे यह निष्कर्ष निकालना संभव नहीं है कि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए, अर्थात्, यदि व्यक्तिगत रूप से कानूनी रूप से प्राप्त कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियों का व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग किया जाना है, तो यह अनिवार्य रूप से कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एड) को धारा 52 (1) (एए) के प्रभाव को नकारने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है, क्योंकि यह एक ऐसे

विषय से संबंधित है जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) में निहित विषय से अलग और अलग है।

जिनरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

दोहरा कर से बचने के समझौते

40. ये अपीलें भारत और भारत के बीच डी. टी. ए. ए. एस. से संबंधित हैं।

पक्षीय देश/दल:

ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रमंडल

1 .

कनाडा

2 .

चीन जनवादी गणराज्य

3 .

4 .

साइप्रस गणराज्य

फिनलैंड गणराज्य।

5 .

फ्रांस गणराज्य

6 .

जर्मनी का संघीय गणराज्य

7 .

हांगकांग का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र

8 .

चीन जनवादी गणराज्य

आयरलैंड गणराज्य

9 .

10 .

इटली गणराज्य

11 .

जापान

कोरिया गणराज्य

12 .

नीदरलैंड का साम्राज्य

13 .

14 .

सिंगापुर गणराज्य

स्वीडन का साम्राज्य

15 .

ताइपे (ताइवान) में भारत-ताइपे संघ

16 . 17 .

संयुक्त राज्य अमेरिका

18 .

ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का यूनाइटेड किंगडम

41. जहां तक सामग्री की बात है, इनमें से प्रत्येक डी. टी. ए. ए. आय और पूंजी पर सी. डी. मॉडल कर समझौते पर आधारित है, और "व्यावसायिक लाभ" और "रॉयल्टी" के प्रावधानों के संबंध में काफी हद तक समान हैं, यदि समान नहीं हैं। डी. टी. ए. ए. में से एक, भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. के प्रावधान इस प्रकार हैं:

" अनुच्छेद 2-कवर किए गए कर

1. जिन करों पर यह समझौता लागू होगा वे हैं:

(इसके बाद "भारतीय कर" के रूप में संदर्भित);
(ख) सिंगापुर में: आय कर (इसके बाद "सिंगापुर कर" के रूप में संदर्भित)।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

2. यह समझौता किसी भी समान या काफी हद तक समान करों पर भी लागू होगा जो किसी भी संविदाकारी राज्य द्वारा लगाए जाते हैं।

अनुच्छेद 1 में निर्दिष्ट करों के अतिरिक्त या उनके स्थान पर वर्तमान समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि। संविदाकारी राज्यों के सक्षम अधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बारे में एक-दूसरे को सूचित करेंगे। " अनुच्छेद 3-सामान्य परिभाषाएँ

XXX XXX XXX

2. जहां तक किसी संविदाकारी राज्य द्वारा समझौते को लागू करने का संबंध है, कोई भी शब्द जो उसमें परिभाषित नहीं है, जब तक कि संदर्भ अन्यथा आवश्यक है, जिसका अर्थ उस राज्य के कानून के तहत उन करों के संबंध में है जिन पर समझौता किया गया है।

लागू होता है "।

" अनुच्छेद 7-व्यावसायिक लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम का लाभ केवल उस राज्य में कर योग्य होगा जब तक कि उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थायी प्रतिष्ठान के माध्यम से व्यवसाय नहीं करता है। यदि उद्यम उपरोक्त रूप से व्यवसाय करता है, तो उद्यम के लाभ पर दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है, लेकिन उनमें से केवल उतना ही जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस स्थायी प्रतिष्ठान के लिए जिम्मेदार है।

" अनुच्छेद 12

स्वामित्व और शुल्क

तकनीकी सेवाएँ

1. किसी संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाली और दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को भुगतान की जाने वाली तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क पर उस दूसरे राज्य में कर लगाया जा सकता है। 2. हालाँकि, तकनीकी सेवाओं के लिए ऐसी रॉयल्टी और शुल्क पर उस संविदाकारी राज्य में भी कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उस राज्य के कानूनों के अनुसार, लेकिन यदि प्राप्तकर्ता रॉयल्टी या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क का लाभकारी मालिक है, तो इस तरह से लगाया गया कर इससे अधिक नहीं होगा:

(क) पैराग्राफ 3 (क) में निर्दिष्ट रॉयल्टी और इस अनुच्छेद में परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क (इस पैराग्राफ के उप-पैराग्राफ (ख) में वर्णित सेवाओं के अलावा) के मामले में, 15 प्रतिशत उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

रॉयल्टी और शुल्क की सकल राशि; (ख) पैरा 3 (ख) में निर्दिष्ट रॉयल्टी और इस अनुच्छेद में परिभाषित तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के मामले में -

संपत्ति के आनंद के लिए सहायक और सहायक जिसके लिए पैराग्राफ 3 (बी) के तहत रॉयल्टी प्राप्त होती है, सकल का 10 प्रतिशत

रॉयल्टी और शुल्क की राशि।

3. इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ है उपयोग के लिए विचार के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान, या उपयोग करने का अधिकार।

उपयोग:

(क) किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य का कोई कॉपीराइट,

रेडियो या टेलीविजन प्रसारण के लिए उपयोग की जाने वाली सिनेमाटोग्राफ फिल्में या फिल्में या टेप, कोई पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित जानकारी के लिए, जिसमें ऐसे किसी भी अधिकार के अलगाव से प्राप्त लाभ शामिल हैं।

संपत्ति या जानकारी;

(बी) अनुच्छेद 8 के पैराग्राफ 4 (बी) या 4 (सी) में वर्णित गतिविधियों से किसी उद्यम द्वारा प्राप्त भुगतान के अलावा कोई औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण।

" अनुच्छेद 30-बल में प्रवेश करें

1. संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक इस समझौते को लागू करने के लिए अपने कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में दूसरे को सूचित करेगा। यह समझौता इन अधिसूचनाओं के बाद की तारीख से लागू होगा और इसके बाद इसका प्रभाव होगा:

((क) भारत में: किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में

अप्रैल 1994 के पहले दिन या उसके बाद शुरू;

(ख) सिंगापुर में: किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में

जनवरी 1994 के पहले दिन या उसके बाद शुरू।

2. दोहरे कराधान से बचने और आय पर करों के संबंध में वित्तीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और सिंगापुर गणराज्य की सरकार के बीच 20 अप्रैल, 1981 को सिंगापुर में

हस्ताक्षरित समझौता समाप्त हो जाएगा और उस तारीख से प्रभावी नहीं होगा जिस दिन यह समझौता लागू होता है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

42. प्रत्येक डी. टी. ए. ए. एस. का विषय भारत और विदेश में देय आयकर है।

महत्वपूर्ण रूप से, जैसा कि अब आयकर अधिनियम की धारा 90 के स्पष्टीकरण 4 और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 3 (2) के तहत परिलक्षित होता है, "रॉयल्टी" शब्द की परिभाषा का अर्थ डी. टी. ए. ए. द्वारा दिया गया होगा, जिसका अर्थ है कि जब आयकर अधिनियम की धारा 9 में "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति आती है, तो इसका अर्थ डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के संदर्भ में लगाया जाना चाहिए। इस स्थिति को सी. बी. डी. टी. परिपत्र संख्या 333 दिनांकित 02.04.1982,3 1 द्वारा भी स्पष्ट किया गया है जो इस प्रकार है:

" वृत्ताकार: सं. 333 दिनांकित 2-4-1982। दोहरे कराधान से बचने के लिए किए गए विशिष्ट प्रावधान

समझौता-क्या यह सामान्य से अधिक प्रबल होगा आय-कर अधिनियम में निहित प्रावधान

1. बोर्ड के संज्ञान में आया है कि कभी-कभी दोहरे कराधान परिहार समझौते के प्रावधानों को प्रभावित करने के लिए मूल्यांकन अधिकारियों द्वारा यह नहीं दिया जाता है जब वे पाते हैं कि समझौते के प्रावधान समझौते के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं।

आय-कर अधिनियम, 1961

2. सही कानूनी स्थिति यह है कि जहां दोहरे कराधान परिहार समझौते में एक विशिष्ट प्रावधान किया गया है, वह प्रावधान

यह आयकर अधिनियम में निहित सामान्य प्रावधानों पर हावी होगा। वास्तव में दोहरे कराधान से बचने के समझौते आय -कर अधिनियम की धारा 90 के तहत केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कानूनों में यह भी प्रावधान है कि दोनों देशों में लागू कानून संबंधित देशों में आय के मूल्यांकन और कराधान को नियंत्रित करते रहेंगे, सिवाय इसके कि जहां

समझौते में इसके विपरीत प्रावधान किए गए हैं।

3. इस प्रकार, जहां एक दोहरा कराधान परिहार समझौता है

आय की गणना के एक विशेष तरीके का प्रावधान है, जिसका पालन आयकर अधिनियम के प्रावधानों की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए। जहां समझौते में कोई विशिष्ट प्रावधान नहीं है,

यह मूल कानून है, यानी आयकर अधिनियम, जो आय के कराधान को नियंत्रित करता है।

43. इस प्रकार, डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 (3) के आधार पर, रॉयल्टी हैं

किसी साहित्यिक कृति के "किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार" के लिए विचार के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान, जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर शामिल है। 31 एफ. सं. 506/42/81-एफ. टी. डी.

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अंत-उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौते और वितरण

ई. एम. एन. टी. एस.44. ई. यू. एल. ए. के कुछ नमूने खंड जो उन प्रतिक्रियाओं के उदाहरण हैं जिनके साथ हम प्रत्येक श्रेणी में संबंधित हैं (उल्लिखित)

इस निर्णय का आलेख 4), नीचे दिया गया है:

44. (i) श्रेणी 1:

सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और 16.11.2016) पर अंकित अंतिम उपयोगकर्ता के बीच ई. यू. एल. ए. में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शब्द शामिल हैं:

" यह अंतिम उपयोगकर्ता लाइसेंस समझौता ("ई. यू. एल. ए".) कानूनी है।

सैमसंग और उससे संबद्ध कंपनियों और उसके तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं और लाइसेंसधारकों के स्वामित्व वाले सॉफ्टवेयर के लिए आपके (या तो एक व्यक्ति या एकल इकाई) और सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड ("सैमसंग") के बीच समझौता, जो इस ईयूएलए के साथ है, जिसमें कंप्यूटर सॉफ्टवेयर शामिल है और जिसमें सैमसंग मोबाइल डिवाइस के आपके उपयोग के संबंध में संबद्ध मीडिया, सामग्री और डेटा, मुद्रित सामग्री या इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज शामिल हो सकते हैं, जिसे नीचे परिभाषित किया जाएगा।

XXX XXX XXX 1. लाइसेंस का अनुदान। सैमसंग आपको एक ही सैमसंग मोबाइल उपकरण पर सैमसंग सॉफ्टवेयर की एक प्रति स्थापित करने, उपयोग करने, उपयोग करने, प्रदर्शित करने और चलाने के लिए एक सीमित गैर-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करता है।

स्थानीय हार्ड डिस्क (ओं) या एक कंप्यूटर का अन्य स्थायी भंडारण माध्यम और आप सैमसंग सॉफ्टवेयर को एक नेटवर्क पर उपलब्ध नहीं करा सकते हैं जहां इसका उपयोग कई कंप्यूटरों द्वारा किया जा सकता है।

उसी समय। आप सैमसंग सॉफ्टवेयर की एक प्रति केवल बैकअप उद्देश्यों के लिए मशीन से पढ़ने योग्य रूप में बना सकते हैं; बशर्ते कि बैक-अप प्रतिलिपि में मूल पर निहित सभी कॉपीराइट या अन्य स्वामित्व सूचनाएँ शामिल होनी चाहिए।

सैमसंग सॉफ्टवेयर के कुछ आइटम खुले होने के अधीन हो सकते हैं।

स्रोत लाइसेंस। ओपन सोर्स लाइसेंस प्रावधान इस ई. यू. एल. ए. की कुछ शर्तों को ओवरराइड कर सकते हैं। हम लागू होने वाले को खुला रखते हैं कानूनी सूचना अनुभाग पर आपके लिए उपलब्ध स्रोत लाइसेंस

आपके उपकरण का सेटिंग मेनू। 2. अधिकारों और स्वामित्व का संरक्षण।

सैमसंग के पास वे सभी अधिकार सुरक्षित हैं जो आपको इसमें स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए हैं।

ईयूएलए। सॉफ्टवेयर कॉपीराइट और अन्य सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्टों द्वारा संरक्षित है।

एस सी आर।

बौद्धिक संपदा कानून और संधियाँ। सैमसंग या उसके आपूर्तिकर्ता सैमसंग सॉफ्टवेयर में शीर्षक, कॉपीराइट और अन्य बौद्धिक संपदा अधिकारों के मालिक हैं। सैमसंग सॉफ्टवेयर लाइसेंस प्राप्त है, बेचा नहीं जाता है।

सॉफ़्टवेयर के स्रोत कोड या एल्गोरिदम को विघटित करना, अलग करना या अन्यथा खोजने का प्रयास करना (केवल और केवल इस हद तक कि ऐसी गतिविधि को लागू होने वाले नियमों द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है)। इस सीमा के बावजूद कानून), या सॉफ्टवेयर की किसी भी विशेषता को संशोधित या अक्षम करें, या सॉफ्टवेयर के आधार पर व्युत्पन्न कार्य बनाएँ। आप सॉफ्टवेयर के साथ किराए पर, पट्टे पर, उधार, उप-लाइसेंस या वाणिज्यिक होस्टिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर सकते हैं। हो सकता है आप न करें।

इस ई. यू. एल. ए. या यहाँ दिए गए सैमसंग सॉफ्टवेयर के अधिकारों को किसी तीसरे पक्ष को तब तक हस्तांतरित करें जब तक कि यह उस मोबाइल उपकरण की बिक्री के संबंध में न हो जो सैमसंग सॉफ्टवेयर के साथ था। में। ऐसी स्थिति में, हस्तांतरण में सभी सैमसंग सॉफ़्टवेयर (सभी घटक भागों, मीडिया और मुद्रित सामग्री, किसी भी उन्नयन, इस ई. यू. एल. ए. सहित) शामिल होना चाहिए और आप सैमसंग सॉफ़्टवेयर की किसी भी प्रति को अपने पास नहीं रख सकते हैं। हस्तांतरण एक अप्रत्यक्ष हस्तांतरण नहीं हो सकता है, जैसे कि एक खेप। हस्तांतरण से पहले, सैमसंग सॉफ्टवेयर प्राप्त करने वाले अंतिम उपयोगकर्ता को सभी ई. यू. एल. ए. शर्तों से सहमत होना चाहिए। जहाँ सैमसंग मोबाइल उपकरण का उपयोग आपके कर्मचारी या अन्य व्यक्ति द्वारा सैमसंग मोबाइल उपकरण का उपयोग करते हुए किया जा रहा है

आपके उपक्रम ("आपका कर्मचारी") का हिस्सा, आपके कर्मचारी का वह सदस्य सैमसंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस प्राप्त है जैसे कि आप और

इन शर्तों का उसी आधार पर पालन करना होगा। आपके कर्मचारियों द्वारा इन शर्तों का पालन करने में विफलता को आपके द्वारा इन शर्तों का पालन करने में विफलता माना जाएगा।

XXX XXX XXX

7. निर्यात प्रतिबंध। आप स्वीकार करते हैं कि सैमसंग सॉफ्टवेयर विभिन्न देशों के निर्यात प्रतिबंधों के अधीन है। आप सैमसंग सॉफ्टवेयर पर लागू होने वाले सभी लागू अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिनमें शामिल हैं -

सभी लागू निर्यात प्रतिबंध कानून और विनियम।

(जोर दिया गया)

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

44. (ii) श्रेणी 2:

44. (ख) अ। कंप्यूटर कार्यक्रमों के एक विदेशी, अनिवासी आपूर्तिकर्ता, बी. एम. इंडिया, एक भारतीय वितरक/पुनर्विक्रेता, जिसके साथ सी. ए. सं. 2012 का संबंध है, सिंगापुर के बीच दिनांक 01.10.2004 के पुनर्विक्रेता समझौते में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शर्तें शामिल हैं:

" आईएमबी वितरण समझौता सामान्य शर्तें

1. परिभाषाएँ

आई. एम. बी. का अर्थ होगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मशीन निगम।

ग्राहक या तो एक अंतिम उपयोगकर्ता होता है या एक टिप्पणीकर्ता होता है। आप विपणन कर सकते हैं।

अंतिम उपयोगकर्ता या रीमार्केटर या दोनों।

अंतिम उपयोगकर्ता कोई भी व्यक्ति है, जो एक संबंधित कंपनी नहीं है, जो प्रोग्राम को अपने उपयोग के लिए प्राप्त करता है न कि पुनर्विक्रय के लिए।

कार्यक्रमों का अर्थ होगा सामग्री, दस्तावेजों या मशीन पढ़ने योग्य मीडिया पर लिखे गए, निहित या रिकॉर्ड किए गए निर्देश जो निष्पादित किए जाने में सक्षम हैं, या मशीन और सूचना प्रौद्योगिकी या उससे संबंधित डेटा के संचालन में उपयोग किए जाते हैं। इस शब्द में निर्देश, प्रलेखन, जानकारी या चुंबकीय टेप की रीलों पर दर्ज डेटा शामिल होंगे, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं। डिस्क, माइक्रोफिश कार्ड, और अन्य समान मीडिया, और लॉजिक मैनुअल, फ्लो चार्ट, परिचालन निर्देश गाइड, इंटरफेस विनिर्देश, विस्तृत सूची, अनुप्रयोग मैनुअल, संशोधन गाइड, संचालन निर्देश, कार्यात्मक विनिर्देश और डिजाइन विनिर्देश

ऐसी जानकारी, उपकरण या डेटा को धारण करने या उससे संबंधित। विशेष रूप से, कार्यक्रम शब्द में पर्यवेक्षक, मॉनिटर, ऑपरेटिंग सिस्टम, भाषा संकलन, रूपांतरण सहायता कार्यक्रम, सामान्य प्रयोजन उपयोगिताएँ, उद्योग शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

अनुप्रयोग कार्यक्रम और अन्य सामान्य प्रयोजन अनुप्रयोग

कार्यक्रम।

आई. एम. बी. कार्यक्रमों का अर्थ होगा आई. बी. एम. के पेटेंट या आई. एम. बी. के कॉपीराइट द्वारा संरक्षित कार्यक्रम, रीमार्केटर के अलावा या इसके अलावा।

पेटेंट और रिमार्केट, जिनका विपणन आई. एम. बी. या इसके द्वारा किया जाता है। सहायक "।

" 3. हमारा रिश्ता

जिम्मेदारियां

हम में से प्रत्येक इस बात से सहमत है:

1. आप एक स्वतंत्र ठेकेदार हैं और यह समझौता अनन्य नहीं है। हम दोनों में से कोई भी दूसरे का कानूनी प्रतिनिधि या कानूनी प्रतिनिधि नहीं है। हम दोनों में से कोई भी कानूनी रूप से दूसरे का भागीदार नहीं है (उदाहरण के लिए, हम में से कोई भी दूसरे द्वारा किए गए ऋणों के लिए जिम्मेदार नहीं है), और हम में से कोई भी दूसरे का कर्मचारी या मताधिकार नहीं है और न ही यह समझौता हमारे बीच संयुक्त उद्यम बनाता है।

XXX XXX XXX

5. हम किसी भी समय किसी कार्यक्रम को विपणन से वापस ले सकते हैं "" अन्य जिम्मेदारियाँ आप सहमत हैं:

XXX XXX XXX

उन्हें किसी भी तरह से परेशान करें। उदाहरण के लिए, आप अपना सामान नहीं बेच सकते हैं। हमारे कार्यक्रमों का विपणन करने की मंजूरी या ट्रेडमार्क का उपयोग करने के आपके अधिकार;

आप किसी भी पेटेंट नोटिस, कॉपीराइट नोटिस को किसी भी तरह से नहीं बदलेंगे, विरूपित नहीं करेंगे, हटाएंगे, ढकेंगे, विकृत नहीं करेंगे, या किसी भी तरह से जोड़ेंगे नहीं। ट्रेडमार्क, सेवा चिह्न, व्यापार नाम, क्रम संख्या, मॉडल संख्या, ब्रांड नाम या किंवदंती जिसे हम कार्यक्रमों के साथ संलग्न या संलग्न कर सकते हैं।

यदि कोई तीसरा पक्ष दावा करता है कि इस समझौते के तहत हम जो कार्यक्रम प्रदान करते हैं वह उस हिस्से के पेटेंट या कॉपीराइट का उल्लंघन करता है, तो हम अपने खर्च पर उस दावे के खिलाफ आपकी रक्षा करेंगे और सभी लागतों, नुकसान और वकील की फीस का भुगतान करेंगे जो एक अदालत अंततः प्रदान करती है, बशर्ते कि:

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

1. दावे के बारे में तुरंत हमें लिखित रूप में सूचित करें; और

2. हमें नियंत्रण करने दें, और रक्षा में हमारे साथ सहयोग करें और

कोई भी संबंधित समझौता वार्ता; "

" आप अपने ग्राहकों को उन कार्यक्रमों का विपणन कर सकते हैं जिन्हें हम बेचते हैं।

आप। हम समय-समय पर आपको कार्यक्रमों के प्रकारों के बारे में सूचित करेंगे। जो इस समझौते के तहत आपके द्वारा खरीदने के लिए उपलब्ध हैं। ये

अंतिम उपयोगकर्ताओं सहित वितरण के सभी तरीकों पर शर्तें लागू होती हैं।

और वितरकों, पुनर्विक्रेताओं, समाधान प्रदाताओं और प्रणालियों के माध्यम से इंटीग्रेटर्स "।

(जोर दिया गया)

44. (ii) बी। ई. यू. एल. ए. दिनांक 01.07.2019, सी. ए. सं. 4419/में शामिल है।

निवासी भारतीय उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का लाइसेंस प्रदान करना

आई. बी. एम. इंडिया के माध्यम से भारत में वितरित या वितरित, में शामिल हैं

विंग शर्तें:

" 1. परिभाषाएँ और व्याख्याएँ

1.1 इस समझौते में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा आवश्यकता न हो,

निम्नलिखित शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:

" अधिकृत उपयोग "-निर्दिष्ट स्तर जिस पर लाइसेंसधारी है कार्यक्रम को निष्पादित करने या चलाने के लिए अधिकृत। वह स्तर हो सकता है

उपयोगकर्ताओं की संख्या, लाखों सेवा इकाइयों ("एम. एस. यू".) द्वारा मापा जाता है, प्रक्रमक मूल्य इकाइयाँ ("पी. वी. यू".), या निर्दिष्ट उपयोग के अन्य स्तर

आईबीएम द्वारा।

जानकारी और किसी कार्यक्रम के लिए विशिष्ट कोई भी अतिरिक्त शर्तें। " कार्यक्रम "-निम्नलिखित, जिसमें मूल और सभी संपूर्ण या

आंशिक प्रतियाँः

1) मशीन-पठनीय निर्देश और डेटा,

2) घटकों, फाइलों और मॉड्यूल 3) ऑडियो-दृश्य सामग्री (जैसे चित्र, पाठ, रिकॉर्डिंग, या

चित्र), 4) संबंधित लाइसेंस प्राप्त सामग्री (जैसे कुंजी और प्रलेखन)। "[2021] 2 एस. सी. आर.

" 2. लाइसेंस अनुदान

कॉपीराइट और लाइसेंस प्राप्त, बेचा नहीं गया। लाइसेंसधारी को लाइसेंस प्राप्त होता है आई. बी. एम. और एसिमिल 8 लिमिटेड के बीच एक उप-अनुज्ञप्ति समझौते के माध्यम से एसिमिल 8 लिमिटेड के कार्यक्रम। एसिमिल 8 लिमिटेड लाइसेंसधारी को एक गैर-विशिष्ट लाइसेंस प्रदान करता है

1) में निर्दिष्ट अधिकृत उपयोग तक कार्यक्रम का उपयोग करें

पो.

2) इस तरह के अधिकृत उपयोग का समर्थन करने के लिए प्रतियां बनाएं और स्थापित करें, और

3) बैक-अप प्रतिलिपि बनाएँ, बशर्ते कि

ए। लाइसेंसधारी ने कानूनी रूप से कार्यक्रम प्राप्त किया है और अनुपालन करता है समझौते की शर्तों के साथ;

बी। बैक-अप प्रतिलिपि तब तक निष्पादित नहीं होती जब तक कि बैक-अप न हो।

कार्यक्रम निष्पादित नहीं कर सकता है

सी। अनुज्ञप्तिधारी सभी प्रतिलिप्याधिकार सूचनाओं और अन्य को पुनः प्रस्तुत करता है। प्रत्येक प्रति पर स्वामित्व की किंवदंतियाँ, या आंशिक प्रति

डी। ई. लाइसेंसधारी ऐसा नहीं करता है:

1) कार्यक्रम का उपयोग, प्रतिलिपि, संशोधन या वितरण सिवाय

2) उल्टा संयोजन, उल्टा संकलन, अन्यथा प्रोग्राम को ट्रांसलेट या रिवर्स इंजीनियर करें, सिवाय इसके कि

बिना संभावना के कानून द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई

अनुबंध छूट;

3) कार्यक्रम के किसी भी घटक, फ़ाइलों, मॉड्यूल का उपयोग करें,

ऑडियो-विजुअल सामग्री, या संबंधित लाइसेंस प्राप्त सामग्री

उस कार्यक्रम से अलग; या

4) उप-लाइसेंस, किराया, या कार्यक्रम को पट्टे पर देना; "

(जोर दिया गया)

44. (iii) श्रेणी 3:

माइक्रोसॉफ्ट आई. एन. ई. आर. आई. एन. ई. आर. आई. एन. एल. एस. आई. एस. सी. सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी. द्वारा निवासी भारतीय अंत-उपयोगकर्ताओं को बेचे जाने वाले माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर उत्पादों के साथ मानक-रूप ई. यू. एल. ए.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

निगम, एक अनिवासी, विदेशी विक्रेता में निम्नलिखित शामिल हैं:

" 1. लाइसेंस का अनुदान: ई. यू. एल. ए. आपको निम्नलिखित अनुदान देता है: अधिकार:

ए। सिस्टम सॉफ्टवेयर -

आप सॉफ्टवेयर उत्पाद की एक प्रति को एकल कंप्यूटर पर स्थापित और उपयोग कर सकते हैं, जिसमें वर्कस्टेशन, टर्मिनल या अन्य डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ("कंप्यूटर") शामिल हैं। आप एकल कंप्यूटर से जुड़ने के लिए अधिकतम पाँच (5) कंप्यूटरों की अनुमति दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर उत्पाद चलाने वाला कंप्यूटर केवल सॉफ्टवेयर उत्पाद की इंटरनेट कनेक्शन साझाकरण सुविधा का उपयोग करके इंटरनेट का उपयोग करने के लिए है। हो सकता है कि आप इसकी अनुमति न दें।

सॉफ्टवेयर उत्पाद के किसी भी अन्य घटक का उपयोग करने के लिए जुड़े हुए कंप्यूटर, और न ही अनुप्रयोग साझाकरण का आह्वान करने के लिए नीचे वर्णित है। उन पाँचों

(5) कनेक्शन अधिकतम में सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर के माध्यम से बनाए गए कोई भी अप्रत्यक्ष कनेक्शन शामिल हैं जो पूल या एग्रीगेट करते हैं। कनेक्शन।

बी। भंडारण/संजाल उपयोग -

आप सॉफ़्टवेयर उत्पाद की एक प्रति भंडारण उपकरण पर भी संग्रहीत या स्थापित कर सकते हैं, जैसे कि एक नेटवर्क सर्वर, जिसका उपयोग आपके दूसरे उपकरण पर सॉफ़्टवेयर उत्पाद को स्थापित करने या चलाने के लिए किया जाता है।

एक आंतरिक नेटवर्क पर कंप्यूटर; हालाँकि, आपको प्रत्येक अलग कंप्यूटर के लिए एक लाइसेंस प्राप्त करना और चलाना होगा या जिससे सॉफ़्टवेयर उत्पाद स्थापित किया गया है, उपयोग किया गया है, एक्सेस किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, या किसी भी संख्या में कंप्यूटरों को छोड़ दिया गया है जो सॉफ़्टवेयर उत्पाद की फ़ाइल और प्रिंट सेवाओं और सहकर्मी वेब सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं या अन्यथा उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा, आप सॉफ्टवेयर की "मल्टीपल डिस्प्ले" सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

रिवर्स इंजीनियरिंग, विघटन पर सीमाएँ और पृथक्करण-आप सॉफ्टवेयर उत्पाद को रिवर्स इंजीनियर, डीकंपाइल या विच्छेदन नहीं कर सकते हैं, सिवाय और केवल सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के।

एस सी आर।

इस हद तक कि इस तरह की गतिविधि को लागू करने के लिए स्पष्ट रूप से अनुमति है

इस सीमा के बावजूद कानून "।

" 4. प्रतिलिपि अधिकार-सभी शीर्षक और बौद्धिक संपदा अधिकार और

सॉफ्टवेयर उत्पाद (जिसमें कोई भी शामिल है लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है)

छवियाँ, तस्वीरें, एनिमेशन, वीडियो, ऑडियो, संगीत, पाठ और

" ऐपलेट "सॉफ्टवेयर उत्पाद में शामिल),

मुद्रित सामग्री, और किसी भी प्रतियों के साथ सॉफ्टवेयर उत्पाद माइक्रोसॉफ्ट या उसके आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में हैं।

सामग्री में और उसके लिए सभी शीर्षक और बौद्धिक संपदा अधिकार

सॉफ्टवेयर उत्पाद में निहित नहीं है, लेकिन इसके माध्यम से पहुँचा जा सकता है

सॉफ्टवेयर उत्पाद का उपयोग, संबंधित की संपत्ति है

सामग्री के मालिक और लागू कॉपीराइट द्वारा संरक्षित हो सकते हैं या

अन्य बौद्धिक संपदा कानून और संधियाँ। यह ईयूएलए अनुदान देता है

आपको ऐसी सामग्री का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। स्पष्ट रूप से नहीं दिए गए सभी अधिकार

माइक्रोसॉफ्ट द्वारा आरक्षित हैं। "

" 6. बैक कप कॉपी-एक प्रति की स्थापना के बाद

इस ई. यू. एल. ए. के अनुसार सॉफ्टवेयर उत्पाद, आप रख सकते हैं

मूल मीडिया जिस पर सॉफ्टवेयर उत्पाद था

केवल बैकअप या अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट द्वारा प्रदान किया गया। अगर

सॉफ्टवेयर उत्पाद का उपयोग करने के लिए मूल मीडिया की आवश्यकता होती है

सॉफ्टवेयर उत्पाद या मुद्रित सामग्री की प्रतियां सॉफ्टवेयर उत्पाद के साथ "

(जोर दिया गया)

44. (iv) श्रेणी 4 एक निवासी भारतीय कंपनी के बीच आपूर्ति अनुबंध (दिनांकित नहीं), ओबाइल्स लिमिटेड, और एक स्वीडिश आपूर्तिकर्ता, एरिक्सन रेडियो सिस्टम्स ए. बी. सी. ए. सं. में मोबाइल टेलीफोन प्रणाली की आपूर्ति। 6386 2016 , सॉफ्टवेयर लाइसेंस के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं:

" 20. लाइसेंस

20.1 इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन

अनुच्छेद 20, लाइसेंस, जे. टी. मोबाइल को एतद्द्वारा गैर-लाइसेंस प्रदान किया जाता है।

सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए अनन्य प्रतिबंधित लाइसेंस और प्रलेखन, लेकिन केवल जे. टी. मोबाइल के अपने संचालन और उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र के लिए।

इस अनुबंध के अनुसार प्रणाली का रखरखाव, और अन्यथा नहीं।

20.2 इसके विपरीत इस अनुबंध के बावजूद, यह समझा जाता है कि जे. टी. मोबाइल को सॉफ्टवेयर या प्रलेखन का कोई शीर्षक या स्वामित्व अधिकार नहीं मिलता है, और ऐसे सभी अधिकार ठेकेदार या उसके आपूर्तिकर्ताओं के पास रहेंगे।

20.3 जे. टी. मोबाइल इस बात से सहमत है कि सॉफ्टवेयर या

इस अनुबंध के तहत ठेकेदार द्वारा उसे प्रदान किया गया प्रलेखन या उसके किसी भी नवीनीकरण, विस्तार या विस्तार को, जैसा कि यहां के पक्षों के बीच है, ठेकेदार या उसके आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व और व्यापार रहस्य के रूप में माना जाएगा, और अनुच्छेद 30, गोपनीयता के प्रावधानों के अधीन होगा।

20.4 पूर्वगामी जे. टी. मोबाइल के अनुसरण में निम्नलिखित होगाः

क) सॉफ्टवेयर या प्रलेखन या उसके किसी भी भाग या पहलू (किसी भी तरीके या उसमें उपयोग की गई या व्यक्त की गई अवधारणाओं सहित) को उपलब्ध नहीं कराएगा या उपलब्ध नहीं कराएगा। "जानने की आवश्यकता" पर
अपने कर्मचारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति

आधार;

बी) अभिलेखीय बैकअप उद्देश्यों को छोड़कर, सॉफ़्टवेयर या प्रलेखन या उसके कुछ हिस्सों की कोई प्रतियां नहीं बनाना;
ग) जब अनुमत प्रतियां प्रतियों में उपरोक्त हस्तांतरण के रूप में की जाती हैं/किसी भी कॉपीराइट या अन्य अंकन की प्रतियां

सॉफ्टवेयर या प्रलेखन।

घ) इस अनुच्छेद 20, लाइसेंस या बिक्री में अनुमति के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए सॉफ्टवेयर या प्रलेखन का उपयोग न करें।

या किसी भी तरह से अपने कब्जे के साथ अलग या आंशिक रूप से।

ङ) ठेकेदार की लिखित सहमति के बिना और संबंधित अधिकारियों से आवश्यक निर्यात या पुनः निर्यात परमिट प्राप्त करने के बाद सॉफ्टवेयर और/या प्रलेखन का उपयोग या हस्तांतरण भारत के बाहर न करें।

20.5 जे. टी. मोबाइल और जे. टी. मोबाइल के किसी भी उत्तराधिकारी को हार्डवेयर या हार्डवेयर के हिस्से के लिए इस लाइसेंस को स्थानांतरित करने का अधिकार ठेकेदार की आगे की सहमति के बिना होगा।

किसी तीसरे पक्ष को जो प्रणाली का अधिग्रहण करता है, बशर्ते कि ऐसा कोई तीसरा पक्ष सभी शर्तों का पालन करने के लिए लिखित रूप में सहमत हो और

इस लाइसेंस की शर्तें।

20.6 . इस अनुच्छेद के तहत जे. टी. मोबाइल के दायित्व

20 , लाइसेंस, इस समाप्ति या समाप्ति से बचेगा।

किसी भी कारण से अनुबंध।

20.7 इस अनुबंध के तहत लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर है

समान नियमों और शर्तों पर जे. टी. मोबाइल की कार्यक्षमता जैसा कि इस अनुबंध में निर्धारित किया गया है लेकिन कीमत नहीं।

(जोर दिया गया)

45. उपरोक्त वितरण समझौते को पढ़ने से पता चलेगा कि

यह निर्धारित किया गया है कि कंप्यूटर प्रोग्राम में कोई भी कॉपीराइट न तो वितरक को या अंतिम उपयोगकर्ता को हस्तांतरित किया जाता है। इसे यह कहते हुए और बढ़ाया जाता है कि कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने के अधिकार के अलावा अंत-उपयोगकर्ता स्वयं, उप-लाइसेंस या हस्तांतरण का कोई और अधिकार नहीं है, और न ही अंतिम-उपयोगकर्ता को लाइसेंस द्वारा अनुमति दिए जाने के अलावा किसी भी तरह से रिवर्स-इंजीनियर, संशोधन, पुनरुत्पादन का कोई अधिकार है। इसलिए, भारत में वितरक द्वारा विदेशी, अनिवासी निर्माता या आपूर्तिकर्ता को विचार के रूप में जो भुगतान किया जाता है, वह कंप्यूटर प्रोग्राम की वस्तु के रूप में कीमत है, या तो उस माध्यम में जो सॉफ्टवेयर को संग्रहीत करता है या किसी अन्य माध्यम में।

एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर एम्बेड किया जाता है, जिसे वितरक द्वारा भारत में अंतिम उपयोगकर्ता को फिर से बेचा जा सकता है, वितरक इस तरह के पुनर्विक्रय पर लाभ कमा रहा है। महत्वपूर्ण बात यह है कि वितरक को उत्पाद का उपयोग करने का अधिकार बिल्कुल नहीं मिलता है।

46. जब अंत की बात आती है-उपयोगकर्ता जिसे सीधे कंप्यूटर बेचा जाता है

प्रोग्राम, ऐसा अंतिम उपयोगकर्ता केवल अंतिम उपयोगकर्ता के स्वामित्व वाले कंप्यूटर हार्डवेयर में स्थापित करके इसका उपयोग कर सकता है और ई. यू. एल. ए. द्वारा लगाई गई शर्तों के विपरीत, किसी भी तरह से बिक्री या हस्तांतरण के लिए इसे पुनः उत्पन्न नहीं कर सकता है।

47. इन सभी मामलों में, "लाइसेंस" जो ई. यू. एल. ए. द्वारा दिया जाता है,

यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में लाइसेंस नहीं है, जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में निहित सभी या किसी भी अधिकार में ब्याज हस्तांतरित करता है, बल्कि एक "लाइसेंस" है जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए प्रतिबंध या शर्तें लगाता है।

अतः इसे उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र नहीं कहा जा सकता। आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कि हम जिन ई. यू. एल. ए. से संबंधित हैं, उनमें से कोई भी कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के लिए संदर्भित है, क्योंकि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित किसी भी अधिकार में ब्याज देने की बात करती है। हमारे समक्ष सभी अपीलों में ई. यू. एल. ए. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को पुनः प्रस्तुत करने का कोई अधिकार या ब्याज, कम से कम, प्रदान नहीं करता है। वास्तव में, इस तरह के पुनरुत्पादन को स्पष्ट रूप से बाधित किया जाता है, और यह भी स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि कॉपीराइट का कोई भी अवशेष वितरक या अंतिम उपयोगकर्ता को हस्तांतरित नहीं किया जाता है। उपरोक्त स्थिति को समझाने के लिए एक सरल चित्रण पर्याप्त होगा। यदि कोई अंग्रेजी प्रकाशक किसी विशेष पुस्तक की 2000 प्रतियां किसी भारतीय वितरक को बेचता है, जो फिर उसे लाभ पर फिर से बेचता है, तो कोई कॉपीराइट नहीं है।

उपरोक्त पुस्तक में भारतीय वितरक को या तो लाइसेंस के माध्यम से या अन्यथा हस्तांतरित किया जाता है, क्योंकि भारतीय वितरक केवल प्रत्येक पुस्तक की बिक्री पर लाभ कमाता है। महत्वपूर्ण रूप से, भारतीय वितरक को उपरोक्त पुस्तक को पुनः प्रस्तुत करने और फिर उसकी प्रतियां बेचने का कोई अधिकार नहीं है। दूसरी ओर, यदि कोई अंग्रेजी प्रकाशक उसी पुस्तक को किसी भारतीय प्रकाशक को बेचता है, तो इस बार लेखक की अनुमति से उपरोक्त पुस्तक के पुनरुत्पादन और प्रतियां बनाने के अधिकार के साथ, यह कहा जा सकता है कि पुस्तक में कॉपीराइट लाइसेंस के माध्यम से या अन्यथा स्थानांतरित किया गया है, और भारतीय प्रकाशक इसके लिए क्या भुगतान करेगा, पुस्तक को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार, जिसे लाइसेंस द्वारा उल्लिखित क्षेत्र में पुस्तक को पुनः प्रस्तुत करने के विशेष अधिकार के लिए रॉयल्टी के रूप में वर्णित किया जा सकता है।

48. इस संबंध में इस न्यायालय का एक निर्देशात्मक निर्णय भारतीय स्टेट बैंक बनाम में पाया जाता है। सीमा शुल्क कलेक्टर, (2000) 1 एससीसी 727। इस मामले में भारतीय स्टेट बैंक ने एक खेप का आयात किया

किंडल सॉफ्टवेयर लिमिटेड, डबलिन, आयरलैंड से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और नियमावली की खरीद और घरेलू उपभोग के लिए सामान को मंजूरी दी, और सीमा शुल्क की वापसी का दावा करते हुए सीमा शुल्क के अतिरिक्त कलेक्टर के समक्ष एक आवेदन दायर किया। सीमा शुल्क अधिनियम 1962 की धारा 14 और सीमा शुल्क मूल्यांकन (आयातित वस्तुओं के मूल्य का निर्धारण) नियम, 1988 के नियम 9 (1) (सी) को निर्धारित करने के बाद, न्यायालय ने कहा:

" 9. अब, यदि हम नियम 9 (1) (सी) से संबंधित व्याख्यात्मक नोट का उल्लेख करते हैं, तो यह कहता है कि रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क में अन्य बातों के अलावा, पेटेंट, ट्रेडमार्क और अन्य के संबंध में भुगतान शामिल हो सकते हैं। प्रतिलिप्याधिकार। हालांकि, एक अपवाद है जो कहता है कि आयात के देश में आयातित वस्तुओं को पुनः पेश करने के अधिकार के लिए शुल्क को सीमा शुल्क मूल्य निर्धारित करने में आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा।

आयातित वस्तुओं के वितरण या पुनर्विक्रय के अधिकार के लिए खरीदार द्वारा किए गए आगे के भुगतान को आयातित वस्तुओं के लिए वास्तव में भुगतान या देय मूल्य में नहीं जोड़ा जाएगा यदि ऐसा भुगतान आयात के देश को निर्यात के लिए बिक्री की शर्त नहीं है।

आयातित वस्तुएँ।

XXX XXX XXX

11. अब हमें यह देखना है कि क्या समझौते के तहत एस. बी. आई.

आयातित सॉफ्टवेयर को पुनः प्रस्तुत करने का अधिकार और उस उद्देश्य के लिए एस. बी. आई. ने "रॉयल्टी और लाइसेंस शुल्क" का भुगतान किया है जो सहायता केंद्र नामक प्रमुख स्थान पर उपयोग के लिए आयातित सॉफ्टवेयर के लिए वास्तव में भुगतान की गई कीमत में जोड़ा गया है। यदि ऐसा है तो प्रेस नोट के तहत इस तरह से भुगतान की गई रॉयल्टी पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगाया जाता है। यह हमें समझौते की प्रासंगिक शर्तों पर ले जाता है जो

यह इंगित करें कि क्या रॉयल्टी/लाइसेंस शुल्क की आवश्यकता है या नहीं

आयातित वस्तुओं के मूल्य में शामिल किया जाए।

49. भारतीय स्टेट बैंक का यह तर्क कि उसके द्वारा रॉयल्टी के माध्यम से भुगतान किया गया देशव्यापी सी. ई. शुल्क सामान के पुनः उत्पादन के लिए था और इस प्रकार इसे सीमा शुल्क से छूट दी गई थी, खारिज कर दिया गया।

न्यायालय इस प्रकार है:

" 17. विचार के लिए जो सवाल उठता है वह यह है कि क्या दूसरे चालान में सॉफ्टवेयर के देशव्यापी उपयोग के लिए लिया गया लाइसेंस शुल्क पुनरुत्पादन के अधिकार के लिए शुल्क हो सकता है और

सामान। समझौते के तहत प्रतिलिपि बनाना, भंडारण, हटाना आदि किंडल के सख्त नियंत्रण में हैं और सभी प्रतियां संपत्ति हैं। किंडल का। एस. बी. आई. सॉफ्टवेयर का उपयोग केवल अपनी आंतरिक आवश्यकताओं के लिए कर सकता है। एस. बी. आई. को अपनी शाखाओं में किंडल की संपत्ति का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया गया है, न कि सॉफ्टवेयर के पुनरुत्पादन के लिए, जैसा कि आई. एन. ई. आर. आई. एन. ए. एल. आई. एस. आई. सी. सी. सी

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एस. बी. आई. द्वारा। समझौते में शब्द विशिष्ट हैं कि "एस. बी. आई.

अनुज्ञप्तिग्राही को प्रारंभिक अनुज्ञप्ति शुल्क और आवर्ती अनुज्ञप्ति का भुगतान करें

इस समझौते के प्रावधानों के तहत उपयोग के लिए शुल्क "।

समग्र रूप से लेन-देन देखा जाना चाहिए। प्रेस नोट से कोई मदद नहीं मिली। एस. बी. आई. को। नियम 9 (1) (सी) और उसके व्याख्यात्मक नोट में ऐसा नहीं था

लागू करें क्योंकि वास्तव में भुगतान की गई कीमत में कुछ भी नहीं जोड़ा गया था

रॉयल्टी आदि के माध्यम से आयातित वस्तुएँ। धन वापसी की अनुमति होगी।

अपने आप में पूर्ण। दूसरा चालान इसके साथ दाखिल नहीं किया गया था प्रवेश का बिल। दूसरे चालान में भी यह लाइसेंस शुल्क है

देश भर में उपयोग करने का अधिकार और इसे पुनः उत्पन्न करने का अधिकार नहीं है

एस. बी. आई. द्वारा दावा किया गया। समझौते की अनुसूची I मॉड्यूल और प्रतियां हैं।

एस. बी. आई. द्वारा सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए विभिन्न तरीके हैं। प्रतिबंध। अगर हम फिर से समझौते के खंड 6 का उल्लेख करते हैं

एस. बी. आई. पर पूर्ण प्रतिबंध है जो कहता है कि एस. बी. आई. उपयोग नहीं करेगा, प्रिंट नहीं करेगा,

सॉफ्टवेयर या प्रलेखन को पूरी तरह से कॉपी, पुनः पेश या प्रकट करें।

या आंशिक रूप से सिवाय समझौते द्वारा स्पष्ट रूप से अनुमति दी गई है और न ही

एस. बी. आई. पूर्वगामी में से किसी को भी अनुमति देगा। एस. बी. आई. पर भी प्रतिबंध है।

इसके सॉफ़्टवेयर या प्रलेखन तक पहुँच की अनुमति देना सिवाय इसके कि क्या है समझौते के तहत अनुमति। फिर से एस. बी. आई. को बेचने से रोक दिया गया है,

सॉफ्टवेयर या प्रलेखन को चार्ज करना या अन्यथा बनाना

समझौता। समझौते के खंड 6.5 में कहा गया है कि एस. बी. आई. किडल द्वारा आपूर्ति किए गए सॉफ़्टवेयर की प्रतिलिपि या प्रतिलिपि बनाने की अनुमति नहीं

लाइसेंस साइटों पर डिलीवरी के लिए सख्ती से आवश्यक बचत करें। द.

समझौते की शर्तें प्रतियों पर भी लागू होती हैं।

(जोर दिया गया)

हालांकि यह फैसला सीमा शुल्क अधिनियम के तहत दिया गया है।

, फिर भी अधिकार के बीच किया गया महत्वपूर्ण अंतर

ड्यूस और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार को मान्यता दी गई है

न्याय है। जबकि पूर्व एक विभाजन के बराबर होगा

उसके मालिक द्वारा, बाद वाला ऐसा नहीं करेगा।

51. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर द्वारा एक तर्क प्रस्तुत किया गया था

कि वनों से घिरे कुछ ई. यू. एल. ए. में यह स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

21] 2 एस सी आर।

कि गैर-निवासी, विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरक/अंतिम उपयोगकर्ता को जो लाइसेंस दिया गया था, वह बिक्री के बराबर नहीं होगा, जिससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि जो हस्तांतरित किया गया था वह माल नहीं था। इस तर्क में खड़े होने के लिए कोई पैर नहीं हैं। यह तय किया गया कानून है कि ऐसे सभी मामलों में, समझौते को समग्र रूप से पढ़ने पर लेन-देन की वास्तविक प्रकृति को देखा जाना चाहिए। इस प्रकार, सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड बनाम। केरल राज्य, (1966) 2 एस. सी. आर. 828, इस न्यायालय के समक्ष उठाए गए प्रश्नों में से एक वाहन की बिक्री को स्वीकार करने वाले "बिक्री पत्र" के निष्पादन के बारे में था। इस "बिक्री पत्र" पर न्यायालय ने इस प्रकार विचार किया:

" अपीलार्थी वित्तदाता हैं और उनका काम आगे बढ़ना है।

वाहनों की प्रतिभूति पर अनुकूल शर्तों पर ऋण। यह है।

अग्रिम राशि, और एक किराया-खरीद समझौता जो प्रदान करता है राशि की वसूली के लिए एक तंत्र। यह सच है कि एक "बिक्री"

ग्राहक से पत्र प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसके लिए विचार किया जाता है

बिक्री पत्र केवल विक्रेता को देय शेष राशि है,

वाहन की कीमत पर क्रेडिट देने के बाद भुगतान की गई राशि

उल्लेख करें कि ऋण की मांग की जाती है और प्रतिभूति पर दिया जाता है मोटर-किराया-खरीद समझौते के तहत वाहन। यह वह है

ग्राहक जो वाहन का बीमा करता है, और मोटर की पुस्तकों में

अपीलार्थियों की सहमति से वह वाहन प्राधिकरण बना रहता है,

गाड़ी का मालिक। स्वीकृति के लिए अनुचित महत्व

"बिक्री पत्र" में बिक्री और बिल में और में बिक्री का पाठ

इसलिए रसीद संलग्न नहीं की जा सकती है। ये दस्तावेज

“ बिक्री पत्र, बिल और रसीद को आवेदन के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

वाहनों की प्रतिभूति पर ऋण देने के लिए, पत्र में

जिसे ग्राहक अपीलार्थियों से शेष राशि का भुगतान करने का अनुरोध करता है उसके द्वारा विक्रेता, वचनदाता को भुगतान की जाने वाली शेष कीमत

उस राशि के लिए उसके द्वारा निष्पादित नोट, बीमा करने का वचन

वाहन, और मोटर वाहन प्राधिकरणों को सूचना

किराया-खरीद समझौते पर ध्यान दें।

(पृष्ठ 839)

" लेन-देन का वास्तविक प्रभाव निर्धारित किया जा सकता है

आसपास के आलोक में विचार किए गए समझौते की शर्तें

परिस्थितियाँ। प्रत्येक मामले में, न्यायालय ने, जब तक कि द्वारा निषिद्ध नहीं है कानून, दस्तावेजों के पीछे जाने और विशिष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के आंतरिक विश्लेषण केंद्र को निर्धारित करने की शक्ति।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लेन-देन की प्रकृति, चाहे दस्तावेज़ों का रूप कुछ भी हो। माल का एक मालिक जो पूरी तरह से माल पहुँचाने का इरादा रखता है या माल पहुँचाने के लिए स्वीकार करता है और बाद में

किराया-खरीद समझौते के तहत उन्हें काम पर रखने का उद्देश्य यह साबित करना नहीं है कि वास्तविक सौदा माल की प्रतिभूति पर ऋण था। यदि दस्तावेजों द्वारा प्रमाणित वस्तुओं की प्रामाणिक और पूर्ण बिक्री, विक्रेता को बाद में और विशिष्ट रूप से काम पर रखने से पहले और स्वतंत्र है, तो लेनदेन को ऋण लेनदेन के रूप में नहीं माना जा सकता है, भले ही इसका कारण धन जुटाना था। यदि वास्तविक लेन-देन माल की जब्ती के अधिकार द्वारा सुरक्षित धन का ऋण है, तो संपत्ति जाहिरा तौर पर लेन-देन को दर्शाने वाले दस्तावेजों के तहत गुजरती है, लेकिन किराए पर लेने के समझौते की शर्तों के अधीन है, जो खरीदार के स्वामित्व का हिस्सा बन जाता है, और जब्त करने का लाइसेंस प्रदान करता है। जब कोई व्यक्ति सामान खरीदने की इच्छा रखता है और उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो वह किसी तीसरे व्यक्ति से आवश्यक राशि उधार लेता है।

और इसे विक्रेता को भुगतान करता है, ग्राहक और ऋणदाता के बीच लेनदेन निर्विवाद रूप से एक ऋण लेनदेन होगा। लेन-देन का वास्तविक स्वरूप नहीं बदला जाएगा यदि ऋणदाता स्वयं माल का मालिक है और मालिक स्वीकार करता है खरीदार द्वारा माल की डिलीवरी के लिए देय कीमत या शेष राशि का भुगतान करने का वादा। लेकिन एक किराया-खरीद समझौता एक अधिक जटिल लेनदेन है। किराया-खरीद समझौते के तहत मालिक समझौते में निर्धारित नियमों और शर्तों पर माल को किराए पर लेने का लेनदेन करता है, और सभी भुगतान पर ग्राहक द्वारा प्रयोग करने योग्य खरीद का विकल्प देता है।

किराया की किश्तें तब आती हैं जब किश्तों का भुगतान किया जाता है न कि पहले। इस तरह के किराया-खरीद समझौते में सामान खरीदने के लिए कोई समझौता नहीं है; किराएदार के पास खरीदने के लिए कोई कानूनी दायित्व नहीं होने के कारण, या तो सामान वापस करने का विकल्प होता है या निर्धारित किराए और विकल्प का उपयोग करने के लिए कीमत का पूरा भुगतान करके उसका मालिक बनने का विकल्प होता है। किराया-खरीद समझौतों के इस वर्ग को उन लेनदेनों से अलग किया जाना चाहिए जिनमें ग्राहक माल का मालिक होता है और अपनी खरीद के वित्तपोषण की दृष्टि से वह एक ऐसी व्यवस्था करता है जो फाइनेंसर के साथ किराया-खरीद समझौते के रूप में होती है, लेकिन सार में एक ऋण लेनदेन का प्रमाण देता है, जो एक किराया समझौते के अधीन होता है जिसके तहत ऋणदाता को माल जब्त करने का लाइसेंस दिया जाता है।

(पृष्ठ 841-842)

(जोर दिया गया)

21] 2 एस सी आर।

" इन सिद्धांतों के आलोक में अपीलार्थियों के लेन-देन की वास्तविक प्रकृति अब बताई जा सकती है। अपीलार्थी वित्तपोषकों का कार्य कर रहे हैं: वे मोटर-वाहनों में सौदा नहीं कर रहे हैं। ग्राहक द्वारा खरीदे गए मोटर-वाहन में पंजीकृत है ग्राहक का नाम और सभी भौतिक समय पर बना रहता है

उनके नाम पर पंजीकृत। ग्राहक से लिए गए पत्र में जिसके तहत ग्राहक वाहन का बीमा कराने के लिए सहमत होता है, यह स्पष्ट रूप से पढ़ा जाता है कि वाहन को अपीलकर्ताओं द्वारा दिए गए ऋण के लिए प्रतिभूति के रूप में दिया गया है। ऋण के पुनर्भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में, ग्राहक वाहन के विक्रेता को अपीलकर्ताओं द्वारा भुगतान की गई राशि के लिए एक वचन पत्र निष्पादित करता है। तथाकथित " बिक्री पत्र एक औपचारिक दस्तावेज है जिसे अपीलकर्ताओं के नाम पर वाहन को पंजीकृत करके प्रभावी नहीं बनाया जाता है और यहां तक कि वाहन का बीमा भी इस तरह से किया जाता है जैसे कि ग्राहक ही मालिक हो। वाहन को जब्त करने का उनका अधिकार केवल किराया-खरीद समझौते की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए एक लाइसेंस है। ग्राहक दुनिया में मालिक बना रहता है और

वाचाओं को अधिकार में बने रहने का अधिकार है। किराया-खरीद की शर्तों के तहत अपीलार्थियों को देय राशि का भुगतान करके उनके अधिकार को समाप्त किया जा सकता है। भुगतान के लिए निर्धारित तिथियों से पहले भी समझौता। द.

समझौते में निस्संदेह कई भारी वाचाएँ शामिल हैं, लेकिन उन सभी का उद्देश्य अपीलार्थी को अग्रिम राशि की वसूली सुनिश्चित करना है। तदनुसार हमारा विचार है कि किराया-खरीद और संबद्ध समझौतों को प्राप्त करने में अपीलकर्ताओं का इरादा अपने ग्राहकों को दिए गए ऋणों की वापसी सुनिश्चित करना था, और ग्राहक द्वारा अपीलकर्ताओं को वाहन की कोई वास्तविक बिक्री का इरादा नहीं था। लेन-देन केवल वित्तपोषण था। लेनदेन "।

(पृष्ठ 844)

52. हमारे समक्ष अपीलों में लेन-देन की वास्तविक प्रकृति के बारे में कोई संदेह नहीं हो सकता है। विदेशी, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता द्वारा वितरक को जो "अनुज्ञापत्र" दिया जाता है और निवासी अंत-उपयोगकर्ता को फिर से बेचा जाता है, या सीधे निवासी अंत-उपयोगकर्ता को आपूर्ति की जाती है, वह वास्तव में एक भौतिक वस्तु की बिक्री है जिसमें एक अंतर्निहित कंप्यूटर प्रोग्राम होता है, और इसलिए, एक

माल की बिक्री, जिसे, जैसा कि निर्धारिती के विद्वान वकील द्वारा सही ढंग से इंगित किया गया है, इस न्यायालय द्वारा उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र के संदर्भ में घोषित कानून है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम में एक बिक्री कर क़ानून। ए. पी. राज्य, 2005 (1) एस. सी. सी. 308 (पैराग्राफ 27 देखें)।

दोहरा कर लगाने की योग्यता

अस्वीकृति समझौते की शर्तें

53. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने एक को फिर से खोलने की मांग की

जी. ई. प्रौद्योगिकी (उपरोक्त) में मुकदमे के पहले दौर में राजस्व द्वारा किया गया विवाद जिसके कारण इस न्यायालय ने कानून का प्रश्न तैयार किया और "गुण-दोष पर" निर्णय लेने के लिए इसे उच्च न्यायालय में वापस भेज दिया। उन्होंने विशेष रूप से भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 30 के आधार पर तर्क देना चाहा कि

इन मामलों में डी. टी. ए. ए. के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे, क्योंकि आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत टी. डी. एस. की कटौती से संबंधित प्रावधान कर को बिल्कुल भी संदर्भित नहीं करते हैं, लेकिन वे कटौती हैं जो कर का आकलन करने से पहले की जानी हैं। उन्होंने तर्क दिया कि ये कटौती कर के स्वरूप को बिल्कुल भी शामिल नहीं करती हैं, आयकर अधिनियम की धारा 195 "किसी भी व्यक्ति के भुगतान करने के लिए जिम्मेदार" की बात करती है, जबकि "निर्धारिती" के विपरीत। इसलिए उन्होंने आयकर अधिनियम की धारा 9 और धारा 195 में उपयोग की गई भाषा के बीच अंतर किया और तर्क दिया कि धारा 195 के तहत की गई कटौती, बिल्कुल भी कर की प्रकृति में नहीं है और चूक करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति से पहले के स्तर पर, और चूक में निर्धारिती घोषित होने पर (आयकर अधिनियम की धारा 201 के तहत), डीटीएए के प्रावधान बिल्कुल भी लागू नहीं होंगे।

54. इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा 9 उन व्यक्तियों को संदर्भित करती है जो गैर-निवासी हैं और अपनी आय पर आय के रूप में कर लगाते हैं।

जो भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाता है, इस प्रकार, ऐसे व्यक्ति बनाते हैं आयकर अधिनियम के तहत निर्धारिती, जो कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 में वर्णित "भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" एक गैर-निवासी निर्धारिती नहीं है, बल्कि एक व्यक्ति है

भारत में निवासी, जो आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत कटौती करने के लिए उत्तरदायी है जब उसके द्वारा अनिवासी निर्धारिती को भुगतान किया जाता है। विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के प्रस्तुतिकरण का उत्तर जी. ई. प्रौद्योगिकी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के निर्णय द्वारा दिया जाता है। आयकर अधिनियम की धारा 195 को निर्धारित करने के बाद इस फैसले में कहा गया:

" 8. धारा 195 (1) में सबसे महत्वपूर्ण अभिव्यक्ति में अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य शब्द शामिल हैं। गैर-निवासी को ब्याज या कोई अन्य राशि का भुगतान करने वाला व्यक्ति कर

की कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं है यदि ऐसी राशि आईटी अधिनियम के तहत कर के लिए प्रभार्य नहीं है। उदाहरण के लिए, जहां दाता की ओर से कोई बाध्यता नहीं है और प्राप्तकर्ता द्वारा राशि प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है और [2021] 2 एस. सी. आर.

भुगतान दाता और प्राप्तकर्ता के बीच किसी अनुबंध या दायित्व से उत्पन्न नहीं होता है, लेकिन स्वेच्छा से किया जाता है, इस तरह के भुगतान को आई. टी. अधिनियम के तहत आय नहीं माना जा सकता है।

9. यह ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 195 में न केवल राशियों पर विचार किया गया है, जो पूरी तरह से शुद्ध आय भुगतान हैं, बल्कि इसमें समग्र भुगतान भी शामिल हैं जिनमें आय का एक तत्व होता है।

उनमें अंतर्निहित या शामिल किया गया। इस प्रकार, जहां एक गैर-निवासी को कोई राशि देय है, भुगतानकर्ता ऐसे समग्र भुगतानों के संबंध में टी. ए. एस. की कटौती करने के लिए बाध्य है। के प्रति दायित्व

हालांकि, टी. ए. एस. की कटौती सकल राशि के हिस्से के रूप में अधिनियम के तहत प्रभार्य आय के उचित अनुपात तक सीमित है।

गैर-निवासी को देय धन। आय के उचित अनुपात तक सीमित होने के कारण यह दायित्व इन शब्दों से प्रवाहित होता है। धारा 195 (1) में प्रयुक्त, अर्थात्, "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य"। यही कारण है कि सीबीडीटी के परिपत्र संख्या 728 में स्पष्ट किया गया है कि कर कटौतीकर्ता टीएएस की कटौती करते समय रॉयल्टी और तकनीकी शुल्क के भुगतान के संबंध में डीटीएए के प्रभाव को ध्यान में रख सकता है। यह भी ध्यान दिया जा सकता है कि धारा 195 (1) 1922 के अधिनियम की धारा 18 (3 बी) के समान है।

XXX XXX XXX

11. धारा 195 (2) का दायरा तय करते समय यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जिस कर की स्रोत पर कटौती की आवश्यकता होती है, वह केवल प्रभार्य राशि में से कटौती योग्य है। यह धारा 195 का अंतर्निहित सिद्धांत है। इसलिए, धारा 9 (1) के अलावा, धारा 4,5,9,90,91 के साथ-साथ डी. टी. ए. ए. के प्रावधान भी स्रोत प्रावधानों पर कर कटौती को लागू करते समय प्रासंगिक हैं।

XXX XXX XXX

फिर हम धारा 195 (1) में "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" शब्दों को मिटा रहे हैं। धारा 195 (1) में उक्त अभिव्यक्ति से पता चलता है कि प्रेषण एक व्यापारिक रसीद का होना चाहिए, जिसका पूरा या हिस्सा भारत में कर के लिए उत्तरदायी है। भुगतानकर्ता केवल तभी टी. ए. एस. काटने के लिए बाध्य है जब कर भारत में आकलन योग्य हो। यदि कर इतना आकलन योग्य नहीं है, तो टी. ए. एस. की कटौती का कोई सवाल ही नहीं है। (विजय शिप ब्रेकिंग कॉर्प को देखें। वी. सीआईटी [(2010) 10 एससीसी 39: (2009) 314 आईटीआर 309]।)

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अध्याय XVII के विभिन्न प्रावधानों में अलग-अलग अभिव्यक्तियों का उपयोग पाया जाता है, हालांकि, "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य राशि" अभिव्यक्ति का उपयोग केवल धारा 195 में किया गया है। उदाहरण के लिए, धारा 194-सी "किसी भी निवासी को भुगतान की गई किसी भी राशि" के संबंध में टी. ए. एस. में कटौती करने का दायित्व डालती है। इसी तरह, धारा 194-EE और 194-F अन्य बातों के साथ-साथ निर्दिष्ट प्रावधानों में निर्दिष्ट "किसी भी राशि" के संबंध में कर की कटौती का प्रावधान करती है। किसी भी प्रावधान में हम "राशि" अभिव्यक्ति को इसके तहत प्रभार्य नहीं पाते हैं। अधिनियम के प्रावधान, जो ऊपर बताए गए हैं, केवल धारा 195 (1) में उपयोग की जाने वाली एक अभिव्यक्ति है। इसलिए, इस न्यायालय से उक्त अभिव्यक्ति को अर्थ और प्रभाव देने की आवश्यकता है। यह इस प्रकार है,

इसलिए, कि टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व केवल तभी उत्पन्न होता है जब अधिनियम के तहत प्रभार्य राशि होती है।

XXX XXX XXX

18. यदि विभाग का तर्क है कि कोई व्यक्ति

गैर-निवासी को भुगतान अनिवार्य रूप से टी. ए. एस. की कटौती करने के लिए आवश्यक है, तो परिणाम यह होगा कि विभाग दाता द्वारा जमा किए गए धन को उपयुक्त बनाने का हकदार होगा, भले ही भुगतान की गई राशि कर के लिए प्रभार्य नहीं है क्योंकि आई. टी. अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसके द्वारा भुगतानकर्ता धनवापसी प्राप्त कर सके। धारा 199 के साथ पठित धारा 237 का तात्पर्य है कि केवल राशि का प्राप्तकर्ता यानी प्राप्तकर्ता ही धनवापसी की मांग कर सकता है। इसलिए, यदि विभाग सही है, तो कानून के अनुसार सभी भुगतानों पर कर की कटौती की आवश्यकता है। इसलिए, भुगतानकर्ता को कर की कटौती और भुगतान करना पड़ता है, भले ही तथाकथित कटौती उसकी अपनी जेब से हो और उसके पास कोई उपाय न हो, भले ही उसके द्वारा भुगतान की गई राशि अधिनियम के तहत प्रभार्य राशि न हो। इसलिए विभाग की व्याख्या में न केवल "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य" शब्दों को हटाने की आवश्यकता है, बल्कि यह एक बेतुका परिणाम भी देता है। विभाग द्वारा दी गई व्याख्या के परिणामस्वरूप ऐसी स्थिति पैदा होगी जब आय का भारत के साथ कोई क्षेत्रीय संबंध नहीं है या भारत में प्रभार्य नहीं है, फिर भी सरकार कर एकत्र करेगी। हमारे विचार में, धारा 195 (2) एक उपाय प्रदान करती है जिसके द्वारा एक व्यक्ति ऐसी राशि के उचित अनुपात का निर्धारण कर सकता है ताकि [2021] 2 एस. सी. आर.

प्रभार्य "जहाँ इस प्रकार प्रभार्य राशि का एक अनुपात उत्तरदायी है

कर लगाने के लिए।

20. हम इन विवादों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। जैसा कि ऊपर कहा गया है, धारा 195 (1) "अधिनियम के प्रावधानों के तहत प्रभार्य राशि" अभिव्यक्ति का उपयोग करती है। हमें उन शब्दों को महत्व देने की आवश्यकता है। इसके अलावा, धारा 195 में "दाता" शब्द का उपयोग किया गया है न कि शब्द का। " मूल्यांकनकर्ता "। दाता निर्धारिती नहीं है। भुगतानकर्ता निर्धारिती-इन-डिफॉल्ट तभी बन जाता है जब वह वैधानिक प्रावधानों को पूरा करने में विफल रहता है।

धारा 195 (1) के तहत दायित्व। यदि भुगतान में आय का तत्व नहीं है तो दाता को उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है। उसे निर्धारिती घोषित नहीं किया जा सकता है। 21. विभाग का उपर्युक्त तर्क एक आशंका पर आधारित है जो निराधार है। भुगतानकर्ता आई. टी. अधिनियम के सामान्य प्रावधानों के तहत एक निर्धारिती भी है। जब भुगतानकर्ता भारत से बाहर किसी गैर-निवासी को राशि भेजता है तो वह आयकर अधिनियम के तहत कटौती या भत्तों का दावा करता है।

"व्यय" के रूप में राशि। धारा 40 (ए) (आई) के तहत, वित्त अधिनियम, 1988 डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-1989 के माध्यम से अंत:स्थापित, के संबंध में भुगतान

और जाँच करने पर यदि एओ को पता चलता है कि भारत के बाहर प्रेषित राशि रॉयल्टी या तकनीकी सेवा के लिए शुल्क या आईटी अधिनियम के तहत प्रभार्य अन्य राशियों की परिभाषा के भीतर आती है, तो एओ के लिए कटौती के लिए इस तरह के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। इसी तरह, वित्त अधिनियम, 2008 के अनुसार डब्ल्यू. ई. एफ. 1-4-2008 उप-धारा (6) को धारा 195 में जोड़ा गया है जिसमें भुगतान करने वाले को जानकारी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। बोर्ड द्वारा विहित प्रपत्र और रीति से किसी राशि के भुगतान से संबंधित। यह प्रावधान केवल 1-4-2008 से लागू होता है। यह उस अवधि के लिए लागू नहीं होगा जिसके साथ हम अपने सामने इन मामलों में चिंतित हैं।

इसलिए, हमारे विचार में, उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का आंतरिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिनियम में पर्याप्त सुरक्षा उपाय हैं जो राजस्व रिसाव को रोकेंगे। XXX XXX XXX

24. हमारे विचार में, धारा 195 (2) "आनुपातिकता के सिद्धांत" पर आधारित है। उक्त उप-धारा केवल उन मामलों में आकर्षित होती है जहां किया गया भुगतान एक समग्र भुगतान है जिसमें

भुगतान के निश्चित अनुपात में "आय" का एक तत्व होता है।

भारत में कर से प्रभार्य। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा: (पारेषण निगम। मामला [(1999) 7 एस. सी. सी. 266: (1999) 239 आईटीआर 587], एससीसी पी। 274 , पैरा 10)

भुगतान करना। उसे (टी. डी. एस.) दायित्व का निर्वहन करना होगा। (जोर दिया गया)

पारेषण निगम। मामला [(1999) 7 एस. सी. सी. 266: (1999) 239 आई. टी. आर. 587] जिसे इटैलिक में रखा गया है, पूरी तरह से, सम्मान के साथ, कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गलत अर्थ निकाले जाने का अर्थ यह है कि भुगतानकर्ता के लिए यह तर्क देना खुला नहीं है कि यदि उसके द्वारा अनिवासी को भुगतान की गई राशि "भारत में कर के लिए प्रभार्य" नहीं है, तो ऐसे भुगतान से किसी भी टी. ए. एस. की कटौती की आवश्यकता नहीं है। उच्च न्यायालय की यह व्याख्या इन सरल शब्दों की दृष्टि पूरी तरह से खो देती है -

धारा 195 (1) जो स्पष्ट रूप से यह बताती है कि स्रोत पर कर केवल आई. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत "प्रभार्य राशियों" से कटौती योग्य है, यानी आई. टी. अधिनियम की धारा 4,5 और 9 के तहत प्रभार्य है।

25. निष्कर्ष निकालने से पहले हम स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्तमान मामले में तथ्यों पर आईटीओ (टीडीएस) ने यह विचार रखा था कि चूंकि संबंधित सॉफ्टवेयर की बिक्री में उसी का उपयोग करने का लाइसेंस शामिल था, इसलिए

अपीलार्थी (ओं) द्वारा विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को किया गया भुगतान "रॉयल्टी" का गठन करता था जिसे भारत में अर्जित या उत्पन्न माना जाता था और इसलिए, टी. ए. एस. [2021] 2 एस. सी. आर. की धारा 195 (1) के तहत कटौती के लिए उत्तरदायी था।

अधिनियम। आईटीओ (टीडीएस) के उक्त निष्कर्ष को सीआईटी (ए) द्वारा बरकरार रखा गया था।

हालांकि, दूसरी अपील में, आई. टी. ए. टी. ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को दी गई ऐसी राशि "रॉयल्टी" नहीं है और इससे किसी भी "आय" पर कर नहीं लगता है।

भारत और इसलिए, अपीलार्थी टी. ए. एस. में कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। हालांकि, उच्च न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर गौर नहीं किया और यह सीधे इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि जिस क्षण प्रेषण होता है, टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व उत्पन्न होता है, जो दृष्टिकोण इसके द्वारा खड़ा है।

खारिज कर दिया "।

55. जी. ई. प्रौद्योगिकी (ऊपर) में निर्णय से क्या स्पष्ट किया गया है

तथ्य यह है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 (1) में उल्लिखित "व्यक्ति" केवल तभी आवश्यक कटौती करने के लिए उत्तरदायी है जब गैर-निवासी आयकर अधिनियम के तहत एक निर्धारिती के रूप में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और अन्यथा नहीं। यह निर्णय सीबीडीटी परिपत्र No.728 दिनांक 30.10.1995 का उल्लेख करने के बाद यह भी स्पष्ट करता है कि कर कटौतीकर्ता को इस पर विचार करना चाहिए।

डी. टी. ए. ए. प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करें। इसलिए, महत्वपूर्ण कड़ी यह है कि कटौती केवल तभी की जानी चाहिए जब अनिवासी निर्धारिती द्वारा कर का भुगतान किया जाए, जो इस निर्णय द्वारा रेखांकित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयकर अधिनियम की धारा 9 और 195 में निहित प्रभार और मशीनरी के प्रावधान आपस में जुड़े हुए हैं।

56. यह निष्कर्ष वोडाफोन इंटरनेशनल में भी प्रतिध्वनित होता है।

होल्डिंग्स बीवी वी। भारत संघ, (2012) 6 एस. सी. सी. 613, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 195 के दायरे और प्रयोज्यता पर निम्नलिखित टिप्पणियां की गई थीं:

" 171. धारा 195 दाता पर गैर-निवासियों को किए गए भुगतानों से स्रोत पर कर (संक्षेप में "टी. ए. एस".) की कटौती करने का दायित्व डालती है, जिन पर कर लगाया जाता है। इस तरह का भुगतान करना आवश्यक है

इसमें आय का एक तत्व निहित है जो भारत में कर के लिए प्रभार्य है। यदि भुगतानकर्ता द्वारा भुगतान या जमा की गई राशि कर के लिए प्रभार्य नहीं है तो कर की कटौती करने की कोई बाध्यता नहीं

होगी। भारत के बाहर निगमित कंपनियों में हिस्सेदारी (सी. जी. पी.) भारत के बाहर स्थित संपत्ति है। जहां ऐसे शेयर दो गैर-निवासियों के बीच अपतटीय हस्तांतरण का विषय बन जाते हैं, वहां पूंजीगत लाभ कर के लिए कोई देयता नहीं होती है। ऐसे मामले में, कटौती का सवाल

टी. ए. एस. का उदय नहीं होगा।

172. यदि कानूनी रूप से भुगतान की जिम्मेदारी एक गैर-निवासी पर है, तो यह तथ्य कि भुगतान, गैर-निवासी के निर्देश के तहत, भारत में उसके एजेंट/नामांकित व्यक्ति या उसके पीई/शाखा कार्यालय इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र को किया गया था।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

धारा 195 के तहत भुगतान करने वाले को उसके दायित्व से मुक्त नहीं करेगा

टी. ए. एस. काट लें। धारा 195 (1) किसी भी राशि का भुगतान करने वाले पर शुल्क लगाती है।

टी. ए. एस. जब तक कि ऐसा दाता स्वयं उस पर आयकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी न हो प्राप्तकर्ता के एजेंट के रूप में। धारा 201 में कहा गया है कि यदि ऐसा व्यक्ति

टी. ए. एस. की कटौती करने में विफल रहने पर उसे निर्धारिती माना जाएगा। कर की कटौती योग्य राशि के संबंध में चूक (धारा 201)।

173. कर कटौती की देयता "मूल्यांकन" से अलग है।

अधिनियम। इस प्रकार, वह व्यक्ति जिस पर टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व है

कास्ट वह व्यक्ति नहीं है जिसने आय अर्जित की है। मूल्यांकन

टी. ए. एस. की कटौती करने का दायित्व उत्पन्न होने के बाद किया जाना है। वस्तु।

धारा 195 का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि गैर-निवासी व्यक्तियों को देय कर जल्द से जल्द सुरक्षित किया जाता है ताकि कोई कठिनाई न हो

बाद में नियमित निर्धारण के समय कर के संग्रह में।

(जोर दिया गया)

57. बेतुका परिणाम जो भारत में निवासी, बनाने के बाद

कटौती/भुगतान, तब नियमित मूल्यांकन होने पर धनवापसी के माध्यम से किया गया कोई अतिरिक्त भुगतान प्राप्त नहीं करेगा, क्योंकि अकेले अनिवासी निर्धारिती इस तरह के धनवापसी का हकदार होगा, जीई प्रौद्योगिकी (उपरोक्त) में निर्णय के पैराग्राफ 18 में भी बताया गया है। इन सब को ध्यान में रखते हुए इस न्यायालय ने तब कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांक 24.09.2009 के फैसले को दरकिनार कर दिया और

"गुण-दोष पर" प्रश्न के निर्णय के लिए उच्च न्यायालय में मामला, अर्थात इस एकमात्र प्रश्न पर कि क्या आई. टी. ए. टी. यह अभिनिर्धारित करने में उचित था कि अपीलकर्ताओं द्वारा विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान की गई राशि रॉयल्टी के बराबर नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप, टी. डी. एस. में कटौती करने का कोई दायित्व उत्पन्न नहीं हुआ।

58. अन्यथा भी, भारत के अनुच्छेद 12 (2) पर एक नज़र-सिंगापुर

डी. टी. ए. ए. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के उपरोक्त प्रस्तुतिकरण की भ्रांति को प्रदर्शित करेगा। भारत सिंगापुर डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 (2) के तहत, रॉयल्टी पर उस संविदाकारी राज्य (भारत) में कर लगाया जा सकता है जिसमें वे उत्पन्न होते हैं और उस संविदाकारी राज्य (भारतीय कानूनों) के कानूनों के अनुसार, यदि प्राप्तकर्ता रॉयल्टी का लाभकारी मालिक है, और इस तरह से लगाया जाने वाला कर 10 प्रतिशत या 15 प्रतिशत की दर से सीमित है। यदि विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अपनी प्रस्तुति में सही है, क्योंकि डी. टी. ए. ए. तब लागू नहीं होगा, तो भारत में रॉयल्टी पर आयकर अधिनियम में उल्लिखित दर पर कर लगाया जाएगा जो डी. टी. ए. ए. दर से बहुत अधिक हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप, "जिम्मेदार व्यक्ति" द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत की गई कटौती [2021] 2 एस. सी. आर. होगी।

यह उस कर की तुलना में बहुत अधिक राशि का अनुपात होना चाहिए जो अंततः अनिवासी निर्धारिती द्वारा देय है। इस समान रूप से बेतुके परिणाम को इस तथ्य को देखते हुए स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि कर की कटौती के लिए उत्तरदायी व्यक्ति केवल और सबसे पहले कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है यदि गैर-निवासी व्यक्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है, और दूसरा, यदि ऐसा उत्तरदायी है, तो डी. टी. ए. ए. में उल्लिखित दर के आधार पर कर की कटौती के लिए उत्तरदायी है।

59. इसके अलावा, एक विशिष्ट डी. टी. ए. ए. के एक लेख, अर्थात् भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 30 को संदर्भ से बाहर फाड़ना, ताकि उसके अधिकार को मजबूत किया जा सके।

प्रस्तुतिकरण, उस प्रावधान के पीछे के वास्तविक तर्क से बहुत दूर, हमारे लिए स्वयं की प्रशंसा नहीं करता है।

59. i) भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. का अनुच्छेद 30,

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पढ़ता है:

" 1. प्रत्येक संविदाकारी राज्य इस समझौते को लागू करने के लिए अपनी-अपनी कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने पर राजनयिक माध्यमों के माध्यम से दूसरे संविदाकारी राज्य को लिखित रूप में सूचित करेगा।

2. कन्वेंशन ऐसी अधिसूचनाओं के बाद की तारीख से लागू होगा और इसके प्रावधान प्रभावी होंगे:

((a) संयुक्त राज्य अमेरिका में

(i) स्रोत पर रोके गए करों के संबंध में, अगले जनवरी के पहले दिन या उसके बाद भुगतान की गई या जमा की गई राशि के लिए।

उस तारीख को जिस पर कन्वेंशन लागू होता है;

((ख) अन्य करों के संबंध में, उस तारीख के बाद जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाली कर योग्य अवधि के लिए जिस दिन कन्वेंशन लागू होता है; और

(ख) भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें कन्वेंशन लागू होता है।

59. (ii) इसके विपरीत, दोनों देशों के बीच समझौते के तहत

दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और नीदरलैंड साम्राज्य आय और पूंजी पर कर, 3 2 ["भारत-नीदरलैंड डी. टी. ए. ए"], अनुच्छेद 29 में कहा गया है:

" 1. प्रत्येक राज्य दूसरे को लागू करने के लिए अपने कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने के बारे में सूचित करेगा -

32 अधिसूचना सं। जीएसआर 382 (ई), दिनांक 27-3-1989, अधिसूचना सं. एस. ओ. 693 (ई), दिनांक 30-8-1999।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह समझौता। यह समझौता लागू होगा -

उन तिथियों के बाद के तीसवें दिन जिन पर संबंधित

अपने-अपने राज्यों में संवैधानिक रूप से आवश्यक है इसका अनुपालन किया गया और इसके प्रावधानों का प्रभाव होगाः

(क) नीदरलैंड में कर योग्य वर्षों और शुरू होने वाली अवधि के लिए

कैलेंडर के बाद जनवरी के पहले दिन या उसके बाद

जिस वर्ष बाद की अधिसूचना दी जाती है;

((b) भारत में किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद से

कैलेंडर वर्ष जिसमें अधिसूचनाओं में से बाद वाला दिया जाता है।

2. पैराग्राफ 1 के प्रावधानों के बावजूद, प्रावधान

अनुच्छेद 8 का प्रभाव होगाः

(क) नीदरलैंड में कर योग्य वर्षों और शुरू होने वाली अवधि के लिए

जनवरी, 1987 के पहले दिन या उसके बाद;
((b) भारत में किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में

अप्रैल, 1987 के पहले दिन या उसके बाद से।"

59. iii) जापान सरकार के बीच समझौते के तहत

दोहरे से बचने के लिए भारत गणराज्य की सरकार

करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम

एनई, 3 3 ["भारत-जापान डीटीएए"] अनुच्छेद 28 निम्नलिखित में निर्धारित किया गया है।:

" 1. इस कन्वेंशन की पुष्टि की जाएगी और इसके साधन

टोक्यो में जल्द से जल्द अनुसमर्थन किया जाएगा।

2. यह कन्वेंशन इसके तीसवें दिन से लागू होगा। अनुसमर्थन के उपकरणों के आदान-प्रदान की तारीख और

प्रभाव पड़ता है:

(क) जापान में: अगले कैलेंडर वर्ष के जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष के लिए आय के संबंध में जिसके बाद यह समझौता लागू होता है; और

((b) भारत में किसी भी 'पिछले वर्ष' की आय के संबंध में

कैलेंडर वर्ष के अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद इसके बाद जिसमें यह कन्वेंशन लागू होता है।

फिक्शन: नहीं। जी. एस. आर. 101 (ई), दिनांक 1-3-1990, अधिसूचना संख्या द्वारा संशोधित। SO), दिनांक 16-8-2000 (w.r.e.f। 1-10-1999), SO 1136 (E), दिनांक 19-7-2006, w.r.e.f। 2006 और SO 2528 (E), दिनांक 8-10-2008, W. E. F. 1-10-2008।

21] 2 एस सी आर।

3. जापान और भारत के बीच इनसे बचने के लिए समझौता

नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय पर करों के संबंध में दोहरा कराधान

5 जनवरी, 1960 को दिल्ली उस आय के संबंध में समाप्त हो जाएगी और उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, जिसके लिए यह कन्वेंशन निम्नलिखित के तहत लागू होता है:

पैराग्राफ 2 के प्रावधान।

59. (iv) सरकार के बीच समझौते के तहत

दोहरे कराधान से बचने और आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड की यूनाइटेड किंगडम की सरकार, 3 4 ["भारत-यूके डी. टी. ए. ए".] अनुच्छेद 30 निम्नानुसार है:

(1) संविदाकारी राज्यों में से प्रत्येक दूसरे को लागू करने के लिए अपने कानून द्वारा आवश्यक प्रक्रियाओं के पूरा होने की सूचना देगा। इस समझौते को लागू करने के लिए। इस समझौते में प्रवेश किया जाएगा

इन अधिसूचनाओं के बाद की तारीख को लागू करें और

इसके बाद प्रभाव पड़ता है:

(क) यूनाइटेड किंगडम में:

((ख) निगम कर के संबंध में, 1 अप्रैल को या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए, उसके बाद के कैलेंडर वर्ष में जिसमें बाद की अधिसूचनाएं दी जाती हैं; ((iii) कैलेंडर में 1 जनवरी या उसके बाद शुरू होने वाली किसी भी प्रभार्य अवधि के लिए पेट्रोलियम राजस्व कर के संबंध में

अगले वर्ष जिसमें बाद की अधिसूचनाएँ

दिया जाता है;

(ख) भारत में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी वित्तीय वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें बाद की अधिसूचनाएं दी जाती हैं।

(2) इस अनुच्छेद के पैराग्राफ (3) के प्रावधानों के अधीन, यूनाइटेड किंगडम की सरकार के बीच समझौता ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड और भारत सरकार

दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय सुधार की रोकथाम के लिए

34 जीएसआर 91 (ई), दिनांक 11-2-1994, अधिसूचना संख्या 10/2014 [एफ. नं. 505/1986 एफ. टी. डी.-I], दिनांक 10-2-2014।

16 अप्रैल 1981 को नई दिल्ली में हस्ताक्षरित आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में चोरी (जिसे इसके बाद "1981 कन्वेंशन" के रूप में संदर्भित किया गया है) समाप्त हो जाएगी और उस तारीख से प्रभावी नहीं होगी जिस दिन यह कन्वेंशन उन करों के संबंध में प्रभावी है जिन पर यह कन्वेंशन लागू होता है। इस अनुच्छेद के
अनुच्छेद (1) के प्रावधान।

(3) जहाँ 1981 के कन्वेंशन के किसी भी प्रावधान ने इस के तहत देय कर से अधिक राहत दी होगी। कन्वेंशन के अनुसार ,
उपरोक्त किसी भी प्रावधान का प्रभाव बना रहेगाः (क) यूनाइटेड किंगडम में, मूल्यांकन या वित्तीय वर्ष के किसी भी वर्ष के लिए; और (ख) भारत में, किसी भी वित्तीय वर्ष के लिए;

किसी भी मामले में, इस कन्वेंशन के लागू होने से पहले।

59. v) भारत गणराज्य की सरकार और जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौते का अनुच्छेद 28

आय पर करों और कर चोरी और बचाव की रोकथाम के संबंध में दोहरे कराधान के उन्मूलन के लिए चीन, 3 5 ["भारत चीन डी. टी. ए. ए".], को फिर से अलग तरीके से लिखा गया है, जो इस प्रकार हैः

" यह समझौता उस तारीख के तीसवें दिन से लागू होगा जिस दिन इस समझौते के लागू होने के लिए प्रत्येक देश में आवश्यक आंतरिक कानूनी प्रक्रियाओं के पूरा होने का संकेत देने वाले राजनयिक नोटों का आदान-प्रदान किया गया है। यह समझौता

प्रभाव पड़ेगाः

(क) चीन में, उस कैलेंडर वर्ष के बाद जनवरी के पहले दिन या उसके बाद शुरू होने वाले किसी भी कर योग्य वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में जिसमें यह समझौता लागू होता है;

(ख) भारत में, किसी भी पिछले वर्ष में उत्पन्न होने वाली आय के संबंध में

जिस कैलेंडर वर्ष में यह समझौता लागू होता है, उसके बाद अप्रैल के पहले दिन या उसके बाद शुरू होता है।

60. जाहिर है, भारत के अनुच्छेद 30-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए. के पीछे का तर्क यू. एस. ए. के नगरपालिका कराधान कानूनों से जुड़े कारणों के लिए है, और है

आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए व्यक्तियों के दायित्व को नियंत्रित करने वाले भारतीय नगरपालिका कानून से कोई लेना-देना नहीं है। इसे इस तथ्य से बल मिलता है कि अनुच्छेद 30 और 31 पर ओ. ई. सी. डी. की टिप्पणी इस तथ्य को स्वीकार करती है कि

आय पर ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन के बाकी प्रावधानों के विपरीत "लागू होने वाले प्रावधान"

35 अधिसूचना सं। जीएसआर 331 (ई), दिनांक 5-4-1995, अधिसूचना सं. एस. ओ. 2562 (ई) [No.54/2019/एफ. नं. 503 / 02 / 2008 - एफ. टी. डी.-II], दिनांक 17-7-2019।

और पूंजी पर, संविदाकारी राज्यों के घरेलू कानूनों पर निर्भर करता है, जो इस प्रकार है:

सेना और सेना में प्रवेश पर विचार करना
कन्वेंशन की समाप्ति

XXX XXX XXX

3. यह संविदाकारी राज्यों के लिए इस बात पर सहमत होने के लिए खुला है कि संधि इसके बाद एक निर्दिष्ट अवधि बीत जाने पर यह लागू होगा।

अनुसमर्थन के उपकरणों का आदान-प्रदान या उसके बाद

इस तरह के प्रवेश के लिए आवश्यक।
4. उस तारीख तक कोई प्रावधान तैयार नहीं किया गया है जिस पर

कन्वेंशन का प्रभाव होगा या उसका प्रभाव समाप्त हो जाएगा, क्योंकि

प्रावधान काफी हद तक घरेलू कानूनों पर निर्भर करेंगे

संबंधित संविदाकारी राज्य। कुछ राज्य कर का आकलन करते हैं

जो कैलेंडर वर्ष से भिन्न होता है। इसके अलावा कुछ
पर कटौती द्वारा लगाए गए करों के संबंध में सम्मेलन प्रदान करते हैं

स्रोत, आवेदन या समाप्ति के लिए एक तारीख जो अलग है

निर्धारण द्वारा लगाए गए करों पर लागू होने की तारीख से।

(जोर दिया
गया)

61. इन सभी कारणों से, हम अतिरिक्त शिक्षा की अनुमति नहीं देते हैं।

सॉलिसिटर जनरल भारत के अनुच्छेद 30 के आधार पर उनके द्वारा दिए गए सरल तर्क के माध्यम से, उसी चेरी पर दूसरा काटने के लिए

अमेरिका डी. टी. ए. ए.

डी. टी. ए. ए. एस. विज़-ए-विज़ में रॉयल्टी की परिभाषा

62. यह पता लगाने के लिए कि क्या प्रश्न पूछा गया था

इस न्यायालय द्वारा जी. ई. प्रौद्योगिकी (उपरोक्त) में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा दिनांकित 15.10.2011 के विवादित निर्णय के माध्यम से सही उत्तर दिया गया था, 36 पहली अभिव्यक्ति जिस पर हमें विचार करना है वह है "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति।

63. सबसे पहले यह देखा जाएगा कि भारत का अनुच्छेद 12 कब

सिंगापुर डी. टी. ए. ए. ने इसके उप-अनुच्छेद (3) में "रॉयल्टी" शब्द को परिभाषित किया है,

36 सी. आई. टी वी. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, (2012) 345 आईटीआर 494।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह यह कहते हुए ऐसा करता है कि ऐसी परिभाषा संपूर्ण है-यह अभिव्यक्ति "साधन" का उपयोग करता है। दूसरा, "रॉयल्टी" शब्द किसी भी प्रकार के भुगतान को संदर्भित करता है जो किसी साहित्यिक कार्य में किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए विचार के रूप में प्राप्त किया जाता है। इसके विपरीत, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 में निहित परिभाषा कम से कम तीन मामलों में व्यापक है:

यह "विचार" की बात करता है, लेकिन इसमें एक गांठ भी शामिल है।

आई.

ऐसा प्रतिफल जो "पूंजीगत लाभ" शीर्ष के तहत प्रभार्य प्राप्तकर्ता की आय के बराबर नहीं होगा;
जब यह "सभी या किसी भी अधिकार" के हस्तांतरण की बात करता है, तो यह

ii.

स्पष्ट रूप से इसके संबंध में लाइसेंस देना शामिल है;

और
इसमें कहा गया है कि इस तरह का हस्तांतरण किसी के संबंध में होना चाहिए।

iii.

किसी भी साहित्यिक कार्य का कॉपीराइट।

64. हालाँकि, जहाँ ऐसा हस्तांतरण "के संबंध में" है, वहाँ भी

कॉपीराइट, कॉपीराइट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण आयकर की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 के तहत एक अनिवार्य शर्त है।

एक्ट करें। संक्षेप में, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) के साथ पठित धारा 14 (बी) में उल्लिखित सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण लाइसेंस के माध्यम से या अन्यथा होना चाहिए।

65. मद्रास राज्य बनाम। स्वास्तिक तंबाकू कारखाना, (1966) 3

एस. सी. आर. 79, इस न्यायालय ने नियम में उपयोग किए गए "के संबंध में" शब्दों का अर्थ निकाला। 5 (1) (i) मद्रास सामान्य बिक्री कर (परिवर्त्तन और मूल्यांकन) नियम 1939, निम्नानुसार है:

" अंतर्देशीय राजस्व आयुक्तों में हाउस ऑफ लॉर्ड्स v. कॉट्स एंड कंपनी [(1963) 2 सभी ई. आर. 722,732] ने संपत्ति शुल्क के भुगतान के संदर्भ में, वित्त अधिनियम, 1894 (57 और

58 विक्ट, सी.) की धारा 5 (2) में "के संबंध में" शब्दों का अर्थ लगाया। 30) और देखा कि वाक्यांश संपत्ति के बीच कुछ अस्पष्ट प्रकार के संबंध को दर्शाता है

और संपत्ति शुल्क। आशेर बनाम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सीफोर्ड

" श्रेय योग्य "। बिचेर लिमिटेड में प्रिवी काउंसिल v. सी. आई. टी. [(1962) 3 सभी ई. आर. 295] ने पाया कि उक्त शब्दों का अर्थ इससे अधिक हो सकता है। " जिसमें "या" अर्थात् "शामिल हैं।

अन्य निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। यह स्वीकार किया जा सकता है

कि उक्त अभिव्यक्ति को एक व्यापक व्याख्या मिली, जिसमें

प्रावधानों के उद्देश्य और उस व्यवस्था के संबंध में जिसमें

कहे गए शब्द सामने आए। दूसरी ओर, भारतीय कर कानून का उपयोग करते हैं

अभिव्यक्ति के पर्याय के रूप में "के संबंध में" अभिव्यक्ति

" पर ": भारत के संविधान का अनुच्छेद 288 देखें;

भारतीय आयकर अधिनियम, 1922; धारा 3 (2) और 3 (5), द्वितीय मद्रास सामान्य बिक्री कर अधिनियम, 1939 का प्रावधान; धारा 3 (1)

ए) केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 की धारा 9 और

केरल बिक्री कर अधिनियम। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि

उक्त प्रावधानों का अर्थ लगाया, लेकिन केवल उन्हें संदर्भित किया है

विधायी प्रथा का वर्णन कीजिए। उक्त प्रथा के अनुरूप,

नियमों के नियम 5 (1) (i) में एक ही अभिव्यक्ति का उपयोग किया गया है। जब

उक्त नियम कहता है "माल के संबंध में भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क", निर्दिष्ट उत्पाद शुल्क धारा 3 (1) के तहत भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क है,

केंद्रीय राजकोष और नमक अधिनियम, 1944 की अनुसूची के साथ पढ़ें।

(1 1944)। उक्त धारा के तहत, अनुसूची के साथ पढ़ें, उत्पाद शुल्क

अनुसूची में उल्लिखित माल पर भुगतान किया गया शुल्क। कर्तव्य के रूप में सकल कारोबार से छूट के तहत इस तरह से भुगतान किया गया शुल्क है

केंद्रीय अधिनियम, अनुसूची के साथ पढ़ा जाता है, अभिव्यक्ति "संबंध में"

इस संदर्भ में इसका अर्थ केवल वस्तुओं पर भुगतान किए गए उत्पाद शुल्क से हो सकता है। में।

नियमों का अर्थ केवल "माल पर" है। भले ही शब्द " एट्रिब्यूटेबल "के संबंध में" शब्दों के लिए प्रतिस्थापित किया जाता है, परिणाम

अलग नहीं होगा, क्योंकि भुगतान किया गया शुल्क इसके लिए जिम्मेदार होगा

केवल कच्चे माल के लिए और माल के लिए नहीं। इसलिए हम मानते हैं कि केवल निर्धारिती द्वारा बेचे गए माल पर भुगतान किया गया उत्पाद शुल्क कटौती योग्य है।

नियमों के नियम 5 (1) (i) के तहत सकल कारोबार से।

(पृष्ठ 82-83)

(जोर दिया गया)

66. उपरोक्त अर्थ दिए जाने वाले अर्थ के अनुरूप है।

धारा 2 (v) के स्पष्टीकरण में निहित "के संबंध में" अभिव्यक्ति

(vi) आयकर अधिनियम।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आय कर अधिनियम के तहत रॉयल्टी

67. वित्त के माध्यम से संशोधन के माध्यम से आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) में उप-धाराओं (v), (vi) और (vii) को शामिल करना।

अधिनियम 1976,37 का उद्देश्य तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी और शुल्क के माध्यम से एक अनिवासी के हाथों में आय के लिए स्रोत आधारित कराधान लागू करना था। कार्बोरंडम एंड कंपनी बनाम सी. आई. टी., (1977) 2 एस. सी. सी. 862, इस न्यायालय ने निवास-आधारित कराधान नियमों को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि अनिवासी निर्धारिती द्वारा प्राप्त तकनीकी सेवा शुल्क (निर्धारण वर्ष 1957-1958 से संबंधित) को केवल तभी भारत में उपार्जित माना जा सकता है जब ऐसी आय को भारत में किसी व्यावसायिक संबंध के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। उस मामले के तथ्यों में, चूंकि विदेशी निर्धारिती के संचालन का कोई भी हिस्सा भारत में नहीं किया गया था, तकनीकी सेवाएं पूरी तरह से विदेशी क्षेत्र में प्रदान की जा रही थीं, इसलिए यह माना गया था कि तकनीकी सेवा शुल्क का कोई भी हिस्सा नहीं था।

भारत में अर्जित विदेशी निर्धारिती द्वारा प्राप्त।

68. कानून की इस स्थिति को वित्त अधिनियम 1976 द्वारा बदल दिया गया था।

जिसने एक गैर-निवासी के हाथों में रॉयल्टी के माध्यम से कर आय के लिए एक "स्रोत-नियम" पेश किया, वित्त विधेयक 1976 के प्रावधानों को समझाते हुए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है:

38. " द्वारा आय के संचय के स्थान के संबंध में स्रोत नियम तकनीकी सेवाओं के लिए ब्याज, रॉयल्टी और शुल्क का तरीका। - ए.

ऐसा माना जाता है कि वह भारत में उसके पास जमा हुआ या उत्पन्न हुआ। आय-कर अधिनियम में मौजूदा प्रावधान जो यह प्रदान करते हैं कि कुछ आयों को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा, सामान्य भाषा में दिए गए हैं। कभी-कभी एक स्पष्ट स्रोत नियम की अनुपस्थिति पैदा करती है।

कुछ प्रकार की आय की प्रभार्यता के बारे में अनिश्चितता

गैर-निवासियों का मामला। ब्याज के माध्यम से आय के संचय के संबंध में किसी भी संदेह या विवाद से बचने के लिए, रॉयल्टी और

गैर-निवासियों के मामले में तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क, यह है

आयकर अधिनियम में कुछ प्रावधान स्पष्ट रूप से करने का प्रस्ताव

भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाता है।

XXX XXX XXX

40. सरकार द्वारा देय रॉयल्टी के माध्यम से आय को भारत में उपार्जित या उत्पन्न माना जाएगा। किसी व्यक्ति द्वारा देय रॉयल्टी

37 1976 का अधिनियम 66 (डब्ल्यू. ई. एफ. 1-6-1976)।

जो भारत में निवासी है, उसे भी अर्जित या उत्पन्न माना जाएगा।

भारत, उन मामलों को छोड़कर जहां हस्तांतरण के लिए रॉयल्टी देय है किसी भी अधिकार या किसी संपत्ति या जानकारी का उपयोग या उपयोग करने के लिए

व्यवसाय के प्रयोजनों के लिए प्राप्तकर्ता की सेवाएँ या भारत के बाहर या निर्माण के उद्देश्यों के लिए किया गया पेशा

या भारत के बाहर किसी स्रोत से कोई आय अर्जित करना। देय रॉयल्टी

एक गैर-निवासी द्वारा यह माना जाएगा कि वह केवल भारत में अर्जित या उत्पन्न होता है।

ऐसे मामलों में जहां किसी भी अधिकार के संबंध में रॉयल्टी देय है,

उपयोग की गई संपत्ति या जानकारी या उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सेवाएं

या किसी से कोई आय अर्जित करने के प्रयोजनों के लिए भारत में स्रोत "।

69. नतीजतन, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) थी

लागू किया गया। स्पष्टीकरण में निहित रॉयल्टी की परिभाषा 2 (v) आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में "किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के संबंध में" सभी या किसी भी अधिकार (लाइसेंस देने सहित) का हस्तांतरण शामिल है।

70. "कॉपीराइट" शब्द के बाद अल्पविराम कॉपीराइट के रूप में फिट नहीं होता है।

स्पष्ट रूप से एक साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य में मौजूद होने के रूप में कहा जाता है। वास्तव में, इस मसौदा त्रुटि को कर संहिता 2010,38 के मसौदे में उसके भाग एच में अध्याय XIX के तहत ठीक किया गया था, जिसमें "रॉयल्टी" की परिभाषा निम्नानुसार निर्धारित की गई थी:

" भाग एच-अध्याय XIX हस्तक्षेप और

निर्माण

XXX XXX XXX

(314) (220) " रॉयल्टी का अर्थ है प्रतिफल (किसी भी गांठ सहित)।

राशि पर विचार लेकिन किसी भी विचार को छोड़कर जो

"पूंजी" शीर्ष के तहत प्रभार्य प्राप्तकर्ता की आय हो

लाभ ") के लिए

XXX XXX XXX

(छ) सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (एक के अनुदान सहित)

लाइसेंस) के संबंध में-(i) साहित्यिक, कलात्मक या किसी भी कॉपीराइट के संबंध में।

वैज्ञानिक कार्य; (ii) सिनेमाटोग्राफिक फिल्में या फिल्मों पर काम,

टेप या पुनरुत्पादन का कोई अन्य साधन; या (iii) लाइव कवरेज

किसी भी घटना का "

(जोर दिया गया)

38 हालाँकि, यह संहिता मसौदा रूप में बनी हुई है और इसे कभी लागू नहीं किया गया था।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

71. सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण (एक अधिकार प्रदान करने सहित)

लाइसेंस) किसी भी कॉपीराइट के संबंध में ", कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए), 14 (बी) और 30 के लिए संदर्भित है। जैसा कि यहाँ ऊपर माना गया है, अभिव्यक्ति "के संबंध में" के बराबर है

" "में" या "के लिए जिम्मेदार"। इस प्रकार, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण 2 (v), जब यह "सभी अधिकारों की बात करता है।

कॉपीराइट "निश्चित रूप से डी. टी. ए. ए. प्रावधान की तुलना में अधिक व्यापक है, जो

किसी भी कॉपीराइट के "उपयोग, या उपयोग करने के अधिकार" की बात करता है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सी. आई. टी. बनाम में इसे मान्यता दी है। डीसीएम लिमिटेड, आई. टी. ए.

नं. 87-89 / 1992 अपने दिनांकित 10.03.2011 निर्णय में, निम्नानुसार है:

" 9. अनुच्छेद XIII (3) के एक नंगे अवलोकन से पता चलता है कि

अभिव्यक्ति "किसी भी प्रकार का भुगतान" बाद वाले द्वारा सीमित है।

परिभाषा का वह भाग जो प्राप्त विचार की बात करता है (बौद्धिक संपदा के "उपयोग" या "उपयोग के अधिकार" के लिए किराए के रूप में)। न्यायाधिकरण ने हमारे विचार में ठीक ही कहा कि सी. आई. टी. (ए) ने इस निष्कर्ष पर पहुंचने में गलती की थी कि "किसी भी प्रकार का भुगतान" अभिव्यक्ति इतनी व्यापक थी कि इसमें एकमुश्त बिक्री भी शामिल थी। इस बात को स्पष्ट करने के लिए न्यायाधिकरण ने एक बार फिर डी. टी. ए. ए. में रॉयल्टी की परिभाषा के रूप में दिखाई देने और जिसका उल्लेख डी. टी. ए. ए. में मिलता है, के बीच सही अंतर किया है।

आई. टी. अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण। उक्त स्पष्टीकरण के प्रावधानों के अवलोकन से पता चलेगा कि यह रॉयल्टी के दायरे में लेन-देन की एक विस्तृत श्रृंखला लाता है जिसमें ऐसे अधिकार, पेटेंट, नवाचार, मॉडल, डिजाइन, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया या व्यापार चिह्न या इसी तरह की संपत्ति के उपयोग के लिए भुगतान के अलावा पेटेंट, आविष्कार, मॉडल, डिजाइन आदि में "सभी के हस्तांतरण" या "किसी भी अधिकार" के लिए किए गए भुगतान शामिल होंगे। वास्तव में, आई. टी. अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (i) के अवलोकन से पता चलेगा कि "सभी का हस्तांतरण" या "कोई अधिकार" हो सकता है। लाइसेंसों के निष्पादन द्वारा भी होता है, जो था

वर्तमान में टेट और निर्धारिती द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली

मामला "।

72. हालाँकि, जब "उपयोग या उपयोग का अधिकार" अभिव्यक्ति की बात आती है, तो वही स्थिति आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) के तहत प्राप्त होगी, क्योंकि, दिए गए लाइसेंस या की गई बिक्री के तहत, किसी भी अधिकार का हस्तांतरण होना चाहिए। स्पष्टीकरण 2 (v) लागू करने के लिए कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) या 14 (बी) में निहित है। इस हद तक, स्थिति [2021] 2 एस. सी. आर. में कोई अंतर नहीं होगा।

" आयकर की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) में रॉयल्टी एक्ट करें।

73. भले ही हम केवल आयकर अधिनियम के तहत "रॉयल्टी" के दायरे पर इस आधार पर विचार करें कि कोई भी डी. टी. ए. ए. एस. लागू नहीं होता है।

इन मामलों के तथ्यों के अनुसार, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि "सभी या किसी भी अधिकार" का हस्तांतरण होना चाहिए जिसमें किसी साहित्यिक कृति में किसी भी कॉपीराइट के संबंध में लाइसेंस का अनुदान शामिल है। के खंड (v) में "अनुज्ञप्ति प्रदान करने सहित" अभिव्यक्ति

01.06.1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव, जिसने आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 4 जोड़ा। 75. वित्त विधेयक 2012 के प्रावधानों की व्याख्या करने वाले ज्ञापन में कहा गया है:

" धारा 9 (1) (vi) में प्रावधान है कि किसी भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी के संबंध में रॉयल्टी के माध्यम से देय कोई भी आय मान ली जाती है।

भारत में उपार्जित या उद्भूत होना। "रॉयल्टी" शब्द को स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित किया गया है जिसका अर्थ है कुछ अधिकारों, संपत्ति या जानकारी के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के लिए प्राप्त या प्राप्य प्रतिफल। कुछ न्यायिक निर्णय हैं - इस परिभाषा की व्याख्या इस तरह से की गई है जिससे इस बात पर संदेह पैदा हुआ है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग के लिए विचार रॉयल्टी है या नहीं; क्या अधिकार, संपत्ति या जानकारी का उपयोग सीधे भुगतान करने वाले द्वारा किया जाना है या भारत में स्थित होना है या नियंत्रण या

इसका अधिकार भुगतान करने वाले के पास होना चाहिए। इसी तरह, संसाधित शब्द के अर्थ के बारे में संदेह उठाए गए हैं।

रॉयल्टी की प्रकृति में आय के संबंध में विभिन्न न्यायालयों के परस्पर विरोधी निर्णयों को ध्यान में रखते हुए और विधायी इरादे को दोहराने के लिए, इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आयकर अधिनियम में निम्नलिखित संशोधन करने का प्रस्ताव है -

तरीका -

(i) धारा 9 (1) (vi) में संशोधन करना ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग का अधिकार रॉयल्टी है

यह स्पष्ट करना कि किसी के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित अधिकार, संपत्ति या जानकारी,

इसमें सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण शामिल है और हमेशा शामिल रहा है

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए (लाइसेंस देने सहित), चाहे वह किसी भी माध्यम के माध्यम से हो। अधिकार हस्तांतरित किया जाता है।

((ii) यह स्पष्ट करने के लिए कि रॉयल्टी में किसी भी अधिकार के संबंध में विचार शामिल है और हमेशा शामिल है, धारा 9 (1) (vi) में संशोधन करना।

संपत्ति या जानकारी, चाहे या न हो

(क) ऐसे अधिकार, संपत्ति का अधिकार या नियंत्रण या

जानकारी दाता के पास है;

(ख) इस तरह के अधिकार, संपत्ति या जानकारी का उपयोग सीधे भुगतानकर्ता द्वारा किया जाता है;
(ग) इस तरह के अधिकार, संपत्ति या जानकारी का स्थान भारत में है।

(iii) धारा 9 (1) (vi) में संशोधन करना ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि "प्रक्रिया" शब्द

इसमें शामिल है और हमेशा शामिल माना जाएगा

उपग्रह द्वारा संचरण (अप-लिंकिंग, प्रवर्धन सहित)

डाउन के लिए रूपांतरण-किसी भी संकेत को जोड़ने के लिए), केबल, ऑप्टिक फाइबर या किसी अन्य समान तकनीक द्वारा, चाहे ऐसी प्रक्रिया गुप्त हो या नहीं।

ये संशोधन 1 जून से पूर्वव्यापी रूप से प्रभावी होंगे।

1976 और तदनुसार निर्धारण वर्ष 1977 के संबंध में लागू होगा।

78 और बाद के मूल्यांकन वर्ष।

76. श्री पारदीवाला ने तर्क दिया कि स्पष्टीकरण 4, जिसे डाला गया था

पूर्वव्यापी प्रभाव से, उस भाषा का उपयोग करता है जो आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) (b) में निहित है, अर्थात्, धारा 9 (1) (vi) (b) में आने वाली "कोई भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी" केवल स्पष्टीकरण 4 का विषय है, स्पष्टीकरण 4 का विस्तार नहीं करता है।

स्पष्टीकरण 2 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा का दायरा, जो

उपरोक्त अभिव्यक्ति शामिल नहीं है। का एक संदर्भ

वित्त विधेयक 2012 में प्रावधानों की व्याख्या करने वाला ज्ञापन [2021] 2 एस. सी. आर.

इसके ऊपर, यह स्पष्ट किया जाएगा कि उपरोक्त ज्ञापन के उप-पैरा (i) में "स्पष्टीकरण 2 में उल्लिखित" अभिव्यक्ति से पता चलता है कि

उस स्पष्टीकरण 4 को स्पष्टीकरण 2 (v) के दायरे का विस्तार करने के लिए पूर्वव्यापी रूप से डाला गया था। किसी भी मामले में, स्पष्टीकरण 2 (v) में अभिव्यक्ति शामिल है, "सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण" जो एक अभिव्यक्ति है जो

"किसी भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी" को समाहित करता है और "किसी भी अधिकार, संपत्ति या जानकारी" अभिव्यक्ति से व्यापक है। इसलिए यह मुश्किल है

श्री पारदीवाला के इस तर्क को स्वीकार करने के लिए कि स्पष्टीकरण 4 आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 में निहित "रॉयल्टी" अभिव्यक्ति के दायरे का विस्तार नहीं करता है।

77. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल की इस दलील को स्वीकार करना भी उतना ही कठिन है कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण हमेशा की तरह स्थिति को स्पष्ट करता है, क्योंकि 01.06.1976 जिसके लिए उन्होंने सीबीडीटी परिपत्र संख्या 152 पर दृढ़ता से भरोसा किया था।

दूसरा, जहां तक आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से संबंधित है, उसका स्पष्टीकरण 3 पहली बार "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" को संदर्भित करता है, जो 01.04.1991 से प्रभावी है, जब इसे पेश किया गया था, जिसे तब वित्त अधिनियम 2000 द्वारा संशोधित किया गया था। स्पष्ट रूप से, स्पष्टीकरण 4 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए किसी भी अधिकार पर लागू नहीं हो सकता है, इससे पहले कि "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" शब्द था। कानून में सम्मिलित किया गया। इसी तरह, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (ओ) के तहत भी, "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" शब्द पहली बार में पेश किया गया था।

एक साहित्यिक कृति की परिभाषा, और केवल 1994 में धारा 2 (एफ. एफ. सी.) के तहत परिभाषित (1994 के अधिनियम 38 के अनुसार)।

78. इसके अलावा, यह उपरोक्त संशोधन के लिए भी उतना ही हास्यास्पद है, जिसमें आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 6 भी जोड़ा गया है, जो 01.06.1976 से लागू होता है, जब उपग्रह, ऑप्टिक फाइबर या इसी तरह की अन्य तकनीक द्वारा संचरण से संबंधित तकनीक को पहली बार केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 के माध्यम से संसद द्वारा विनियमित किया गया था। इन सभी कारणों से, यह स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) का स्पष्टीकरण 01.06.1976 के रूप में स्थिति का स्पष्टीकरण नहीं है, लेकिन वास्तव में, वित्त अधिनियम 2012 के अनुसार, उसमें जो कहा गया है उसे शामिल करने के लिए उस स्थिति का विस्तार करता है।

79. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तब इस पर भरोसा किया

वित्त मंत्री का लोकसभा में 07.09.1990, ENGINEERING ANALYSIS CENTRE OF EXCELLENCE PVT LTD v. पर दिया गया वक्तव्य।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उसी सॉफ्टवेयर के पिछले हस्तांतरण में किए गए भुगतान पर धारा 195 के तहत कटौती की गई जिसे हस्तांतरणकर्ता बिना किसी हस्तांतरण के प्राप्त करता है। संशोधन। किसी भी मामले में, यह अधिसूचना 13.06.2012 पर जारी की जा रही है, यानी वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से स्पष्टीकरण 4 जोड़े जाने के बाद, यह राजस्व को इस बात पर जोर देने में सहायता नहीं करेगी कि स्पष्टीकरण 4 कानूनी स्थिति को स्पष्ट करता है जैसा कि यह हमेशा था।

80. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तब तर्क दिया कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 4 द्वारा कवर किए जाने के कारण, आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत टीडीएस की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को स्रोत पर कर की कटौती करनी चाहिए थी। इसलिए, हमें इस बात की जांच करनी है कि क्या आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत टी. डी. एस. की कटौती करने के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को ऐसे समय में ऐसी राशियों की कटौती करने के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है जब स्पष्टीकरण 4 तथ्यात्मक रूप से कानून की पुस्तक में नहीं था, सभी कटौती की जानी चाहिए और मूल्यांकन के जिन वर्षों पर सवाल उठाए गए हैं, वे इस प्रकार हैं -

वर्ष 2012 से पहले।

नपुंसकता बहाना कानून, यानी, जब कोई विकलांगता होती है जो इसे बनाती है कानून का पालन करना असंभव है, कानून की कथित अवज्ञा को माफ कर दिया जाता है। हाल ही में, अर्जुन पंडितराव खोटकर बनाम मामले में निर्णय में। कैलाश

कुशानराव गोरंटयाल, (2020) 7 एस. सी. सी. 1 इस न्यायालय द्वारा प्रदत्त, इस न्यायालय ने साक्षय अधिनियम, 1872 की धारा 65 बी के तहत इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के माध्यम से साक्षय प्रस्तुत करने के लिए प्रमाण पत्र की आवश्यकता के संदर्भ में उक्त मानदंडों को लागू किया और कहा कि प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सभी संभव कदम उठाने और फिर भी अपने नियंत्रण से बाहर के कारणों से इसे प्राप्त करने में असमर्थ होने के कारण, मामले के तथ्यों में प्रतिवादी को प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अनिवार्य दायित्व से मुक्त कर दिया गया था। इस तरह के निर्णय में, इस न्यायालय ने इस सिद्धांत से संबंधित पिछले निर्णयों का उल्लेख किया

असंभवता और निम्नानुसार निष्कर्ष निकाला गया:

" 47. हालाँकि, यहाँ एक चेतावनी दर्ज की जानी चाहिए। वर्तमान मामले के तथ्यों से पता चलता है कि सभी प्रयासों के बावजूद प्रत्यर्थियों ने, उच्च न्यायालय के माध्यम से और अन्यथा, संबंधित अधिकारियों से साक्षय अधिनियम की धारा 65-बी (4) के तहत आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए, फिर भी संबंधित अधिकारियों ने जानबूझकर किसी न किसी बहाने से ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार कर दिया। वास्तव में-ऐसी परिस्थिति में जहां संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से अपेक्षित प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया गया है, और व्यक्ति या प्राधिकरण या तो ऐसा प्रमाण पत्र देने से इनकार करता है, या ऐसी मांग का जवाब नहीं देता है, ऐसा प्रमाण पत्र मांगने वाला पक्ष साक्षय अधिनियम, सी. पी. सी. या सी. आर. पी. सी. के उपरोक्त प्रावधानों के तहत उसे पेश करने के लिए अदालत में आवेदन कर सकता है। एक बार जब अदालत में ऐसा आवेदन किया जाता है, और अदालत तब आदेश या निर्देश देती है कि आवश्यक प्रमाण पत्र उस व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत किया जाए जिसे वह ऐसा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए समन भेजता है, तो प्रमाण पत्र मांगने वाले पक्ष ने आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए वह सब किया है जो वह संभवतः कर सकता है। इस स्तर पर दो लैटिन सिद्धांत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। पहला है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया यानी कानून असंभव और नपुंसकता की मांग नहीं करता है।

कानून का पालन करना असंभव है, कानून की कथित अवज्ञा है क्षमा कीजिए। यह इस न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति चुनाव में अच्छी तरह से रखा गया था, पुनः [राष्ट्रपति चुनाव, पुनः, (1974) 2 एस. सी. सी. 33] इस प्रकार है: (एससीसी पीपी। 49-50 , पैरा 14-15)

कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 15. 1952 के अधिनियम की धारा 7 में किसी उम्मीदवार की मृत्यु की स्थिति में राष्ट्रपति के पद की रिक्तता को भरने के लिए चुनाव पूरा होने की असंभवता, जो कि 1952 के अधिनियम की धारा 7 में दिखाई दे सकती है, अनुच्छेद प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र को नहीं छीनती है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

62 (1) अपने अनिवार्य चरित्र का। कानून नपुंसकता बहाना कानून का सिद्धांत एक अन्य सिद्धांत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ है

लॉ लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया। नपुंसकता बहाना कानून वह है जब कानून के अनिवार्य हिस्से को करने के लिए आवश्यक या अजेय अक्षमता होती है जो नपुंसकता बहाना है। कानून किसी को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो कोई संभवतः नहीं कर सकता है। जहां कानून कोई कर्तव्य या आरोप बनाता है, और पक्षकार बिना किसी चूक के इसे करने में अक्षम है, और उस पर कोई उपाय नहीं है, वहां कानून सामान्य रूप से उसे माफ कर देगा। इसलिए, जब यह प्रतीत होता है कि किसी कानून द्वारा निर्धारित औपचारिकताओं का प्रदर्शन उन परिस्थितियों से असंभव हो गया है जिन पर इच्छुक व्यक्तियों का कोई नियंत्रण नहीं था, जैसे कि भगवान का कार्य, तो परिस्थितियों को एक वैध बहाने के रूप में लिया जाएगा। जहाँ ईश्वर का कार्य किसी कानून के शब्दों के अनुपालन को रोकता है, वहाँ वैधानिक प्रावधान को इसके अनिवार्य चरित्र से वंचित नहीं किया जाता है क्योंकि

ईश्वर के कार्य के कारण होने वाली अधिरोहण असंभवता। (देखें।

ब्रूम के कानूनी अधिकतम, 10 वीं संस्करण। पीपी में। 162-63 और क्रेज़

क़ानून कानून पर, 6 वीं संस्करण। पी पर। 268.) "

यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति चुनाव में प्रश्नगत प्रावधान, पुनः [राष्ट्रपति चुनाव, पुनः (1974) 2 एस. सी. सी. 33] भी अनिवार्य था, जिसे उस मामले के तथ्यों में ईश्वर के एक कार्य के कारण संतुष्ट नहीं किया जा सका। ये सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा अन्य चुनाव मामलों में विभिन्न स्थितियों में लागू किए गए हैं-चंद्र किशोर झा बनाम देखें। महावीर प्रसाद [चंद्र किशोर झा बनाम।

महावीर प्रसाद, (1999) 8 एस. सी. सी. 266] (पैरा 17 और 21 पर); विशेष

2002 का संदर्भ संख्या 1, पुनः (गुजरात विधानसभा चुनाव मामला) [2002 का विशेष संदर्भ संख्या 1, पुनः (गुजरात विधानसभा चुनाव मामला), (2002) 8 एस. सी. सी. 237] (पैरा 130 और 151 पर) और राज कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ [राज]

कुमार यादव बनाम। समीर कुमार महासेठ, (2005) 3 एस. सी. सी. 601] (पैरा 13 और 14 पर)।

48. ये लैटिन सिद्धांत इस न्यायालय द्वारा कई अन्य संदर्भों में भी लागू किए गए हैं। कोचीन स्टेट पावर एंड लाइट कार्पोरेशन में। लिमिटेड वी. केरल राज्य [कोचीन राज्य बिजली और प्रकाश निगम।

लिमिटेड वी. केरल राज्य, (1965) 3 एससीआर 187: ए. आई. आर. 1965 एस. सी. 1688], बिजली अधिनियम, 1910 की धारा 6 (4) के तहत राज्य बिजली बोर्ड द्वारा एक उपक्रम खरीदने के विकल्प के प्रयोग के बारे में एक सवाल उठा। इस प्रावधान के लिए [2021] 2 एस. सी. आर. पर एक सूचना की आवश्यकता थी।

ऐसे राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा राज्य सरकार को दी जाने वाली प्रासंगिक अवधि की समाप्ति से कम से कम 18 महीने पहले। चूंकि यह अनिवार्य प्रावधान अनुपालन के लिए असंभव था, इसलिए यह माना गया कि राज्य विद्युत बोर्ड को इस तरह की सूचना देने से छूट दी गई थी, जो इस प्रकार है: (1965) 3 एस. सी. आर. 187, पी. 193 : एयर पीपी। 1691-92 , पैरा 8

" 8. धारा 6 की उप-धारा (1) स्पष्ट रूप से राज्य विद्युत बोर्ड में खरीद का विकल्प निहित करती है।

अनुज्ञप्ति में निर्दिष्ट प्रासंगिक अवधि। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि धारा 6 की उप-धारा (2) के तहत अब यह विकल्प निहित है। अब, की उप-धारा (2) के तहत

धारा 6, राज्य सरकार के पास निहित होगी

विकल्प केवल वहाँ है जहाँ राज्य विद्युत बोर्ड नहीं है

गठित, या यदि गठित किया जाता है, तो उपक्रम को खरीदने का विकल्प नहीं चुनता है। यह आम बात है कि राज्य विद्युत बोर्ड

विधिवत गठित किया गया था। लेकिन राज्य सरकार का दावा है कि राज्य विद्युत बोर्ड ने इसे खरीदने का चुनाव नहीं किया

उपक्रम। इस उद्देश्य के लिए, राज्य सरकार धारा 6 की उप-धारा (4) के प्रावधानों पर निर्भर करती है, और तर्क देती है कि चूंकि बोर्ड ने राज्य सरकार को उप-धारा द्वारा आवश्यक विकल्प का प्रयोग करने के अपने इरादे के बारे में लिखित रूप में कोई सूचना नहीं भेजी है, इसलिए बोर्ड को निम्नलिखित माना जाना चाहिए:

उपक्रम को न खरीदने का फैसला किया है। अब, धारा 6 की उप-धारा (2) के साथ पठित उप-धारा (4) का प्रभाव है:

कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सूचना देने में विफलता पर

उप-धारा (4), धारा 6 की उप-धारा (1) के तहत बोर्ड में निहित विकल्प विनिवेश के लिए उत्तरदायी था। धारा 6 की उप-धारा (4) ने बोर्ड पर धारा 6 के लागू होने के बाद संबंधित अवधि की समाप्ति से कम से कम 18 महीने पहले विकल्प का प्रयोग करने के अपने इरादे की लिखित सूचना देने का कर्तव्य अधिरोपित किया। धारा 6 5-9-1959 पर लागू हुई,

और संबंधित अवधि 3-12-1960 पर समाप्त हो गई। में

परिस्थितियों, 18 महीने की अपेक्षित सूचना देना

2-12 की समाप्ति पर खरीद के विकल्प के संबंध में

1960 , धारा 6 क प्रारम्भसँ ई असम्भव छल। इस असंभव कर्तव्य के निष्पादन को सिद्धांत के अनुसार माफ किया जाना चाहिए। (कानून असंभवताओं को करने के लिए मजबूर नहीं करता है), और धारा 6 की उप धारा (4) का यह अर्थ लगाया जाना चाहिए कि यह उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र नहीं है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

यह उस मामले में लागू होता है जहां इसका पालन करना असंभव है। इसलिए, हमें यह मानना चाहिए कि राज्य विद्युत बोर्ड को 25 वर्ष की समाप्ति पर खरीद के अपने विकल्प के संबंध में धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत नोटिस देने की आवश्यकता नहीं थी। यह माना जाना चाहिए कि बोर्ड को धारा 6 की उप-धारा (4) के तहत उपक्रम को न खरीदने के लिए चुना गया है। अपीलार्थी को दिए गए नोटिस द्वारा, बोर्ड ने विधिवत

25 वर्ष की समाप्ति पर उपक्रम खरीदने के लिए चुना गया। नतीजतन, राज्य सरकार को कभी भी उप-धारा (2) के तहत उपक्रम खरीदने का विकल्प नहीं मिला।

धारा 6. इसलिए राज्य सरकार को यह करना चाहिए कि

इसके नोटिस, एक्स्ट के तहत आगे की कार्रवाई करने से रोक दिया गया। जी,

दिनांकित 20-11-1959 "।

. राज कुमार डे बनाम। तारापद डे [राज कुमार डे बनाम। रापाडा डे, (1987) 4 एस. सी. सी. 398], मैक्सिम लेक्स नॉन कोजिट विज्ञापन

सम्भाव्यता को एक की प्रयोज्यता के संदर्भ में लागू किया गया था

पंजीकरण अधिनियम, 1908 का उपबंध निम्नानुसार है:

सीसी पीपी। 402-03 , पैरा 6-7)

" 6. हमें समानता के दो मानकों को ध्यान में रखना होगा जो अच्छी तरह से तय किए गए हैं, अर्थात्, एक्टस क्यूरी नेमिनेम ग्रेवबिट-अदालत का एक कार्य किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा। ब्रूम के कानूनी अधिकतम में, 10 वीं संस्करण। , 1939 पी पर। 73 इस उक्ति को समझाया गया है कि यह उक्ति न्याय और सद्बुद्धि पर आधारित थी; और कानून के प्रशासन के लिए एक सुरक्षित और निश्चित मार्गदर्शन प्रदान किया। हालाँकि, उपरोक्त उक्ति को सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। दूसरा सिद्धांत है लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया (ब्रूम का सिद्धांत)।

लीगल मैक्सिम्स, पी। 162) — कानून एक आदमी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है। सर डब्ल्यू. स्कॉट ने राजस्व कानूनों के कथित उल्लंघन के संदर्भ में कहा कि स्वयं कानून और उसके प्रशासन को इसके लिए तैयार रहना चाहिए -

7. इस मामले में निर्विवाद रूप से 26-7-1978 से दिसंबर 1982 की अवधि के दौरान रोकथाम का आदेश मौजूद था। मध्यस्थों को कोई भी कदम उठाने से। इसके अलावा, जैसा कि उच्च न्यायालय की रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है

इससे पहले कि पुरस्कार न्यायालय की अभिरक्षा में था, अर्थात,

28-1-1978 24 11-1983 पर मध्यस्थों को पुरस्कार की वापसी तक, मध्यस्थ या पक्षकार उस दौरान इसके पंजीकरण के लिए पुरस्कार प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है कि पुरस्कार 28-11-1977 पर और उससे पहले दिया गया था।

28-11-1977 से चार महीने की समाप्ति के बाद, अदालत के आदेश के अनुसार अदालत में पुरस्कार दायर किया गया था। यह तर्क दिया गया था कि अदालत द्वारा मध्यस्थों को पुरस्कार को अदालत की हिरासत में रखने का निर्देश देने वाला आदेश गलत और अधिकार क्षेत्र के बिना था, लेकिन किसी भी मध्यस्थ को इसके लिए मजबूर नहीं किया जा सकता था।

पंजीयक, हुगली, 1986 एस. सी. सी. ऑनलाइन कैल 101: आकाशवाणी 1987 इसलिए, हमारी राय में, कैल 107] का यह मानना गलत था कि केवल एक ही अवधि जिसे बाहर रखा जाना चाहिए वह 26-7-1978 से 20-12-1982 तक थी। हम इस स्थिति को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। 26-7 1978 यह विद्वत मुन्सिफ के आदेश की तारीख थी जिसमें यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था और 20-12-1982 वह तारीख थी जब अंतरिम निषेधाज्ञा को खाली कर दिया गया था, लेकिन फिर भी पुरस्कार अदालत की हिरासत में था और पर्याप्त सबूत हैं जो इससे पहले की गई घटनाओं के वर्णन से दिखाई देंगे कि मध्यस्थों ने पुरस्कार की अभिरक्षा प्राप्त करने का प्रयास किया था जिसे अदालत ने उन्हें देने से इनकार कर दिया था।"

(मूल में जोर)

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

50. ये सिद्धांत किरायेदारी कानून पर भी लागू किए गए हैं।

- बी. पी. खेमका (पी) लिमिटेड बनाम देखें। बीरेंद्र कुमार भौमिक

[बी. पी. खेमका (पी) लिमिटेड बनाम बीरेंद्र कुमार भौमिक, (1987) 2 एस. सी. सी. 407] (पैरा 12 पर), और केंद्रीय कानूनों के उल्लंघन के कारण ऐसे भूखंडों को आवंटन योग्य नहीं पाए जाने पर भूखंडों को आवंटित करने के अपने दायित्व को पूरा करने के लिए अधिकारियों को राहत देने के लिए भी आवेदन किया गया है। हीरा टिक्कू वी देखें। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश -

चंडीगढ़) [हीरा टिक्कू बनाम। राज्य (केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़), (2004)

6 एस. सी. सी. 765] (पैरा 23 और 24 पर)।

51. वर्तमान मामले में उपरोक्त अधिमानों के आवेदन पर, यह स्पष्ट है कि हालांकि धारा 65-बी (4) अनिवार्य है, फिर भी, इस मामले के तथ्यों के अनुसार, उत्तरदाताओं को आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, जो किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिया जाना था, जिस पर उत्तरदाताओं का कोई नियंत्रण नहीं था।

उक्त उप में निहित अनिवार्य दायित्व से मुक्त

अनुभाग "।

82. वास्तव में, आयकर अधिनियम के तहत भी, बंबई उच्च न्यायालय ने एक दृष्टिकोण अपनाया है, जिसमें संबंधित डी. टी. ए. ए. एस. के प्रावधानों के संदर्भ में वनाच्छादित मानदंडों को लागू करते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि व्यक्ति असंभव को करने के लिए बाध्य हैं, अर्थात, एक प्रावधान लागू करने के लिए

जब यह वास्तव में और तथ्यात्मक रूप से कानून की पुस्तक में नहीं था।

83. सी. आई. टी. वी. में एनजीसी नेटवर्क्स (इंडिया) प्रा. लि. लिमिटेड, आई. टी. ए. सं. 397/आयकर अधिनियम की धारा 194 जे के संदर्भ में धारा 6 के स्पष्टीकरण की प्रयोज्यता के बारे में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो

राष्ट्र को पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ जोड़ा गया था। का उच्च न्यायालय

बे, उपरोक्त उक्ति को लागू करते हुए, आयोजित किया गया:

" (घ) हम पाते हैं कि न्यायाधिकरण के 9 जुलाई, 2014 के विवादित आदेश द्वारा लिया गया दृष्टिकोण कि किसी पक्ष को आमंत्रित नहीं किया जा सकता है

एक असंभव कार्य करना अर्थात एक प्रावधान का पालन करना जो इसमें नहीं है

प्रासंगिक समय पर बल लेकिन बाद में पूर्वव्यापी द्वारा पेश किया गया

संशोधन। यह सी. आई. टी. बनाम/एस. में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण के अनुरूप है। सेलो प्लास्ट (2012) 209 टैक्समैन 617-जिसमें यह

न्यायालय ने कानूनी उक्ति लेक्स नॉन कोजिट एड इम्पॉसिबिलिया को लागू किया है। (कानून एक आदमी को वह करने के लिए मजबूर नहीं करता है जो वह संभवतः नहीं कर सकता है

प्रदर्शन करें)।

(ई) वर्तमान तथ्यों में, की शुरूआत द्वारा संशोधन

स्पष्टीकरण-अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) की धारा 6 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के वर्ष में हुई थी।

21] 2 एस सी आर।

2012 1976 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ। ऐसा नहीं हो सकता था। प्रत्यर्थी द्वारा उस भुगतान पर विचार किया गया था जो विषय निर्धारण वर्ष के दौरान अधिनियम की धारा 194 सी के तहत स्रोत पर कर कटौती के अधीन था, पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ भविष्य में कुछ संशोधन के कारण अधिनियम की धारा 194 जे के तहत कटौती की आवश्यकता होगी।

84. सी. आई. टी. वी. में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, आई. टी. ए. सं. 93/2008, बॉम्बे के उच्च न्यायालय ने एक स्पष्टीकरण के सम्मिलन पर विचार किया

पूर्वव्यापी प्रभाव से आयकर अधिनियम की धारा 17 (2) (ii) ने अभिनिर्धारित किया:

" 11) हम उपरोक्त तर्कों में कोई योग्यता नहीं देखते हैं। अरुण कुमार के मामले (उपरोक्त) में सर्वोच्च न्यायालय ने नियम 3 की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा है कि अधिनियम में किसी भी "काल्पनिक कल्पना" के अभाव में, निर्धारिती के लिए यह तर्क देने के लिए खुला है कि इसमें कोई रियायत नहीं है। नियोक्ता द्वारा कर्मचारियों को प्रदान किए गए आवास का मामला और मामला अधिनियम की धारा 17 (2) (ii) के अंतर्गत नहीं आता है। दूसरे शब्दों में, नियम 3 के प्रतिस्थापन के बाद भी

किसी विशिष्ट प्रावधान के अभाव में 1/4/2001 से प्रभाव

अधिनियम के तहत, यह निर्धारिती के लिए खुला था कि वह इस आधार पर कर्मचारियों को दिए गए आवास से संबंधित स्रोत पर कर की कटौती न करे कि किराए में कोई रियायत नहीं दी गई है।

कर्मचारी। निर्धारिती के इस तर्क को वास्तव में अरुण कुमार (उपरोक्त) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया है। को।

उपरोक्त निर्णय पर काबू पाने के लिए, कानून में संशोधन किया गया है

1/4/2002 से पूर्वव्यापी प्रभाव के साथ वित्त अधिनियम, 2007। पूर्वव्यापी संशोधन केवल उपरोक्त तर्क को हटा देता है, जो निर्धारिती के लिए उपलब्ध था। एक बार वेतन का भुगतान किया जाता है नियोक्ता वेतन का भुगतान करने की तारीख को प्रचलित कानून के अनुसार स्रोत पर कर की कटौती करने के बाद, फिर पूर्वव्यापी रूप से लाए गए कानून में किसी भी बाद के संशोधन के लिए नियोक्ता को पिछली अवधि के लिए स्रोत पर कर की कटौती करने की आवश्यकता नहीं हो सकती है, क्योंकि उस अवधि के लिए वेतन का भुगतान पहले ही किया जा चुका है। नतीजतन, नियोक्ता को धारा में पूर्वव्यापी संशोधन के कारण अधिनियम की धारा 201 में निर्धारित परिणामों के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता है।

17 (2) अधिनियम "।

85. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 में उल्लिखित "व्यक्ति" से असंभव कार्य करने की अपेक्षा नहीं की जा सकती है, अर्थात्, 4 के स्पष्टीकरण द्वारा अंत:स्थापित "रॉयल्टी" की विस्तारित परिभाषा को उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र में लागू करना।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

आय कर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में निर्धारण वर्षों के लिए प्रश्न, ऐसे समय में जब इस तरह का स्पष्टीकरण वास्तव में और तथ्यात्मक रूप से क़ानून में नहीं था।

ए. ए. आर. के नियम और उच्च के न्यायाधीश

अदालतें

86. इन अपीलों में हमारे सामने पेश किए गए कानून का सवाल है

कई फैसलों में जवाब दिया गया-कुछ एएआर द्वारा, कुछ उच्च द्वारा कर्नाटक का न्यायालय, और कुछ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा। इन अधिकारियों से अब क्रमिक रूप से निपटा जाएगा।

87. से निपटने वाला पहला और सबसे व्यापक प्राधिकरण

इन अपीलों में उठाया गया प्रश्न ए. ए. आर. द्वारा डसॉल्ट सिस्टम्स, के. के., इन रे. में अपने फैसले में उठाया गया है। , (2010) 322 आईटीआर 125 (एएआर) ["डसॉल्ट (एएआर)"]। उस मामले में, आवेदक जापान के कानूनों के तहत निगमित एक कंपनी थी, जो लाइसेंस प्राप्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पादों का विपणन करती थी, एक वितरण चैनल के माध्यम से जिसमें मूल्य वर्धित पुनर्विक्रेता ["वीएआर"] शामिल थे, जो अंतिम उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर बेचने के व्यवसाय में स्वतंत्र तीसरे पक्ष के पुनर्विक्रेता थे। ए. ए. आर. द्वारा स्वयं से पूछा गया प्रश्न इस प्रकार थाः

" चाहे मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर और कानून में डसॉल्ट सिस्टम्स के. के. द्वारा प्राप्त भुगतान (इसके बाद)

सॉफ्टवेयर उत्पादों की बिक्री से "आवेदक" के रूप में संदर्भित)

स्वतंत्र तृतीय पक्ष पुनर्विक्रेताओं के लिए व्यवसाय के रूप में कर योग्य होगा

भारत-जापान दोहरे कराधान के अनुच्छेद 7 के तहत लाभ

परिहार समझौता ("भारत-जापान डी. टी. ए. ए" या "संधि") और

तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी और शुल्क का गठन नहीं होगा

भारत के अनुच्छेद 12 में परिभाषित-जापान डी. टी. ए. ए.?

(पृष्ठ 129-130)

88. भारत-जापान डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 को स्थापित करने के बाद, जो

यह भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 और अन्य डी. टी. ए. ए. एस. के समान है जिनसे हम संबंधित हैं, और

"रॉयल्टी" की परिभाषा जो आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 में निहित है, एएआर ने तब लोकस क्लासिकस से निर्धारित किया है।

प्रतिलिप्याधिकार कानून पर, निम्नलिखित मार्गः

" रॉयल्टी की प्रयोज्यता पर चर्चा में प्रवेश करने से पहले

परिभाषा, कुछ बुनियादी सिद्धांतों को दोहराना उचित है एक कानूनी अवधारणा के रूप में कॉपीराइट के बारे में।

हम इस सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में

[2021] 2 एस सी

आर।

संबंध में, के क्लासिक ग्रंथ से कुछ अंशों का संदर्भ लें

कॉपीराइट पर कॉपिंगर और स्कोन जेम्स (1999 एडन):

" कॉपीराइट किसी भी विवरण के काम में कॉपीराइट के मालिक को अधिकार देने या प्रतिबंधित करने का अनन्य अधिकार देता है।

तृतीय पक्षों द्वारा कॉपीराइट कार्य के यू. के. शोषण का कॉपीराइट, डिजाइन और पेटेंट अधिनियम, 1988। इसमें काम की नकल करने और अन्य तरीकों से काम का उपयोग करने का अधिकार भी शामिल है।

कानून के तहत संरक्षित "। (पी। 26)

कॉपीराइट को अक्सर एक नकारात्मक अधिकार के रूप में वर्णित किया जाता है। यह विचार है

कोपिंगर द्वारा निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया गया:

" हालाँकि, कॉपीराइट का अर्थ अनिवार्य रूप से कुछ करने का अधिकार नहीं है, बल्कि दूसरों को कुछ कार्य करने से रोकने का अधिकार है, और जब कॉपीराइट को "एक अनन्य अधिकार" के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो 'अनन्य' शब्द पर जोर दिया जाता है। इस प्रकार, 1988 का अधिनियम, जबकि एक संपत्ति अधिकार के अलावा "कॉपीराइट" को परिभाषित नहीं करता है, जो व्यक्तिगत या चल संपत्ति के रूप में पारगम्य है, यह प्रावधान करता है कि किसी काम में कॉपीराइट के मालिक को 1988 के अधिनियम में निर्दिष्ट उस विवरण के काम में कॉपीराइट द्वारा प्रतिबंधित कार्यों को करने का विशेष अधिकार है। [कॉपीराइट,

यूके का डिजाइन और पेटेंट अधिनियम, 1988।] ” (पी। 27)

निम्नलिखित परिच्छेद भी ध्यान देने योग्य है:

" यह पहचानना महत्वपूर्ण है कि किसी कार्य में कॉपीराइट का स्वामित्व उस भौतिक सामग्री के स्वामित्व से अलग है जिसमें कॉपीराइट कार्य सन्निहित हो सकता है। जिस तरह भौतिक सामग्री का मालिक जिस पर कॉपीराइट कार्य पहली बार दर्ज किया जाता है, वह आवश्यक रूप से कॉपीराइट का पहला मालिक नहीं है, उसी तरह मूल भौतिक सामग्री को शीर्षक का हस्तांतरण स्वयं शीर्षक को कॉपीराइट में स्थानांतरित करने के लिए काम नहीं करता है। इस प्रकार, एक स्पष्ट उदाहरण लेने के लिए, किसी पुस्तक या वीडियो रिकॉर्डिंग का खरीदार भौतिक वस्तु का मालिक बन जाता है, लेकिन इस तरह वह उसमें पुनरुत्पादित कार्यों में कॉपीराइट के किसी भी हिस्से का मालिक नहीं बन जाता है। साहित्यिक कृति

में प्रतिलिपि अधिकार स्वामी के पास रहता है, जो प्रतिलिपि बनाने, प्रकाशन, अनुकूलन, बिक्री, किराये आदि के सभी विशेष अधिकारों का आनंद लेता है और उन्हें लागू करने का हकदार है।

प्रतिलिप्याधिकार कानून द्वारा। खरीदार अपने द्वारा अधिग्रहण नहीं करता है। असाइनमेंट या लाइसेंस के माध्यम से कोई भी अधिकार खरीदें

उन अनन्य अधिकारों में से किसी का भी प्रयोग करें। (पी। 217) "

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक अनुज्ञप्तिधारी और एक अनन्य अनुज्ञप्तिधारी की स्थिति का उल्लेख करते हुए,

पी में कानूनी स्थिति निम्नानुसार बताई गई थी। 310 :

" प्रतिलिप्याधिकार स्वामी से केवल एक लाइसेंस प्रदान करता है उदाहरण के लिए, उसे सक्षम करने वाले लाइसेंसधारी पर स्वामित्व हित,

अपने नाम पर कार्यवाही लाने के लिए, जब तक कि इसके साथ जोड़ा न जाए

कुछ अन्य ब्याज का अनुदान, उदाहरण के लिए, लेने का अधिकार

संपत्ति दूर। क़ानून के अलावा, यहाँ तक कि एक विशेष लाइसेंस, जो

केवल एक काम करने की अनुमति है जो न करने के वादे के साथ है करना, या किसी और को वह काम करने की अनुमति देना, देता है

लाइसेंसधारक को उल्लंघन के लिए अपने नाम पर मुकदमा करने का कोई अधिकार नहीं है और न ही

कोई अन्य स्वामित्व हित। प्रतिलिपि अधिकार कानून में यह सामान्य

विशेष लाइसेंसों के मामले में कानून द्वारा नियम में परिवर्तन किया जाता है जो

निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करें। 1988 का अधिनियम प्रदान करता है -

ऐसा अनुज्ञप्तिधारी एक प्रक्रियात्मक स्थिति जो उसे लाने में सक्षम बनाता है।

कार्यवाही लेकिन अन्यथा नियम अपरिवर्तित है: एक अनन्य लाइसेंसधारक का कॉपीराइट में कोई स्वामित्व हित नहीं है। " " "

(पृष्ठ 132-134)

89. कॉपीराइट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को निर्धारित करने के बाद,

आवेदक और वी. ए. आर. के बीच वितरण समझौते का,

ई. यू. एल. ए. के प्रावधानों के अनुसार, ए. ए. आर. ने तब कहा:

" तत्काल मामले में, अंतिम उपयोगकर्ता को ऐसा करने का अधिकार नहीं दिया जाता है

जिनका उल्लेख पहले एक घोषणा के साथ किया गया है कि लाइसेंस प्राप्त कार्यक्रमों में बौद्धिक संपदा अधिकार

विशेष रूप से आवेदक (या उसके लाइसेंसधारकों) के साथ रहेगा और

अनुज्ञप्ति के सभी गैर-अनन्य और गैर-हस्तांतरणीय चरित्र हैं

यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई भी अधिकार आवेदक में निहित नहीं है

प्रतिलिप्याधिकार धारक पर लाइसेंसधारी द्वारा दावा किया जा सकता है या उसका आनंद लिया जा सकता है और कि वे अक्षत रहेंगे और संरक्षित रहेंगे। पूरा कार्यकाल

समझौता और उसमें निहित विभिन्न शर्तें

अंतिम उपयोगकर्ता को उपयोग करने और उपयोग करने के लिए अधिकृत करने के लिए लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर उत्पाद जिन पर आवेदक के पास विशेष [2021] 2 एस. सी. आर. है।

कॉपीराइट, उनसे आगे निपटने के लिए कोई गुंजाइश दिए बिना।

उपयोग करने के अधिकार को पारित करना और उस उत्पाद के उपयोग को सुविधाजनक बनाना जिसके लिए मालिक के पास कॉपीराइट है, वही बात नहीं है प्रतिलिप्याधिकार के संबंध में अधिकार हस्तांतरित या निर्दिष्ट करना। कुछ या सभी अधिकारों का आनंद लेना जो कॉपीराइट मालिक के पास है, रॉयल्टी परिभाषा को सक्रिय करने के लिए आवश्यक है। से देखा गया

इस दृष्टिकोण से, कॉपीराइट वाले उत्पाद के उपयोग को सक्षम करने वाले गैर-अनन्य और गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस को एक के रूप में नहीं माना जा सकता है

प्रतिलिप्याधिकार में निहित किसी भी या सभी गणना किए गए अधिकारों का लाभ उठाने का अधिकार। जहां लाइसेंस या लेन-देन का उद्देश्य केवल आंतरिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कॉपीराइट किए गए उत्पाद तक पहुंच स्थापित करना है, यह कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा कि कॉपीराइट को किसी भी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भले ही उपयोगकर्ता को दिया गया कंप्यूटर प्रोग्राम अत्यधिक विशिष्ट हो। सॉफ्टवेयर उत्पाद में निहित और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों को लाइसेंसधारी/ग्राहक के पक्ष में विभाजित करने पर विचार किया गया है।

अधिनियम और संधि में परिभाषा खंड। जैसा कि पहले देखा गया है, उन अधिकारों को धारा 14 में शामिल किया गया है। बस।

लेन-देन के किसी भी आगे के अधिकार के बिना किसी ग्राहक को डेटा या उसमें निहित निर्देशों का लाभ प्राप्त करने के लिए अधिकृत या सक्षम करना।

स्वतंत्र रूप से उनके साथ, हमारे विचार में, कॉपीराइट के संबंध में अधिकारों के हस्तांतरण या कॉपीराइट का उपयोग करने के अधिकार को प्रदान करने के बराबर नहीं है। हालांकि, उदाहरण के लिए, जहां किसी साहित्यिक कृति पर कॉपीराइट का मालिक प्रतियां बनाने और उन्हें एक निर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर वितरित करने के लिए एक विशेष लाइसेंस प्रदान करता है, तो अनुदान प्राप्तकर्ता व्यावहारिक रूप से मालिक/अनुदानकर्ता के स्थान पर कदम रखेगा।

और वह दूसरों के बहिष्कार के लिए इसके अनुदान की सीमा तक कॉपीराइट का आनंद लेता है। चूंकि कॉपीराइट से जुड़ा अधिकार ऐसे लाइसेंसधारी को दिया जाता है, इसलिए उसके पास इसके साथ व्यावसायिक रूप से निपटने का अधिकार होता है। में।

प्रतिलिप्याधिकार के उल्लंघन के मामले में, वह इसे रोकने के लिए मुकदमा कर सकता है। अलग-अलग विचार उत्पन्न होंगे यदि अनुदान गैर-अनन्य है, वह भी विशुद्ध रूप से घर में या आंतरिक उद्देश्य के लिए उपयोगकर्ता तक सीमित है। प्रतिलिप्याधिकार में या उसके ऊपर अधिकारों के हस्तांतरण या प्रतिलिप्याधिकार के उपयोग के अधिकार के प्रदान का तात्पर्य है कि हस्तांतरणकर्ता/लाइसेंसधारी को

मालिक/हस्तांतरणकर्ता के साथ-साथ पूरी तरह से या आंशिक रूप से व्यापक अधिकार प्राप्त करने चाहिए, जो खुद को अपने अधिकारों से अलग करता है।

यह वही है, जो हमारे विचार में, एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड के आंतरिक विश्लेषण केंद्र से मिलता है। आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के साथ पठित 'रॉयल्टी' की परिभाषा में प्रयुक्त भाषा, अर्थात। , धारा 14 और अन्य पूरक प्रावधान।

हम यहाँ एक और पहलू का उल्लेख कर सकते हैं। रॉयल्टी की परिभाषा में

अधिनियम के तहत, "लाइसेंस देने सहित" वाक्यांश पाया जाता है। इसका मतलब यह नहीं है कि एक गैर-विशिष्ट लाइसेंस भी जो उपयोगकर्ता को घर के उद्देश्य के लिए अनुमति देता है, उस अभिव्यक्ति के दायरे में आएगा। किसी भी और हर लाइसेंस पर विचार नहीं किया जाता है। इसे पूर्ववर्ती अभिव्यक्ति "हस्तांतरण" से रंग लेना चाहिए।

कॉपीराइट के संबंध में अधिकार "। जाहिरा तौर पर, परिभाषा में 'लाइसेंस' के अनुदान का उल्लेख इस संभावित विवाद को दूर करने के लिए किया गया है कि लाइसेंस-चाहे उसकी प्रकृति कुछ भी हो, की विशेषता हो सकती है।

स्थानांतरण के रूप में "।

(पृष्ठ 144-145)

90. एएआर ने तब निष्कर्ष निकाला:

" जैसा कि कॉपीराइट पर कॉपिंगर के ग्रंथ में कहा गया है, "किसी काम की प्रतिलिपि या पुनरुत्पादन को रोकने का अनन्य अधिकार कॉपीराइट का सबसे मौलिक और ऐतिहासिक रूप से सबसे पुराना अधिकार है।

मालिक "। हमें नहीं लगता कि इस तरह का अधिकार अंतिम उपयोगकर्ता को कंप्यूटर डाउनलोड करने की अनुमति देकर दिया गया है प्रोग्राम करें और इसे अपने उपयोग के लिए कंप्यूटर में संग्रहीत करें। प्रतिलिपि/पुनरुत्पादन या भंडारण केवल कॉपीराइट उत्पाद का उपयोग करने के लिए ग्राहक को दी गई सुविधा के लिए आकस्मिक है।

अपने आंतरिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। जैसा कि राजस्व विभाग ने स्वीकार किया है

प्रतिनिधि, उस प्रक्रिया को कार्यक्रम बनाने के लिए आवश्यक है कार्यात्मक और इसे प्राप्त करने के लिए और गुणात्मक रूप से अलग है

उक्त प्रावधान द्वारा विचार किए गए अधिकार से क्योंकि यह केवल कॉपीराइट वाले उत्पाद के उपयोग के लिए अभिन्न है। इस तरह की आनुषंगिक सुविधा के अलावा, ग्राहक को उत्पाद के साथ सौदा करने का कोई अधिकार नहीं है

जैसे मालिक ऐसा करने की स्थिति में होगा। जहाँ तक पुनरुत्पादित या संग्रहीत लाइसेंस प्राप्त सामग्री चार तक ही सीमित है

इसके व्यावसायिक प्रतिष्ठान के कोने, वह भी एक गैर-अनन्य पर इस आधार पर, धारा 14 (ए) के उपखंड (आई) में निर्दिष्ट अधिकार पूरी तरह से अनुचित होगा। अन्यथा, बाजार में उपलब्ध ऑफ-शेल्फ सॉफ्टवेयर के संबंध में, यह बहुत अच्छी तरह से कहा जा सकता है कि

पुनरुत्पादन का अधिकार जो कॉपीराइट का एक पहलू है मालिक को ग्राहक को सौंप दिया जाता है। इस तरह के एक निष्कर्ष की ओर जाता है

अनपेक्षित और तर्कहीन परिणाम। हम इस संदर्भ में [2021] 2 एस. सी. आर. का उल्लेख कर सकते हैं।

सी. आर. अधिनियम की धारा 52 (ए. ए.) (ऊपर निकाली गई) जो यह स्पष्ट करती है कि कंप्यूटर प्रोग्राम की "प्रतियां बनाना या अनुकूलन"

इस प्रयोजन के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए ऐसी प्रति (i) से ऐसे प्रोग्राम की एक प्रति के वैध स्वामी द्वारा

जिसके लिए इसकी आपूर्ति की गई थी या (ii) विशुद्ध रूप से नुकसान, विनाश या क्षति के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा के रूप में बैक अप प्रतियां बनाना।

जिस उद्देश्य के लिए इसे प्रदान किया गया था, उस कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना "कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा।

नतीजतन, अनुकूलन या अनुकूलन, चाहे कोई भी

डिग्री, 'उल्लंघन' का गठन नहीं करेगी जब तक कि यह उस उद्देश्य के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए है जिसके लिए इसे आपूर्ति की गई थी। एक बार जब कोई उल्लंघन नहीं होता है, तो यह मानना संभव नहीं है कि 'कॉपीराइट' का हस्तांतरण या लाइसेंस है जैसा कि सी. आर. अधिनियम में परिभाषित किया गया है और जैसा कि सामान्य कानून में समझा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि, जैसा कि पहले बताया गया है, कॉपीराइट इस अर्थ में एक नकारात्मक अधिकार है कि यह एक ऐसा अधिकार है जो किसी और को बिना किसी कार्य के करने से रोकता है।

उसी का प्राधिकरण, मालिक द्वारा।

हमें ऐसा लगता है कि धारा 14 (ए) (आई) और (वी) द्वारा परिकल्पित प्रजनन और अनुकूलन का प्रासंगिक अर्थ केवल वाणिज्यिक दोहन के उद्देश्य से प्रजनन और अनुकूलन हो सकता है।

कॉपीराइट एक नकारात्मक अधिकार होने के कारण (उपरोक्त पैरा 9 में बताए गए अर्थ में), उल्लंघन के संदर्भ में इसका परीक्षण करना ही उचित और उचित होगा। धारा 52 (एए) के तहत जिसे बाहर रखा गया है वह व्यावसायिक शोषण नहीं है, बल्कि केवल अपने स्वयं के उपयोग के लिए कॉपीराइट किए गए उत्पाद का उपयोग करना है। बहिष्करण को उचित अर्थ और प्रभाव दिया जाना चाहिए; अन्यथा, धारा 52 (एए) व्यावहारिक रूप से निरर्थक होगी। वास्तव में, जैसा कि अब कानून है, मालिक को इसकी आवश्यकता नहीं है।

मात्र पुनरुत्पादन या कार्य के अनुकूलन के लिए लाइसेंस प्रदान करना

स्वयं का उपयोग करें। ऐसे लाइसेंस के बिना भी, उत्पाद के खरीदार को मालिक के कॉपीराइट का उल्लंघन करने वाला नहीं कहा जा सकता है। जब उल्लंघन को खारिज कर दिया जाता है, तो निष्कर्ष पर पहुंचना मुश्किल होगा

कि उत्पाद के खरीदार/लाइसेंसधारी ने उसमें कॉपीराइट प्राप्त कर लिया है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ की निम्नलिखित टिप्पणियां। आंध्र प्रदेश राज्य का मामला काफी उपयुक्त है, हालांकि इसे एक अलग संदर्भ में बनाया गया है:

" एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम में विभिन्न कमांड हो सकते हैं।

जो कंप्यूटर को एक निर्दिष्ट कार्य करने में सक्षम बनाता है। उस कार्यक्रम में कॉपीराइट आई. एन. ई. आर. आई. एन. एल. एस. आई. एस. सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड के प्रवर्तक के पास रह सकता है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

कार्यक्रम। लेकिन जिस क्षण प्रतियाँ बनाई और विपणन की जाती हैं,

[वे ऐसी वस्तुएँ बन जाती हैं जो बिक्री कर के लिए अतिसंवेदनशील होती हैं।

किसी भी दृष्टिकोण से देखने पर, हमें अस्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है

ऊपर पैरा 18 में निर्दिष्ट राजस्व का विवाद।

(पृष्ठ 147-148)

91. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) का उल्लेख करते हुए, एएआर

आयोजित:

" इसके बाद, राजस्व की ओर से यह तर्क दिया गया है कि

आवेदक के सॉफ्टवेयर उत्पाद को बेचना या बेचने की पेशकश करना वी. ए. आर. को प्रदान किया गया और इसलिए ऐसा अधिकार वी. ए. आर. को दिया गया

कॉपीराइट को ध्यान में रखते हुए या उसके ऊपर अधिकार प्रदान करने के लिए राशि

सी. एल. ((ख) धारा 14 की धारा (ख) धारा 14 की धारा 14 की धारा 14 की

और उस प्रस्ताव को आवेदक को अग्रेषित करें। यह आवेदक है कि उस प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करते हैं। इस उद्देश्य के लिए, एक गैर-अनन्य

और उत्पाद वितरित करने के लिए गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस दिया गया है

वीएआर को दिया गया। आदेश से होने वाला लेन-देन

अंत-उपयोगकर्ता के बाद वी. ए. आर. के बैक टू बैक ऑर्डर को अंतिम रूप दिया जाता है

आवेदक द्वारा और जब तक कि खरीद आदेश स्वीकार नहीं किया जाता है

दस्तावेज़। यह आवेदक पर निर्भर करता है कि वह इसे स्वीकार करे या नहीं। एक बार जब उत्पाद अंतिम-उपयोगकर्ता को वितरित किया जाता है, तो बिक्री यदि कोई हो तो

वी. ए. आर. एक साथ होता है और वह लेन-देन अलग होता है।

एक. बिक्री को समाप्त करने के लिए एक स्वतंत्र अधिकार के अभाव में या बिक्री के लिए प्रस्ताव, धारा 14 के खंड (बी) का उपखंड (ii) नहीं कर सकता है

मामले को कला के दायरे में लाने के लिए आह्वान किया जाए। 12.3 में से अधिनियम की संधि या धारा 9 (1) (vi)। यह भी उल्लेखनीय है कि

वी. ए. आर. किसी क्षेत्र के लिए विशिष्ट वितरक नहीं है और वह ऐसा नहीं करता है

प्राप्त करने के लिए आवेदक को स्पष्ट रूप से कोई भी प्रतिफल का भुगतान करें

वितरण अधिकार। उसे प्रत्येक व्यक्ति के लिए छूट मिलती है। सहमत दर पर लेन-देन।"

(पृष्ठ 148-149)

92. नतीजतन, खुद से पूछे गए सवाल का जवाब दिया गया था

एएआर निम्नानुसार है:

" आवेदक द्वारा तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर मोटे तौर पर इस प्रकार है -

नकारात्मक। यह माना जाता है कि आवेदक द्वारा प्राप्त भुगतान वीएआरएस से। (" तृतीय पक्ष पुनर्विक्रेता) की आपूर्ति के कारण

आवेदक द्वारा प्राप्त व्यावसायिक लाभ पर कर नहीं लगाया जा सकता है। स्थायी स्थापना के अभाव में भारत, जैसा कि परिकल्पना की गई है

भारत-जापान कर संधि का अनुच्छेद 7।

(पृष्ठ 157-158)

93. इस दृढ़ संकल्प के बाद, एएआर ने इसका पालन किया

जियोक्वेस्ट सिस्टम्स बी. वी. गेवर्स डेनूटवेग में यह निर्धारण, रे में। , (2010) 327 आई. टी. आर. 1 (ए. ए. आर.) ["जियोक्वेस्ट (ए. ए. आर.)"] एक आवेदक जो नीदरलैंड में निगमित एक कंपनी थी और

भारत में तेल और प्राकृतिक गैस निगम को कुछ सॉफ्टवेयर पैकेज बेचे। दसॉल्ट (ए. ए. आर.) (ऊपर) में निर्धारण का उल्लेख करने और उस पर भरोसा करने के बाद, ए. ए. आर. ने निष्कर्ष निकाला कि आवेदक को देय राशि भारत-नीदरलैंड डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "रॉयल्टी" के बराबर नहीं है।

94. हालाँकि, ए. ए. आर. द्वारा जल्द ही एक असंगत टिप्पणी की गई।

सिट्रिक्स सिस्टम्स एशिया पैसिफिक पी. टी. एल. लिमिटेड, इन रे। , (2012) 343 आई. टी. आर. 1 (ए. ए. आर.) ["सिट्रिक्स सिस्टम (ए. ए. आर.)"], जिसका निर्णय हमारे सामने सी. ए. सं. 8990/2018 में आक्षेपित है। इस मामले में, वही सवाल जो उठा पहले के दो मामलों में ए. ए. आर. के समक्ष, अर्थात् डसॉल्ट (ए. ए. आर.) (ऊपर)

और जियोक्वेस्ट (एएआर) (सुप्रा) का उदय हुआ। यह मामला ऑस्ट्रेलिया में निगमित एक आवेदक से संबंधित था जिसने इस व्यवसाय में लगी एक स्वतंत्र भारतीय कंपनी के साथ वितरण समझौता किया था।

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर का वितरण। “ इंग्राम "को भारत में आवेदक के उत्पादों के गैर-विशिष्ट वितरक के रूप में नियुक्त किया गया था। इस बार, ए. ए. आर. ने आयकर अधिनियम के प्रावधानों और दोहरे कराधान से बचने और करों के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और ऑस्ट्रेलिया सरकार के बीच समझौते का उल्लेख करने के बाद

आय, 3 9 ["भारत-ऑस्ट्रेलिया डी. टी. ए. ए".], के प्रावधानों के साथ 39 अधिसूचना सं। जीएसआर 60 (ई), दिनांक 22-1-1992 अधिसूचना No.74/2013 [F.No.503/1/2009-एफटीडी-II]/एसओ 2820 (ई), दिनांक 20-9-2013 द्वारा संशोधित।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]ओपिराइट एक्ट, डसॉल्ट (एएआर) (ऊपर) और जियोक्वेस्ट के फैसलों के बिल्कुल विपरीत निष्कर्ष पर पहुंचा

आर) (ऊपर)। ए. ए. आर. निम्नानुसार आयोजित किया गया:

" इस प्रकार, कॉपीराइट अधिनियम का एक संदर्भ इंगित करता है कि मालिक या लाइसेंसधारी द्वारा कॉपीराइट का उपयोग, कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होगा। स्वामित्व का हस्तांतरण किसी अन्य कॉपीराइट को या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से, या तो आम तौर पर या विशेष सीमाओं के साथ और या तो कॉपीराइट की पूरी अवधि या उसके किसी भी हिस्से के लिए किया जा सकता है। इसी तरह, अधिकार में किसी भी हित के कॉपीराइट के मालिक द्वारा लाइसेंस दिया जा सकता है। स्वयं को भी स्वामित्व वाले कॉपीराइट का उपयोग करने के अधिकार से अलग रखते हुए एक विशेष अधिकार भी दिया जा सकता है। इसलिए, किसी असाइनमेंट या लाइसेंस की सीमाओं का उल्लंघन पहली नजर में होगा। प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन होना चाहिए और अधिनियम के तहत दिए गए परिणामों को आमंत्रित करना चाहिए। इसी तरह, प्रतियां लेने का कार्य या अनुकूलन का कार्य केवल तभी उल्लंघन नहीं होगा जब यह कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति के वैध धारक द्वारा किया जाता है। एक वैध मालिक केवल एक असाइनी, एक अनन्य लाइसेंसधारी या एक हो सकता है।

कार्यक्रम का लाइसेंसधारी। जब वह एक कंप्यूटर प्राप्त करता है कार्यक्रम, उसे उस कार्यक्रम का उपयोग करने का अधिकार भी मिलता है

सीमित सीमा। हमारे विचार में यह इस आधार पर है कि कंप्यूटर प्रोग्राम को प्राप्त करने में, उसे एक अधिकार, निरपेक्ष या सीमित भी मिला है।

जब एक सॉफ्टवेयर एक व्यक्ति द्वारा बनाया जाता है जो कॉपीराइट प्राप्त करता है इसके लिए, वह उस कॉपीराइट का मालिक बन जाता है। वह उस अधिकार को या तो स्वयं या किसी एजेंट के माध्यम से हस्तांतरित या लाइसेंस दे सकता है। जब वह उपयोग के लिए सॉफ्टवेयर बेचता है या लाइसेंस देता है, तो वह भी बेच रहा है या लाइसेंस दे रहा है।

उसमें अंतर्निहित प्रतिलिप्याधिकार का उपयोग करने का अधिकार। यदि किसी सॉफ्टवेयर का उपयोग खरीद या लाइसेंस द्वारा कानूनी रूप से अधिग्रहित किए बिना किया जाता है, तो यह स्पष्ट रूप से सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित कॉपीराइट के कारण कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। सॉफ्टवेयर एक साहित्यिक कार्य है और स्पष्ट रूप से इसका कॉपीराइट है

सॉफ्टवेयर का निर्माता एक महत्वपूर्ण और व्यावसायिक है।

मूल्यवान अधिकार। इसलिए, जब भी किसी सॉफ्टवेयर को उपयोग के लिए सौंपा या लाइसेंस दिया जाता है, तो इसमें सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार या उपयोग करने के लिए लाइसेंस शामिल होता है। सॉफ्टवेयर में अंतर्निहित कॉपीराइट, बौद्धिक संपदा अधिकार। इसलिए, हमें ऐसा लगता है कि [2021] 2 एस. सी. आर. को तलाक देना संभव नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

के निर्माता के बौद्धिक संपदा अधिकार से सॉफ्टवेयर

सॉफ्टवेयर उसमें एम्बेडेड है। धारा में संशोधन

14 (1) (ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1999 के अधिनियम 49 द्वारा, यह स्पष्ट करते हुए कि

एक कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में, कॉपीराइट का अर्थ है

वाणिज्यिक किराये या बिक्री या वाणिज्यिक प्रस्ताव पर बेचें या दें

कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी भी प्रति को किराए पर लेना, ऐसा प्रतीत होता है

महत्वपूर्ण है। यह जोड़ यह सुझाव देगा कि बेचने का अधिकार भी

या किराए पर देना, एक कॉपीराइट के बराबर होगा और एक होगा कॉपीराइट के रूप में व्यवहार करने का अधिकार "।

(पृष्ठ 13-14)

95. ए. ए. आर. दसॉल्ट (ए. ए. आर.) में दृढ़ संकल्प से असहमत था।

ए), कहते हुए:

" डसॉल्ट (2009 का एएआर 821) में, यह देखा गया कि

उस मामले में लेन-देन अंतिम उपयोगकर्ता को अधिकृत करने के लिए था

जिसे आवेदक के पास बिना कुछ दिए अनन्य कॉपीराइट था उनसे आगे निपटने की गुंजाइश।

प्रयोज्यता पर फैक्टसेट में तर्क या तर्क की रेखा

इस संदर्भ में कॉपीराइट अधिनियम का पालन किया गया। यह भी था ध्यान दिया कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (271 आईटीआर 401) में,

उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि "एक सॉफ्टवेयर कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं

विभिन्न आदेशों के जो कंप्यूटर को एक प्रदर्शन करने में सक्षम बनाते हैं

निर्दिष्ट कार्य। उस कार्यक्रम में कॉपीराइट बना रह सकता है।

कार्यक्रम के प्रवर्तक के साथ। लेकिन, जिस क्षण प्रतियां हैं इसे बनाया और विपणन किया जाता है और यह ऐसी वस्तु बन जाती है जो अतिसंवेदनशील होती है

बिक्री-कर। " उच्चतम न्यायालय इस संदर्भ में बोल रहा था कि

जब कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम स्थानांतरित या लाइसेंस प्राप्त होता है तो अनुदान प्राप्तकर्ता उसे। डसॉल्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि एक की अनुपस्थिति में

बिक्री या बिक्री के प्रस्ताव को समाप्त करने का स्वतंत्र अधिकार, धारा 14 मामले को धारा 9 (1) (vi) के भीतर लाने के लिए लागू नहीं किया जा सका

उस धारा के खंड (ख) के उपखंड (ii) को लागू करके अधिनियम। यह.

यह निष्कर्ष निकाला गया था कि कॉपीराइट का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है

लाइसेंसधारी को प्रदान किया गया। हमारे विचार में जब भी सॉफ्टवेयर है

उपयोग के लिए हस्तांतरित या लाइसेंस प्राप्त, यह अपने भीतर कॉपीराइट लेता है सॉफ्टवेयर में एम्बेडेड और एक से अलग नहीं किया जा सकता है

दूसरा "।

(पृष्ठ 17)

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

96. ए. ए. आर. ने तब तर्क दिया कि एक लाइसेंस था

यह इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा कि कॉपीराइट का हस्तांतरण हुआ था, और यह कि आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 का उल्लेख करते हुए, केवल कॉपीराइट के संबंध में अधिकारों को हस्तांतरित करने वाले लाइसेंस को शामिल करने के लिए लाइसेंस के माध्यम से हस्तांतरण को सीमित करने के लिए किसी समाज के सिद्धांत का उपयोग करने का कोई औचित्य नहीं था। यह. फिर आयोजित किया गया:

" तथाकथित भेद पर काफी तर्क दिए जाते हैं।

प्रतिलिप्याधिकार और प्रतिलिप्याधिकार वाले लेखों के बीच। ए क्या है?

प्रतिलिपि अधिकार वाला लेख? यह और कुछ नहीं बल्कि एक लेख है जिसमें शामिल किया गया है।

मालिक, समनुदेशिती, अनन्य अनुज्ञप्तिधारी का प्रतिलिप्याधिकार या लाइसेंसधारी। इसलिए, जब किसी कॉपीराइट वाले लेख को अनुमति या लाइसेंस दिया जाता है

शुल्क के लिए उपयोग करने के लिए, अनुमति में न केवल भौतिक शामिल है

या किसी कार्यक्रम की इलेक्ट्रॉनिक अभिव्यक्ति, लेकिन इसका उपयोग भी या

उसमें अंतर्निहित प्रतिलिप्याधिकार का उपयोग करने का अधिकार। इसके अलावा,

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम या आयकर अधिनियम या डी. टी. ए. सी. इसका उपयोग नहीं करता है।

अभिव्यक्ति 'कॉपीराइट लेख', जिसका उपयोग किया जा सकता था यदि इरादा आवेदक द्वारा दावा किया गया था। में

परिस्थितियों में, जो अंतर करने की मांग की गई है, वह प्रतीत होता है भ्रमपूर्ण "।

(पृष्ठ 19)

97. ए. ए. आर. का यह निर्णय कुछ सिद्धांतों के विपरीत है।

जब एक गैर-अनन्य लाइसेंस के तहत, एक अंतिम उपयोगकर्ता को सीडी के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, तो अंतिम उपयोगकर्ता को केवल सॉफ्टवेयर का उपयोग करने

का अधिकार प्राप्त होता है और इससे अधिक कुछ नहीं। अंतिम उपयोगकर्ता को कोई भी अधिकार नहीं मिलता है जिसे मालिक धारा 14 (बी) के तहत बनाए रखना जारी रखता है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की उप-धारा (ए) (आई)-(vii) के साथ पढ़ा जाता है। इस प्रकार, यह निष्कर्ष कि जब कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को एक के तहत उपयोग के लिए लाइसेंस दिया जाता है

ईयूएलए, जिसे लाइसेंस भी दिया गया है, उसमें अंतर्निहित कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार है, पूरी तरह से गलत है। ई. यू. एल. ए. के तहत किसी उत्पाद के उपयोग के लिए लाइसेंस को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 में बताए गए लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि इस तरह के ई. यू. एल. ए. केवल अंतिम उपयोगकर्ता पर प्रतिबंधात्मक शर्तें लगाता है और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित किसी भी अधिकार से संबंधित किसी भी हित में भाग नहीं लेता है।

98. वास्तव में, अन्यथा भी, पहले सिद्धांतों पर,

डसॉल्ट (एएआर) (उपरोक्त) में संदर्भित कॉपीराइट (14 वां संस्करण) (1999) पर कॉपिंगर और स्कोन जेम्स के उद्धरण से यह स्पष्ट होता है कि किसी काम में कॉपीराइट का स्वामित्व [2021] 2 एस. सी. आर. के स्वामित्व से अलग है।

भौतिक सामग्री जिसमें कॉपीराइट कार्य हो सकता है अंत:स्थापित। डसॉल्ट (ए. ए. आर.) (ऊपर) फैसले में ए. ए. आर. द्वारा सही ढंग से भरोसा किया गया यह महत्वपूर्ण मार्ग पूरी तरह से छूट गया है।

99. इसके अलावा, इस निर्धारण में निहित तर्क को समझना मुश्किल है। यह स्वयं विरोधाभासी है जब यह कहा जाता है कि डी. टी. ए. ए.

जो "रॉयल्टी" को परिभाषित करता है, उसे किसी भी तरह से अनुमति दी जानी चाहिए, क्योंकि इस शब्द को वैसे ही समझा जाना चाहिए जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। इस धारणा को समझना भी मुश्किल है कि ए. ए. आर. को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 में निहित "कॉपीराइट" की परिभाषा से विवश होने की आवश्यकता नहीं है, जब हम डी. टी. ए. ए. का अर्थ लगाते हैं, जब हम पहले ही देख चुके हैं कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 16 यह स्पष्ट करती है कि कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट अधिनियम या किसी अन्य लागू कानून के प्रावधानों के अलावा कॉपीराइट का हकदार नहीं होगा।

100. इसके अलावा, आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण में निहित अधिक विस्तृत भाषा पर किसी भी निर्णय को नजरअंदाज करना होगा यदि यह आयकर अधिनियम की धारा 90 (2) के अनुसार डी. टी. ए. ए. में निहित परिभाषा की तुलना में निर्धारिती के लिए व्यापक और कम फायदेमंद है, जिसे उसके स्पष्टीकरण 4 और डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 3 (2) के साथ पढ़ा जाता है। इसके अलावा, "कॉपीराइट" अभिव्यक्ति को उस क़ानून के संदर्भ में समझना होगा जो इससे संबंधित है, यह स्वीकार किया जा रहा है कि संविदाकारी राज्यों में लागू होने वाले नगरपालिका कानूनों को तब तक लागू किया जाना चाहिए जब तक कि डी. टी. ए. ए. की शर्तों के लिए कोई प्रतिकूलता न हो। इन सभी कारणों से, सिट्रिक्स सिस्टम (एएआर) (उपरोक्त) में एएआर का निर्धारण कानून को सही ढंग से नहीं बताता है और इस प्रकार इसे अलग कर दिया जाता है।

101. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हमारे समक्ष विभिन्न अपीलों, अर्थात् सी. आई. टी. बनाम. में आक्षेपित एक निर्णय में कहा। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी

लिमिटेड, (2012) 345 आई. टी. आर. 494 ने यह भी माना कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के माध्यम से जो बेचा/लाइसेंस दिया गया था, उसमें कॉपीराइट में अधिकार या ब्याज का अनुदान शामिल था, और इस प्रकार रॉयल्टी के भुगतान को जन्म दिया, जिसके बाद टी. डी. एस. की कटौती की आवश्यकता थी। अपील के तहत इस फैसले का तर्क इस प्रकार दिया गया है:

" ..... तदनुसार, हम मानते हैं कि सॉफ्टवेयर की एक प्रति बनाने और उसी की प्रति बनाकर आंतरिक व्यवसाय के लिए इसका उपयोग करने और उसे निर्दिष्ट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में संग्रहीत करने और प्रतिलिपि वापस लेने का अधिकार अधिनियम की धारा 14 (1) के तहत कॉपीराइट कार्य के बराबर होगा और प्रतियां बनाकर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए लाइसेंस दिया जाता है, जो [होगा], लेकिन दिए गए लाइसेंस के लिए,

यह कॉपीराइट का उल्लंघन है और लाइसेंसधारी एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड के प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र में है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

लाइसेंस के तहत सॉफ्टवेयर की कानूनी प्रति का कब्जा।

इसलिए, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील का तर्क है कि कॉपीराइट या कॉपीराइट के किसी भी हिस्से का हस्तांतरण नहीं है और लेनदेन में केवल कॉपी की प्रति की बिक्री शामिल है।

कॉपीराइट सॉफ्टवेयर को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

सॉफ्टवेयर जिसमें प्रतिवादी-आपूर्तिकर्ता कॉपीराइट का मालिक बना हुआ है और लाइसेंस के तहत जो दिया गया है वह केवल समझौते की शर्तों के अनुसार सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाने का अधिकार है, जो, लेकिन लाइसेंस के लिए उल्लंघन के बराबर होगा। कॉपीराइट और दिए गए लाइसेंस को देखते हुए, यह ऊपर उल्लिखित कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 के तहत उल्लंघन नहीं होगा।

इसलिए, गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता को सिकुड़े हुए सॉफ्टवेयर, या ऑफ-द-शेल्फ सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए भुगतान की गई राशि है

न केवल सी. डी. की कीमत, न केवल सॉफ्टवेयर की कीमत और न ही दिए गए लाइसेंस की कीमत। यह सभी और सार में एक संयोजन है, जब तक कि अंतिम उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाने और डाउनलोड करने की अनुमति देने वाला लाइसेंस नहीं दिया जाता है, मूर्ख सी. डी. जिसमें सॉफ्टवेयर होता है। किसी भी तरह से अंतिम उपयोगकर्ता के लिए सहायक नहीं होगा क्योंकि सॉफ्टवेयर सक्रिय हो जाएगा, केवल तभी जब इसे नियम और शर्तों के अनुसार निर्दिष्ट कंप्यूटर के हार्डवेयर में डाउनलोड किया जाता है।

समझौता और जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और कॉपीराइट के बीच अंतर बनाता है, पुस्तकों या पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संगीत [सी. डी.] के संबंध में, पुस्तक और पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संगीत सी. डी. का उपयोग एक बार खरीदे जाने के बाद किया जा सकता है, लेकिन जहां तक गूंगे सी. डी. में संग्रहीत सॉफ्टवेयर का संबंध है, गूंगे सी. डी. का हस्तांतरण अपने आप में अंतिम उपयोगकर्ता और उसके उद्देश्य को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगा।

सी. डी. केवल अंतिम उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर की एक प्रति लेने और लाइसेंस होने पर इसे निर्दिष्ट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में संग्रहीत करने में सक्षम बनाने के लिए है।

उस ओर से दिया जाता है और लाइसेंस के अभाव में, यह कॉपीराइट का उल्लंघन होगा, जो विशेष रूप से गैर-निवासी आपूर्तिकर्ताओं के स्वामित्व में है, जो कॉपीराइट के मालिक बने रहेंगे। इसलिए, पुस्तक की खरीद के लेन-देन या पूर्व-रिकॉर्ड किए गए संगीत के बीच कोई समानता नहीं है सी. डी. या सी. डी. जिसमें सॉफ्टवेयर है और उसी को ध्यान में रखते हुए, विधानमंडल ने अपने विवेक में, साहित्यिक कार्यों को "कंप्यूटर" सॉफ्टवेयर [2021] 2 एस. सी. आर. से अलग पुस्तकों और अन्य लेखों की तरह माना है।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 के तहत ऊपर उल्लिखित "कॉपीराइट" के अर्थ के भीतर। डी. टी. ए. ए., आय-कर अधिनियम, कॉपीराइट अधिनियम के उपरोक्त विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि भुगतान

डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 (3) के अर्थ के भीतर और यहां तक कि अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के प्रावधानों के अनुसार भी "रॉयल्टी" का गठन करता है क्योंकि अधिनियम के खंड 9 (1) (vi) के तहत "रॉयल्टी" की परिभाषा डी. टी. ए. ए. के तहत "रॉयल्टी" की परिभाषा से व्यापक है क्योंकि वर्तमान मामले में हस्तांतरित अधिकार का हस्तांतरण है -

आंतरिक व्यवसाय के लिए सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाने के अधिकार और उस संबंध में किए गए भुगतान सहित कॉपीराइट का गठन होगा। " अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (iv) के अनुसार तकनीकी, औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक ज्ञान, अनुभव या कौशल से संबंधित किसी भी जानकारी को प्रदान करने के लिए रॉयल्टी। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, धारा 90 के प्रावधानों को देखते हुए

अधिनियम के अनुसार, विदेशों के साथ डी. टी. ए. ए. के समझौते होंगे

अधिनियम के प्रावधानों को ओवरराइड करें। एक बार जब यह माना जाता है कि गैर-निवासी कंपनियों को उत्तरदाताओं द्वारा किया गया भुगतान संबंधित देश के साथ डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 के अर्थ के भीतर "रॉयल्टी" के बराबर होगा, तो यह स्पष्ट है कि उत्तरदाताओं द्वारा गैर-निवासी आपूर्तिकर्ता को किया गया भुगतान निम्नलिखित राशि के बराबर होगा: राजघराने। उक्त निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए उत्तरदाताओं की ओर से दायित्व है और इन अपीलों को इस अदालत में वापस भेजते समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार परिणाम सामने आएंगे। तदनुसार, हम राजस्व के पक्ष में और निर्धारिती के खिलाफ कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि

तथ्यों पर और मामले की परिस्थितियों में, आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण यह अभिनिर्धारित करने में न्यायोचित नहीं था कि विदेशी सॉफ्टवेयर आपूर्तिकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा भुगतान की गई राशि "रॉयल्टी" नहीं थी और इससे भारत में कर योग्य कोई "आय" नहीं हुई और इसलिए, प्रत्यर्थी स्रोत पर किसी भी कर की कटौती करने और निम्नलिखित आदेश पारित करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे:

सभी अपीलों की अनुमति है। इन अपीलों में आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, बैंगलोर पीठ "ए" द्वारा पारित आदेश को दरकिनार कर दिया गया है और आयकर आयुक्त (अपील) द्वारा पारित आदेश जो निर्धारण अधिकारी (टीडीएस)-I द्वारा पारित आदेश की पुष्टि करता है, उसे बहाल कर दिया गया है।

(पृष्ठ 527-528)

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

102. इस निर्णय का तर्क भी हमारे लिए उचित नहीं है। वही त्रुटि जो सिट्रिक्स सिस्टम में एएआर द्वारा की गई थी (ए. ए. आर.) (ऊपर), इस निर्णय में बनाया गया था, अर्थात, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बीच कोई अंतर नहीं किया गया था जिसे सीडी/अन्य पर बेचा/लाइसेंस दिया गया था।

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) और 14 (बी) में उल्लिखित किसी भी अधिकार या हित के संबंध में भौतिक माध्यम और कॉपीराइट का विभाजन। यह मामला होने के कारण, इस निर्णय का तर्क उसी मौलिक दोष से ग्रस्त है जिससे सिट्रिक्स सिस्टम (एएआर) (उपरोक्त) में निर्णय पीड़ित है। क्या इस तरह के कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए भुगतान डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 या धारा 9 (1) (vi) के अर्थ के भीतर रॉयल्टी के बराबर हो सकता है?

आयकर अधिनियम।

103. कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक अन्य निर्णय में, दिनांक 03.08.2020, सी. आई. टी. v. सारांश इंटरनेशनल ओल्ड लिमिटेड, आई. टी. ए. सं.

11-15 / 2008 [" सारांश इंटल "।] , 40 उच्च न्यायालय ने भरोसा किया कि

आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में "के संबंध में" पद धारण करते हुए:

" 27. "के संबंध में" शब्द संसद के व्यापक अर्थ देने के इरादे को दर्शाते हैं। "इन" या "ऑन" शब्द की तुलना में "के संबंध में" शब्द एक व्यापक अर्थ को स्वीकार करते हैं। "के संबंध में" अभिव्यक्ति का अर्थ है "के लिए जिम्मेदार"। यदि इसका व्यापक अर्थ "संबंधित या संदर्भ के साथ" दिया गया है, तो इसका उपयोग किया गया है। "जुड़े हुए" होने के अर्थ में। चाहे वह राजकोषीय कानून हो या उस मामले के लिए कोई कानून, व्याख्या का सुनहरा नियम उन सभी पर समान रूप से लागू होता है, अर्थात, एक मामले में शब्द।

कानून को इसका शाब्दिक अर्थ दिया जाना चाहिए। राजकोषीय विधान के संबंध में उन शब्दों का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना चाहिए। यदि वे शब्द दो अर्थों में सक्षम हैं तो वह अर्थ दिया जाना चाहिए जो किसी निर्धारिती के लिए फायदेमंद हो। हालांकि, जब उपयोग किए गए शब्दों का अर्थ स्पष्ट, स्पष्ट है, केवल इसलिए कि यह एक राजकोषीय कानून है, तो अर्थ को संकुचित नहीं किया जा सकता है और इसकी व्याख्या इस तरह से नहीं की जा सकती है कि केवल निर्धारिती को लाभ मिले। फिर यह एक राजकोषीय कानून की व्याख्या करने की आड़ में धारा को फिर से लिखना होगा, जो कानून में पूरी तरह से अस्वीकार्य है। जब विधायिका ने सलाह दी है कि "के संबंध में" शब्दों का उपयोग किया है, तो इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है। उक्त वाक्यांश सक्षम है

40 इस निर्णय पर कर्नाटक उच्च न्यायालय के कई निर्णयों द्वारा भरोसा किया गया है जो हमारे समक्ष अपीलों में विवादित हैं।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

एक व्यापक अर्थ में, इसका उपयोग धारा में कॉपीराइट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण से होने वाली सभी आय को कर दायरे में लाने के लिए किया जाता है। कर चोरी को रोकने के लिए अधिनियमित कर कानून के प्रावधानों में कर चोरी को दबाने के उद्देश्य को प्रभावी बनाने के लिए एक उदार संरचना दी जानी चाहिए, हालांकि शुल्क लगाने वाले प्रावधानों का सख्ती से अर्थ लगाया जाता है कि कर का भुगतान करने के लिए कोई प्राथमिक दायित्व नहीं है और धारा लगाने का उद्देश्य केवल व्यक्तियों और गतिविधियों पर शुल्क लगाना है जो इसकी स्पष्ट शर्तों के भीतर लाए गए हैं। इसलिए, कर लगाने में उपयोग किए जाने वाले विशिष्ट शब्द

कानून, कर लगाने को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। यह विचार नहीं है

कॉपीराइट में सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के लिए। कॉपीराइट में किसी अधिकार को स्थानांतरित किए बिना प्राप्त करना संभव है बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए विचार जिसके लिए मालिक के पास कॉपीराइट है। अंततः, भुगतान किया गया प्रतिफल है

उस भौतिक वस्तु की उपयोगिता के लिए जिसके संबंध में एक कॉपीराइट मौजूद है। इसलिए, इरादा ऐसी सामग्री के उपयोग के लिए भुगतान किए गए विचार को बाहर करने का नहीं था जिसे लोकप्रिय रूप से कॉपीराइट लेख कहा जाता है। यहां तक कि एक कॉपीराइट वाले लेख के संबंध में भी वही स्थानांतरित किया जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कॉपीराइट में अधिकार स्थानांतरित नहीं किया जाता है, लेकिन कॉपीराइट वाले लेख में निहित कॉपीराइट के संबंध में एक अधिकार स्थानांतरित किया जाता है। इसलिए, संसद ने "कॉपीराइट में" शब्द के विपरीत "के संबंध में" वाक्यांश का उपयोग करना उचित समझा। अर्थ स्पष्ट है, इरादा स्पष्ट है, कोई अस्पष्टता नहीं है। इसलिए, इस व्यक्त शब्द की व्याख्या की कोई गुंजाइश नहीं है क्योंकि

जिस संदर्भ में इसका उपयोग प्रावधान में किया जाता है। किसी भी अन्य व्याख्या से उपरोक्त प्रावधान अनुचित हो जाएगा।

104. इस तरह के निर्णय के बाद, कर्नाटक का उच्च न्यायालय आगे चला गया

" 32. ..... इसलिए, अधिनियम में प्रयुक्त अभिव्यक्ति 'कॉपीराइट' वही नहीं हो सकती जो आयकर अधिनियम में उपयोग की गई है, जब विधायिका ने सलाह दी है कि 'कॉपीराइट के संबंध में' शब्द का उपयोग किया है, तो इसे कॉपीराइट में अधिकार के रूप में नहीं माना जा सकता है और दूसरी व्याख्या के लिए कॉपीराइट अधिनियम में निर्दिष्ट अर्थ निर्धारित किया जा सकता है। स्पष्टीकरण (2) की भाषा स्पष्ट रूप से यह स्पष्ट करती है कि धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (vi) के उद्देश्य के लिए रॉयल्टी का अर्थ है सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के लिए विचार, जिसमें अनुदान भी शामिल है।

किसी भी कॉपीराइट, साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र के संबंध में लाइसेंस का।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

काम करते हैं। इसलिए, अधिनियम की धारा 14 में प्रयुक्त अनन्य अधिकार शब्द स्पष्टीकरण 2 में 'रॉयल्टी' शब्द के अर्थ में फिट नहीं बैठता है क्योंकि रॉयल्टी का अर्थ लाइसेंस देने सहित सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के लिए विचार करना है जो निश्चित रूप से कॉपीराइट या साहित्यिक कार्य में सभी अधिकारों का अनन्य अधिकार या हस्तांतरण नहीं है। प्रतिलिप्याधिकार अधिकारों को पूरी तरह से अलग करने वाले हस्तांतरण के बिना प्रतिलिप्याधिकार में आंशिक अधिकारों के अधिग्रहण के लिए किए गए भुगतान एक रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे जहां विचार इस तरह से कार्यक्रम [एम] ई का उपयोग करने के लिए रोशनी देने के लिए है जो इस तरह के लाइसेंस के बिना, प्रतिलिप्याधिकार का उल्लंघन होगा। इन परिस्थितियों में, भुगतान कार्यक्रम में कॉपीराइट का उपयोग करने के अधिकार के लिए हैं, यानी उन अधिकारों का दोहन करने के लिए जो अन्यथा कॉपीराइट धारक का एकमात्र विशेषाधिकार होगा। इसलिए, आय-कर अधिनियम के तहत रॉयल्टी का गठन करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि इसमें अनन्य अधिकार का हस्तांतरण होना चाहिए।

कॉपीराइट, यह पर्याप्त है यदि अधिकार में किसी भी ब्याज का हस्तांतरण होता है और लाइसेंस देने के लिए भुगतान किया गया लाइसेंस और प्रतिफल भी आयकर अधिनियम में उक्त खंड के उद्देश्य के लिए रॉयल्टी का गठन करता है। इस पृष्ठभूमि में, यह चर्चा पूरी तरह से होगी कि क्या भुगतान कॉपीराइट के लिए है या कॉपीराइट लेख के लिए है अप्रासंगिक। इस मुद्दे का सार यह है कि क्या किसी अधिकार के लिए, या कॉपीराइट के संबंध में लाइसेंस देने के लिए कोई प्रतिफल दिया जाता है। 'के संबंध में' शब्द एक व्यापक अर्थ देता है। इसका उपयोग जुड़े होने के अर्थ में किया गया है। जब विधायिका ने सलाह दी है कि 'के संबंध में' शब्दों का उपयोग किया है, तो इरादा स्पष्ट और स्पष्ट है। उक्त वाक्यांश सक्षम है

एक व्यापक अर्थ में, इसका उपयोग धारा में कॉपीराइट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण से होने वाली सभी आय को कर दायरे में लाने के लिए किया जाता है।

XXX XXX XXX

35. कॉपीराइट एक कंप्यूटर प्रोग्राम में रहता है। यह न केवल अनधिकृत पुनरुत्पादन है, बल्कि कंप्यूटर में किसी प्रोग्राम का भंडारण भी कॉपीराइट का उल्लंघन है। साहित्यिक कृति (जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम) की प्रतिलिपि बनाने में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम में कृति को संग्रहीत करना शामिल है। प्रतिलिपि बनाने में ऐसी प्रतियां बनाना शामिल है जो क्षणिक हैं या काम का कोई अन्य उपयोग है।

39. इसमें कोई संदेह नहीं है कि डी. टी. ए. ए. के प्रावधान आयकर अधिनियम के प्रावधानों को दरकिनार करते हैं। डी. टी. ए. ए. में 'रॉयल्टी' शब्द का अर्थ है किसी भी प्रकार का भुगतान जो इसके लिए प्रतिफल के रूप में प्राप्त होता है।

किसी भी अनन्य अधिकार का हस्तांतरण होना। उपयोग करने का मात्र अधिकार या कॉपीराइट का उपयोग स्पष्टीकरण की शरारत के दायरे में आता है। (2) धारा 9 की उप-धारा (1) के खंड (v) के लिए और कर के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, हम उक्त विवाद में कोई सार नहीं देखते हैं।

XXX XXX XXX

43. लाइसेंस कुछ ऐसा करने की अनुमति है जो अन्यथा गैरकानूनी होगा। इसलिए सवाल यह उठता है कि सॉफ्टवेयर लाइसेंस द्वारा कौन सी कानूनी अनुमति दी जाती है। संक्षेप में इसका उत्तर यह है कि कुछ मामलों में लाइसेंस का उपयोग करने की अनुमति होगी। गोपनीय जानकारी, और लगभग सभी मामलों में [.] यह एक कॉपीराइट कार्य की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति होगी। अगर सॉफ्टवेयर है

निर्माता द्वारा गुप्त रखा जाता है, या केवल गोपनीयता की शर्तों पर प्रदान किया जाता है और बहुत व्यापक रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है, तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस गोपनीय जानकारी के लाइसेंस के समान होगा या पता होगा-कैसे। कॉपीराइट के मालिक या लाइसेंसधारक को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने की अनुमति देने का अधिकार है।

जिनके संबंध में उनके पास कॉपीराइट है, कॉपीराइट में अधिकार हस्तांतरित किए बिना। यह कॉपीराइट स्वामी या लाइसेंसधारक के अधिकारों में से एक है। इस तरह के अधिकार के हस्तांतरण के बिना, अंतिम उपयोगकर्ता को सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वह इसका उपयोग करता है, तो यह कॉपीराइट का उल्लंघन है। इस तरह के अधिकार के हस्तांतरण के लिए यदि विचार का भुगतान किया जाता है, तो यह कॉपीराइट के हस्तांतरण के लिए नहीं है, बल्कि कॉपीराइट में अंतर्निहित बौद्धिक संपदा के उपयोग के लिए है, और इसलिए यह कॉपीराइट के मालिक के उन अधिकारों में से एक के हस्तांतरण के लिए है। यह कॉपीराइट में अधिकार नहीं है, लेकिन यह कॉपीराइट के संबंध में है। जब एक कॉपीराइट लेख भी बेचा जाता है, तो अंतिम उपयोगकर्ता को EXCELENCE PVT LTD v की अंतर्निहित इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र बौद्धिक संपदा का उपयोग करने का अधिकार मिलता है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रतिलिप्याधिकार में और प्रतिलिप्याधिकार में अधिकार नहीं। इसलिए अपनाया गया तरीका या दी गई शब्दावली निर्णय लेने के लिए निर्णायक नहीं है।

स्थानांतरण की प्रकृति। अंततः यह वह पदार्थ है जिसे

गौर कीजिए "।

105. सारांश में कर्नाटक उच्च न्यायालय का तर्क

इंटल। (सुप्रा) हमारे लिए अपनी प्रशंसा नहीं करता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण, जैसा कि मद्रास राज्य बनाम में आयोजित किया गया है। स्वास्तिक टोबैको फैक्ट्री, (1966) 3 एस. सी. आर. 79, अभिव्यक्ति "के संबंध में", जब एक कराधान क़ानून में उपयोग किया जाता है, तो केवल "पर" या "के लिए जिम्मेदार" शब्दों का पर्याय है। इस तरह का अर्थ "के संबंध में" अभिव्यक्ति को दिए जाने वाले अर्थ से मेल खाता है। आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) के स्पष्टीकरण 2 (v) में निहित है, और किसी भी तरह से अभिव्यक्ति को अनुचित नहीं बनाएगा, जैसा कि कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा गलत तरीके से अभिनिर्धारित किया गया है।

106. दूसरा, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 16, जिसमें कहा गया है कि

" कोई भी व्यक्ति कॉपीराइट का हकदार नहीं होगा. इस अधिनियम या कुछ समय के लिए लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों के तहत और उसके अनुसार के अलावा "पूरी तरह से छूट गया है, इस प्रकार यह स्पष्ट करता है कि" कॉपीराइट "अभिव्यक्ति को केवल उसी तरह समझा जाना चाहिए जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 में कहा गया है और अन्यथा नहीं।

107. तीसरा, जब कंप्यूटर प्रोग्राम की बात आती है, तो उच्च

कोर्ट इन सिनोप्सिस इंटल। (उपर्युक्त) यह कहने में पूरी तरह से गलत था कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम का भंडारण स्वयं उल्लंघन होगा।

प्रतिलिप्याधिकार। यह, फिर से, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) की शर्तों के सीधे विपरीत होगा।

108. चौथा, उच्च न्यायालय धारा का उल्लेख करने में सही नहीं है

9 (1) ((vi) आयकर अधिनियम, जैसा कि उच्च न्यायालय द्वारा अर्थ लगाया गया है। यहाँ फिर से, आयकर अधिनियम की धारा 90 (2), जिसे उसके स्पष्टीकरण 4 के साथ पढ़ा जाता है, की उचित रूप से सराहना नहीं की गई है। 41 अधिसूचनाः नहीं। जीएसआर 105 (ई) [45/2002 (एफ. संख्या 503/6/99-एफटीडी)], दिनांक 20-2-2002।

21] 2 एस सी आर।

109. पाँचवाँ, यह निष्कर्ष भी पूरी तरह से गलत है कि जब एक कॉपीराइट लेख बेचा जाता है, तो अंतिम उपयोगकर्ता को कॉपीराइट में सन्निहित बौद्धिक संपदा अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार मिलता है, जो इसलिए काम में कॉपीराइट मालिक के एक विशेष अधिकार के हस्तांतरण के बराबर होगा।

इन सभी कारणों से, इसलिए, सारांश अंतर्राष्ट्रीय में कर्नाटक उच्च न्यायालय का निर्णय। (ऊपर) कानून भी नहीं बताता है

सही है।

110. दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए कई निर्णयों में उसी प्रश्न पर विचार किया गया है जो अब हमारे सामने है। आय निदेशक में

कर v. एरिक्सन ए. बी., (2012) 343 आई. टी. आर. 470 ["एरिक्सन ए. बी".], जिसे सी. ए. सं. में आरोपित किया जाता है। 6386-6387 / 2016 हमसे पहले, निर्धारिती स्वीडन में निगमित एक कंपनी थी जिसने एक

भारतीय सेलुलर ऑपरेटरों के साथ समझौता, जिसके अनुसार निर्धारिती ने सॉफ्टवेयर के साथ एम्बेडेड विभिन्न उपकरणों (हार्डवेयर) की आपूर्ति की सेलुलर ऑपरेटरों ने कहा। इस मामले में उच्च न्यायालय ने पाया कि:

" एक बार जब हम उपरोक्त तथ्यात्मक निष्कर्षों के आधार पर आगे बढ़ते हैं, तो यह मानना मुश्किल होता है कि निर्धारिती को किया गया भुगतान आयकर अधिनियम या डी. टी. ए. ए. के तहत रॉयल्टी की प्रकृति का था। हमें यह ध्यान रखना होगा कि निर्धारिती द्वारा भारतीय ग्राहकों को जो बेचा गया था वह एक जी. एस. एम. था जिसमें हार्डवेयर के साथ-साथ सॉफ्टवेयर दोनों शामिल थे, इसलिए न्यायाधिकरण का यह मानना सही है कि राजस्व के लिए दो अलग-अलग वस्तुओं के तहत इसका आकलन करने की अनुमति नहीं थी। हार्डवेयर पर लोड किए गए सॉफ्टवेयर का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था। सॉफ्टवेयर आपूर्ति जी. एस. एम. मोबाइल का एक अभिन्न अंग है। टेलीफोन प्रणाली और इसका उपयोग सेलुलर ऑपरेटर द्वारा अपने ग्राहकों को सेलुलर सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाता है। इस तरह के सॉफ्टवेयर का कोई स्वतंत्र उपयोग नहीं हो सकता था। सॉफ्टवेयर में सन्निहित है

प्रणाली और राजस्व स्वीकार करते हैं कि इसका स्वतंत्र रूप से उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह सॉफ्टवेयर केवल उपकरण के काम करने की सुविधा प्रदान करता है और इसका एक अभिन्न अंग है। इन तथ्यों पर, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज बनाम में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करना उपयोगी होगा। आंध्र प्रदेश राज्य, 271 आई. टी. आर. 401, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह

अभिनिर्धारित किया कि जो सॉफ्टवेयर मीडिया में शामिल किया गया है, वह माल होगा और इसलिए, बिक्री कर के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में निम्नलिखित चर्चा पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है:

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" हमारे विचार में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 366 (12) में प्रयुक्त और उक्त अधिनियम के तहत परिभाषित "माल" शब्द बहुत व्यापक है और इसमें सभी प्रकार की चल संपत्तियां शामिल हैं, चाहे वे संपत्तियां मूर्त हों या अमूर्त। हम पूर्ण हैं

इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के साथ समझौता

एसोसिएटेड सीमेंट कंपनीज लिमिटेड (ऊपर)। एक सॉफ्टवेयर

कार्यक्रम में विभिन्न आदेश शामिल हो सकते हैं जो सक्षम करते हैं

एक निर्दिष्ट कार्य करने के लिए कंप्यूटर। में कॉपीराइट

वह कार्यक्रम इसके प्रवर्तक के पास रह सकता है कार्यक्रम। लेकिन जिस क्षण प्रतियाँ बनाई और विपणन की जाती हैं,

डिस्क या कैसेट, और विपणन "माल" बन जाते थे। हम किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बिक्री में कोई अंतर नहीं देखते हैं। कैसेट/सी. डी. पर संगीत की बिक्री या वीडियो कैसेट/सी. डी. पर फिल्म की बिक्री से एक सी. डी./फ्लापी डिस्क। ऐसे सभी मामलों में, बौद्धिक संपदा को एक मीडिया में शामिल किया गया है।

स्वयं का बहुत कम मूल्य है। सॉफ्टवेयर और मीडिया को विभाजित नहीं किया जा सकता है। खरीदार जिसे खरीदता है और जिसके लिए भुगतान करता है वह डिस्क या सीडी नहीं है। जैसा कि चित्रों या पुस्तकों या संगीत या फिल्मों के मामले में खरीदार बौद्धिक संपदा खरीद रहा है, न कि मीडिया यानी कागज या कैसेट या डिस्क या सीडी। इस प्रकार कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की लेन-देन बिक्री स्पष्ट रूप से एक बिक्री है " माल "उक्त अधिनियम में परिभाषित शब्द के अर्थ के भीतर। "सभी सामग्री, वस्तुएँ और वस्तुएँ" शब्द में मूर्त और अमूर्त/अमूर्त संपत्ति दोनों शामिल हैं जो है -

अमूर्तता, उपभोग और उपयोग में सक्षम और जिसे प्रेषित किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, वितरित किया जा सकता है, संग्रहीत किया जा सकता है, कब्जा किया जा सकता है आदि। द.

सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों में ये सभी विशेषताएं होती हैं।

एडवेंट सिस्टम्स लिमिटेड v. यूनिसिस कॉर्प, 925 एफ. 2 डी 670 (तीसरा सिर। 91), श्री सोराबजी द्वारा भरोसा किया गया, अदालत समान नागरिक संहिता की व्याख्या से संबंधित थी जो "लेनदेन वस्तुओं पर लागू होती है"। उसमें वस्तुओं को "उन सभी चीजों (विशेष रूप से निर्मित वस्तुओं सहित) के रूप में परिभाषित किया गया था जो उस समय चलने योग्य हैं।ई बिक्री के लिए पहचान "। यह आयोजित किया गया था:

" कंप्यूटर प्रोग्राम एक बौद्धिक प्रक्रिया का उत्पाद हैं,

लेकिन एक बार एक माध्यम में प्रत्यारोपित होने के बाद व्यापक रूप से [2021] 2 एस. सी. आर. को वितरित किया जाता है।

कंप्यूटर मालिक। एक सादृश्य को एक कॉम्पैक्ट के लिए खींचा जा सकता है एक आर्केस्ट्रा प्रस्तुति की डिस्क रिकॉर्डिंग। संगीत तैयार किया जाता है

संगीतकारों की कलात्मकता और अपने आप में एक "अच्छा" नहीं है, लेकिन

जब एक लेजर-पठनीय डिस्क में स्थानांतरित किया जाता है तो यह आसानी से एक लेजर डिस्क बन जाती है। व्यापारिक वस्तु। इसी तरह, जब एक प्रोफेसर काम करता है

एक व्याख्यान, यह एक अच्छा नहीं है, लेकिन, जब एक पुस्तक के रूप में लिखा जाता है, तो यह

अच्छा बन जाता है। कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम बौद्धिक के रूप में कॉपीराइट योग्य हो सकता है

संपत्ति इस तथ्य को नहीं बदलती है कि एक बार एक के रूप में

फ़्लॉपी डिस्क या अन्य माध्यम, प्रोग्राम मूर्त, चलने योग्य है

और बाज़ार में उपलब्ध है। कि कुछ कार्यक्रम विशिष्ट उद्देश्यों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है उनकी स्थिति को बदलने की आवश्यकता नहीं है

"माल" के रूप में क्योंकि संहिता की परिभाषा में "विशेष रूप से" शामिल है

निर्मित वस्तुएँ "।

जब निर्धारिती उस सॉफ्टवेयर की आपूर्ति करता है जिसे सीडी में शामिल किया गया है, तो उसने मूर्त संपत्ति की आपूर्ति की है और ऐसी संपत्ति प्राप्त करने के लिए सेलुलर ऑपरेटर द्वारा किए गए भुगतान को रॉयल्टी के रूप में भुगतान नहीं माना जा सकता है।

(पृष्ठ 499-500)

" जो भी हो, रॉयल्टी भुगतान के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए,

धारा 9 (1) (vi) और विशेष रूप से स्पष्टीकरण-II के खंड (v) के अर्थ में, यह स्थापित करना आवश्यक है कि किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के कॉपीराइट के संबंध में सभी या किसी भी अधिकार (कोई लाइसेंस देने सहित) का हस्तांतरण है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 2 (0) यह स्पष्ट करती है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम को 'साहित्यिक कार्य' माना जाना चाहिए। इस प्रकार, सेलुलर ऑपरेटर द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल को रॉयल्टी के रूप में मानने के लिए, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि सेलुलर ऑपरेटर, ऐसा करके

भुगतान, इस तरह के साहित्यिक कार्य के सभी या किसी भी कॉपीराइट अधिकार प्राप्त करता है। उपस्थिति मामले में, यह स्थापित नहीं किया गया है। यह नहीं है।

यहां तक कि राजस्व के मामले में भी कि कॉपीराइट अधिनियम, 1957 की धारा 14 के तहत विचार किया गया कोई भी अधिकार आपूर्ति अनुबंध के अनुच्छेद 20 के परिणामस्वरूप इस सेलुलर ऑपरेटर में निहित था। "कॉपीराइट अधिकार" और "कॉपीराइट लेख" के अधिग्रहण के बीच अंतर किया जाना चाहिए। श्री दस्तूर इस कथन में सही हैं जो ओ. ई. सी. डी. मॉडल सम्मेलन पर टिप्पणी पर आधारित है।

इस तरह का एक विशिष्टता इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्राधिकरण फॉर एडवांस के हाल के एक फैसले में स्वीकार किया गया है

डसॉल्ट सिस्टम के. के. 229 सी. टी. आर. 125 में नियम (ए. ए. आर.)। हम भी श्री दस्तूर के समर्पण में बल ढूँढें कि यह मानते हुए भी कि

सेलुलर प्रचालक द्वारा किए गए भुगतान को भुगतान माना जाता है। धारा के नीचे स्पष्टीकरण 2 में परिभाषित रॉयल्टी के रूप में

9 (1) (vi), फिर भी, इसे कभी भी अपने भीतर रॉयल्टी नहीं माना जा सकता है।

डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 13, पैरा 3 में उक्त शब्द का अर्थ।

ऐसा इसलिए है क्योंकि डी. टी. ए. ए. में परिभाषा उससे संकीर्ण है।

अधिनियम में परिभाषा। अनुच्छेद 13 (3) के दायरे में आता है:

रॉयल्टी की परिभाषा उपयोग या अधिकार के लिए किया गया भुगतान

साहित्यिक कृति के प्रतिलिप्याधिकार का उपयोग करना। अतः क्या है?

विचार एक ऐसा भुगतान है जो उपयोगकर्ता पर निर्भर है

प्रतिलिपि अधिकार और एकमुश्त भुगतान नहीं जैसा कि स्थिति में है

वर्तमान मामला।

शीर्षक और जी. एस. एम. प्रणाली जिसमें सॉफ्टवेयर एक अविभाज्य था स्वतंत्र उपयोग में असमर्थ भाग और यह आपूर्ति के लिए एक अनुबंध था

माल की। इसलिए, भुगतान का कोई भी हिस्सा नहीं हो सकता है रॉयल्टी के लिए भुगतान के रूप में वर्गीकृत "।

(पृष्ठ 501-502)

111. इस फैसले का पालन आयकर निदेशक बनाम.

नोकिया नेटवर्क्स ओ. वाई., (2013) 358 आई. टी. आर. 259 ["नोकिया नेटवर्क्स ओ. वाई".], 42 दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ, इस बार, "रॉयल्टी" की और विस्तारित परिभाषा की ओर इशारा करते हुए जो पूर्वव्यापी में निहित है।

आयकर अधिनियम की धारा 9 (1) (vi) में स्पष्टीकरण 4 डालने वाला संशोधन। इस मामले में, उच्च न्यायालय भारत गणराज्य और फिनलैंड गणराज्य के बीच समझौते से संबंधित था

दोहरे कराधान से बचाव और राजकोषीय चोरी की रोकथाम आय पर करों के संबंध में, 4 3 ["भारत-फिनलैंड डी. टी. ए. ए"]। वित्त अधिनियम 2012 के माध्यम से किए गए स्पष्टीकरणात्मक संशोधन के लिए तर्क निर्धारित करने के बाद, उच्च न्यायालय ने कहा:

> " इस प्रकार उन्होंने प्रस्तुत किया कि "कॉपीराइट लेख" का प्रश्न या
>
> सॉफ्टवेयर के संदर्भ में वास्तविक कॉपीराइट दोनों में उत्पन्न नहीं होता है
>
> डी. टी. ए. ए. और आयकर अधिनियम में उपयोग के अधिकार के बाद से
>
> सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का सरलीकरण स्वयं कॉपीराइट का एक हिस्सा है।

42 इस निर्णय पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा भरोसा किया गया है जो हमारे समक्ष अपीलों में विवादित हैं। 43 अधिसूचना संख्या 36/2010 [F. संख्या 501/13/1980-FTD-I], दिनांक 20-5-2010।

21] 2 एस सी आर।

सॉफ्टवेयर में चाहे आगे का अधिकार हो या नहीं प्रतियाँ प्रदान की जाती हैं। दिल्ली पीठ का निर्णय

आई. टी. ए. टी. ने ग्रेसमैक कंपनी में अपने फैसले में इस पहलू पर विचार किया है। वी. एडीआईटी 134 टी. टी. जे. (दिल्ली) 257 इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर भी

ताक से खरीदा गया, एक "कॉपीराइट लेख" का गठन नहीं करता है

आई. टी. ए. टी. की विशेष पीठ द्वारा किए जाने की मांग की गई

वर्तमान मामला। हालाँकि, उपरोक्त तर्क महत्वपूर्ण बिंदु से चूक जाता है।

अर्थात् निर्धारिती ने संधि द्वारा शासित होने का विकल्प चुना है और

उक्त संधि की भाषा संशोधित धारा से अलग है।

9 अधिनियम से। यह स्पष्ट रूप से सी. आई. टी. वी. में आयोजित किया जाता है। सीमेंस

एकशनगेसेलशाफ्ट, 310 आई. टी. आर. 320 (बम) कि संशोधन

संधि में नहीं पढ़ा जा सकता है। संधि के शब्दों पर, हम

एरिक्सन (ऊपर) में पहले से ही माना गया है कि एक कॉपीराइट लेख है

रॉयल्टी के दायरे में नहीं आता है। इसलिए हम तय करते हैं कि

कानून का प्रश्न सं। 1 & 2 निर्धारिती के पक्ष में और उसके विरुद्ध

राजस्व "।

(पृष्ठ 281)

इसके बाद उच्च न्यायालय ने एरिक्सन ए. बी. मामले में अपने फैसले का पालन किया।

(उपर्युक्त), निर्धारिती के पक्ष में मामले का निर्णय लेना।

112. आयकर निदेशक v. इन्फ्रासॉफ्ट लिमिटेड, (2014) 264

सी. टी. आर. 329 ["इन्फ्रासॉफ्ट"], 44 दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने भारत-यू. एस. ए. डी. टी. ए. ए., आयकर अधिनियम और कॉपीराइट अधिनियम के प्रावधानों के एक विस्तृत

विश्लेषण द्वारा ऐसी स्थिति से निपटा जिसमें निर्धारिती जो मुख्य रूप से सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर के विकास और निर्माण के व्यवसाय में था, ने भारत में सिविल इंजीनियरिंग कार्य में लगे व्यक्तियों को उक्त सॉफ्टवेयर का लाइसेंस दिया। उच्च न्यायालय ने मोटोरोला इंक. बनाम में आई. टी. ए. टी. (नई दिल्ली) की विशेष पीठ के फैसले का उल्लेख किया। डिप्टी सी. आई. टी., दिनांक 22.06.2005 ["मोटोरोला (आई. टी. ए. टी.)"] निम्नानुसार है:

दिल्ली में मोटोरोला इंक बनाम के मामले में। डिप्टी सीट और डिप्टी सी. टी. वी. नोकिया (2005) 147 टैक्समैन 39 (दिल्ली)। न्यायाधिकरण

निम्नलिखित रूप में आयोजित किया गया है:

155. यह हमें तरीके की बारीकी से जांच से प्रतीत होता है।

जिसमें मामला आय-कर से पहले आगे बढ़ा है।

44 इस निर्णय पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा भरोसा किया गया है जो हमारे समक्ष अपीलों में विवादित हैं।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

अधिकारियों और हमारे सामने संबोधित तर्क कि मुद्दे का सार यह है कि भुगतान कॉपीराइट के लिए है या कॉपीराइट वाले लेख के लिए है। यदि यह कॉपीराइट के लिए है, तो इसे आयकर अधिनियम और डी. टी. ए. ए. दोनों के तहत रॉयल्टी के रूप में वर्गीकृत किया जाना चाहिए और इस आधार पर यह निर्धारिती के हाथों में कर योग्य होगा। यदि भुगतान वास्तव में किसी कॉपीराइट वाली वस्तु के लिए है, तो यह केवल वस्तु के खरीद मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है और इसलिए, इसे अधिनियम के तहत या डी. टी. ए. ए. के तहत रॉयल्टी नहीं माना जा सकता है। यह मुद्दा वास्तव में पूरे विवाद की कुंजी है और अब हम इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

156. हमें कॉपीराइट अधिनियम, 1957 में दिए गए "कॉपीराइट" शब्द के अर्थ पर गौर करना चाहिए। इस अधिनियम की धारा 14

वहाँ से [.] उपरोक्त परिभाषा से यह स्पष्ट है कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम

धारा के खंड (ख) में उल्लिखित सभी अधिकार हैं

(धारा 14 क क) आ (ख) क अर्थ ई होयत जे एकर प्रतिलिपि अधिकारमे कोनो अधिकार नहि अछि। उस स्थिति में, सेलुलर ऑपरेटर द्वारा किए गए भुगतान को आयकर अधिनियम या डी. टी. ए. ए. के तहत रॉयल्टी के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। सवाल यह है कि इसलिए, इसका जवाब दिया जाना चाहिए कि क्या कोई ऑपरेटर कर सकता है

निर्धारिती द्वारा प्रदान किए गए सॉफ्टवेयर के संदर्भ में उपरोक्त प्रावधानों में उल्लिखित किसी भी अधिकार का प्रयोग करें।

157. हम सबसे पहले आपूर्ति अनुबंध को देख सकते हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि जे. टी. एम., सेलुलर ऑपरेटरों में से एक, सॉफ्टवेयर के संदर्भ में सही तरीके से क्या कर सकता है। हम खुद को याद दिला सकते हैं कि जे. टी. एम. सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सभी सेलुलर ऑपरेटरों के प्रतिनिधि के रूप में लिया जाता है और

कि यह हमारे सामने आम आधार था कि सभी अनुबंध

जे. टी. एम. को उपयोग करने के लिए एक गैर-अनन्य प्रतिबंधित लाइसेंस दिया गया है सॉफ्टवेयर और प्रलेखन लेकिन केवल अपने स्वयं के संचालन के लिए

और प्रणाली का रखरखाव और अन्यथा नहीं। यह खंड

स्थिति के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रतीत होता है, अगर यह एक कॉपीराइट था,

कि कॉपीराइट का धारक इसके संबंध में कुछ भी कर सकता है

सार्वजनिक क्षेत्र में भी ऐसा ही है। जे. टी. एम. को क्या करने की अनुमति है

केवल अपने स्वयं के संचालन के उद्देश्य से सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए

और प्रणाली का रखरखाव। उस पर एक स्पष्ट पट्टी है

जे. टी. एम. द्वारा सार्वजनिक डोमेन में या इसके लिए उपयोग किया जा रहा सॉफ्टवेयर

व्यावसायिक दोहन का उद्देश्य।

158. दूसरा, धारा में "कॉपीराइट" की परिभाषा के तहत

14 कॉपीराइट अधिनियम का, जोर यह है कि यह एक अनन्य है

उसके धारक को दिया गया अधिकार। यह शर्त संतुष्ट नहीं है।

जे. टी. एम. के मामले में क्योंकि उसके द्वारा दिया गया लाइसेंस

खंड 20.1 में निर्धारिती को स्पष्ट रूप से गैर-अनन्य के रूप में कहा गया है।

प्रतिबंधित लाइसेंस "। इसका मतलब है कि सॉफ्टवेयर का आपूर्तिकर्ता, अर्थात्, निर्धारिती किसी को भी इसी तरह के सॉफ्टवेयर की आपूर्ति कर सकता है।

सेलुलर प्रचालक जिनकी संख्या जे. टी. एम. के पास नहीं हो सकती है

सॉफ्टवेयर केवल अपने संचालन के उद्देश्य के लिए और प्रणाली का रखरखाव और किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं। द.

सार्वजनिक रूप से सेलुलर ऑपरेटरों द्वारा सॉफ्टवेयर का उपयोगकर्ता

डोमेन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, जो इसके उपयोग से स्पष्ट है

समझौते के अनुच्छेद 20 में शब्द, "प्रतिबंधित" और " अन्यथा नहीं "। इस प्रकार जे. टी. एम. का अधिकार बहुत सीमित है।

सॉफ्टवेयर के उपयोग से संबंधित है। इसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है।

धारा 14 के खंड (क) या अतिरिक्त अधिकार में उल्लिखित धारा के खंड (ख) के उपखंड (ii) में उल्लिखित जो

एक कंप्यूटर प्रोग्राम से संबंधित है और इसलिए, जे. टी. एम. या

किसी अन्य सेलुलर ऑपरेटर ने समझौते के तहत अधिग्रहण किया है

यह कॉपीराइट नहीं है, बल्कि केवल एक कॉपीराइट लेख है।

9999

(पृष्ठ 362-364)

3. इसके अलावा, अदालत ने नोट किया कि वही तर्क जिसने पाया

सिट्रिक्स सिस्टम (एएआर) (सुप्रा) में एएआर के साथ उत्कृष्टता पीवीटी लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र को दबाया गया था।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

राजस्व की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा सेवा करने के लिए

मोटोरोला (आई. टी. ए. टी.) (ऊपर) का मामला, और यह सही ढंग से बदल गया था

अपने रूप में इस प्रकार है:

" 163. अब हम श्री जी. सी. की आपत्तियों पर संक्षेप में विचार कर सकते हैं। शर्मा, विभाग के विद्वान वरिष्ठ वकील। वह.

तर्क दिया कि यदि कोई व्यक्ति कॉपीराइट वाले लेख का मालिक है तो वह

स्वचालित रूप से कॉपीराइट पर भी अधिकार है। सम्मान के साथ,

यह आपत्ति हमें सही नहीं लगती है। श्री दस्तूर ने दाखिल किया

द्वारा संपादित अयंगर के कॉपीराइट अधिनियम (तीसरा संस्करण) से एक उद्धरण

आर. जी. चतुर्वेदी लेखक की निम्नलिखित टिप्पणियाँ हैं -

बिन्दु:

यह विशेषाधिकार की प्रकृति में एक अमूर्त अधिकार है, किसी भी भौतिक पदार्थ से काफी स्वतंत्र, जैसे कि

पांडुलिपि। प्रतिलिप्याधिकार स्वामी इस पर इसका निपटान कर सकता है शर्तें जो वह उचित समझता है। उसे अनन्य का व्यक्तिगत अधिकार है।

आनंद लेते हैं। पांडुलिपि का हस्तांतरण अपने आप में नहीं है,

उसमें प्रतिलिप्याधिकार हस्तांतरित करने के लिए कार्य करें। का स्थानांतरण

एक भौतिक वस्तु का स्वामित्व जिसमें प्रतिलिपि अधिकार मौजूद है

खरीदार को इसके साथ करने का अधिकार (भौतिक चीज़)

प्रतिलिपि बनाने और जारी करने के अधिकार के अलावा वह जो चाहे

उन्हें जनता के लिए "(रेखांकित करना हमारा है)"।

कॉपीराइट लेख के बिना कॉपीराइट अधिकार लेकिन उसी समय सिर्फ इसलिए कि किसी के पास कॉपीराइट लेख है, यह अनुसरण नहीं करता है

कि इसमें कॉपीराइट भी है। श्री शर्मा की आपत्ति नहीं हो सकती

स्वीकार किया जाए। "

(पृष्ठ 365-366)

114. एरिक्सन में उच्च न्यायालय के पहले के फैसलों का उल्लेख करते हुए .....बी. (ऊपर) और नोकिया नेटवर्क ओ. वाई. (ऊपर) और निर्धारण डसॉल्ट (एएआर) (ऊपर) और जियोक्वेस्ट (एएआर) (ऊपर) में एएआर, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकालाः

" 87. रॉयल्टी भुगतान के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए, यह आवश्यक है कि यह स्थापित करें कि सभी या किसी भी अधिकार का हस्तांतरण है (जिसमें शामिल हैं

या वैज्ञानिक कार्य। द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल का इलाज करने के लिए रॉयल्टी के रूप में लाइसेंसधारी, यह स्थापित किया जाना है कि लाइसेंसधारी, सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट द्वारा

एस सी आर।

इस तरह का भुगतान करने से, ऐसी साहित्यिक कृति के सभी या किसी भी कॉपीराइट अधिकार प्राप्त होते हैं। के बीच अंतर करना होगा

एक "कॉपीराइट अधिकार" और एक "कॉपीराइट लेख" का अधिग्रहण। प्रतिलिपि अधिकार सामग्री वस्तु से अलग है, प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त। प्रतिलिपि अधिकार एक विशेषाधिकार की प्रकृति में एक अमूर्त अधिकार है, जो किसी भी भौतिक पदार्थ, जैसे पांडुलिपि से बिल्कुल स्वतंत्र है। सिर्फ इसलिए कि किसी के पास कॉपीराइट वाला लेख है, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी के पास कॉपीराइट भी है। यह लाइसेंस सहित सभी या किसी भी अधिकार के हस्तांतरण के बराबर नहीं है।

88. निर्धारिती द्वारा दिया गया लाइसेंस उन लोगों तक सीमित है जो लाइसेंसधारी को कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं। हस्तांतरित अधिकार कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रकृति के लिए विशिष्ट हैं। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या यादृच्छिक अभिगम मेमोरी पर प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाना या एक अभिलेखीय प्रतिलिपि बनाना प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक कदम है। अतः इन कृत्यों के संबंध में अधिकार प्रतिलिपि बनाना, जहाँ वे उपयोगकर्ता द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी संचालन को सक्षम करने से अधिक कुछ नहीं करते हैं, कर उद्देश्यों के लिए लेनदेन के चरित्र का विश्लेषण करने में उपेक्षा की जानी चाहिए। इस प्रकार के लेन-देन में भुगतान को अनुच्छेद 7 के अनुसार व्यावसायिक आय के रूप में माना जाएगा।

89. प्रतिलिप्याधिकार अधिकारों के हस्तांतरण पर भुगतान की गई रॉयल्टी और प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त वस्तुओं के हस्तांतरण के लिए विचार के बीच एक स्पष्ट अंतर है। किसी कॉपीराइट वाली वस्तु या उत्पाद का उपयोग करने का अधिकार, जिसमें मालिक अपने कॉपीराइट को बनाए रखता है, कॉपीराइट के संबंध में अधिकारों को स्थानांतरित करने या सौंपने के समान नहीं है। रॉयल्टी परिभाषा को लागू करने के लिए कुछ या सभी अधिकारों का आनंद लेना आवश्यक है जो कॉपीराइट मालिक के पास हैं। इस दृष्टिकोण से देखने पर, कॉपीराइट वाले उत्पाद के उपयोग को सक्षम करने वाले गैर-अनन्य और गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस को डी. टी. ए. ए. के अनुच्छेद 12 में निहित किसी भी या सभी गणना किए गए अधिकारों का आनंद लेने के लिए एक प्राधिकरण के रूप में नहीं माना जा सकता है। जहाँ लाइसेंस या लेन-देन का उद्देश्य केवल आंतरिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए कॉपीराइट उत्पाद के उपयोग को प्रतिबंधित करना, यह कहना कानूनी रूप से सही नहीं होगा कि कॉपीराइट या कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार किसी भी हद तक स्थानांतरित कर दिया गया है। लाइसेंसधारी/ग्राहक के पक्ष में सॉफ्टवेयर उत्पाद में निहित और उससे जुड़े बौद्धिक संपदा अधिकारों का विभाजन वह है जो उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का आंतरिक विश्लेषण केंद्र है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

संधि द्वारा विचार किया गया। केवल एक को अधिकृत या सक्षम करना

ग्राहक को डेटा या निहित निर्देशों का लाभ मिले इसमें उनके साथ स्वतंत्र रूप से निपटने का कोई और अधिकार नहीं है।

यह कॉपीराइट के संबंध में अधिकारों के हस्तांतरण के बराबर नहीं है या

प्रतिलिप्याधिकार के उपयोग का अधिकार प्रदान करना। का स्थानांतरण प्रतिलिप्याधिकार में या उस पर अधिकार या उपयोग के अधिकार का प्रदान करना

कॉपीराइट का तात्पर्य है कि हस्तांतरणकर्ता/लाइसेंसधारी को अधिकार प्राप्त करने चाहिए

या तो पूरी तरह से या आंशिक रूप से मालिक/हस्तांतरणकर्ता के साथ सह-व्यापक जो अपने अधिकारों से खुद को अलग करता है।

(पृष्ठ 385-386)

115. दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी अपनी असहमति व्यक्त की

कर्नाटक उच्च न्यायालय का विवादित फैसला दिनांकित

) . 2011 , सी. आई. टी. वी. सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी लिमिटेड, (2012) 345

494 , इस प्रकार है:

" 96. अनुज्ञप्ति के तहत निर्धारिती द्वारा प्राप्त राशि सॉफ्टवेयर के उपयोग की अनुमति देने के लिए समझौता रॉयल्टी नहीं है

डीटीएए।

97. जो हस्तांतरित किया जाता है वह न तो सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट है

कॉपीराइट सामग्री या लेख का उपयोग करने का अधिकार है जो है स्पष्ट रूप से एक कॉपीराइट में अधिकारों से अलग। अधिकार यह है कि

हस्तांतरित कॉपीराइट का उपयोग करने का अधिकार नहीं है, लेकिन केवल इन तक सीमित है

प्रतिलिपि अधिकार प्राप्त सामग्री का उपयोग करने का अधिकार और वही नहीं है

किसी भी रॉयल्टी आय को जन्म देना और व्यावसायिक आय होगी। 98. हम (कर्नाटक) के फैसले से सहमत नहीं हैं।

सैमसंग एलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के मामले में उच्च न्यायालय। लिमिटेड (एस. यू. पी. आर. ए.) सॉफ्टवेयर की एक प्रति बनाने और भंडारण का अधिकार

उसी को निर्दिष्ट कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में और ले जा रहा है

बैक-अप कॉपी धारा 14 (1) के तहत कॉपीराइट कार्य के बराबर होगी। प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम और अनुदान के लिए किया गया भुगतान

उक्त उद्देश्य के लिए लाइसेंस रॉयल्टी का गठन करेगा। लाइसेंस

लाइसेंसधारी को कंप्यूटर डाउनलोड करने की अनुमति दी गई

प्रोग्राम और इसे अपने उपयोग के लिए कंप्यूटर में संग्रहीत करना था

केवल उपयोग करने के लिए लाइसेंसधारी को दी गई सुविधा के लिए आकस्मिक

प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त उत्पाद का उसके आंतरिक व्यावसायिक उद्देश्य के लिए। द.

उक्त प्रक्रिया कार्यक्रम को कार्यात्मक बनाने के लिए आवश्यक थी और इसे प्राप्त करने के लिए और [2021] 2 एस. सी. आर. से गुणात्मक रूप से अलग है।

उक्त प्रावधान द्वारा विचार किया गया अधिकार क्योंकि यह केवल अभिन्न है प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त उत्पाद के उपयोग के लिए। बैकअप लेने का अधिकार

विशुद्ध रूप से हानि, विनाश या विनाश के खिलाफ अस्थायी सुरक्षा के रूप में प्रतिलिपि बनाएँ

डी. आई. टी. बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नुकसान का निर्णय लिया गया है। नोकिया

नेटवर्क ओ. वाई. (सुप्रा) कॉपीराइट प्राप्त करने के बराबर नहीं है।

सॉफ्टवेयर में "।

(पृष्ठ 388)

116. इसी तरह, सी. आई. टी. वी. जेडटीई निगम, (2017) 392 आईटीआर

80 [" जेड. टी. ई.], 45 दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ ने भारत-चीन डी. टी. ए. ए. पर विचार किया और इसके पहले के फैसलों का उल्लेख करने के बाद यह निर्णय लिया इस प्रकार है:

" यह गलत धारणा कि राजस्व अपने दोषों से उत्पन्न होता है

कॉपीराइट लाइसेंस की सराहना। सच है, "कॉपीराइट" नहीं है

परिभाषित; फिर भी कौन से काम कॉपीराइट संरक्षण में सक्षम हैं

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम में लिखा गया है। संविधान की धारा 13 और 14

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम उन आवश्यक अवयवों को बाहर निकालता है जो

कॉपीराइट एक संपत्ति का अधिकार है।

(पृष्ठ 93)

" इस प्रकार, धारा 14 स्पष्ट रूप से प्रदान करती है कि कॉपीराइट का अर्थ है इनमें से किसी को भी करने या करने के लिए अधिकृत करने का अनन्य अधिकार

धारा 14 (ए) से (ई) या किसी "सारवान" में उल्लिखित कार्य।

उसका हिस्सा "। कंप्यूटर के संबंध में कॉपीराइट की सामग्री

कार्यक्रमों को धारा 14 (बी) में वर्णित किया गया है। एक संयुक्त पठन

(बी) का तात्पर्य है कि कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में, कॉपीराइट होगा इसका अर्थ है-कार्य के संबंध में करना या करने को अधिकृत करना (अर्थात।

कार्यक्रम) या उसका कोई महत्वपूर्ण हिस्सा

(ख) कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में, ((i) खंड (क) में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करना।

((ii) वाणिज्यिक किराये पर बेचना या देना या बिक्री के लिए प्रस्ताव देना।

वाणिज्यिक किराये पर कंप्यूटर कार्यक्रम की कोई भी प्रतिः बशर्ते कि ऐसा वाणिज्यिक किराया इस संबंध में लागू नहीं होता है

कंप्यूटर प्रोग्राम जहाँ प्रोग्राम स्वयं नहीं है किराये का आवश्यक उद्देश्य।

45 इस निर्णय पर दिल्ली उच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा भरोसा किया गया है जो हमारे समक्ष अपीलों में विवादित हैं।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

खंड (क) और (ख) के संदर्भ का अर्थ है कि वे सभी अधिकार जो साहित्यिक कृतियों में हैं अर्थात " (i) किसी भी सामग्री के रूप में काम को पुनः प्रस्तुत करना, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से किसी भी माध्यम से काम का भंडारण करना शामिल है; (ii) पहले से ही प्रचलन में प्रतियां न होने पर जनता को काम की प्रतियां जारी करना; (iii) काम को सार्वजनिक रूप से करना, या जनता को बताना; (iv) काम के संबंध में कोई भी सिनेमेटोग्राफ फिल्म या ध्वनि रिकॉर्डिंग बनाना; (v) काम का कोई भी अनुवाद करना; (vi) काम का कोई भी अनुकूलन करना; (vii) काम के अनुवाद या अनुकूलन के संबंध में, उपखंड (i) से (vi) "कंप्यूटर प्रोग्राम के कॉपीराइट के मालिक" में काम के संबंध में निर्दिष्ट किसी भी कार्य को करना। इसलिए, इस प्रावधान द्वारा कॉपीराइट मालिक के अधिकारों को व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है। इस मामले के तथ्यों के संदर्भ में, निर्धारिती कॉपीराइट स्वामी है; उसने एक बार के लाइसेंस शुल्क के माध्यम से अपने ग्राहकों को सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया; हार्डवेयर के बिना यह सॉफ्टवेयर जो बेचा गया था, बेकार है।

इसके विपरीत निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों को बेचा गया हार्डवेयर भी मूल्यहीन है और इस तरह के सॉफ्टवेयर के बिना इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। यह विश्लेषण यह दिखाने के लिए है कि निर्धारिती द्वारा अपने ग्राहकों को जो बताया गया था, वह माल के साथ निकट समानता रखता है-काफी हद तक, धारा 14 (1) एक "प्रति" की बिक्री या किराये की बात करती है। सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट को संप्रेषित करने या अलग करने का सवाल स्वयं इसका मतलब यह होगा कि कॉपीराइट स्वामी को इसे सौंपना होगा, जिसका अर्थ है कि उसने खुद को सभी से अलग कर लिया है।

धारा 14 के तहत अधिकार। इसका मतलब अधिनियम की धारा 18 के तहत कॉपीराइट या असाइनमेंट की एकमुश्त बिक्री होगी। अनुभाग

16 कॉपीराइट अधिनियम में कहा गया है कि "कॉपीराइट" नामक कोई अन्य प्रकार का अधिकार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में, तथ्य एरिक्सन के समान हैं। (सॉफ्टवेयर की) आपूर्ति ने बेचे गए हार्डवेयर के उपयोग को सक्षम बनाया। यह विवादित नहीं था कि सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर का उपयोग संभव नहीं था। केवल यह तथ्य कि खरीद और अन्य लेनदेन के लिए अलग-अलग चालान किया गया था, इसका मतलब यह नहीं था कि यह रॉयल्टी भुगतान था। ऐसे मामलों में, नामकरण (लाइसेंस या कुछ का)

अन्य शुल्क) वास्तविक प्रकृति का अनिश्चित है। न ही ऐसी परिस्थिति है कि सॉफ्टवेयर के अद्यतन नियमित रूप से निर्धारिती के ग्राहकों को दिए जाते हैं। ये तथ्य वस्तुओं या वस्तुओं की प्रकृति में लेनदेन की प्रकृति, जो सॉफ्टवेयर की आपूर्ति थी, से अलग नहीं हैं। यह अदालत भी सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट से सहमत नहीं है।

एस सी आर।

यह प्रस्तुत करना कि भुगतान, यदि रॉयल्टी नहीं है, तो मशीनरी या उपकरणों के उपयोग के लिए भुगतान। इस तरह की

जमा करना कभी भी किसी भी कम कर से पहले नहीं किया गया था अधिकारी; इसके अलावा, एरिक्सन (ऊपर) में भी, एक समान प्रावधान

भारत और स्वीडन के बीच डी. टी. ए. ए. में मौजूद था।

(पृष्ठ 95-96)

117. निष्कर्ष जो पढ़ने पर प्राप्त किए जा सकते हैं

उक्त निर्णय इस प्रकार हैं:

(i) प्रतिलिपि अधिकार एक अनन्य अधिकार है, जो नकारात्मक प्रकृति का है।

दूसरों को कुछ कार्य करने से रोकने का अधिकार होना।

प्रतिलिपि अधिकार एक अमूर्त, अमूर्त अधिकार है।

(ख) एक विशेषाधिकार, जो किसी भी सामग्री से काफी स्वतंत्र है पदार्थ। किसी काम में कॉपीराइट का स्वामित्व अलग होता है।

भौतिक सामग्री के स्वामित्व से जिसमें प्रतिलिप्याधिकार वाला कार्य मूर्त रूप ले सकता है। एक स्पष्ट

उदाहरण किसी पुस्तक या सीडी/डीवीडी का खरीदार है, जो

भौतिक वस्तु का मालिक बन जाता है, लेकिन नहीं

काम में निहित कॉपीराइट का मालिक बनना, ऐसा प्रतिलिप्याधिकार विशेष रूप से मालिक के पास रहता है।

प्रतिलिप्याधिकार के साथ विभाजन में किसी भी कार्य को करने के अधिकार के साथ विभाजन शामिल है।

iii)

उसमें प्रतिलिप्याधिकार हस्तांतरित करने के लिए कार्य करें। का स्थानांतरण भौतिक पदार्थ का स्वामित्व, जिसमें प्रतिलिपि अधिकार

अस्तित्व में है, खरीदार को इसके साथ कुछ भी करने का अधिकार देता है

उसे पुनः पेश करने और जारी करने के अधिकार को छोड़कर, वह चाहता है

यह जनता के लिए, जब तक कि ऐसी प्रतियां पहले से ही प्रचलन में न हों,

और कॉपीराइट की धारा 14 में उल्लिखित अन्य कार्य

एक्ट करें।

एक कॉपीराइट मालिक से एक लाइसेंस, जो कोई स्वामित्व प्रदान नहीं करता है

(iv)

अनुज्ञप्तिधारी पर ब्याज, जिसमें किसी के साथ अलग होना शामिल नहीं है प्रतिलिपि अधिकार, और धारा के तहत जारी लाइसेंस से अलग है

30 प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम, जो एक लाइसेंस है जो प्रदान करता है

धारा 14 (ए) में उल्लिखित अधिकारों में रुचि रखने वाला लाइसेंसधारी

और कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी)। जहाँ एक का मूल

लेन-देन अंतिम उपयोगकर्ता तक पहुँच के लिए अधिकृत करने के लिए है

और "लाइसेंस प्राप्त" कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उत्पाद इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का उपयोग करें।

जिस पर लाइसेंसधारक के पास कोई विशेष अधिकार नहीं है, कोई कॉपीराइट नहीं है

जैसा कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 52 (1) (एए) द्वारा मान्यता प्राप्त है, इसके साथ अलग किया जाता है और इसके परिणामस्वरूप कोई उल्लंघन नहीं होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम उपयोगकर्ता कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने में सक्षम है या नहीं जो इसके विनिर्देशों के अनुसार अनुकूलित है।

या अन्यथा।

v)

एक गैर-अनन्य, गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस, केवल सक्षम करने के लिए

प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त उत्पाद का उपयोग प्रतिबंधात्मक शर्तों की प्रकृति में है जो इस तरह के उपयोग के लिए सहायक हैं, और इसे प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 14 में उल्लिखित सभी या किसी भी गणना किए गए अधिकारों का आनंद लेने के लिए लाइसेंस के रूप में नहीं माना जा सकता है, या ऐसे किसी भी अधिकार में कोई रुचि पैदा नहीं की जा सकती है ताकि प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की धारा 30 को आकर्षित किया जा सके। कॉपीराइट अधिनियम।

vi)

पुनरुत्पादन का अधिकार और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का अधिकार

विशिष्ट और अलग अधिकार हैं, जैसा कि एस. बी. आई. v. में मान्यता दी गई है। सीमा शुल्क कलेक्टर, 2000 (1) एस. सी. सी. 727 (पैराग्राफ 21 देखें), पहला कॉपीराइट के साथ अलग होने के बराबर है और दूसरा, गैर-अनन्य ई. यू. एल. ए. के संदर्भ में, नहीं ऐसा होना।

118. नतीजतन, डसॉल्ट (एएआर) (ऊपर) और जियोक्वेस्ट (एएआर) (ऊपर) में एएआर के निर्धारण में निहित दृष्टिकोण और एरिक्सन ए. बी. (ऊपर), नोकिया नेटवर्क्स ओ. वाई. (ऊपर), इन्फ्रासॉफ्ट (ऊपर), जेड. टी. ई. (ऊपर) में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्णयों में कानून को सही ढंग से बताया गया है और हमारी स्पष्ट मंजूरी है। हम यह भी जोड़ सकते हैं कि उपरोक्त निर्णयों और निर्धारणों में व्यक्त विचार भी ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी के अनुरूप हैं, जिस पर भारत के अधिकांश डी. टी. ए. ए. एस. आधारित हैं।

प्रथम बिक्री/प्रिंसिपल का दस्तावेज़

उत्साहवर्धन

119. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तर्क दिया कि इन मामलों के तथ्यों पर, पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत का कोई उपयोग नहीं होगा क्योंकि यह सिद्धांत वैधानिक रूप से नहीं है।

प्रतिलिपि अधिकार अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में मान्यता प्राप्त है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सॉफ्टवेयर के वितरक कॉपीराइट "लाइसेंस" रखते हैं या ऐसे कंप्यूटर बेचते हैं।

सॉफ्टवेयर टू एंड-यूज़र्स, कॉपीराइट में किसी अधिकार या हित का विभाजन होगा क्योंकि इस तरह के "लाइसेंस" या बिक्री को कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) द्वारा प्रभावित किया जाएगा।

120. जैसा कि यहाँ ऊपर उल्लेख किया गया है, धारा 14 (बी) (ii)

कॉपीराइट अधिनियम में दो बार संशोधन किया गया था, पहले 1994 में और फिर 1999 में, 15.01.2000 से प्रभावी। 1999 के संशोधन से पहले, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) इस प्रकार थी:

" ((ii) बेचने या किराए पर देने के लिए, या बिक्री के लिए प्रस्ताव या किसी भी प्रति को किराए पर लेने के लिए। कंप्यूटर प्रोग्राम, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसी प्रति की गई है

पहले के अवसरों पर बेचा या किराए पर दिया गया;

(जोर दिया गया)

1999 के संशोधन के बाद, इसकी अनुपस्थिति से क्या स्पष्ट है

यह वाक्यांश है "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसरों पर बेची गई है या किराए पर दी गई है"। यह पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत की वैधानिक मान्यता है।

121. पहली बिक्री/थकावट के सिद्धांत की व्याख्या की गई है।

इस विषय पर लोकस क्लासिकस द्वारा, कॉपीराइट पर कॉपिंगर और स्कोन जेम्स (14 वां संस्करण) (1999), निम्नानुसार है:

" वितरण का अधिकार: जनरल। द्वारा प्रतिबंधित कृत्यों में से एक

सभी कार्यों में कॉपीराइट मूल या प्रतियों का मुद्दा है

जनता के लिए काम करना, जिसे अक्सर "वितरण अधिकार" कहा जाता है। यह अधिकार 1988 के अधिनियम की धारा 18 में इसका प्रावधान किया गया है। का उल्लंघन

वितरण अधिकार ब्रिटेन के कानून के तहत एक प्राथमिक उल्लंघन है, और इसलिए

यह विश्वास करने के लिए ज्ञान या कारण साबित करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि

विचाराधीन प्रतिलिपि उल्लंघन है। इस प्रकार यह एक शक्तिशाली हथियार है

जो वितरण श्रृंखला के शीर्ष पर हैं। के अनुसार

इस तरह से प्रासंगिक यूरोपीय संघ के निर्देशों के अनुरूप, इस में उदाहरण के लिए, सॉफ्टवेयर निर्देश और सूचना समाज

निर्देशात्मक। सी. जे. ई. यू. के हाल के मामले कानून ने एक अनुरूपता बनाई है

व्याख्या अधिक कठिन। वितरण का एक महत्वपूर्ण पहलू

सही यह है कि यह किसी विशेष लेख के संबंध में समाप्त हो गया है

प्रथम बिक्री (और, सूचना सोसायटी निर्देश के मामले में,

समुदाय में उस वस्तु के स्वामित्व का पहला हस्तांतरण)

अधिकार धारक द्वारा या उसकी सहमति से। के उद्देश्यों के लिए

प्रतियों को वितरण के अधिकार को समाप्त करने के लिए माना जाता है ऐसी प्रतियों की "।

(पृष्ठ 613-614)

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" वितरण अधिकार की कमी: मूर्त वस्तुएँ। क्लान्ति उस मूर्त वस्तु पर लागू होती है जिसमें एक संरक्षित कार्य या इसकी प्रति शामिल की जाती है यदि इसे कॉपीराइट धारक की सहमति से बाजार में रखा गया है। कलात्मक कार्यों के मामले में, कॉपीराइट धारक की सहमति में उसके काम को शामिल करने वाली वस्तु का वितरण शामिल नहीं है यदि उस वस्तु को बदल दिया गया है।

इसके प्रारंभिक विपणन के बाद इस तरह से कि यह काम का एक नया पुनरुत्पादन बनाता है; ऐसी स्थिति में, वितरण अधिकार केवल अधिकार धारक की सहमति से उस नई वस्तु के स्वामित्व की पहली बिक्री या हस्तांतरण पर समाप्त हो जाता है। तदनुसार, जहां एक प्रतिवादी (अधिकार धारक के लाइसेंस के बिना) ने एक प्रसिद्ध चित्रकार की एक छवि को पोस्टर से स्याही को भौतिक रूप से उठाकर कैनवास पर स्थानांतरित कर दिया, जिसका परिणाम मूल के करीब आया और कागज का एक खाली टुकड़ा पीछे छोड़ दिया।

थकान: कंप्यूटर प्रोग्राम। इसी तरह के विचार कंप्यूटर प्रोग्राम की मूर्त प्रतियों के संबंध में अन्य कार्यों के संबंध में लागू होते हैं: अधिकार धारक द्वारा या उसकी सहमति से किसी कार्यक्रम की प्रति की पहली बिक्री कार्यक्रम के आगे के किराये को नियंत्रित करने के अधिकार या एक प्रति के अपवाद के साथ वितरण अधिकार को समाप्त कर देती है। वहाँ से। जहाँ तक अमूर्त रूप में उपलब्ध कराई गई प्रतियों का संबंध है (उदाहरण के लिए किसी वेबसाइट से डाउनलोड करके), इन उद्देश्यों के लिए "बिक्री" शब्द को एक स्वायत्त सामुदायिक व्याख्या दी जानी है। जहाँ एक विक्रेता लाइसेंस के तहत डाउनलोड करने के लिए एक कार्यक्रम उपलब्ध कराता है।

लाइसेंस शुल्क के बदले में असीमित अवधि के लिए, इरादा कॉपीराइट मालिक को काम की प्रति के आर्थिक मूल्य के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए डिज़ाइन किए गए शुल्क के भुगतान के बदले में, ग्राहक द्वारा प्रति को स्थायी रूप से उपयोग करने योग्य बनाना है। तदनुसार, यह विचाराधीन प्रति के स्वामित्व के अधिकार के हस्तांतरण के बराबर है और इस प्रकार के लिए एक बिक्री

वितरण अधिकार के समाप्त होने के उद्देश्य। यही बात तब भी लागू होती है जब प्रति किसी सामग्री के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है। माध्यम जैसे कि सीडी-रॉम या डीवीडी और यदि डाउनलोड मुफ्त है लेकिन लाइसेंस दिया जाता है और अलग से भुगतान किया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सॉफ्टवेयर रखरखाव समझौते का विषय है:

समाप्ति उस प्रतिलिपि पर लागू होती है जिसे समझौते के अनुसार सही और अद्यतन किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के बाद से कोई भी अन्य व्याख्या निर्देश के अनुच्छेद 4 (2) की प्रभावशीलता को कम कर देगी।

[20
21] 2 एस सी आर।

आपूर्तिकर्ताओं को केवल एक अनुबंध को लाइसेंस कहना होगा

थकावट और विनिवेश के नियम को दरकिनार करने के लिए एक बिक्री की तुलना में

सभी दायरे में। परिणाम यह है कि मूल से एक खरीदार

अनुज्ञप्तिधारी आ ओकर बादक कोनो अधिग्रहणकर्ता एकर वैध अधिग्रहणकर्ता छथि।

सॉफ्टवेयर निर्देश के अनुच्छेद 5 (1) के प्रयोजनों के लिए सॉफ्टवेयर

और उस में दिए गए प्रजनन के अधिकार से लाभान्वित होते हैं।

प्रावधान "।

(पृष्ठ
621-622)

122. वार्नर ब्रदर्स में। एंटरटेनमेंट इंक. वी. संतोष वी. जी.,

सीएस (ओएस) नं. 1682/2006 ["वार्नर ब्रदर्स"।] 2009 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 835, दिल्ली उच्च न्यायालय के एक एकल न्यायाधीश ने रिपोर्ट किया

एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म में कॉपीराइट, जिसके परिणामस्वरूप, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (डी) (ii), 2012 में संशोधित होने से पहले, सामने आई विचार करें। 2012 में संशोधित होने से पहले उक्त धारा इस प्रकार थी:

" 14. प्रतिलिपि अधिकार का अर्थ। इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, " "प्रतिलिप्याधिकार" का अर्थ है प्रावधानों के अधीन अनन्य अधिकार

यह अधिनियम निम्नलिखित में से किसी भी कार्य को करने या करने के लिए अधिकृत करता है। किसी कार्य या उसके किसी महत्वपूर्ण भाग की बाबत, अर्थात्

XXX XXX XXX

(घ) सिनेमेटोग्राफ फिल्म के मामले में,-XXX XXX

((ii) किसी भी प्रति को बेचना या किराए पर देना या बिक्री या किराए पर लेने का प्रस्ताव देना।

फिल्म की, इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति बेची गई है या पहले के अवसर पर किराए पर दिया गया था "

123. दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने समझाया

थकावट का सिद्धांत इस प्रकार है:

" 57. कॉपीराइट के समाप्त होने का सिद्धांत मुक्त व्यापार को सक्षम बनाता है

भौतिक वस्तुएँ जिन पर संरक्षित कार्यों की प्रतियाँ रखी गई हैं

तय किया गया और अधिकार धारक की सहमति से प्रचलन में रखा गया। द. " एक अर्थ में थकावट का सिद्धांत दोनों के बीच संघर्ष को मध्यस्थता प्रदान करता है।

किसी कृति की प्रति के मालिक होने का अधिकार और लेखक के नियंत्रण का अधिकार

प्रतियों का वितरण। के संबंध में थकान निर्णायक है स्वामित्व की प्राथमिकता और सामग्री में व्यापार करने की स्वतंत्रता

वाहक इस शर्त पर कि एक प्रति कानूनी रूप से लाई गई है

46 2012 के अधिनियम 27 द्वारा, एस। 5 ((ख) (डब्ल्यू. ई. एफ. 21.06.2012)।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र V. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

व्यापार करते हैं। किसी कार्य की प्रति के साथ किसी वाहक के स्वामित्व का हस्तांतरण

इस पर लगाने से मालिक के लिए आगे प्राप्त करना असंभव हो जाता है।

एक प्रति के दोहन से लाभ जिसका उसके साथ व्यापार किया गया था

सहमति दें। इस प्रकार समाप्ति सिद्धांत को वैध कहा जाता है स्वामित्व हस्तांतरण के लिए अर्जित लाभ का कारण, जो

यदि कार्य का दोहन नहीं किया जा रहा है तो लेखक को संतोषजनक होना चाहिए।

एक अलग शोषण क्षेत्र में।

58. अधिकारों की समाप्ति वितरण अधिकार से जुड़ी हुई है। द. वस्तुओं को वितरित करने का अधिकार (उन्हें जनता के लिए उपलब्ध कराना)

इसका अर्थ है कि ऐसी वस्तुएँ (या वह माध्यम जिस पर काम तय किया गया है) के परिणामस्वरूप मालिक द्वारा या उसकी सहमति से जारी किया जाता है

स्वामित्व का हस्तांतरण। इस तरह, मालिक के नियंत्रण में है

प्रतियों का वितरण क्योंकि वह समय और रूप तय करता है

किन प्रतियों को जनता के लिए जारी किया जाता है। विषय-वस्तु के अनुसार

वितरण अधिकार को प्रदान करने के अवसर के रूप में समझा जाना चाहिए

जनता एक काम की प्रतियों के साथ और उन्हें प्रचलन में डालती है, जैसे

साथ ही प्रतियों के उपयोग के तरीके को नियंत्रित करने के लिए। की थकान अधिकार सिद्धांत इस प्रकार नियंत्रण को छोड़कर वितरण अधिकार को सीमित करता है।

प्रतियों के उपयोग के लिए उन्हें प्रचलन में रखने के बाद

पहली बार "।

(मूल में जोर)

124. विद्वान एकल न्यायाधीश तब निम्नलिखित पर पहुंचे:

उपयोग:

" 62. ..... इसलिए न्यायालय की राय है कि अस्तित्व या "थकावट" सिद्धांत की प्रयोज्यता का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है।

स्वचालित रूप से; यह स्थिति पर निर्भर करेगा, और विचाराधीन विधान की संरचना "।

125. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) (ii) पर आते हुए, विद्वान

ई न्यायाधीश ने तब फैसला सुनाया कि:

" 63. इस मामले में प्रतिवादी स्वीकार करता है कि किराए पर लेना/काम पर रखना इसके द्वारा चलाई जाने वाली फिल्में वादी के लाइसेंस के बिना हैं। याचिकाकर्ता

आग्रह करें कि आयात के बाद से, इन्हें किराए पर देने के उद्देश्य से सिनेमाटोग्राफिक फिल्मों को भारत में उनके द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है।

प्रतियाँ उल्लंघनकारी प्रतियाँ हैं। इसलिए उनके आयात पर रोक लगा दी जाएगी।

कि प्रतियाँ व्यापार के दौरान वैध रूप से खरीदी गई थीं; वे किराये की प्रतियां हैं, और इनका उपयोग किराए पर लेने के उद्देश्य से, सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में किया जा सकता है।

एस सी आर।

भारत। वह कहता है कि ज़ोनिंग का उपकरण, जिसके द्वारा वादी

लाइसेंसधारी मालिक को इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में इसका उपयोग करने के लिए प्रतिबंधित करें

उनके द्वारा इंगित किया गया है, कृत्रिम है, और अप्रवर्तनीय है। इतना लंबा

हाथ की स्थितियाँ लागू नहीं होती हैं। विशेष संदर्भ दिया जाता है कि

धारा 14 का स्पष्टीकरण, जो विषय-वस्तु का वर्णन करता है

प्रतिलिपि अधिकार; यह स्पष्ट करता है कि "इस धारा के प्रयोजनों के लिए, ए एक बार बेची गई प्रतिलिपि को प्रतिलिपि माना जाएगा।

पहले से ही प्रचलन में है "। हालांकि यह विवाद आकर्षक है

साहित्यिक, कलात्मक, नाटकीय रूप में प्रतिलिपि अधिकार के संदर्भ में प्रचलन है। या संगीत कार्य-कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं-(धारा 14 (ए);

कानून कॉपीराइट मालिक को "की प्रतियां जारी करने" में सक्षम बनाता है

जनता के लिए काम करें जो पहले से ही प्रचलन में प्रतियां नहीं हैं।

लेकिन स्पष्टीकरण के लिए, यह यकीनन कहा जा सकता है कि कॉपीराइट

दूसरी ओर फिल्म, आदि) अलग हैं-सूची से स्पष्ट है धारा के खंड (क) से खंड (च) में अलग से ऐसे अधिकारों का। द.

"प्रचलन में प्रतियों" का संदर्भ इसलिए, में होना चाहिए संदर्भ; वाक्यांश का उपयोग कॉपीराइट मालिक के अधिकार को सीमित करने के लिए किया जाता है

साहित्यिक, संगीत और नाटकीय कार्य के आगे के उपयोग को निर्देशित करें (अनुभाग

14 (क) (ख))। काम के अन्य वर्गों के मालिकों में से कोई भी विषय नहीं है

उस सीमा तक। प्रतिलिप्याधिकार स्वामी के एक वर्ग का प्रतिबंध,

कानून में संरचित एक दोहरा उद्देश्य पूरा करता है-यह मालिक को सीमित करता है। उस वर्ग के कॉपीराइट का; और साथ ही इसे खुला छोड़ देता है

को

अन्य प्रकार के काम के कॉपीराइट स्वामी, इस तरह के काम करने के लिए

प्रतिबंध "।

(मूल में जोर)

126. धारा 14 (घ) (ii) के साथ उपरोक्त की तुलना करना

राइट एक्ट, जैसा कि यह 2012 में संशोधन से पहले था, विद्वान ई न्यायाधीश ने तब फैसला सुनायाः

सिनेमेटोग्राफिक फिल्मों के मामले में, कॉपीराइट स्वामी के पास है बेचने या किराए पर देने का अनन्य अधिकार या बिक्री या किराए पर लेने का प्रस्ताव,

फिल्म की प्रति, इस बात की परवाह किए बिना कि क्या ऐसी प्रति उत्कृष्टता केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड की प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र को बेची गई है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

या पहले के अवसर पर किराए पर दिया गया था। कॉपीराइट स्वामी, इसलिए की एक विशेष प्रति में अधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बना हुआ है

फिल्म इस बात की परवाह किए बिना कि क्या इसे पहले बेचा गया है

साहित्यिक कृतियों के विपरीत व्यक्त करें, जो पहले से ही हैं

यदि कोई व्यक्ति कुछ भी करता है जो अनन्य अधिकार द्वारा किया जाता है अधिनियम, कॉपीराइट के मालिक को प्रदान किया गया है; यह भी है

धारा 51 (बी) (आई) द्वारा जोर दिया गया है जो बिक्री या किराया देता है, या बेचता है या किराए पर देता है, या व्यापार प्रदर्शन या बिक्री के लिए प्रस्तावों के माध्यम से

या काम की किसी भी उल्लंघनकारी प्रतियों को किराए पर लें। परंतुक, महत्वपूर्ण रूप से,

एकल उल्लंघनकारी प्रतिलिपि के आयात की परिभाषा से छूट "आयातक के निजी और घरेलू उपयोग" के लिए। जैसा कि पहले उल्लेख किया जा चुका है,

अधिनियम के उल्लंघन में भारत में एक प्रति का आयात-के लिए

उदाहरण के लिए, लाइसेंस या कॉपीराइट के प्राधिकरण के बिना

मालिक, एक उल्लंघन है; ऐसी प्रतिलिपि के तहत एक उल्लंघनकारी प्रतिलिपि है

धारा 2 (एम) "।

(मूल में जोर)

127. इस प्रकार, एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला:

" 67. धारा 14 (ए) (ii) में स्पष्ट संकेत है कि एक कॉपीराइट

साहित्यिक कृतियों के स्वामी प्रतियों पर अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। परिसंचरण, दर्शाता है कि थकावट, यदि कोई इसे शब्द दे सकता है, तो केवल लागू होता है

धारा 14 (क) में प्रतिलिप्याधिकार के वर्ग के संबंध में और

एक बार "वितरित" होने के बाद प्रतिलिपि को फिर से बेचा जा सकता है। यह सीमित " समाप्ति "के संबंध में सिद्धांत की प्रयोज्यता को नकारता है

प्रतिलिप्याधिकार के अन्य वर्ग। इस प्रकार, संसद ने हस्तक्षेप किया

एक सीमित प्रकार की "समाप्ति" प्रदान करने के लिए कॉपीराइट की एक श्रेणी में

और जानबूझकर इसे दूसरों तक विस्तारित नहीं करने के लिए चुना गया, न्यायिक की सफाई

तर्क अपने अनुप्रयोग का विस्तार नहीं कर सकता है।

128. हालांकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भरोसा किया

दिल्ली उच्च न्यायालय के एक अन्य विद्वान एकल न्यायाधीश का पद

जॉन विली में उपरोक्त सिद्धांत पर विचार करने का अवसर मिला और

इंक. वी. प्रभात चंदर कुमार जैन, आई. ए. नं. 11331/2008 in

डी. एस.) सं. 1960/2008 2010 में एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 2000 में रिपोर्ट किया गया। इस मामले में पुस्तकों के कम कीमत वाले संस्करणों की बिक्री शामिल थी

विदेशी क्षेत्रों में बाजार, [2021] 2 एस. सी. आर. द्वारा निर्धारित शर्तों के विपरीत।

ओपिराइट लाइसेंस। कई अधिकारियों को संदर्भित करने के बाद,

एड एकल न्यायाधीश ने फैसला सुनाया कि:

" 68. इस चर्चा से जो कानूनी प्रस्ताव निकलते हैं, वे इस प्रकार हैं:

क) कि अदालत कॉपीराइट के मालिक के अधिकारों से कॉपीराइट के उल्लंघन को मापेगी जब मालिक अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए अदालत के समक्ष होगा।

ख) कि मालिक के अधिकार अनन्य लाइसेंसधारी के सीमित अधिकारों की तुलना में व्यापक हो सकते हैं, हालांकि अनन्य लाइसेंसधारी को उल्लंघन के लिए मुकदमा करने का स्वतंत्र अधिकार है।

ग) स्वामी और अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार समान नहीं हो सकते हैं और अनन्य अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार भी दोनों पक्षों के बीच समझौते द्वारा लगाए गए बंधनों के अधीन होंगे। अनुज्ञप्तिधारी और अनुज्ञप्तिधारी।

वादी का प्रतिलिप्याधिकार। 70. विशेष लाइसेंसधारियों/लाइसेंसधारियों से पुस्तकों की खरीद के प्रतिवादियों के उक्त कार्य प्रकृति में वैध हैं और विशेष लाइसेंसधारियों/लाइसेंसधारियों के अधिकारों सहित किसी के अधिकारों में बाधा नहीं डालते हैं या उन्हें नहीं छीनते हैं। लेकिन एक बार कथित प्रतिवादी नहीं। 3 पुस्तकों या प्रकाशनों की बिक्री का प्रस्ताव (जो विशेष लाइसेंसधारियों से खरीदे गए क्षेत्रीय प्रतिबंधों से बंधे होते हैं) और उन्हें बेचकर या बिक्री के लिए पेश करके या खरीदकर प्रचलन में लाते हैं।

जिन क्षेत्रों से परे के क्षेत्रों को बिक्री के लिए आदेश

प्रतिलिप्याधिकार के मालिकों द्वारा अनुमति दी गई है, उक्त कार्य प्रथम दृष्टया प्रसार में लाने या उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के आंतरिक विश्लेषण केंद्र के समान हैं।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उन प्रतियों को जारी करना जो अन्य क्षेत्रों में प्रचलन में नहीं हैं, जहां ऐसा करने का अधिकार मालिक का है और अधिनियम की धारा 51 के साथ पठित धारा 14 के तहत कॉपीराइट के मालिक के अधिकारों का उल्लंघन करता है, यदि अनन्य लाइसेंसधारी के अधिकार नहीं हैं। दूसरे शब्दों में, भारत से पुस्तकों को बेचने या वेबसाइट के माध्यम से भारत से बिक्री की पेशकश करने और उसके बाद धन स्वीकार करने और पुस्तकों को किसी अनधिकृत क्षेत्र में भेजने के उक्त कार्य कॉपीराइट के मालिकों के अधिकार का उल्लंघन करेंगे, जो वादी नं. 1 , 3 , 5 जनता को प्रतियां जारी करना जो पहले से ही प्रचलन में नहीं हैं (विशेष लाइसेंसधारियों की नहीं) और इस प्रकार, प्रथम दृष्टया, उल्लंघन होगा।

उनके कॉपीराइट।

XXX XXX XXX

79. अनुज्ञप्तिधारी की उक्त स्थिति मामलों में समान रूप से लागू होती है।

और अपनी शर्तों और सीमाओं के साथ बेचे और वितरित किए जाते हैं। उक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के खरीदार या तो मालिक या लाइसेंसधारी से व्यवस्था या लाइसेंस समझौते के बारे में पता है कि उदाहरण के लिए उक्त कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का मतलब है

एकल उपयोगकर्ता या एकाधिक उपयोग के लिए। उक्त खरीदार उक्त सॉफ्टवेयर की खरीद करते समय नोटिस के भीतर है और इस प्रकार लाइसेंस की उक्त शर्तों से बाध्य है। एक बार जब उक्त खरीदार उक्त लाइसेंस की शर्त का उल्लंघन करता है, तो वह मालिक के कॉपीराइट के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी हो जाता है। 80. वर्तमान मामले में पुस्तकों के साथ भी ऐसा ही है। एक बार जब प्रतिवादी अपने विशेष लाइसेंसधारी से वादी की कम कीमत वाली संस्करण पुस्तकें खरीद लेते हैं, तो वे इस तथ्य से अवगत होते हैं कि उक्त संस्करण क्षेत्रीय प्रतिबंधों के अधीन हैं जो केवल सीमित क्षेत्रों के भीतर बेचे जाने के लिए हैं। पुस्तक पर दी गई सूचना ही खरीदार को उक्त क्षेत्रीय प्रतिबंध के बारे में जानकारी देती है। उक्त ज्ञान तब भी स्पष्ट होता है जब प्रतिवादी स्वयं क्षेत्रों के बाहर ग्राहकों को वही किताबें पेश करता है, जबकि यह दर्शाता है कि "यह पेपरबैक में एक अंतर्राष्ट्रीय संस्करण है। सामग्री अमेरिकी संस्करण के समान है, शब्द दर शब्द। आई. एस. बी. एन. अमेरिकी संस्करण से अलग है और पुस्तक काले और सफेद रंग में है लेकिन सामग्री पूरी तरह से एक महान कीमत पर अमेरिकी संस्करण के समान है।

129. विद्वान एकल न्यायाधीश ने तब पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत के सिद्धांत पर चर्चा शुरू की, जिसमें कॉपीराइट अधिनियम में अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति को मान्यता देने वाले एक स्पष्ट प्रावधान की अनुपस्थिति पाई गई, और अपने सामने मौजूद तथ्यों के संदर्भ में इसके प्रभाव का सारांश इस प्रकार दिया गया:

कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 जैसा कि धारा के शुरुआती शब्दों से स्पष्ट है; बी) उल्लंघन को मापते समय अधिनियम की धारा 51 के अनुसार मालिक के अधिकारों पर विचार किया जाना चाहिए; सी) मालिक के अधिकार लाइसेंसधारी की तुलना में व्यापक हो सकते हैं। वर्तमान मामले में, पहली बिक्री विशेष लाइसेंसधारी वादी संख्या द्वारा की गई है। 2 , 4 , 6 और उनके अधिकार सीमित हैं और समझौते द्वारा लगाई गई शर्तों और सीमाओं के अधीन हैं। ऐसा होने पर, विशेष लाइसेंसधारी द्वारा प्रतिवादियों को की गई बिक्री के लिए प्रथम बिक्री सिद्धांत की प्रयोज्यता, शिकायत करने के लिए विशेष लाइसेंसधारियों के अधिकारों को समाप्त कर देगी, न कि मालिक के अधिकारों को। उल्लंघन के लिए अनधिकृत क्षेत्रों में शेष उल्लंघन के लिए शिकायत करने का मालिक का अधिकार दी गई अनुमति और अधिकारों का उल्लंघन बरकरार रहेगा। इस प्रकार, प्रथम बिक्री सिद्धांत की प्रयोज्यता आंशिक रूप से लाइसेंसधारी के अधिकारों को समाप्त कर देगी न कि कॉपीराइट के मालिक के।

अर्थात वादी सं। 1 , 3 और 5. XXX XXX

104. चर्चा से यह स्पष्ट होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने मौजूदा कानून के अनुसार भारत में प्रथम बिक्री सिद्धांत की प्रयोज्यता के तरीके पर संदेह किया है। उसी का कारण बन सकता है

आंशिक या क्षेत्रीय थकावट या अंतर्राष्ट्रीय थकावट। मेरी राय के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय समाप्ति के लिए स्पष्ट प्रावधान के रूप में यदि हमारे भारतीय कानून में ऐसा नहीं है, तो इसकी प्रयोज्यता को क्षेत्रीय समाप्ति तक सीमित रखना उचित होगा। जो भी हो, वर्तमान मामले में परिस्थितियाँ अन्यथा भी नहीं हैं।

इस चर्चा के लिए यह आवश्यक है कि यदि अधिकार समाप्त हो गए हैं तो वे उस हद तक उपलब्ध हैं जिस तक वे लाइसेंसधारियों के पास उपलब्ध हैं क्योंकि पुस्तकें विशेष लाइसेंसधारियों से खरीदी जाती हैं जिनके पास सीमित अधिकार होते हैं न कि मालिक से। इन परिस्थितियों में, कॉपीराइट में मालिक के अधिकारों के समाप्त होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है।

130. इस प्रकार, चूंकि कम कीमत वाले संस्करणों की प्रतियों को विदेशी क्षेत्रों में "पहले से ही प्रचलन में प्रतियां" नहीं कहा जा सकता है, इसलिए इंजीनियरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v.

उन्हें फिर से बेच दिया गया, विद्वान एकल न्यायाधीश ने निष्कर्ष निकाला कि थकावट का सिद्धांत लागू नहीं होगा। दूसरी ओर, हमारे सामने की गई अपीलों के तथ्यों में, वितरक उन कंप्यूटर प्रोग्रामों की सिकुड़ती-लिपटे प्रतियों को फिर से बेचते हैं जो पहले से ही विदेशी, गैर-विदेशी लोगों द्वारा प्रचलन में रखे गए हैं।

निवासी आपूर्तिकर्ता/निर्माता, क्योंकि उन्हें वितरण समझौतों के माध्यम से भारत में बेचा और आयात किया गया है, और इस प्रकार वे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) (ii) से प्रभावित नहीं हैं। यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 के स्पष्टीकरण से स्पष्ट किया गया है, जिसमें निम्नानुसार कहा गया है:

" स्पष्टीकरण। इस धारा के प्रयोजनों के लिए, एक प्रति जो एक बार बेची गई है, उसे पहले से ही एक प्रति माना जाएगा।

परिसंचरण "।

131. प्रयुक्तसॉफ्ट जी. एम. बी. एच. वी. में ओरेकल इंटरनेशनल कॉर्प। (मामला

सी-128/11) ["यूस्डसॉफ्ट वी। ओरेकल (ईसीजे)], यूरोपीय न्यायालय न्याय ["ईसीजे"] यूरोपीय संसद के निर्देश 2001/29/ईसी के अनुच्छेद 4 और 22 मई 2001 की परिषद के सूचना समाज में कॉपीराइट और संबंधित अधिकारों के कुछ पहलुओं के सामंजस्य पर संबंधित था ["ईसी निर्देश 2001/29"], जो निम्नानुसार प्रदान करता है:

" अनुच्छेद 4

वितरण का अधिकार

1. सदस्य राज्य लेखकों के लिए प्रावधान करेंगे, जिनके संबंध में

उनके कार्यों या उनकी प्रतियों का मूल, बिक्री द्वारा जनता को किसी भी प्रकार के वितरण को अधिकृत करने या प्रतिबंधित करने का अनन्य अधिकार।

या अन्यथा।

2. वितरण अधिकार समाप्त नहीं होगा मूल या कार्य की प्रतियों के संबंध में समुदाय, सिवाय इसके कि उस वस्तु के समुदाय में स्वामित्व की पहली बिक्री या अन्य हस्तांतरण अधिकार धारक द्वारा या उसकी सहमति से किया जाता है।

132. ईसी निर्देश 2001/29 के अनुच्छेद 4 (2) पर आते हुए, ईसीजे ने एक सवाल उठाया, इस प्रकार:

" 35. अपने दूसरे प्रश्न से, जिसे पहले संबोधित किया जाना चाहिए, संदर्भित करने वाला न्यायालय अनिवार्य रूप से यह जानना चाहता है कि क्या और किन शर्तों के तहत इंटरनेट से एक प्रति की डाउनलोड करना है।

कॉपीराइट धारक द्वारा अधिकृत कंप्यूटर प्रोग्राम दे सकता है निर्देश के अनुच्छेद 4 (2) के अर्थ के भीतर यूरोपीय संघ में उस प्रति के वितरण के अधिकार को समाप्त करना।

2009/24 .

21] 2 एस सी आर।

36. यह याद रखना चाहिए कि निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के तहत यूरोपीय संघ में कंप्यूटर की एक प्रति की पहली बिक्री।

अधिकार धारक द्वारा या उसकी सहमति से कार्यक्रम समाप्त हो जाता है

उस प्रति का यूरोपीय संघ के भीतर वितरण अधिकार।

37. संदर्भ के आदेश के अनुसार, कॉपीराइट धारक स्वयं, इस मामले में ओरेकल, यूरोपीय संघ में अपने ग्राहकों को उपलब्ध कराता है जो इसके कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करना चाहते हैं।

38. यह निर्धारित करने के लिए कि क्या मुख्य कार्यवाही में जारी होने वाली स्थिति में, कॉपीराइट धारक का वितरण अधिकार समाप्त हो गया है, पहले यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि क्या अधिकार धारक और उसके ग्राहक के बीच संविदात्मक संबंध है, जिसके भीतर विचाराधीन कार्यक्रम की एक प्रति डाउनलोड की गई है। निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के अर्थ के भीतर 'किसी कार्यक्रम की प्रति की पहली बिक्री' के रूप में माना जा सकता है।

133. यह निष्कर्ष निकालते हुए कि कंप्यूटर की एक प्रति का हस्तांतरण

ई. यू. एल. ए. के समापन के साथ एक कार्यक्रम का गठन किया गया

" ईसी निर्देश 2001/29 के अनुच्छेद 4 (2) के अर्थ के भीतर एक कार्यक्रम की प्रति की पहली बिक्री (पैराग्राफ 48 देखें), ईसीजे ने तब थकावट के सिद्धांत का वर्णन इस प्रकार किया:

" 70. एक मूल अधिग्रहणकर्ता जो एक कंप्यूटर प्रोग्राम की एक मूर्त या अमूर्त प्रति को पुनर्विक्रय करता है, जिसके लिए कॉपीराइट धारक का वितरण का अधिकार निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के अनुसार समाप्त हो जाता है, उसे निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (1) (a) में निर्धारित एक कंप्यूटर प्रोग्राम के पुनरुत्पादन के अनन्य अधिकार का उल्लंघन करने से बचने के लिए, अपनी खुद की प्रति को पुनर्विक्रय के समय अनुपयोगी बनाना चाहिए। ऐसी स्थिति में कि पिछले पैराग्राफ में उल्लिखित, कॉपीराइट धारक का ग्राहक कार्यक्रम की प्रति का उपयोग करना जारी रखेगा

अपने सर्वर पर स्थापित और इस प्रकार इसे अनुपयोगी नहीं बनाएगा। 71. इसके अलावा, भले ही संबंधित कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए अतिरिक्त उपयोगकर्ता अधिकारों के अधिग्रहणकर्ता ने एक नया इंस्टॉलेशन नहीं किया हो

और इसलिए उसके सर्वर पर कार्यक्रम का एक नया पुनरुत्पादन, निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के तहत वितरण अधिकार के समाप्त होने का प्रभाव किसी भी स्थिति में होगा।

इस तरह के उपयोगकर्ता अधिकारों तक विस्तारित नहीं। ऐसे मामले में अतिरिक्त उपयोगकर्ता अधिकारों का अधिग्रहण उस प्रति से संबंधित नहीं है जिसके लिए एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड का आंतरिक विश्लेषण केंद्र v.

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

उस लेन-देन के समय वितरण अधिकार समाप्त हो गया था। इसके विपरीत, इसका उद्देश्य केवल उस प्रतिलिपि के उपयोगकर्ताओं की संख्या को बढ़ाना संभव बनाना है जिसे अतिरिक्त अधिकार प्राप्त करने वाला स्वयं अपने सर्वर पर पहले ही स्थापित कर चुका है।

72. सभी पूर्वगामी के आधार पर, प्रश्न 2 का उत्तर यह है कि निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) की व्याख्या इस अर्थ के रूप में की जानी चाहिए कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम की एक प्रति के वितरण का अधिकार समाप्त हो जाता है, यदि कॉपीराइट धारक जिसने इंटरनेट से उस प्रति को डेटा वाहक पर मुफ्त में डाउनलोड करने के लिए भी अधिकृत किया है, उसे शुल्क के भुगतान के बदले में प्रदान किया गया है, जिसका उद्देश्य उसे उस काम की प्रति के आर्थिक मूल्य के अनुरूप पारिश्रमिक प्राप्त करने में सक्षम बनाना है, जिसका वह मालिक है, असीमित अवधि के लिए उस प्रति का उपयोग करने का अधिकार।

134. ई. सी. जे. ने निष्कर्ष निकाला कि कॉपीराइट स्वामी बिक्री करने पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियों में अपने अधिकार को समाप्त कर देता है, बशर्ते कि प्रतिलिपि को पहले अधिग्रहणकर्ता द्वारा अनुपयोगी बना दिया गया हो।

कमियाँ:

" 78. मान लीजिए, जैसा कि ऊपर पैराग्राफ 70 में कहा गया है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम की एक मूर्त या अमूर्त प्रति का मूल अधिग्रहणकर्ता जिसके लिए कॉपीराइट धारक का वितरण अधिकार निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के अनुसार समाप्त हो गया है, जो उस प्रति को फिर से बेचता है, ताकि उस अधिकार धारक के अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के पुनरुत्पादन के अनन्य अधिकार का उल्लंघन न हो। निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (1) (a) के अनुसार, प्रतिलिपि डाउनलोड करें।

उसके कंप्यूटर पर उसके पुनर्विक्रय के समय अनुपयोगी।

79. जैसा कि ओरेकल ने ठीक ही कहा है, यह पता लगाना कि क्या ऐसी प्रति को अनुपयोगी बना दिया गया है, मुश्किल साबित हो सकता है। हालांकि, एक कॉपीराइट धारक जो एक सामग्री पर एक कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां वितरित करता है

सी. डी. रोम या डी. वी. डी. जैसे माध्यम को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि यह बहुत कठिनाई के साथ ही सुनिश्चित किया जा सकता है कि मूल अधिग्रहणकर्ता ने कार्यक्रम की प्रतियां नहीं बनाई हैं, जिसका उपयोग वह अपने सामग्री माध्यम को बेचने के बाद भी करता रहेगा। उस समस्या को हल करने के लिए, वितरक के लिए तकनीकी सुरक्षा का उपयोग करने की अनुमति है-चाहे वह 'क्लासिक' हो या 'डिजिटल'।

उत्पाद कुंजी जैसे उपाय। 80. चूँकि कॉपीराइट धारक किसी कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति के पुनर्विक्रय पर आपत्ति नहीं कर सकता है, जिसके लिए उस अधिकार धारक का वितरण सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट है।

एस सी आर।

निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 4 (2) के तहत अधिकार समाप्त हो गया है, इसे होना चाहिए

यह निष्कर्ष निकाला जाए कि उस प्रति का दूसरा अधिग्रहणकर्ता और कोई

बाद के अधिग्रहणकर्ता अर्थ के भीतर इसके 'वैध अधिग्रहणकर्ता' हैं।

81. नतीजतन, पहले अधिग्रहणकर्ता द्वारा कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रति के पुनर्विक्रय की स्थिति में, नया अधिग्रहणकर्ता होगा निर्देश 2009/24 के अनुच्छेद 5 (1) के अनुसार, पहले अधिग्रहणकर्ता द्वारा उसे बेची गई प्रति को अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करने में सक्षम। इस तरह के डाउनलोड को एक कंप्यूटर प्रोग्राम का पुनरुत्पादन माना जाना चाहिए जो नए अधिग्रहणकर्ता को अपने इच्छित उद्देश्य के अनुसार प्रोग्राम का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है।

135. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, हालांकि, दृढ़ता से

1 वर्नोर बनाम में सर्किट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स कोर्ट ऑफ अपील्स के निर्णय पर। ऑटोडेस्क, इंक., 621 एफ. 3 डी 1102 (9 वां सिर।

) , जिसमें यह प्रथम बिक्री/सिद्धांत के सिद्धांत से संबंधित था

इश्तिहार। मामले के तथ्यों को इस प्रकार निर्धारित किया गया था:

" ए. ऑटोडेस्क का रिलीज़ 14 सॉफ्टवेयर और लाइसेंस प्रथाएं

भौतिक तथ्य विवाद में नहीं हैं। ऑटोडेस्क वास्तुकारों, इंजीनियरों और इंजीनियरों द्वारा उपयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन सॉफ्टवेयर बनाता है। निर्माता। इसके नौ लाख से अधिक ग्राहक हैं। सबसे पहले

1982 में अपना ऑटो सीएडी सॉफ्टवेयर जारी किया। यह पंजीकृत है।

बंद किए गए रिलीज़ 14 संस्करण सहित सॉफ़्टवेयर के सभी संस्करणों में कॉपीराइट, जो इस मामले में जारी किया गया है। यह प्रदान किया गया

सीडी-रॉम पर ग्राहकों के लिए 14 जारी करें। कम से कम 1986 से, ऑटोडेस्क ने ग्राहकों को ऑटो सीएडी की पेशकश की है।

(" एस. एल. ए.), जिसे ग्राहकों को सॉफ्टवेयर स्थापित करने से पहले स्वीकार करना होगा। एक ग्राहक जो एस. एल. ए. को स्वीकार नहीं करता है, वह पूर्ण धनवापसी के लिए सॉफ्टवेयर वापस कर सकता है। ऑटोडेस्क विभिन्न प्रकार के एस. एल. ए. प्रदान करता है। वाणिज्यिक, शैक्षणिक

संस्थानों और छात्र उपयोगकर्ताओं के लिए शर्तें। वाणिज्यिक लाइसेंस, जो सबसे महंगा है, लागू करता है।

उपयोगकर्ताओं पर सबसे कम प्रतिबंध और उन्हें सॉफ्टवेयर उन्नयन की अनुमति देता है

रियायती कीमतों पर। रिलीज 14 के लिए एस. एल. ए. पहले पाठ करता है कि ऑटोडेस्क सभी प्रतियों का शीर्षक बरकरार रखता है। दूसरा, इसमें कहा गया है कि ग्राहक के पास रिलीज 14 का उपयोग करने के लिए एक गैर-विशिष्ट और गैर-हस्तांतरणीय लाइसेंस है।

तीसरा, यह उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के आंतरिक विश्लेषण केंद्र को लागू करता है। आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

हस्तांतरण प्रतिबंध, ग्राहकों को ऑटोडेस्क की पूर्व सहमति के बिना सॉफ्टवेयर को किराए पर लेने, पट्टे पर देने या स्थानांतरित करने और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या भौतिक रूप से सॉफ्टवेयर को पश्चिमी गोलार्ध से बाहर स्थानांतरित करने से प्रतिबंधित करता है। चौथा, यह महत्वपूर्ण उपयोग लागू करता है

प्रतिबंध:

आप नहीं कर सकते हैं: (1) संशोधित करें, अनुवाद करें, रिवर्स इंजीनियर,

सॉफ्टवेयर को विघटित या विघटित करें। (3) किसी भी सॉफ्टवेयर को हटा दें।

सॉफ्टवेयर से स्वामित्व सूचनाएँ, लेबल या निशान या

गोलार्ध; (5) किसी भी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का उपयोग करें। किसी भी हार्डवेयर प्रतिलिपि-सुरक्षा उपकरण को हराने के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहिए

आपके द्वारा लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर इस तरह से सुसज्जित होना चाहिए सुरक्षा; या (6) सॉफ्टवेयर का उपयोग वाणिज्यिक या अन्य उद्देश्यों के लिए करें।

राजस्व उत्पन्न करने के उद्देश्य यदि सॉफ्टवेयर को लाइसेंस दिया गया है

या केवल शैक्षिक उपयोग के लिए लेबल किया गया है।

पाँचवाँ, एस. एल. ए. लाइसेंस समाप्ति का प्रावधान करता है यदि उपयोगकर्ता बिना प्राधिकरण के सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बनाता है या एस. एल. ए. के प्रतिबंधों का पालन नहीं करता है। अंत में, एस. एल. ए. प्रदान करता है कि यदि सॉफ्टवेयर पिछले संस्करण का उन्नयन है:

[आपको पहले से लाइसेंस प्राप्त सॉफ्टवेयर को नष्ट करना होगा,

उन्नयन का उपयोग करने के लिए लाइसेंस की खरीद के साठ (60) दिन या अपडेट करें $ऑटोडेस्क के पास आपको दिखाने का अधिकार सुरक्षित है

संतोषजनक प्रमाण है कि सॉफ्टवेयर की पिछली प्रतियां हैं नष्ट कर दिया गया।

ऑटोडेस्क इन लाइसेंस आवश्यकताओं को लागू करने के लिए उपाय करता है। यह ऑटोकैड की प्रत्येक प्रति को एक क्रम संख्या प्रदान करता है और पंजीकृत लाइसेंसधारियों को ट्रैक करता है। सॉफ्टवेयर का उपयोग जारी रखने के लिए ग्राहकों को इंस्टॉलेशन के बाद एक महीने के भीतर "सक्रियण कोड" दर्ज करने की आवश्यकता होती है। 1 ग्राहक ऑटोडेस्क को उत्पाद का क्रम संख्या प्रदान करके कोड प्राप्त करता है। ऑटोडेस्क यह पुष्टि करने के बाद सक्रियण कोड जारी करता है कि क्रम संख्या प्रामाणिक है, प्रतिलिपि किसी अन्य ग्राहक के लिए पंजीकृत नहीं है, और उत्पाद को उन्नत नहीं किया गया है। एक

बार जब किसी ग्राहक के पास एक सक्रियण कोड होता है, तो वह इसका उपयोग ऑटोडेस्क को सूचित किए बिना अतिरिक्त कंप्यूटरों पर सॉफ्टवेयर को सक्रिय करने के लिए कर सकता है। 999 "

(पृष्ठ 1104-1105)

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

136. न्यायालय ने नोट किया कि सिद्धांत का अनुप्रयोग बदल गया

निम्नलिखित प्रश्नः

" इस मामले में हमें यह तय करने की आवश्यकता है कि क्या ऑटोडेस्क ने रिलीज को बेचा है

14 अपने ग्राहकों को प्रतियां भेजें या अपने ग्राहकों को प्रतियों का लाइसेंस दें।

यदि सी. टी. ए. के पास रिलीज़ 14 की प्रतियाँ हैं, तो दोनों की बिक्री

वर्नोर और वर्नोर की बाद की बिक्री गैर-उल्लंघनकारी थी

पहली बिक्री सिद्धांत। हालांकि, अगर ऑटोडेस्क केवल सी. टी. ए. को लाइसेंस देता है रिलीज 14 की प्रतियों का उपयोग करने के लिए, फिर सी. टी. ए. और वर्नोर की बिक्री

वे प्रतियाँ प्रथम बिक्री सिद्धांत द्वारा संरक्षित नहीं हैं और

इसलिए ऑटोडेस्क के अनन्य वितरण अधिकार का उल्लंघन करता है।

(पृष्ठ 1107)

(जोर दिया गया)

137. इन तथ्यों पर, प्रथम बिक्री का सिद्धांत/सिद्धांत

यू. एस. ए. में लागू होने वाले सिद्धांत को निम्नानुसार निर्धारित किया गया थाः

" A. प्रथम बिक्री सिद्धांत

सर्वोच्च न्यायालय ने 1908 में पहली बिक्री सिद्धांत को स्पष्ट किया,

यह मानते हुए कि एक कॉपीराइट मालिक का अनन्य वितरण अधिकार है

एक विशेष प्रति की मालिक की पहली बिक्री के बाद समाप्त हो गया प्रतिलिप्याधिकार वाला काम। बॉब्स-मेरिल कंपनी वी. देखें। स्ट्रॉस, 210 यू. एस.

339 , 350-51 (1908) . बॉब्स-मेरिल में, वादी-कॉपीराइट

मालिक ने अपनी पुस्तक को एक मुद्रित सूचना के साथ बेच दिया जिसमें घोषणा की गई थी कि कोई भी

एक डॉलर से कम में किताब बेचने वाले खुदरा विक्रेता इसके लिए जिम्मेदार थे।

कॉपीराइट उल्लंघन के लिए। (आईडी. 341 पर)। वादी ने निषेधाज्ञा की मांग की प्रतिवादियों-पुस्तक विक्रेताओं के खिलाफ राहत जो अनुपालन करने में विफल रहे

मूल्य प्रतिबंध। (आईडी. 341-42) पर। सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज

वादी का दावा, यह मानते हुए कि इसका अनन्य वितरण अधिकार

यह केवल काम की प्रतियों की पहली बिक्री पर लागू होता है। (आईडी. 350-51) पर।

एक विशेष मूल्य से नीचे काम की बाद की बिक्री थी उल्लंघन करते हैं। आईडी. न्यायालय ने कहा कि उसका निर्णय केवल इन पर लागू होता है -

एक कॉपीराइट मालिक के अधिकार जिन्होंने अपने काम को एक के बिना वितरित किया

लाइसेंस समझौता। (आईडी. 350 पर) ("इस मामले में कोई दावा नहीं है

अनुबंध सीमा, न ही लाइसेंस समझौता जो बाद के नियमों को नियंत्रित करता है

पुस्तक की बिक्री।) .

कांग्रेस ने अगले वर्ष पहली बिक्री सिद्धांत को संहिताबद्ध किया। देखें।

17 यू. एस. सी. धारा 41 (1909)।

अपने वर्तमान रूप में, यह आई. एन. ई. आर. आई. एन. एल. एस. आई. एस. सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड वी. के मालिक को अनुमति देता है। आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

प्रतिलिप्याधिकार प्राप्त किसी कार्य की एक विशेष प्रति, जो उसे बेचने या उसका निपटान करने के लिए हो।

प्रतिलिपि अधिकार स्वामी की अनुमति के बिना प्रतिलिपि करें। (आईडी. § 109 (अ) (1976 में अधिनियमित)। प्रथम बिक्री सिद्धांत किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होता है।

जिसके पास कॉपीराइट किए गए काम की एक प्रति है, बिना उसके स्वामित्व के,

जैसे कि लाइसेंसधारी। आईडी देखें। § 109 ((घ) सी. एफ. गुणवत्ता राजा वितरण।,

इंक. वी. एल 'अंजा रिसर्च इंटरनेशनल इंक., 523 यू. एस. 135,146-47 (1998)

(" [टी] वह पहली बिक्री सिद्धांत किसी भी डॉलर को बचाव प्रदान नहीं करेगा

गैर-मालिक जैसे बेली, एक लाइसेंसधारी, एक माल प्राप्तकर्ता, या जिसका

प्रतिलिपि रखना गैरकानूनी था। ") . "

(पृष्ठ 1107-1108)

138. सॉफ्टवेयर द्वारा विशेष रूप से लगाए गए प्रतिबंधों को देखते हुए

सी. ई. मामले के तथ्यों में सहमति, अदालत ने माना कि

सही मालिक ने सॉफ्टवेयर की प्रतियों के लिए शीर्षक बनाए रखा, और इस प्रकार

ऐसी प्रतियों की बिक्री कॉपीराइट के वितरण अधिकार का उल्लंघन करती है।

आर, निम्नानुसारः

" B. विश्लेषण

हम आज मानते हैं कि एक सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता एक लाइसेंसधारी के बजाय एक लाइसेंसधारी है।

एक प्रति का स्वामी जहाँ प्रतिलिपि अधिकार स्वामी (1) निर्दिष्ट करता है कि उपयोगकर्ता को लाइसेंस दिया जाता है; (2) उपयोगकर्ता की क्षमता को काफी सीमित करता है।

सॉफ्टवेयर को स्थानांतरित करने के लिए; और (3) उल्लेखनीय उपयोग प्रतिबंध लगाता है। 12 ऑटोडेस्क के एस. एल. ए. में अपनी हिस्सेदारी को लागू करते हुए, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि सी. टी. ए.

रिलीज 14 की प्रतियों के मालिक होने के बजाय एक लाइसेंसधारी था और

इस प्रकार प्रथम बिक्री सिद्धांत या आवश्यक का आह्वान करने का हकदार नहीं था

कदम रक्षा।

ऑटोडेस्क ने सॉफ्टवेयर का शीर्षक बरकरार रखा और महत्वपूर्ण रूप से लागू किया

स्थानांतरण प्रतिबंध: यह कहा गया है कि लाइसेंस गैर-हस्तांतरणीय है,

सॉफ्टवेयर को ऑटोडेस्क के बिना स्थानांतरित या पट्टे पर नहीं दिया जा सकता था

लिखित सहमति, और सॉफ्टवेयर को बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सका

पश्चिमी गोलार्ध। एस. एल. ए. ने उपयोग प्रतिबंध भी लगाए

पश्चिमी गोलार्ध के बाहर सॉफ्टवेयर के उपयोग के खिलाफ

प्रलेखन, या किसी भी प्रतिलिपि सुरक्षा उपकरण को पराजित करना। इसके अलावा, एस. एल. ए. ने लाइसेंस को समाप्त करने का प्रावधान किया

अनुज्ञप्तिधारी की अनधिकृत नकल या अन्य के साथ अनुपालन करने में विफलता

लाइसेंस प्रतिबंध। इस प्रकार, क्योंकि ऑटोडेस्क ने शीर्षक आरक्षित किया है 14 प्रतियाँ जारी की और महत्वपूर्ण हस्तांतरण और उपयोग [2021] 2 एस. सी. आर. लागू किया।

प्रतिबंध, हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसके ग्राहक उनके लाइसेंसधारी हैं

मालिकों के बजाय रिलीज़ 14 की प्रतियाँ। सी. टी. ए. "किसी विशेष प्रति का मालिक" होने के बजाय एक लाइसेंसधारी था।

रिलीज 14, और यह अपनी रिलीज 14 को पुनर्विक्रय करने का हकदार नहीं था

फर्स्ट सेल सिद्धांत के तहत वर्नोर को प्रतियां। 17 यू. एस. सी. धारा 109 (ए)। इसलिए, वर्नोर को सी. टी. ए. से प्रतियों का शीर्षक नहीं मिला।

और तदनुसार स्वामित्व दूसरों को नहीं दे सकते थे। दोनों सी. टी. ए.

और वर्नोर की बिक्री ने ऑटोडेस्क के वितरण के विशेष अधिकार का उल्लंघन किया

उनके काम की प्रतियाँ। आईडी. § 106 (3) . ”

(पृष्ठ 1111-1112)

139. नतीजतन, सॉफ्टवेयर लाइसेंस की शर्तों को देखते हुए

उसके समक्ष तथ्यों में सहमति, न्यायालय ने माना कि पहले का सिद्धांत

बिक्री लागू नहीं होगी, क्योंकि कॉपीराइट मालिक ऑटोडेस्क ने सॉफ्टवेयर की प्रतियों के शीर्षक के साथ भाग नहीं लिया था। दूसरी ओर, जैसा कि इस निर्णय के पैराग्राफ 52 में कहा गया है, ई. यू. एल. ए. और वितरण समझौते जिनसे हमारे सामने अपीलें संबंधित हैं, वे कॉपीराइट अधिनियम की धारा 30 के संदर्भ में लाइसेंस नहीं देते हैं, बल्कि वास्तव में वितरकों/अंतिम उपयोगकर्ताओं को कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की एक प्रति के साथ अंतर्निहित सामग्री वस्तु को शीर्षक देते हैं।

140. उपरोक्त अधिकारियों का एक पर्यवेक्षक यह दिखाएगा कि

प्रथम बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत का सिद्धांत, सबसे पहले, ऐसे विधान पर निर्भर करता है जो या तो सिद्धांत को मान्यता देता है या अस्वीकार करता है (इस प्रकार कॉपीराइट स्वामी को वितरण अधिकार देना जारी रखता है, यहां तक कि कॉपीराइट किए गए काम की पहली बिक्री से परे भी)। अतः इसके लिए

उदाहरण के लिए, 2012 में धारा 14 (डी) (ii) के संशोधन से पहले, एक सिनेमेटोग्राफ फिल्म से संबंधित, फिल्म की किसी भी प्रति को बेचने या किराए पर देने या बिक्री या किराए पर देने का वितरण अधिकार, कॉपीराइट स्वामी में निहित रहेगा, "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसर पर बेची गई थी या किराए पर दी गई थी", जो पहली बिक्री/समाप्ति के सिद्धांत के आवेदन के खिलाफ विधायी इरादे को प्रकट करता है। हालाँकि, 2012 के बाद, कॉपीराइट मालिक के वितरण

अधिकार और खरीदार के आगे पुनर्विक्रय के अधिकार के बीच संतुलन, बाद वाले के पक्ष में झुक गया था, शब्द "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसर पर बेची गई है या किराए पर दी गई है" संशोधन द्वारा हटा दिया गया था। इसी तरह, जब कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (ए) (ii) की बात आती है, तो वितरण अधिकार कॉपीराइट के मालिक के पास जनता को काम की प्रतियां जारी करने के लिए रहता है, इस हद तक कि ऐसी प्रतियां पहले से ही प्रचलन में नहीं हैं, जिससे एक विधायी इरादे को प्रकट किया जाता है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

141. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (डी) (ii) की तरह, धारा 14 (बी) (ii) को भी 1999 के संशोधन के बाद 15.01.2000 से हटा दिया गया है। शब्द "इस बात की परवाह किए बिना कि ऐसी प्रति पहले के अवसरों पर बेची गई है या किराए पर दी गई है", जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि वही झुकाव जो कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (डी) (ii) में 2012 में खरीददार के पक्ष में संशोधन के माध्यम से किया गया था, उसे भी बाद में पाया जाना चाहिए।

1999 का संशोधन, कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में।

142. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि इसे बेचना या देना मालिक का अनन्य अधिकार है।

वाणिज्यिक किराया या बिक्री के लिए या वाणिज्यिक किराये के लिए "कंप्यूटर कार्यक्रम की कोई भी प्रति"। इस प्रकार, एक वितरक जो सामग्री के रूप में कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खरीदता है और इसे एक अंत तक पुनर्विक्रय करता है-उपयोगकर्ता नहीं कर सकता है कहा जाए कि यह उपरोक्त प्रावधान के दायरे में है। कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) में बताई गई बिक्री या वाणिज्यिक किराया "कंप्यूटर प्रोग्राम की किसी भी प्रति" का है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह धारा केवल कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रतियां बनाने पर लागू होगी।

और फिर उन्हें बेचना, यानी, बिक्री या वाणिज्यिक किराये के लिए उसी का पुनरुत्पादन।

143. कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) का उद्देश्य, एक कंप्यूटर प्रोग्राम के संदर्भ में, उक्त के पुनरुत्पादन को रोकना है। कंप्यूटर प्रोग्राम और इसके परिणामस्वरूप पुनर्निर्मित कंप्यूटर प्रोग्राम का बाद के अधिग्रहणकर्ताओं/अंतिम उपयोगकर्ताओं को हस्तांतरण। के माध्यम से

इसके विपरीत, एक बार जब कोई पुस्तक बेची जाती है, तो उसी पुस्तक के आगे पुनर्विक्रय पर, खरीदार सामग्री पुस्तक को पूरी तरह से खो देता है, क्योंकि इस तरह के खरीदार ने विचार के लिए, पुस्तक को हमेशा के लिए अलग कर दिया है। कंप्यूटर प्रोग्राम के मामले में ऐसा नहीं हो सकता है, यही कारण है कि यूस्डसॉफ्ट में ईसीजे है।

वी. ओरेकल (ई. सी. जे.) (ऊपर) ने अभिनिर्धारित किया कि जब तक कि एक फ़्लॉपी डिस्क/सी. डी. पर संग्रहीत कंप्यूटर सॉफ़्टवेयर का आगे पुनर्विक्रय पुनर्विक्रेता/पहले अधिग्रहणकर्ता के कंप्यूटर पर उक्त सॉफ़्टवेयर के विनाश के साथ नहीं किया जाता है, तब तक कॉपीराइट मालिक के अधिकारों का आसानी से केवल पुनरुत्पादन द्वारा उल्लंघन किया जाएगा। यह कॉपीराइट अधिनियम की धारा 65 ए में भी मान्यता प्राप्त है जो यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किए गए तकनीकी सुरक्षा उपायों, जैसे एन्क्रिप्शन कोड, उत्पाद कुंजी आदि के उल्लंघन को दंडित करता है कि पहले अधिग्रहणकर्ता की प्रति को अनुपयोगी बना दिया गया है। इस प्रकार, एक बार जब यह समझ में आ जाता है कि कॉपीराइट अधिनियम की धारा 14 (बी) (ii) का उद्देश्य एक वितरक, [2021] 2 एस. सी. आर. द्वारा बेचे जाने वाले "लाइसेंस प्राप्त" कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बिक्री को रोकना नहीं है।

सॉफ्टवेयर बिल्कुल भी नहीं है और उसे उक्त सॉफ्टवेयर को मालिक द्वारा सिकुड़ते हुए अंतिम उपयोगकर्ता तक भेजना पड़ता है, वितरक का लाभ मार्जिन एक मध्यस्थ का होता है जो केवल उसी उत्पाद को फिर से बेचता है। अंत तक-उपयोगकर्ता।

144. इन सभी कारणों से हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते।

विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा किया गया कि कॉपीराइट वाले कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का वितरण, हमारे सामने अपील के तथ्यों पर, धारा 14 (बी) (ii) के तहत कॉपीराइट में ब्याज का अनुदान होगा।

कॉपीराइट अधिनियम, इस प्रकार आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत स्रोत पर कर की कटौती की आवश्यकता है।

का हस्तक्षेप

उपचार,

ओइसीडी

OWN

टिप्पणी

राजस्व

और द

समझ से परे

145. डी. टी. ए. ए. जिनका भारत ने अन्य देशों के साथ विलय किया है।

संविदाकारी राज्यों को पक्षों के सच्चे इरादे को लागू करने की दृष्टि से उदारता से व्याख्या करनी होगी। इस न्यायालय ने आजादी बचाओ आंदोलन (ऊपर) में इसे इस प्रकार रखा है:

" 98. जॉन एन. ग्लेडेन बनाम। महामहिम रानी [85 डीटीसी]

5188 पी पर। 5190] कर संधियों की उदार व्याख्या का सिद्धांत

संघीय न्यायालय द्वारा दोहराया गया, जिसने कहा:

" एक सामान्य कर कानून के विपरीत एक कर संधि या

सम्मेलन को एक दृष्टिकोण के साथ एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए पक्षों के सच्चे इरादों को लागू करना। शाब्दिक या

कानूनी व्याख्या से बचना चाहिए जब मूल उद्देश्य हो।

संधि की हार या निराशा हो सकती है जहाँ तक

विचाराधीन विशेष वस्तु का संबंध है। " " "

" संधियों की व्याख्या

130. संधियों की व्याख्या में अपनाए गए सिद्धांत नहीं हैं

एक सांविधिक विधान की व्याख्या के समान।

जबकि उत्कृष्टता केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

एक नगरपालिका कानून में आयातित संधि की व्याख्या पर टिप्पणी करते हुए, फ्रांसिस बेनिओन ने कहा:

सटीक प्रारूपण। संधियों का मसौदा तैयार करना आमतौर पर बहुत अच्छे कारण से कुख्यात रूप से अव्यवस्थित होता है। समझौता करने के लिए, राजनीति अनिश्चितता की आवश्यकता है।

..... अप्रत्यक्ष अधिनियमन द्वारा नगरपालिका कानून में आयातित एक संधि की व्याख्या को लॉर्ड विल्बरफोर्स द्वारा 'अंग्रेजी कानून के तकनीकी नियमों द्वारा या अंग्रेजी कानूनी उदाहरण द्वारा अप्रतिबंधित, लेकिन सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर संचालित' के रूप में वर्णित किया गया था। यह भगवान के आशावादी कथन को प्रतिध्वनित करता है। विडगरी, सी. जे. ने कहा कि 'शब्दों को उनका सामान्य अर्थ दिया जाना चाहिए, वकील और आम आदमी के लिए समान रूप से सामान्य. वकील के बजाय राजनयिक का अर्थ'। [फ्रांसिस बेनियन: सांविधिक व्याख्या, पी। 461 [बटरवर्थ्स, 1992 (दूसरा संस्करण)]।

डेविड आर. डेविस: अंतर्राष्ट्रीय दोहरा कराधान राहत के सिद्धांत, पी। 4 (लंदन, स्वीट एंड मैक्सवेल, 1985)।] , यह इंगित करता है कि दोहरे कराधान से बचाव संधि के मुख्य कार्य को देखा जाना चाहिए

संधि भागीदारों के बीच वाणिज्यिक संबंधों में सहायता करने के संदर्भ में और अनिवार्य रूप से दो संधि देशों के बीच एक सौदे के रूप में दोनों क्षेत्राधिकारों में कर लगाए जाने वाले आय के संबंध में उनके बीच कर राजस्व के विभाजन के रूप में। यह देखा जाता है (पैराग्राफ 1.06 के अनुसार):

" दोहरे कर संधि के लाभ और नुकसान संभवतः होंगे। केवल वास्तव में पारस्परिक हो जहाँ व्यापार और निवेश का प्रवाह हो।

संधि भागीदारों के बीच आम तौर पर संतुलन होता है। यह कहाँ है?

मामला नहीं, संधि के लाभों को अधिक तौला जा सकता है दूसरे की तुलना में एक संधि भागीदार के पक्ष में, भले ही

कर संधियों के संबंध में होने के रूप में पहचाना गया है विकसित और विकासशील देशों के बीच, जहाँ प्रवाह

व्यापार और निवेश काफी हद तक एक ही रास्ता है।

क्योंकि संधि वार्ता काफी हद तक एक सौदेबाजी की प्रक्रिया है।

प्रत्येक पक्ष द्वारा दूसरे से रियायतें मांगने के साथ, अंतिम समझौता अक्सर कई समझौतों का प्रतिनिधित्व करेगा, और

यह अनिश्चित हो सकता है कि क्या एक पूर्ण और पर्याप्त राशि

प्रो क्वो दोनों पक्षों द्वारा प्राप्त किया जाता है।

और अंत में, अनुच्छेद 1.08 में कहा गया है:

" संधि भागीदारों के बीच कर के आवंटन के अलावा,

कर संधियाँ भी समस्याओं को हल करने में मदद कर सकती हैं और प्राप्त कर सकती हैं ऐसे लाभ जो एकतरफा रूप से प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। 9999 '

146. इसके अलावा, ओस्टाइम में हाउस ऑफ लॉर्ड्स (कर निरीक्षक)

ऑस्ट्रेलियाई म्यूचुअल प्रोविडेंट सोसाइटी, [1959] ए. सी. 259 ने दिनांकित 16.07.1959 द्वारा टिप्पणी की, जिसे उसने कहा

द्वीपक्षीय कराधान समझौतों की राष्ट्रीय कर भाषा इस प्रकार है:

" की कुछ समस्याओं को विनियमित करने के लिए द्वीपक्षीय समझौते

डबल टैक्सेशन शुरू हुआ, किसी भी तरह से अब तक यूनाइटेड किंगडम में संबंधित था, 1946 में। नियोजित रूप, जो, स्पष्ट रूप से

कारण, सभी में समान रूपों और समान भाषा का उपयोग करता है

समझौतों को मॉडल खंडों के एक समूह से प्राप्त किया जाता है, मेरा मानना है

राष्ट्र संघ के वित्तीय आयोग द्वारा प्रस्तावित।

इसका उद्देश्य दो लोगों के कर दावों के लिए संधि द्वारा प्रावधान करना है।

सरकारें, दोनों वैध रूप से किसी विशेष पर कर लगाने में रुचि रखती हैं

आय का स्रोत या तो दोनों में से किसी एक को त्यागपत्र देकर

उनके बीच साझा करें। हमारे उद्देश्य के लिए यह नोट करना सुविधाजनक है कि इस समझौते में प्रयुक्त भाषा क्या हो सकती है

के कराधान संहिता में प्रतिष्ठान का कोई सटीक समकक्ष नहीं है यूनाइटेड किंगडम "।

(पृष्ठ 480)

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

147. जिन डी. टी. ए. ए. एस. से हमारा संबंध है, वे सभी उनके हैं।

ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन ऑन इनकम एंड

अल ["ओइसीडी मॉडल टैक्स कन्वेंशन"] और/या संयुक्त राष्ट्र

विकसित और विकासशील के बीच दोहरा कराधान समझौता

रॉयल्टी के कराधान के रूप में ["संयुक्त राष्ट्र मॉडल कन्वेंशन"] का प्रयास करता है

कॉपीराइट के साथ खिलवाड़ का संबंध है।

148. ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर समझौता इसके महत्व की बात करता है।

ई. ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी, निम्नानुसार है:

" 2. यह लंबे समय से सदस्य देशों के बीच मान्यता प्राप्त है आर्थिक सहयोग और विकास संगठन

राजकोषीय स्थिति को स्पष्ट करना, मानकीकृत करना और पुष्टि करना वांछनीय है

वाणिज्यिक, औद्योगिक क्षेत्रों में लगे करदाताओं की स्थिति,

दोहरा कराधान। इन देशों ने भी लंबे समय से मान्यता दी है कर संबंधी मामलों में प्रशासनिक सहयोग में सुधार की आवश्यकता है, विशेष रूप से

सूचना के आदान-प्रदान और संग्रह में सहायता के माध्यम से कर चोरी और परिहार को रोकने के उद्देश्य से कर।

3. ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर के ये मुख्य उद्देश्य हैं।

आय और पूँजी पर समझौता, जो एक साधन प्रदान करता है -

उत्पन्न होने वाली सबसे आम समस्याओं का एक समान आधार पर समाधान करना अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक दोहरे कराधान के क्षेत्र में। के रूप में

द्वैपाक्षिक सम्मेलनों का समापन या संशोधन करना, इसके अनुरूप होना चाहिए इस मॉडल कन्वेंशन की व्याख्या उस पर टिप्पणियों द्वारा की गई है

और उसमें निहित आरक्षण को ध्यान में रखते हुए और उनके

कर अधिकारियों को इन टिप्पणियों का पालन करना चाहिए, जैसा कि संशोधित किया गया है

समय-समय पर और उन पर उनकी टिप्पणियों के अधीन, जब

उनके द्वीपक्षीय कर के प्रावधानों को लागू करना और उनकी व्याख्या करना। सम्मेलन जो मॉडल सम्मेलन पर आधारित हैं।

" 29.2 इसी तरह, करदाता इसका व्यापक उपयोग करते हैं -

अपने व्यवसायों के संचालन और उनकी योजना बनाने में टिप्पणी

व्यावसायिक लेनदेन और निवेश। टिप्पणियाँ हैं

उन देशों में विशेष महत्व जिनके पास कोई प्रक्रिया नहीं है

कर से कर मामलों पर अग्रिम निर्णय प्राप्त करने के लिए

टिप्पणियों के रूप में प्रशासन केवल उपलब्ध हो सकता है उस मामले में व्याख्या का स्रोत "।

(ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर समझौता 2017-संघनित संस्करण)

(जोर दिया गया)

149. ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन, उसके अनुच्छेद 12 में, "रॉयल्टी" शब्द को निम्नानुसार परिभाषित करता है:

" अनुच्छेद 12

रॉयल्टीज

XXX XXX XXX

2. इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ है साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्यों के किसी भी कॉपीराइट के उपयोग या उपयोग के अधिकार के लिए विचार के रूप में प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान।

सिनेमेटोग्राफ फिल्म, कोई भी पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या संबंधित जानकारी के लिए

औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव "।

150. जब "रॉयल्टी" की परिभाषा उन सभी डी. टी. ए. ए. एस. में देखी जाती है जिनसे हम संबंधित हैं, तो यह पाया जाता है कि "रॉयल्टी" को या तो ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन के अनुच्छेद 12 में निहित परिभाषा के समान या समान तरीके से परिभाषित किया गया है। यह मामला होने के कारण, ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन के प्रावधानों पर ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी

फिर प्रासंगिक हो जाता है। ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी का उल्लेख पहले के कई निर्णयों में किया गया है और उस पर भरोसा किया गया है। देखिए:

15 पृष्ठ 629-630 पर SCC 602; और iii. सी. आई. टी वी. ई-फंड्स आई. टी. सॉल्यूशन इंक., (2018) 13 एस. सी. सी.

पृष्ठ 322-323।

151. जब डी. टी. ए. ए. एस. की बात आती है तो ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी के महत्व को ऑस्ट्रेलिया के उच्च न्यायालय द्वारा भी रेखांकित किया गया था। थिएल वी. संघीय कराधान आयुक्त, ऑस्ट्रेलिया का उच्च न्यायालय, [1990] 94 ए. एल. आर. 647, जिसने इसे इस प्रकार रखा:

" वियना कन्वेंशन के अनुच्छेद 31 में प्रावधान है कि एक संधि

"संधि की शर्तों को उनके संदर्भ में और उनके उद्देश्य और उद्देश्य के आलोक में दिए जाने वाले सामान्य अर्थ के अनुसार सद्भावना से" व्याख्या की जाए। संदर्भ में, पाठ के अलावा, कोई भी साधन शामिल है जिसे संधि के समापन के संबंध में एक या अधिक पक्षों द्वारा बनाया गया था और जिसे अन्य पक्षों द्वारा संधि से संबंधित साधन के रूप में स्वीकार किया गया था।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

मेरे हिस्से के लिए, मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों OECD मॉडल सम्मेलन और

टिप्पणियों को किया गया नहीं माना जाना चाहिए

एक द्वैपाक्षिक संधि के लिए पक्षों के साथ संबंध और स्वीकार

मॉडल। हालांकि, कुछ संदेह व्यक्त किए गए हैं भाषा के मामले में, कला की प्रयोज्यता। 31 के लिए

एक द्वैपाक्षिक संधि के मामले में टिप्पणियां जैसे कि एक दोहरा कराधान समझौता: जोन्स एट अल देखें। , " कर की व्याख्या

ओ. ई. सी. डी. के अनुच्छेद 3 (2) के विशेष संदर्भ वाली संधियाँ

मॉडल-II ", (1984) ब्रिटिश टैक्स रिव्यू 90 पी। 92 . इसलिए, मैं कला की ओर मुड़ता हूँ। 32 वियना कन्वेंशन जो व्याख्या के पूरक साधनों का सहारा लेने की अनुमति देता है,

संधि के प्रारंभिक कार्य और परिस्थितियों सहित इसके निष्कर्ष से उत्पन्न अर्थ की पुष्टि करने के लिए

कला का अनुप्रयोग। 31 , या अर्थ निर्धारित करने के लिए जब

कला के अनुसार व्याख्या। 31 अर्थ को अस्पष्ट छोड़ देता है

या अस्पष्ट या एक परिणाम की ओर ले जाता है जो स्पष्ट रूप से बेतुका है या

अनुचित है। जबकि मॉडल सम्मेलन और टिप्पणियाँ हो सकती हैं

दोहरे कराधान की तैयारी के लिए सख्ती से काम करने के लिए नहीं

ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड के बीच समझौता, वे दस्तावेज हैं

जो द्वैपाक्षिक दोहरे कराधान के निष्कर्ष का आधार है

विचाराधीन प्रकार के समझौते और, जैसा कि परी में संधियों के साथ होता है सामग्री, द्वारा शब्दों के वर्तमान उपयोग के लिए एक गाइड प्रदान करें

पार्टियाँ। अत: वे एक पूरक साधन हैं -

व्याख्या जिसके लिए कला के तहत सहारा लिया जा सकता है। 32 में से

वियना कन्वेंशन "। 47

(डॉसन जे. की सहमति वाली राय, पृष्ठ 653-654)

" यह समझौता एक संधि है और इसकी व्याख्या उसी के अनुसार की जानी है

(ए/एशिया) पीटीवाई। लिमिटेड (1980) 147 सी. एल. आर. पी. 159. उन नियमों को अब कानून पर वियना कन्वेंशन द्वारा संहिताबद्ध किया गया है संधियाँ जिनमें ऑस्ट्रेलिया एक पक्ष है, लेकिन स्विट्जरलैंड नहीं।

एस कोर्ट, राम जेठमलानी बनाम। भारत संघ, (2011) 8 एस. सी. सी. 1 ने कहा कि भारत संधियों के कानून पर वियना कन्वेंशन, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अनुच्छेद में निहित व्याख्या के सिद्धांत का पक्षकार नहीं है।रीओएफ भारतीय संदर्भ में भी संधियों की व्याख्या करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश प्रदान करता है। (देखें।

aph 69)।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

फिर भी, क्योंकि वियना की व्याख्या के प्रावधान

कन्वेंशन की व्याख्या के लिए प्रथागत नियमों को दर्शाता है

संधियों, कन्वेंशन की शर्तों को ध्यान में रखना उचित है

समझौते की व्याख्या करने में, भले ही स्विट्जरलैंड एक नहीं है

उस समझौते का पक्षकार: फोदरगिल वी. मोनार्क एयरलाइंस लिमिटेड

(1981) ए. सी. 251 पीपी पर। 276 , 282 , 290 ; राष्ट्रमंडल बनाम। तस्मानिया (तस्मानियाई बांध मामला) (1983) 158 सी. एल. आर. 1 पी. 222 ; गोल्डर मामला (1975) 57 आई. एल. आर. 201 पीपी. 213-214 . अनुच्छेद 31 कन्वेंशन के लिए आवश्यक है कि एक संधि की व्याख्या सामान्य अर्थ के अनुसार की जाए जो इसकी शर्तों को "उनके संदर्भ में और इसके उद्देश्य और उद्देश्य के प्रकाश में" दी जाए। संदर्भ में संधि की प्रस्तावना और अनुलग्नक शामिल हैं: कला. 31 (2) . कला के अनुप्रयोग से उत्पन्न अर्थ की पुष्टि करने के लिए "संधि के प्रारंभिक कार्य और इसके निष्कर्ष की परिस्थितियों सहित व्याख्या के पूरक साधनों" का भी सहारा लेना पड़ सकता है। 31 या संधि का अर्थ निर्धारित करने के लिए जब

कला के अनुसार व्याख्या। 31 इसके अर्थ को अस्पष्ट या अस्पष्ट छोड़ देता है या एक परिणाम की ओर ले जाता है जो स्पष्ट रूप से बेतुका या बेतुका है।

अनुचित: कला. 32 .

यह समझौता दोहरे कराधान से बचने के लिए है।

आय पर करों के संबंध में "। तदनुसार यह आवश्यक है कि

उस विशेष उद्देश्य के साथ समझौते के शब्दों की व्याख्या करें

दिमाग में। इसके अलावा, कला में "उद्यम" शब्द है। 3 और समझौते का 7 अस्पष्ट है क्योंकि, एक ओर, इसका अर्थ एक परियोजना या की गई गतिविधि हो सकती है और दूसरी ओर, इसका अर्थ गतिविधियों और परियोजनाओं के संबंध में निर्णय लेने और उन्हें पूरा करने के लिए एक रूपरेखा हो सकती है। नतीजतन, समझौते की व्याख्या करने में किसी भी "व्याख्या के पूरक साधन" को ध्यान में रखना उचित है। इस मामले में, "के पूरक साधन

व्याख्या "के लिए 1977 ओ. ई. सी. डी. मॉडल सम्मेलन हैं

आय पर करों के संबंध में दोहरे कराधान से बचाव

और पूंजी पर, जो समझौते का मॉडल था, और एक

उस मॉडल के संबंध में ओइसीडी द्वारा जारी टिप्पणी सम्मेलन। लेकिन उन दो दस्तावेजों का उल्लेख करने से पहले, यह है

समझौते का अधिक विस्तार से वर्णन करना आवश्यक है।

(मैकहग जे. की सहमति वाली राय, पृष्ठ 658-659)

152. अनुच्छेद के तहत रॉयल्टी भुगतान पर ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी

निर्देशात्मक, और निम्नानुसार कहता है:

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

" 12. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के लिए विचार के रूप में प्राप्त भुगतान को रॉयल्टी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या नहीं, यह कठिन समस्या है, लेकिन हाल के वर्षों में कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के तेजी से विकास और राष्ट्रीय सीमाओं के पार ऐसी प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण की सीमा को देखते हुए यह काफी महत्वपूर्ण है। 1992 में, उन सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए टिप्पणी में संशोधन किया गया था जिनके द्वारा इस तरह का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। पैराग्राफ 12 से 17 थे

12.1 सॉफ्टवेयर को एक प्रोग्राम, या कार्यक्रमों की श्रृंखला के रूप में वर्णित किया जा सकता है, जिसमें कंप्यूटर के लिए निर्देश होते हैं जो या तो कंप्यूटर की परिचालन प्रक्रियाओं (परिचालन सॉफ्टवेयर) या अन्य कार्यों (अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर) की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। इसे विभिन्न माध्यमों के माध्यम से स्थानांतरित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से, चुंबकीय टेप या डिस्क पर, या लेजर डिस्क या सीडी-रोम पर। इसे अनुप्रयोगों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ मानकीकृत किया जा सकता है या एकल उपयोगकर्ताओं के लिए तैयार किया जा सकता है। यह हो सकता है। कंप्यूटर हार्डवेयर के एक अभिन्न अंग के रूप में या विभिन्न प्रकार के हार्डवेयर पर उपयोग के लिए उपलब्ध एक स्वतंत्र रूप में स्थानांतरित।

12.2 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के हस्तांतरण से जुड़े लेनदेन में प्राप्त भुगतान की प्रकृति उन अधिकारों की प्रकृति पर निर्भर करती है जो हस्तांतरणकर्ता कार्यक्रम के उपयोग और दोहन के संबंध में विशेष व्यवस्था के तहत प्राप्त करता है। कंप्यूटर कार्यक्रमों में अधिकार बौद्धिक संपदा का एक रूप हैं। ओ. ई. सी. डी. सदस्य देशों की प्रथाओं में अनुसंधान ने स्थापित किया है कि एक को छोड़कर सभी कॉपीराइट कानून के तहत स्पष्ट रूप से या निहित रूप से कंप्यूटर कार्यक्रमों में अधिकारों की रक्षा करते हैं। हालांकि "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर" शब्द का उपयोग आमतौर पर दोनों कार्यक्रमों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। जो बौद्धिक संपदा अधिकार (कॉपीराइट) मौजूद है-और जिस माध्यम पर यह सन्निहित है, अधिकांश ओ. ई. सी. डी. सदस्य देशों का कॉपीराइट कानून कार्यक्रम और सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के बीच के अंतर को पहचानता है जिसमें कॉपीराइट कार्यक्रम की एक प्रति शामिल होती है। सॉफ्टवेयर के संबंध में अधिकारों का हस्तांतरण कई अलग-अलग तरीकों से होता है, जिसमें एक कार्यक्रम में कॉपीराइट में पूरे अधिकारों के अलगाव से लेकर एक उत्पाद की बिक्री तक जो उस उपयोग पर प्रतिबंधों के अधीन है जिसमें इसे रखा जाता है। भुगतान किया गया प्रतिफल भी कई रूप ले सकता है।

कारकों से यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि सॉफ्टवेयर भुगतानों के बीच सीमा कहाँ है जिन्हें रॉयल्टी और अन्य प्रकार के भुगतान के रूप में उचित रूप से माना जाता है। की कठिनाई

प्रजनन की आसानी से निर्धारण बढ़ जाता है

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और इस तथ्य से कि सॉफ्टवेयर के अधिग्रहण में अक्सर सॉफ्टवेयर के संचालन को संभव बनाने के लिए अधिग्रहणकर्ता द्वारा एक प्रति बनाने की आवश्यकता होती है।

13. हस्तांतरणकर्ता के अधिकारों में ज्यादातर मामलों में अंतर्निहित कॉपीराइट में आंशिक अधिकार या पूर्ण अधिकार शामिल होंगे (नीचे पैराग्राफ 13.1 और 15 देखें), या वे प्रोग्राम की एक प्रति ("प्रोग्राम कॉपी") में आंशिक या पूर्ण अधिकार हो सकते हैं (या उनके बराबर हो सकते हैं), चाहे ऐसी प्रति किसी सामग्री माध्यम में सन्निहित हो या नहीं या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रदान की गई हो (नीचे पैराग्राफ 14 से 14.2 देखें)। असामान्य मामलों में, लेन-देन "कैसे जानते हैं" या गुप्त सूत्र (पैराग्राफ 14.3) के हस्तांतरण का प्रतिनिधित्व कर सकता है। 13.1 प्रतिलिप्याधिकार में आंशिक अधिकारों के अधिग्रहण के लिए किए गए भुगतान (हस्तांतरणकर्ता द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अधिकारों को पूरी तरह से अलग किए बिना) एक रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे जहां विचार के लिए है।

कार्यक्रम को इस तरह से उपयोग करने का अधिकार देना, जो इस तरह के लाइसेंस के बिना, कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। इस तरह की व्यवस्थाओं के उदाहरणों में प्रजनन के लिए लाइसेंस शामिल हैं। और कॉपीराइट को शामिल करते हुए सार्वजनिक सॉफ्टवेयर को वितरित करें

प्रोग्राम, या प्रोग्राम को संशोधित करना और सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करना। इन परिस्थितियों में, भुगतान कार्यक्रम में कॉपीराइट का उपयोग करने के अधिकार के लिए हैं (यानी उन अधिकारों का दोहन करने के लिए जो अन्यथा होंगे)

प्रतिलिप्याधिकार धारक का एकमात्र विशेषाधिकार)। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जहां एक सॉफ्टवेयर भुगतान को उचित रूप से माना जाना चाहिए

सॉफ्टवेयर भुगतान के लिए लेख के कॉपीराइट प्रावधानों को लागू करने में कठिनाइयाँ हो सकती हैं क्योंकि पैराग्राफ 2 के लिए आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर को साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक कार्य के रूप में वर्गीकृत किया जाए। इनमें से कोई भी श्रेणी पूरी तरह से उपयुक्त नहीं लगती है। कई देशों के कॉपीराइट कानून विशेष रूप से सॉफ्टवेयर को साहित्यिक या वैज्ञानिक कार्य के रूप में वर्गीकृत करके इस समस्या से निपटते हैं। अन्य देशों के लिए एक वैज्ञानिक कार्य के रूप में उपचार सबसे यथार्थवादी दृष्टिकोण हो सकता है। जिन देशों के लिए उन श्रेणियों में से किसी में भी सॉफ्टवेयर संलग्न करना संभव नहीं है, वे अपनी द्विपक्षीय संधियों में पैराग्राफ 2 के एक संशोधित संस्करण को अपनाने के लिए उचित हो सकते

हैं जो या तो कॉपीराइट की प्रकृति के सभी संदर्भों को छोड़ देता है या विशेष रूप से सॉफ्टवेयर को संदर्भित करता है।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

14. अन्य प्रकार के लेन-देनों में, कॉपीराइट के संबंध में अर्जित अधिकार उन लोगों तक सीमित हैं जो उपयोगकर्ता को कार्यक्रम संचालित करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक हैं, उदाहरण के लिए, जहां हस्तांतरणकर्ता है

कार्यक्रम को पुनः प्रस्तुत करने के लिए सीमित अधिकार दिए गए। कार्यक्रम की प्रति के अधिग्रहण के लिए लेन-देन में यह आम स्थिति होगी। इन मामलों में हस्तांतरित अधिकार कंप्यूटर प्रोग्राम की प्रकृति के लिए विशिष्ट हैं। वे उपयोगकर्ता को प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देते हैं, उदाहरण के लिए उपयोगकर्ता के कंप्यूटर हार्ड ड्राइव पर या अभिलेखीय उद्देश्यों के लिए। इस संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंप्यूटर प्रोग्रामों के संबंध में सुरक्षा के तहत

प्रतिलिपि अधिकार कानून एक देश से दूसरे देश में भिन्न हो सकते हैं। कुछ में

देशों में हार्ड ड्राइव या कंप्यूटर की यादृच्छिक अभिगम स्मृति पर प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाने का कार्य, बिना लाइसेंस के, कॉपीराइट का उल्लंघन होगा। हालांकि, कई देशों के कॉपीराइट कानून स्वचालित रूप से सॉफ्टवेयर के मालिक को यह अधिकार प्रदान करते हैं जिसमें एक कंप्यूटर प्रोग्राम शामिल होता है। चाहे जो भी हो चाहे यह अधिकार कानून के तहत दिया गया हो या कॉपीराइट धारक के साथ लाइसेंस समझौते के तहत, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव या यादृच्छिक अभिगम मेमोरी पर प्रोग्राम की प्रतिलिपि बनाना या एक अभिलेखीय प्रतिलिपि बनाना प्रोग्राम का उपयोग करने के लिए एक आवश्यक कदम है।

इसलिए, प्रतिलिपि बनाने के इन कार्यों के संबंध में अधिकार, जहां वे उपयोगकर्ता द्वारा कार्यक्रम के प्रभावी संचालन को सक्षम करने से अधिक कुछ नहीं करते हैं, कर उद्देश्यों के लिए लेनदेन के चरित्र का विश्लेषण करने में उनकी अवहेलना की जानी चाहिए। इस प्रकार के भुगतान

लेन-देन को अनुच्छेद 7 के अनुसार वाणिज्यिक आय के रूप में माना जाएगा।

14.1 कंप्यूटर प्रोग्राम को स्थानांतरित करने की विधि

हस्तांतरणकर्ता प्रासंगिक नहीं है। उदाहरण के लिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हस्तांतरणकर्ता प्रोग्राम की एक प्रति वाली कंप्यूटर डिस्क प्राप्त करता है या सीधे मॉडेम कनेक्शन के माध्यम से अपने कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर एक प्रति प्राप्त करता है। यह भी प्रासंगिक नहीं है कि हस्तांतरणकर्ता सॉफ्टवेयर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा सकता है।

14.2 कंप्यूटर प्रोग्रामों को पुनः प्रस्तुत करने में आसानी के परिणामस्वरूप वितरण व्यवस्था हुई है जिसमें हस्तांतरणकर्ता केवल अपने व्यवसाय के भीतर संचालन के लिए प्रोग्राम की कई प्रतियां बनाने का अधिकार प्राप्त करता है। इस तरह की व्यवस्थाओं को आमतौर पर "साइट लाइसेंस", "उद्यम लाइसेंस" या "नेटवर्क लाइसेंस" के रूप में संदर्भित किया जाता है।

एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

हालाँकि ये व्यवस्थाएँ कार्यक्रम की कई प्रतियाँ बनाने की अनुमति देती हैं, ऐसे अधिकार आम तौर पर लाइसेंसधारी के कंप्यूटर या नेटवर्क पर कार्यक्रम के संचालन को सक्षम करने के उद्देश्य से आवश्यक लोगों तक सीमित होते हैं, और किसी अन्य उद्देश्य के लिए पुनरुत्पादन की अनुमति लाइसेंस के तहत नहीं है। ऐसी व्यवस्थाओं के तहत भुगतान को ज्यादातर मामलों में अनुच्छेद 7 के अनुसार व्यावसायिक लाभ के रूप में माना जाएगा।

14.3 एक अन्य प्रकार का लेन-देन जिसमें हस्तांतरण शामिल है

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अधिक असामान्य मामला है जहां एक सॉफ्टवेयर हाउस या कंप्यूटर प्रोग्रामर प्रोग्राम के अंतर्निहित विचारों और सिद्धांतों, जैसे तर्क, एल्गोरिदम या प्रोग्रामिंग भाषाओं या तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सहमत होता है। इन मामलों में, भुगतान को इस हद तक रॉयल्टी के रूप में चिह्नित किया जा सकता है कि

वे गुप्त सूत्रों के उपयोग या उपयोग के अधिकार या औद्योगिक से संबंधित जानकारी के लिए विचार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव जो अलग से कॉपीराइट नहीं किया जा सकता है। यह उस सामान्य मामले के विपरीत है जिसमें अंतिम उपयोगकर्ता द्वारा संचालन के लिए एक प्रोग्राम की प्रति प्राप्त की जाती है। 14.4 एक सॉफ्टवेयर कॉपीराइट धारक और एक वितरण मध्यस्थ के बीच व्यवस्था अक्सर वितरण मध्यस्थ को उस कार्यक्रम को पुनः पेश करने के अधिकार के बिना कार्यक्रम की प्रतियों को वितरित करने का अधिकार प्रदान करेगी। इन लेन-देनों में, कॉपीराइट के संबंध में अर्जित अधिकार उन लोगों तक सीमित हैं जो वाणिज्यिक मध्यस्थ के लिए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की प्रतियों को वितरित करने के लिए आवश्यक हैं। इस तरह के लेन-देन में, वितरक केवल सॉफ्टवेयर प्रतियों के अधिग्रहण के लिए भुगतान कर रहे हैं और सॉफ्टवेयर कॉपीराइट में किसी भी अधिकार का दोहन करने के लिए नहीं। इस प्रकार, एक लेन-देन में जहां एक वितरक सॉफ्टवेयर प्राप्त करने और वितरित करने के लिए भुगतान करता है

प्रतियाँ (सॉफ्टवेयर को पुनः प्रस्तुत करने के अधिकार के बिना), वितरण के इन कृत्यों के संबंध में अधिकारों की अवहेलना की जानी चाहिए

कर उद्देश्यों के लिए लेन-देन के स्वरूप का विश्लेषण करना। इस प्रकार के लेन-देन में भुगतान को अनुच्छेद 7 के अनुसार व्यावसायिक लाभ के रूप में माना जाएगा। यह इस बात की परवाह किए बिना होगा कि वितरित की जा रही प्रतियां मूर्त मीडिया पर वितरित की जाती हैं या इलेक्ट्रॉनिक रूप से वितरित की जाती हैं।

(वितरक के पास सॉफ्टवेयर को पुनः पेश करने का अधिकार नहीं है), या क्या सॉफ्टवेयर अपनी स्थापना के उद्देश्यों के लिए मामूली अनुकूलन के अधीन है।

उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड का प्रारंभिक विश्लेषण केंद्र v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

15. जहाँ पूर्ण हस्तांतरण के लिए प्रतिफल का भुगतान किया जाता है

रॉयल्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं और अनुच्छेद के प्रावधान नहीं हैं लागू होता है। जहाँ अधिकारों का हस्तांतरण होता है वहाँ कठिनाइयाँ उत्पन्न हो सकती हैं।

इसमें शामिल हैं:

- एक विशिष्ट अवधि के दौरान कॉपीराइट के उपयोग का अनन्य अधिकार

अवधि या एक सीमित भौगोलिक क्षेत्र में;

- उपयोग से संबंधित अतिरिक्त विचार;

एक महत्वपूर्ण एकमुश्त भुगतान के रूप में प्रतिफल।

16. प्रत्येक मामला अपने विशेष तथ्यों पर निर्भर करेगा लेकिन सामान्य रूप से यदि

भुगतान अधिकारों के हस्तांतरण के लिए विचाराधीन है जो

भौगोलिक रूप से-समय सीमित अधिकारों से सीमित), जैसे भुगतान अनुच्छेद 7 के तहत व्यावसायिक लाभ होने की संभावना है या

अनुच्छेद 13 के अंतर्गत रॉयल्टी के बजाय पूंजीगत लाभ

12. यह इस तथ्य से मिलता है कि जहाँ अधिकारों का स्वामित्व है

प्रतिफल के रूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, भुगतान किश्तों में या अधिकांश देशों की दृष्टि में,

इस तथ्य से कि भुगतान एक आकस्मिकता से संबंधित हैं।

17. सॉफ्टवेयर भुगतान मिश्रित अनुबंधों के तहत किए जा सकते हैं।

ऐसे अनुबंधों के उदाहरणों में कंप्यूटर हार्डवेयर की बिक्री शामिल है।

अंतर्निहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर के उपयोग के अधिकार की रियायतों के साथ

सेवाओं के प्रावधान के साथ। में निर्धारित विधियाँ

संबंध में समान समस्याओं से निपटने के लिए उपरोक्त अनुच्छेद 11 पेटेंट रॉयल्टी और जानने के लिए-कैसे समान रूप से लागू होते हैं

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जहां आवश्यक हो, कुल राशि

किसी अनुबंध के तहत देय राशि को विभाजित किया जाना चाहिए

अनुबंध में या माध्यमों से निहित जानकारी का आधार

उचित कर उपचार के साथ एक उचित विभाजन

प्रत्येक विभाजित भाग पर लागू किया जा रहा है।

(जोर दिया गया)

153. हालांकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने लिया है

ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर के अनुच्छेद 12 के संबंध में भारत द्वारा (ओ. ई. सी. डी. के सदस्य के रूप में) उठाए गए रुख के बारे में

प्रवेश और ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी, पहली बार 2008 में, 2014 में दोहराया गया

017 , इस प्रकार है:

21] 2 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

" 4.1 भारत के पास निम्नलिखित अधिकार सुरक्षित हैं: कर रॉयल्टी और स्रोत पर तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क; इन्हें परिभाषित करें, विशेष रूप से इसके घरेलू कानून के संदर्भ में; ऐसे भुगतानों के स्रोत को परिभाषित करें, जो कर सकते हैं

अनुच्छेद 11 के पैराग्राफ 5 में परिभाषित स्रोत से परे विस्तार करें और तदनुसार पैराग्राफ 3 और 4 को संशोधित करें।

" 17. भारत पैराग्राफ 8.2,10.1,10.2,14,14.1,14.4,15,16 और 17.3 में दी गई व्याख्याओं पर अपनी स्थिति सुरक्षित रखता है। रॉयल्टी "

(अनुच्छेद 12, ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी 2014 पर स्थितियाँ)

154. लिए गए इन पदों से, जो भाषा का उपयोग करते हैं "अधिकार सुरक्षित रखता है" और "का विचार है कि कुछ भुगतानों का उल्लेख किया गया है

रॉयल्टी हो सकती है ", यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि वास्तव में इन पदों की प्रकृति क्या है। यह अन्य पहलुओं ("भारत सहमत नहीं है") के संबंध में अपने रुख में भारत द्वारा उपयोग की जाने वाली स्पष्ट भाषा के विपरीत हो सकता है:

" 18. भारत इस व्याख्या से सहमत नहीं है कि जानकारी

औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक अनुभव से संबंधित है केवल पिछले अनुभव तक ही सीमित।

" 20. भारत पैराग्राफ 9.1 की व्याख्या से सहमत नहीं है। अनुच्छेद 12 पर टिप्पणी जिसके अनुसार एक भुगतान

ट्रांसपोंडर लीजिंग के लिए रॉयल्टी नहीं होगी। यह धारणा भारतीय स्थिति के विपरीत है कि ट्रांसपोंडर पट्टे से होने वाली आय एक उपकरण रॉयल्टी का गठन करती है जो भारत के दोनों कानूनों के तहत कर योग्य है।

घरेलू कानून और कई देशों के साथ इसकी संधियाँ। यह भारत की स्थिति के विपरीत भी है कि ट्रांसपोंडर के उपयोग के लिए भुगतान एक प्रक्रिया के उपयोग के लिए भुगतान है जिसके परिणामस्वरूप अनुच्छेद 12 के तहत रॉयल्टी होती है। भारत समुद्र के नीचे केबलों और पाइपलाइनों से संबंधित पैराग्राफ में शामिल निष्कर्ष से भी सहमत नहीं है, जैसा कि वह मानता है।

उपकरण रॉयल्टी। 21. भारत अनुच्छेद 12 पर टिप्पणी के अनुच्छेद 9.2 में दी गई व्याख्या से सहमत नहीं है। यह मानता है कि एक रोमिंग कॉल एक प्रक्रिया का उपयोग है। तदनुसार, उस प्रक्रिया के उपयोग के लिए किया गया भुगतान अनुच्छेद 12 के प्रयोजनों के लिए रॉयल्टी का गठन करता है। यह भी भारत की स्थिति है कि उत्कृष्टता पी. वी. टी. लिमिटेड के इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र के लिए भुगतान।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

रोमिंग कॉल एक रॉयल्टी है क्योंकि यह उपयोग के लिए भुगतान है।

औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक उपकरण।

22. भारत पैराग्राफ 9.3 की व्याख्या से सहमत नहीं है।

अनुच्छेद 12 पर टिप्पणी। यह मानता है कि एक भुगतान

स्पेक्ट्रम लाइसेंस भारत के दोनों कानूनों के तहत कर योग्य रॉयल्टी है। घरेलू कानून और कई देशों के साथ इसकी संधियाँ।

(अनुच्छेद 12, ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी 2014 पर स्थितियाँ)

155. आयकर निदेशक v. न्यू स्काईज़ सैटेलाइट बीवी,

(2016) 382 दिल्ली उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ, आई. टी. आर. 114 ["नया आकाश उपग्रह"] ने सही ढंग से कहा कि ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी के संबंध में लिए गए केवल रुख डी. टी. ए. ए. के दृष्टिकोण को नहीं बदलते हैं। प्रावधान, जब तक कि इसे वास्तव में द्विपक्षीय पुनः वार्ता के माध्यम से संशोधित नहीं किया जाता है। इसे इस प्रकार रखा गया था:

" 68. अंतिम रूप से, भारत की ओ. ई. सी. डी. की स्थिति में बदलाव टिप्पणी एक तथ्य नहीं हो सकता है जो व्याख्या को प्रभावित करता है

रॉयल्टी को परिभाषित करने वाले शब्द जो आज भी मौजूद हैं। एकमात्र तरीका

जिसमें स्थिति में ऐसा परिवर्तन प्रासंगिक हो सकता है यदि ऐसा परिवर्तन

संप्रभु राज्य। यह मान लेना गलत है कि कोई भी बदलाव किया गया है। गलत व्याख्या की स्थिति को सुधारने के लिए घरेलू कानून

एक अंतरराष्ट्रीय संधि में अपने मामले को अनायास आगे बढ़ा सकते हैं।

इसलिए, धारा 9 (1) (vi) में केवल संशोधन के परिणामस्वरूप

परिवर्तन करें। यह आवश्यक है कि इस तरह का संशोधन लाया जाए

समझौते में भी। इससे कम का कोई भी प्रयास, भले ही वह हो डेटा प्रसारण की अनुमति देने में राज्य की असुविधा का प्रमाण

राजस्व में कमी, इस न्यायालय को रोकने के लिए राजी करने के लिए अपर्याप्त होगा

कि ऐसे संशोधन डी. टी. ए. ए. एस. पर लागू होते हैं।

(मूल में जोर)

156. यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत द्वारा इस तरह के पद संभालने के बाद

ओ. ई. सी. डी. की टिप्पणी के अनुसार, भारत और अन्य संविदाकारी राज्यों द्वारा किसी भी डी. टी. ए. ए. में निहित रॉयल्टी की परिभाषा को बदलने के लिए कोई द्विपक्षीय संशोधन नहीं किया गया था, जिससे हम उनकी स्थिति के अनुसार इन अपीलों में संबंधित हैं। वास्तव में, डी. टी. ए. ए. एस. जिन्हें बाद में संशोधित किया गया था, जैसे कि दोहरे कराधान से बचने और [2021] 2 एस. सी. आर. के संबंध में राजकोषीय चोरी की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य और मोरक्को साम्राज्य के बीच समझौता।

आय पर कर, 48 ["भारत-मोरक्को डी. टी. ए. ए".], जिसे 22.10.2019 पर संशोधित किया गया था, 4 9 में रॉयल्टी की परिभाषा को शामिल किया गया था, जो ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर समझौते में निहित परिभाषा से बहुत अलग नहीं थी, जो इस प्रकार है:

" इस अनुच्छेद में उपयोग किए गए "रॉयल्टी" शब्द का अर्थ है:

(क) उपयोग के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार का भुगतान

किसी साहित्यिक, कलात्मक या वैज्ञानिक के किसी भी कॉपीराइट का, या उपयोग करने का अधिकार सिनेमाटोग्राफ फिल्म या किसी भी माध्यम से रिकॉर्डिंग सहित कार्य

पेटेंट, ट्रेडमार्क, डिजाइन या मॉडल, योजना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कार्यक्रम, गुप्त सूत्र या प्रक्रिया, या जानकारी के लिए

(ख) उपयोग के लिए प्राप्त किसी भी प्रकार के भुगतान, या उपयोग का अधिकार, किसी भी औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक

उपकरण "

(

अनुच्छेद 12.3)

157. इसी तरह, हालांकि भारत-सिंगापुर डी. टी. ए. ए. लागू हुआ

08.08.1994 पर, इसे कई बार संशोधित किया गया है, जिसमें 01.09.2011,50 और 23.03.2017 शामिल हैं। 51 तथापि, "रॉयल्टी" की परिभाषा को बिना किसी परिवर्तन के बरकरार रखा गया है। इसी तरह, दोहरे कराधान से बचने और राजकोषीय मामलों की रोकथाम के लिए भारत गणराज्य की सरकार और मॉरीशस सरकार के बीच समझौता

आय और पूंजीगत लाभ पर करों के संबंध में और पारस्परिक व्यापार और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए, 52 ["भारत-मॉरीशस डी. टी. ए. ए".] को 06.12.1983 पर दर्ज किया गया था, और बाद में 10.08.2016,53 की परिभाषा में कोई बदलाव किए बिना इसमें संशोधन किया गया था।

" रॉयल्टी "।

158. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 12 पर ओ. ई. सी. डी. की टिप्पणी

हमारे समक्ष मामलों में डी. टी. ए. ए. में शामिल ओ. ई. सी. डी. मॉडल टैक्स कन्वेंशन का उसमें निहित "रॉयल्टी" शब्द की व्याख्या के लिए प्रेरक मूल्य बना रहेगा।

48 अधिसूचनाः नहीं। जीएसआर 245 (ई), दिनांक 15-3-2000। 49 अधिसूचना सं. एस. ओ. 3789 (ई) [No.84/2019/F.No.503/09/2009-एफ. टी. डी. II], दिनांक 22-10-2019।

52 अधिसूचना सं। जीएसआर 920 (ई)। 53 अधिसूचना सं। एस. ओ. 2680 (ई) (No.68/2016 (F.No.500/3/2012-एफ. टी. डी.-II)।

उत्कृष्टता केंद्र का इंजीनियरिंग विश्लेषण केंद्र पी. वी. टी. लिमिटेड v. आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

159. दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो ऐसे व्यक्ति जो टी. डी. एस. का भुगतान करते हैं और/या

डी. टी. ए. ए. द्वारा शासित राष्ट्रों में कर निर्धारकों को यह जानने का अधिकार है कि उन्हें नियंत्रित करने वाले संधि प्रावधानों के संबंध में उनकी स्थिति क्या है। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति और/या निर्धारिती ओ. ई. सी. डी. मॉडल कर समझौते के प्रावधानों के लिए ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी पर भरोसा कर सकते हैं, जिनका उपयोग द्वीपक्षीय डी. टी. ए. ए. द्वारा किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के बिना किया जाता है, नगरपालिका अदालतों के निर्णयों के अभाव में या परस्पर विरोधी नगरपालिका निर्णयों की स्थिति में। इस दृष्टिकोण से भी, ओ. ई. सी. डी. टिप्पणी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिन संविदाकारी राज्यों से कर कटौती करने वाले व्यक्ति/निर्धारिती संबंधित हैं, वे व्यवसाय समाप्त कर सकते हैं।

लेन-देन इस आधार पर किया जाता है कि उन पर या तो कॉपीराइट से अलग होने के लिए रॉयल्टी के माध्यम से आय या लाइसेंस से प्राप्त आय पर कर लगाया जाना है।

ऐसे समझौते जिन पर तब संविदाकारी राज्य में पी. ई. के अस्तित्व के आधार पर व्यावसायिक लाभ के रूप में कर लगाया जाता है।

160. हालाँकि, विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने इस पर भरोसा किया

एच. पी. सी. रिपोर्ट 2003 और ई-कॉमर्स रिपोर्ट 2016। एच. पी. सी. रिपोर्ट 2003, ई-कॉमर्स भुगतानों के संबंध में विभिन्न लक्षण वर्णन मुद्दों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित रूप में अनुशंसित करती है:

" ..... समिति यह भी सिफारिश करती है कि प्रत्येक पर एक स्पष्ट स्थिति हो।

प्रत्यक्ष कर ("सीबीडीटी")। यह दृष्टिकोण की एकरूपता सुनिश्चित करेगा। सभी मूल्यांकन अधिकारियों के बीच। चूंकि नई श्रेणियां

लेन-देन में प्रगति के साथ तेजी से उभरने की संभावना है प्रौद्योगिकी, यह भी अनुशंसा की जाती है कि सीबीडीटी को बारीकी से काम करना चाहिए

विकास की निगरानी करें और मूल्यांकन के लिए दिशा-निर्देश जारी करें

लेन-देन की नई उभरती श्रेणियों पर अधिकारी

प्रक्रिया। निगरानी एक विशेषज्ञ सलाहकार के माध्यम से होनी चाहिए। निकाय जिस पर कर प्रशासन, पेशा और

संबंधित उद्योग का प्रतिनिधित्व किया जाता है।

(पृष्ठ 146-147)

161. ई-कॉमर्स रिपोर्ट 2016 में बराबरी का प्रस्ताव दिया गया है।

निर्दिष्ट डिजिटल सेवाओं पर शुल्क लगाया जाएगा (पैराग्राफ 11.2 देखें) और नोट किया कि डिजिटल पर विदहोल्डिंग टैक्स लगाने की इसकी सिफारिश लेन-देन को संभव बनाने के लिए कर संधियों में एक स्पष्ट समावेश की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार है:

" 108. इन टिप्पणियों का संज्ञान लेने के बाद, समिति का मानना है कि "विदहोल्डिंग टैक्स" का विकल्प एक सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट प्रदान करता है।

21] 2 एस सी आर।

आय के संबंध में आंशिक कर अधिकार आवंटित करने का व्यावहारिक तरीका

डिजिटल अर्थव्यवस्था से, जो ऐसी विशेषताओं को साझा करती है जो समान हो सकती हैं तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या शुल्क, और जिसका अनुपालन किया जा सकता है

रोक लगाने की प्रक्रिया द्वारा बी2 बी लेनदेन के संबंध में।

हालाँकि, आय पर ऐसा कर केवल तभी संभव होगा जब कर संधियों में शामिल, जो भारतीय पर वरीयता लेते हैं

घरेलू कानून, जब तक कि इसे सकल भुगतान पर कर के रूप में नहीं बनाया गया है।

(जोर दिया गया)

162. ये रिपोर्ट भी मामले को ज्यादा आगे नहीं ले जाती हैं।

ये समिति के सदस्यों के विचारों को व्यक्त करने वाली सिफारिश करने वाली रिपोर्ट हैं, जिन्हें भारत सरकार स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है। जब डी. टी. ए. ए. प्रावधानों की बात आती है, भले ही स्थिति में रखा गया हो उपरोक्त रिपोर्टों को स्वीकार किया जाना था, आयकर अधिनियम के उद्देश्यों के लिए ऐसी कोई भी सिफारिश लागू होने से पहले डी. टी. ए. ए. को द्वैपाक्षिक रूप से संशोधित करना होगा।

163. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने भी भरोसा करने की मांग की

केस नं. 207019/1990 दिनांक 28.02.1995 में ऑडियंसिया नैसिओनल (स्पेनिश नेशनल कोर्ट) के एक फैसले और केस नं. 8066/1994 दिनांकित में ट्रिब्यूनल सुप्रीमो (स्पेनिश सुप्रीम कोर्ट) के एक फैसले पर। 02.10.1999 . इस तथ्य के अलावा कि उन्होंने केवल कुछ उद्धरण प्रस्तुत किए और इन मामलों में दिए गए पूरे फैसले को नहीं, इन अधिकारियों की हमारे सामने अपीलों के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है, क्योंकि स्पेन के कराधान कानून के आधार पर निर्णय लिया गया है।

164. विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने तब संदर्भित किया

सीमा शुल्क आयुक्त बनाम में इस न्यायालय का निर्णय। जी. एम. निर्यात, (2016) 1 एस. सी. सी. 91, और विशेष रूप से उन चार प्रस्तावों पर जो शुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौते (जी. ए. टी. टी.), 1994 के अनुरूप डंपिंग रोधी शुल्क लगाने के संदर्भ में लिए गए थे।

निम्नलिखित है:

" 23. उपरोक्त अधिकारियों का एक निरीक्षण इस ओर ले जाएगा कि निम्नलिखित निष्कर्ष निकालते हैं:

(1) भारत के संविधान का अनुच्छेद 51 (सी) एक निर्देश है।

राज्य नीति का सिद्धांत जिसमें कहा गया है कि राज्य

अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधि के प्रति सम्मान बढ़ाने का प्रयास

दायित्व। नतीजतन, अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियम जो हैं

इस जिनरिंग एनालिसिस सेंटर ऑफ एक्सेलेन्स पी. वी. टी. लिमिटेड v में अदालतों द्वारा घरेलू कानून के विपरीत पालन नहीं किया जाता है।

आय कर आयुक्त [आर. एफ. नरीमन, जे.]

देश। यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक अंतरराष्ट्रीय

जिन संधियों पर भारत हस्ताक्षरकर्ता नहीं है या अंतर्राष्ट्रीय कानून के सामान्य नियम लागू किए जाते हैं। यह इस स्थिति में है कि अगर घरेलू कानून के बीच टकराव होता है और

अंतर्राष्ट्रीय कानून, घरेलू कानून प्रबल होंगे।

ऐसी संधि, इस तरह के क़ानून के एक संकीर्ण शाब्दिक निर्माण के बजाय एक उद्देश्यपूर्ण को प्राथमिकता दी जाती है। इस तरह के क़ानून की व्याख्या का अर्थ पहले के घरेलू उदाहरणों के बजाय सामान्य स्वीकृति के व्यापक सिद्धांतों पर लगाया जाना चाहिए, जिसका उद्देश्य संधि दायित्वों को पूरा करना है, और उनके साथ असंगत नहीं होना चाहिए। (4) ऐसी स्थिति में जब भारत एक अंतरराष्ट्रीय संधि का हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्र है, और एक संधि दायित्व को लागू करने के लिए एक क़ानून बनाया गया है, और यदि इस तरह के क़ानून की भाषा और संधि के संबंधित प्रावधान के बीच कोई अंतर है, तो वैधानिक भाषा का अर्थ संधि के समान ही लगाया जाना चाहिए। यह इस कारण से है कि ऐसे मामलों में अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा जो हासिल करने की मांग की जाती है वह एक समान अंतर्राष्ट्रीय कानून संहिता है जिसे लागू किया जाना है

सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों की अदालतें इस तरह से जो सभी हस्ताक्षरकर्ता राष्ट्रों में समान परिणाम की ओर ले जाती हैं।

165. वनाच्छादित पैराग्राफ के निष्कर्षों में कोई प्रत्यक्ष नहीं है

आयकर अधिनियम की धारा 90 (2) के प्रभाव के रूप में उपलब्ध तथ्यों की पुष्टि करना, जिसे उसके स्पष्टीकरण 4 के साथ पढ़ा जाता है, डी. टी. ए. ए. के प्रावधानों और उन कानूनों के बारे में विचार करना है जिनका भारतीय न्यायालयों द्वारा पालन किया जाना चाहिए, भले ही आयकर अधिनियम में इसके विपरीत कुछ भी निहित हो, जब तक कि इससे अधिक न हो।

निर्धारिती के लिए आधिकारिक।

इन सभी कारणों से, विद्वानों की ये प्रस्तुतियाँ

सशर्त सॉलिसिटर जनरल को खारिज कर दिया जाता है।

21] 2 एस सी आर।

166. इस मोड़ पर, यह भी इंगित करना महत्वपूर्ण है कि आयकर अधिनियम की धारा 195 का उल्लेख करने और यह निर्णय लेने के बाद कि विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी, राजस्व ने सर्कुलर No.10/2002 दिनांक 09.10.2002 के माध्यम से यह भी बताया कि यदि व्यक्ति

प्रेषण करना इसके साथ एक वचन पत्र प्रस्तुत करना है

भारतीय रिजर्व बैंक ["आर. बी. आई".] को एक लेखाकार के प्रमाण पत्र ने स्वयं उक्त परिपत्र के अनुलग्नक बी में जारी किए जाने वाले प्रमाण पत्र के प्रारूप में रॉयल्टी के लिए प्रेषण (पंक्ति संख्या 5 देखें) और वस्तुओं या कंप्यूटर की आपूर्ति के लिए प्रेषण के बीच अंतर किया है।

सॉफ्टवेयर (पंक्ति संख्या 7 देखें), निम्नानुसार है:

अनुलग्नक 'बी'

प्रमाण पत्र

लाभार्थी का नाम और पता

1 .

प्रेषण और विदेशी देश का नाम

कौन सा प्रेषण किया जा रहा है।

प्रेषण की राशि विदेशी मुद्रा है।

2 .

प्रस्तावित तिथि/माह और बैंक का संकेत देना

जिसके माध्यम से प्रवेश किया जा रहा है।

स्रोत पर काटे गए कर का विवरण, जिस दर पर

: विदेशी

भारतीय

3 .

कर काट लिया गया है और कटौती की तारीख है।

स्रोत पर कर की कटौती

प्रेषित वास्तविक राशि

कटौती की तिथि

जिस स्थिति में विप्रेषण में संकेत दिया गया है

4 .

(2) ऊपर करों का शुद्ध है, क्या देय कर है

जमा किया गया? यदि ऐसा है, तो इसकी गणना की जा सकती है

इंगित किया जाता है।

यदि प्रेषण रॉयल्टी के लिए है, तो तकनीकी शुल्क।:

5 .

सेवाओं, ब्याज, लाभांश, आदि, के खंड

प्रासंगिक डी. टी. ए. ए. जिसके तहत प्रेषण किया जाता है

इस तरह के संदर्भ में कर की कटौती की जानी आवश्यक है

लागू डी. टी. ए. ए. का खंड।

6 .

यदि उस कर की कटौती कम दर पर की गई है

लागू के तहत निर्धारित दर से अधिक

डी. टी. ए. ए, इसके कारण।

7 .

यदि प्रेषण वस्तुओं की आपूर्ति के लिए है या

चीज़ें (जैसे, संयंत्र, मशीनरी, उपकरण, आदि) या

कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कृपया इंगित करें: —

आई. क्या कोई स्थायी प्रतिष्ठान है भारत में जिसके माध्यम से लाभार्थी

प्रेषण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जारी है

वस्तुओं या वस्तुओं की आपूर्ति की ऐसी गतिविधि?

ii. क्या ऐसा प्रेषण इसके लिए जिम्मेदार है या

इस तरह के स्थायी प्रतिष्ठान से जुड़ा हुआ?

ऐसा प्रेषण जो कर के लिए उत्तरदायी हो। iv. यदि नहीं, तो इसके कारण संक्षेप में बताएँ।

8 .

यदि प्रेषण व्यवसाय के कारण है आय

कृपया इंगित करें:

कर से। iii. यदि नहीं, तो उसके कारण।

9 .

यदि किसी के लिए स्रोत पर कर नहीं काटा जाता है अन्य कारण, उसका विवरण।

(जोर दिया गया)

167. राजस्व, इसलिए, जब इसके तहत "रॉयल्टी" का उल्लेख किया जाता है

डी. टी. ए. ए. तकनीकी सेवाओं के संदर्भ में ऐसी रॉयल्टी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपूर्ति के लिए प्रेषण के बीच अंतर करता है, जिसे तब प्रासंगिक डी. टी. ए. ए. के तहत कर योग्य व्यावसायिक लाभ के रूप में माना जाता है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या कोई पी. ई. है जिसके माध्यम से निर्धारिती भारत में काम करता है। यह दिखाने के लिए एक और परिस्थिति है कि राजस्व ने स्वयं दोनों के बीच के अंतर की सराहना की है।

रॉयल्टी का भुगतान और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की आपूर्ति/उपयोग

माल की, जिसे तब भारत में कर योग्य निर्धारिती की व्यावसायिक आय के रूप में माना जाता है यदि भारत में उसकी पी. ई. है।

निष्कर्ष

168. के अनुच्छेद 12 में निहित रॉयल्टी की परिभाषा को देखते हुए

इस निर्णय के अनुच्छेद 41 में उल्लिखित डी. टी. ए. के अनुसार, यह स्पष्ट है कि आय की धारा 195 में उल्लिखित व्यक्तियों पर कोई दायित्व नहीं है। स्रोत पर कर की कटौती करने के लिए कर अधिनियम, क्योंकि इन मामलों के तथ्यों में वितरण समझौते/ई. यू. एल. ए. ऐसे वितरकों/अंतिम उपयोगकर्ताओं में कोई ब्याज या अधिकार पैदा नहीं करते हैं, जो [2021] 2 एस. सी. आर. के उपयोग या उपयोग के अधिकार के बराबर होगा।

कोई भी कॉपीराइट। आयकर अधिनियम (धारा 9 (1) (vi), उसके स्पष्टीकरण 2 और 4 के साथ) में निहित प्रावधान, जो निम्नलिखित से संबंधित हैं - रॉयल्टी, निर्धारिती के लिए अधिक फायदेमंद नहीं होने के कारण, इन मामलों के तथ्यों में कोई अनुप्रयोग नहीं है।

169. हमारे सामने पूछे गए सवाल का हमारा जवाब यह है कि निवासी भारतीय उपयोगकर्ताओं/वितरकों द्वारा गैर-निवासी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं को ईयूएलए/वितरण समझौतों के माध्यम से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के पुनर्विक्रय/उपयोग के लिए भुगतान की गई राशि, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में कॉपीराइट के उपयोग के लिए रॉयल्टी का भुगतान नहीं है, और यह कि यह किसी भी आय को जन्म नहीं देता है। भारत में कर योग्य, जिसके परिणामस्वरूप आयकर अधिनियम की धारा 195 में निर्दिष्ट व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 195 के तहत किसी भी टीडीएस की कटौती करने के लिए उत्तरदायी नहीं थे। इस प्रश्न का उत्तर इस निर्णय के पैराग्राफ 4 में हमारे द्वारा गिने गए सभी चार श्रेणियों के मामलों पर लागू होगा।

सिट्रिक्स सिस्टम (ए. ए. आर.) (ऊपर) में ए. ए. आर. के निर्णय को दरकिनार कर दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के विवादित फैसलों की अपीलें खारिज कर दी जाती हैं। देविका गुजराल

अपी

लों का निपटारा किया गया।